खण्ड-361, अंक-7
सोमवार, 23 फाल्गुन, शक संवत् 1904
(14 मार्च, 1983 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 361 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	...	1003
गणपूर्ति के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देश	...	1007
प्रश्नोत्तर	...	1007
प्रश्नों के उत्तर स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	...	1091
जाजमऊ सीवेज पम्पिग स्टेशन (कानपुर) द्वारा रूमा एवं चकेरी माइनर को गन्दा पानी न देने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1092
ग्राम अमरापुर थाना खैराबाद (सीतापुर) स्थित भट्टे पर हरिजन युवतियों के साथ बलात्कार किये जाने तथा पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1093
बस्ती में विश्व स्वास्थ्य संगठन से बालकों एवं बाढ़ पीड़ितों के वितरण हेतु प्राप्त दुग्ध चूर्ण एवं दलिया को अधिकारियों द्वारा चोर बाजारी में बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1093
किसान नेता श्री सुभाष कुर्मी तथा श्री दीना को बरेसर थाना (गाजीपुर) की पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	...	1094
कस्बा मरयादपुर (आजमगढ़) में सर्वदलीय सभा के श्रोताओं पर पुलिस द्वारा मारपीट एवं नेताओं को अपमानित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	....	1094
श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री किरनपाल सिंह की रिहाई व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनायें	....	1094
सदस्यों की गिरफ्तारी सूचना जेल अधीक्षक द्वारा भेजे जाने के सम्बन्ध व्यवस्था का प्रश्न	...	1095
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें (जारी)	....	1096
श्री यदुनाथ सिंह के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...	1102
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	....	1103
वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान, अनुदान संख्या 56–शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 68-सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा अनुदान संख्या 80–स्पोर्टस विभाग (स्वीकृत)	....	1107

नियय 51 के अन्तर्गत सूचनायें 1155

उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा अपनी मांगों के लिए हड़ताल किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 1156

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य 5 नियमों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी हेतु तिथि में परिवर्तन की सूचना ... 1165

प्रदेश में अपराधी व्यक्तियों द्वारा पटाखों के लिए आतिशबाजों को दी जाने वाली बारूद का प्रयोग हथगोले बनाने में किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य 1165

नत्थियाँ 1169

अविकल प्रति

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 14 मार्च, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 5 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धर्मसिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—326

अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री(फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित)
आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर, सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खुर्शीद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारू चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल श्री, (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)

जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री(मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौढ़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूँ)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झाँसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झाँसी)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)

मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूँ)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोतीलाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूँ)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झाँसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रूखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह,(इलाहाबाद)(उर्फ मणि जी)

लट्टूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लोकपति त्रिपाठी श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिवमंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सुल्तानपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंस राज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्री वास्तव, श्री (कानपुर)
हरिशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

गणपूर्ति के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देश

श्री अध्यक्ष—

मा० संसदीय कार्य मंत्री 11 बजकर 5 मिनट हो गये हैं, भविष्य में ध्यान रखें। मैंने पहले भी कहा था कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी तरह से 11 बजे हम अपना कार्य प्रारम्भ कर दें।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, शासन ऐसी घड़ी लगवा दे कि जब आप यहाँ सदन में पैर रखें तो 11 बजे।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 14 मार्च, 1983 ई०

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद में कतिपय विद्यालयों को नयी कक्षायें खोलने की अनुमति

श्री गोपीनाथ वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में जनपद फैजाबाद के किन-किन विद्यालयों को नयी कक्षाएं खोलने की अनुमति प्रदान की गई तथा शासन ने विद्यालयों में अध्यापकों के नये पदों के सृजन पर रोक लगाने हेतु कोई शासनादेश जारी किया है ? यदि हाँ, तो नयी कक्षायें खोलने की अनुमति जारी करने का क्या औचित्य था ?

शिक्षा मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

वर्ष 1981 में जनपद फैजाबाद में निम्नलिखित विद्यालयों को नई कक्षायें खोलने की अनुमति दी गई :—

1—संत कबीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैरम का पुरवा, सैदापुर

2—कृषक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर भगन

3—जय किसान इन्टर कालिज, अरवत

4—डा०जी०के० जेटली इन्टर कालेज, अकबरपुर।

जी नहीं, उप शिक्षा निदेशकों तथा मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षकाओं को, पद सृजन के प्रतिनिधायित अधिकारों का, प्रयोग न करने के आदेश दिये गये थे। आवश्यक होने पर शिक्षा निदेशक द्वारा पदों के सृजन की कार्यवाही की जाती है। प्रश्नगत संस्थाओं के प्रकरण प्राप्त होने पर शिक्षा निदेशक द्वारा आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जायगी।

विधान सभा सदस्य, श्री गुलाब सिंह के विरुद्ध अधीन की खेती करने के मामले की दर्ज रिपोर्ट

*2—**श्री मोहन सिंह**—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य श्री गुलाब सिंह के विरुद्ध देहरादून के आबकारी विभाग ने बिना लाइसेन्स अफीम की खेती करने का कोई मामला दर्ज किया है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण तथ्य क्या है और तथ्यों की रोशनी में विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

आबकारी मंत्री (श्री विद्या भूषण)—

मामला न्यायालय में विचाराधीन है । इसलिए सम्प्रति कोई सूचना दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इस मामले में आपके विभाग ने प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफ०आई०आर० क्या दर्ज करायी और जो अदालत में चार्जशीट आपके विभाग ने दर्ज करायी है, वह क्या है ?

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, यह मामला न्यायालय में विचाराधीन हैं ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, न्यायालय में क्या है, कैसे समीक्षा की जा रही है, इसमें मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हमारी जो नियमावली है उसके अनुसार कोई भी मंत्री इस तरह का उत्तर देकर प्रश्नों को झुठला नहीं सकता है । सामान्य प्रक्रिया है कि एफ०आई०आर० के बारे में पूछा जाता है और मंत्री उत्तर देते हैं । तो मैंने जो प्रश्न पूछा है कि एफ०आई०आर० क्या है और अदालत में चार्जशीट क्या दर्ज करायी गयी है, वह बतायें ?

श्री विद्या भूषण—

न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है इसलिये मैं इसमें कुछ भी बताना उचित नही समझता हूँ ।

श्री मोहन सिंह—

एफ०आई०आर० थाने में विभाग ने दर्ज कराया है, वह ऐसा डाकूमेंट है जो यहा आ सकता है और इस तरह का उत्तर देना सदन का अपमान करना है, मान्यवर, आप हमें संरक्षण दें । कोई भी यह कहकर कि न्यायालय में विचाराधीन है और एफ०आई०आर० को पढ़ने से इन्कार नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष—

क्या एफ०आई०आर० आपके विभाग से भेजी गई है ।

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, केन्द्र सरकार का यह मामला है ।

श्री मोहन सिंह—

एफ०आई०आर० किसने दर्ज करायी है, यदि केन्द्र ने ही दर्ज करायी है तो वह क्या है ? वह एक मंत्री के पद पर थे और जब सदन के बाहर टीका टिप्पणी की जाती है तो सदन का अपमान माना जाता है, यह सदन अपने सदस्यों के प्रति यदि जागरूक नहीं है तो विशेषाधिकारों द्वारा हम उन चीजों को यहां उठाते हैं, इसलिये जो बिना लाइसेन्स के अफीम की खेती करते हैं, वह यहां बैठे रहते हैं और सदन उन पर कार्यवाही नहीं करता है तो हम जनता के सामने क्या मुंह दिखायेंगे ? केन्द्र के आबकारी विभाग ने जो एफ०आई०आर० आपके सूबे में लिखाई होगी जिसकी जानकारी आपको होगी, वह मामला अदालत में है, तो निश्चित तौर पर विभाग को जानकारी होगी तो एफ०आई०आर० क्या है ?

श्री विद्या भूषण—

यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह प्रश्न पहले भी यहां उठ चुका है, उस समय बता दिया गया था कि केन्द्र सरकार का यह मामला है, उ०प्र० शासन के आबकारी विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिये इसके विषय में और ज्यादा नहीं बताया जा सकता है।

श्री मोहन सिंह—

जब आपके विभाग ने, आपके कार्यालय ने और आपने स्वयं इस प्रश्न की स्वीकृति दे दी, तो उत्तर प्रदेश का जूरिस्डेक्शन हो गया है और हमारे इस सदन का अधिकार हो गया कि वह इसके बारे में जितनी सूचनाएं हैं—सम्पूर्ण सूचनाएं सदन के समक्ष आएं। 15 दिन बाद सरकार के द्वारा यह कहना कि हम सूचना मंगवा रहे हैं, इस आधार पर स्थगित रहे और उसके बाद भी इस तरह के उत्तर का कोई आधार नहीं है। श्रीमन्, जब आपने स्वीकार किया तो उस समय यह लिखा जा सकता था कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, कृपया इसको स्वीकार न करें। उस पर आप उसको निरस्त कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी तरफ से कोई उत्तर नहीं दिया, आपने एजेण्डा में ले लिया और 15 दिन के लिए एक बार स्थगित कर दिया तो अब ऐसी स्थिति में हमारे नियमानुसार मंत्री जी उसका उत्तर देने से नहीं कतरा सकते हैं। जो यह आधार कह रहे हैं, वह इसमें बिलकुल लागू नहीं है। इसलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं कि सदन की गरिमा की रक्षा के लिए, माननीय गुलाबसिंह जी जो फर्जी तरीके से बिना लाइसेंस के अफीम की खेती कराने के लिए उत्तरदायी हैं, जिनका नाम क्रिमिनल केस में है, तो इस संबंध में जो उनको चार्जशीट दी गई है, वह आप बता दें कि वह क्या है ?

श्री विद्या भूषण—

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 28 (8) के अनुसार—उसमें किसी ऐसे विषय के संबंध में सूचना नहीं मांगी जायेगी जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के विचाराधीन हों, इसका उत्तर देना ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह नहीं है, जब आपके पास उत्तर के लिए गया था, तभी आपको यह बताना चाहिए था और उसमें आपको यह साफ कह देना चाहिए था कि यह बताना सम्भव नहीं है। हमारे यहां जो नियम बना हुआ है, उसके अनुसार उसी वक्त यह एतराज करना चाहिए था ...

श्री विद्या भूषण—

यह एतराज किया था ।

श्री अध्यक्ष—

वह रूल्ड आउट हो गया । वह स्वीकार नहीं हुआ ।

श्री विद्या भूषण—

हाँ, वह माना नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष—

एक बार स्वीकार होने के बाद जो भी आपकी पत्रावली में है, उसका उत्तर देना चाहिए, वह नियम में है ।

श्री विद्या भूषण—

प्रश्न के बारे में फिर से बता दें ।

श्री मोहन सिंह—

गुलाब सिंह के खिलाफ जो एफ० आई० आर० लिखाई गई, वह क्या है ? और जो अदालत में विचाराधीन है, उस पर मैं कोई विचार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो चार्जशीट दाखिल हुई वह क्या है, यह जानना चाहता हूँ ?

श्री विद्या भूषण—

यदि आप आज्ञा देंगे तो मंगाकर बता दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

तो आप इसकी सूचना मांग लीजिए ।

श्री विद्या भूषण—

ठीक है, हम इसकी सूचना मंगवा कर आपको अवगत करा देंगे ।

श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो कुछ अदालत में विचाराधीन है वह किस दफा में है, किसके खिलाफ चार्जशीट है और कौन मुलजिम है ?···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस पर मोहन सिंह जी ने स्वयं प्रश्न किया है ।···· (व्यवधान)

श्री विद्या भूषण—

इस सब की जानकारी मंगाकर मैं सूचित कर दूंगा ।

श्री विद्या भूषण—

श्रीमन्, आप इसको स्थगित कीजिए ।

श्री अध्यक्ष —

मैं इसको स्थगित करता हूँ, इस पर जानकारी होने के बाद कार्यवाही होगी ।

आर्य कन्या इण्टर कालेज गुलावठी मेरठ द्वारा नवभारत टाइम्स पेपर में निकाली गयी प्रवक्ता की आरक्षण की रिक्तियां तथा चयन

*3—**श्री छत्तर सिंह —**

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, गुलावठी मेरठ ने नवभारत टाइम्स दिनांक 21-9-82 के द्वारा इतिहास प्रवक्ता की रिक्तियाँ निकाली थीं जो आरक्षण की रिक्तियां थीं ? यदि हां, तो इण्टरव्यू में मौजूद पिछड़ी जाति से सम्बन्धित अभ्यर्थी को न चुनकर एक उच्च जाति के अभ्यर्थी को ले लिया गया और उसे आर० आई० जी० एस० मेरठ के बिना अनुमोदन के ही वेतन भी दिया जा रहा है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

वास्तविक तिथि 21-9-82 के स्थान पर 21-9-79 है एवं गुलावठी जनपद मेरठ के न होकर जनपद बुलन्दशहर में है ।

जी हाँ ।

चयन समिति द्वारा पिछड़ी जाति की एकमात्र अभ्यर्थनी को सर्वथा अयोग्य पाया गया और इस कारण उसका चयन न कर सामान्य अभ्यर्थनी का चयन किया गया ।

विधिक परामर्श प्राप्त करने के उपरान्त उसी के अनुसार चयनित अभ्यर्थनी को वेतन भुगतान के आदेश शासन द्वारा निर्गत किये गये थे ।

राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज, झांसी की अध्यापिकाओं को सी० डी० एस० की धनराशि का भुगतान

*4—**राजेन्द्र अग्निहोत्री**—(अनुपस्थित)

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज झांसी की अध्यापिकाओं की सी० डी० एस० के अन्तर्गत की गई कटौती की धनराशि उन्हें अभी तक वापिस नहीं की गई ? यदि हाँ, तो क्यों ? इसके लिए कौन दोषी है तथा शासन ने इस सम्बन्ध में अगस्त, 1982 तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ, मामला रीजनल प्राविडैंट फंड कमिश्नर, कानपुर के यहाँ लम्बित है ।

[सोमवार 14 मार्च, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जनपद फैजाबाद में सामान्य सूची के समस्त बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति

***1—श्री गोपीनाथ वर्मा—(अनुपस्थित)—**

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बी०टी०सी० प्रशिक्षित वर्ष 1973 की सामान्य सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति अभी तक नहीं की जा सकी है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में अपने विभागीय स्तर से संस्तुति करके पत्रांक शि०स०/81-82 दिनांक 20-1-82 को कोई रिपोर्ट सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद को भेजी है ? यदि हां, तो प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्यवाही जब तक की गई ? यदि हां, तो कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद फैजाबाद के वर्ष 1973 की सामान्य सूची के समस्त बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्नगत समस्त बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत उर्दू अध्यापकों का वेतन

***2—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—**

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत उर्दू अध्यापकों को प्राइमरी स्कूल में कार्यरत अध्यापकों का वेतन दिया जाता है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

शासन के आदेशानुसार ये पद प्राइमरी स्कूलों के वेतनमान में स्वीकृत होने के कारण।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में, जूनियर हाईस्कूल में जो उर्दू टीचर हैं उनको प्राइमरी स्कूल का वेतनमान दिया जा रहा है, तो शासन द्वारा ऐसी आज्ञा दिये जाने का क्या कारण है ? ऐसा गलत आदेश देने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, एक राजाज्ञा 27-7-73 के द्वारा 4,823 पद प्राइमरी स्कूलों में उर्दू अध्यापकों के लिए स्वीकृत हुये थे, लेकिन प्राइमरी स्कूलों में क्योंकि कुल 3,823 अध्यापकों के पद रिक्त थे, पद सृजन के द्वारा, इसलिए 3,823 तो इस हाफ-ए-मिलियन जाब्स योजनांतर्गत प्राइमरी स्कूलों के वेतनमान में उन्हें जूनियर हाईस्कूलों में उर्दू अध्यापक के पद पर ऐबजार्ब कर लिया गया और जो 1000 बचे, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में जगह नहीं थी, तो इसी ग्रेड के अन्तर्गत उन्हें प्राइमरी स्कूल के वेतनमान में, उनको जूनियर हाईस्कूलों में पढ़ाने के आदेश दिये गये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, यह शासन की नीति है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाय। मान्यवर, जूनियर हाईस्कूल के जो टीचर्स काम करते हैं और ये उर्दू टीचर्स काम कर रहे हैं, ये टीचर्स जूनियर हाईस्कूल के समान कार्यकर रहे हैं, तो मान्यवर, यह जो समान कार्य के लिए समान वेतन देने की शासन की नीति है, तो उनको जूनियर हाईस्कूल के समान वेतन मान देने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जब हमारे पास 3,823 पद थे, तो हम कैसे 4,823 टीचर्स रख लेते, तो मान्यवर, प्राइमरी स्कूल के जो पद स्वीकृत थे, हमने इसलिए उनको इस वेतनमान में उन्हें रख लिया। लेकिन चूँकि प्राइमरी स्कूल में उतने पद नहीं थे, इसलिए जो बचे हुए थे, उनको हमने जूनियर हाईस्कूल में पढ़ाने का अवसर दिया।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, जो टीचर्स जूनियर हाईस्कूल में पढ़ा रहे हैं और वे प्राइमरी स्कूल का वेतन पाते हैं, वह सिद्धान्त और नियम दोनों के ही विरुद्ध है। क्या माननीया शिक्षा मंत्री जी इनको जूनियर हाईस्कूल का वेतनमान देने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, उन्हें वरीयता के आधार पर, जो उनकी सीनियारिटी है, उनको हम जूनियर ग्रेड में ऐडजस्ट करने का अवश्य विचार कर रहे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, क्या यह सही है कि 1973 से जो 1 हजार उर्दू टीचर्स जूनियर हाई स्कूल में लगे हुए हैं, उसको 450-750 का दे दिया गया था, जो उनको ज्यादा तनख्वाह दी गयी, वह उनको जमा करने का आदेश दिया गया है, उसे विद्ड्रा करने की माननीया मंत्री जी कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, एक राजाज्ञा दिनांक 16-2-81 को निकली थी कि इनको यह ग्रेड दे दिया जाय, जूनियर हाईस्कूल का, लेकिन बाद में वह कैंसिल हो गया, क्योंकि यह गलत आर्डर हो गया था और उसे तुरन्त 25-8-82 को कैंसिल कर दिया था।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, राजाज्ञा के अनुसार उनको जूनियर हाईस्कूल का वेतनमान दिया गया, तो इस वक्त इतने सालों के बाद उनसे यह कहा जाय कि आपकी तनख्वाह सरप्लस है, वापस करिये, तो यह कहना मुनासिब न होगा, तो मान्यवर, क्या माननीया शिक्षा मंत्री जी इस तनख्वाह वापस करने के आदेश को विद्ड्रा करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो 1 हजार अध्यापक थे, उनको जूनियर हाईस्कूल में पढ़ाने के लिए अवश्य कहा गया था, या तो हम उनको बिलकुल इम्प्लाय न करते, 1 हजार पोस्ट बिलकुल बेकार चली जाती, या जहाँ पर हम नयी कक्षाएँ खोल रहे थे, वहां पर उनको रखते। जी०ओ० जरूर गलती से निकल गया कि जो जूनियर हाईस्कूल में पढ़ा रहे थे, उनको यही वेतनमान दिया गया, यह गलत रूप से जी० ओ० निकल गया। अब यह जरूर है कि जो-जो टीचर्स हैं, उनको श्रेष्ठता के अनुसार प्रोन्नति के अवसर अवश्यक उनको देकर ऐवज़ार्ब किया जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, माननीय मंत्री की ने स्वीकार किया है कि दूसरी राजाज्ञा गलत निकाली गयी है। मैं मान्यवर, मानता हूँ कि पहली राजाज्ञा सही थी तो क्या पहली राजाज्ञा को सही मानकर जूनियर हाई स्कूल में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं उनको जूनियर हाई स्कूल का वेतनमान देने का आश्वासन देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर जो अध्यापक प्राइमरी वेतमान के उसी पद के ऊपर रखे गये हैं उनको आगे जूनियर ग्रेड में प्रमोशन करने के लिये वरीयता का ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो पूरे कैडर में अव्यवस्था हो जायगी। हम इसको स्वयं देख रहे हैं और सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं। हम जल्दी से जल्दी इन लोगों के विषय में उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

मेरी बात सुनें। जब किसी को प्राइमरी ग्रेड मिल रहा है तो जूनियर हाई स्कूल का ग्रेड देने के लिये प्रमोशन ही हो सकेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, वह लोग जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों का काम कर रहे हैं। राजाज्ञा थी कि उनको साढ़े 4 सौ से साढ़े 7 सौ का वेतन दिया जाय। यह वेतन भी उनको प्राप्त होता रहा है। लेकिन आफ्टर थाट न जाने किन परिस्थितयों में दूसरी राजाज्ञा निकाली गयी कि उनको प्राइमरी स्कूल में जाना पड़ेगा और वेतन रिफंड करना पड़ेगा यह अनियमित कार्य है तो क्या जो पुरानी राजाज्ञा थी जिसके अनुसार वह जूनियर हाई स्कूल में काम करते हैं और वेतन लेते हैं और आज भी काम कर रहे हैं, तो उस राजाज्ञा को सही मानकर

आदरणीय सदन में आश्वासन देने की कृपा करेगी कि उनको जूनियर हाई स्कूल का वेतन दिया जायगा और रिफंड नहीं लिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, उनकी वरीयता को देखते हुये उनको जूनियर हाई स्कूल में एबजार्ब करने का प्रयास किया जायगा। लेकिन जो प्राइमरी वेतनमान में रखे गये हैं उनको कैसे जूनियर हाई स्कूल का वेतन दे सकते हैं। राजाज्ञा अगर कोई गलत निकल गयी है तो उसको कैंसिल करने का अधिकार है।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो पद सृजित किये गये थे। उर्दू अध्यापकों के वह प्राइमरी पाठशालओं के लिये सृजित किये गये थे। मेरी सूचना को सही मानते हुए कि अलीगढ़ में अब भी प्राइमरी पाठशालाओं में उर्दू टीचर्स नहीं हैं तो क्या इन अध्यापकों को जो प्राइमरी स्कूलों के लिये रखे गये थे इनको प्राइमरी पाठशालाओं में भेजेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, अवश्य इस पर विचार किया जायगा।

श्री रेवती रमण सिंह—

सरकार की नीति उर्दू भाषा को प्रश्रय देने की है। यह अध्यापक जो हैं यह जूनियर हाई स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो फिर उनको पदोन्नति देने का क्या काम है ? उनको वही वेतन क्यों नहीं देते हैं इसमें पदोन्नति देने का सवाल कहां आता है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यह जो उर्दू की बात आयी है तो इसी सरकार ने निर्णय लिया था कि 6 हजार अध्यापकों को कंफर्म कर दिया जाय तो क्यों नहीं कंफर्म किया, आप भी वहाँ रहे थे क्यों कंफर्म नहीं किया ?

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, जो यह अध्यापक नियुक्त किये गये हैं वे जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने के लिए नियुक्त किये गये हैं। जो राजाज्ञा निकली है वेतनमान के बारे में, अब निकली या पहले भी निकलती रहती है, वह कार्य और योग्यता के हिसाब से निकलती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जब यह अध्यापक जूनियर कक्षाओं में पढ़ाने के लिए नियुक्त किये गये हैं, तो जूनियर कक्षाओं का जो वेतनमान हैं, वह उनको देने के बारे में क्या आपत्ति है ? एक राजाज्ञा हुई कि जूनियर का वेतनमान न दिया जाय, वास्तव में यह राजाज्ञा गलत है, वेतन अयोग के सिद्धान्त के विपरीत निकली है, तो क्या जो यह राजाज्ञा निकली है उसको निरस्त करके जिस स्तर का यह अध्यापक काम कर रहे हैं, उस काम और स्तर का वेतनमान देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैंने अभी निवेदन किया था कि इन अध्यापकों को असाधारण परिस्थिति में, जब हमारे पास 4823 लोग थे और केवल हमारे पास 3823 पद थे, तो एक

हजार लोगों का हम क्या करते, तो इनको हमने ले लिया। मैंने यह भी निवेदन किया था कि जूनियर में जो जगहें खाली होती जाती हैं, उसमें वरीयता के अनुसार हम अवश्य सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे और उसमें इन लोगों को एडजार्ब करने का प्रयास करेंगे।

टाउन इन्टर कालेज मोहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ के प्रधानाचार्य पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र वापस लेने के सम्बन्ध में विधि परामर्श सम्बन्धी तार

*3—श्री केदार नाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन इन्टर कालेज, मोहम्मदाबाद गोहना, जिला आजमगढ़ के प्रधानाचार्य पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र वापस लेने के सम्बन्ध में परामर्श सम्बन्धी कोई तार दिनाँक 25-9-80 को जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ को शासन ने भेजा था ? यदि हां, तो वह विधि परामर्श क्या था और उसके प्रतिकुल दिनांक 24-11-80 को दूसरा तार जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ को पुनः किन परिस्थितियों में भेजा गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

विधिक परामर्श निम्नवत् था :—

शासन को विधिक परामर्श दिया गया है कि विनियमों में कोई व्यवस्था नहीं है कि आवेदक अपना कैनडीडेचर वापस लेवें जो अभ्यर्थी चुनाव में सम्मिलित नहीं होना चाहता वह साक्षात्कार में बुलाये जाने पर स्वेच्छा से अनुपस्थित रह सकता है।

एक माननीय विधायक द्वारा शासन के उक्त आदेशों के विरोध में पत्र प्रस्तुत किये जाने पर शासन द्वारा प्रकरण पर पुनः विधिक परामर्श प्राप्त कर विचारोपरान्त दूसरा तार दिनाँक 24-11-80 को जारी किया गया था।

श्री केदार नाथ सिंह —

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न यह था कि टाउन इण्टर कालेज, मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद आजमगढ़ के प्रधानाचार्य पद हेतु अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र वापस लेने के में कोई विधिक राय दी गयी थी ? वह विधिक राय यह दी गयी कि कोई भी अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र, अपना केन्डीडेचर वापस नहीं ले सकता है। फिर दिनांक 24-11-80 को दूसरी राय प्रतिकूल जा रही है, राय यह दी जा रही है....

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं प्रश्न ही कर रहा हूँ कि उसके प्रतिकूल दूसरी विधिक राय दी जा रही है और वह अपना केन्डीडेयर वापस ले रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ वह कौन ऐसा सौभाग्यशाली प्रशासन में दवाब रखने वाला इस सदन का माननीय सदस्य है, जिसने अपने निहित स्वार्थ में विधिक राय बदलवाने में सफलता प्राप्त कर ली है, कृपया उसका नाम बताने का कष्ट करें ? दूसरे, वह विधिक राय बदलने का आधार क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ, आप दूसरा सवाल करें, प्रश्न को आप इतना उलझा देते हैं, संक्षेप में कहिये ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मैं संक्षेप में ही प्रश्न कर रहा हूँ । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उस सदस्य का नाम क्या है और दूसरे किस आधार पर वह विधिकराय बदल दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, विधायकों के जब हमारे पास पत्र आते हैं, तो यह हमारा पुनीत कर्तव्य है कि हम विधायकों की विचार धारा का, उनके सुझावों का विश्लेशण करें, और उस पर विधिक परामर्श के अनुसार हम कर्तव्य का पालन करें ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने आपके कहने पर सीधा सवाल यह किया था कि वह इस माननीय सदन का सदस्य कौन है, जिसके लिखने पर विधिक राय बदल दी गयी और उस विधिक राय को बदलने का आधार क्या है ? लेकिन माननीया मंत्री जी इससे हटकर जवाब दे रहीं हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी जी का पत्र है । कल आपका भी पत्र हो सकता है चाहे मोहन सिंह का, भीखालाल जी का हो या रियासत हुसैन साहब का हो इनके सुझावों पर गौर करके नियमानुसार कार्यवाही करना हमारा कर्तव्य है । मैंने विधिक राय ली और यह निर्णय हुआ कि कोई भी अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र वापस ले सकता है ।

श्री उदल—

पहले वाली विधिक राय क्या है और बाद वाली क्या है और न्याय विभाग के किस अधिकारी ने यह राय दी ?

श्री अध्यक्ष—

लीगल ओपिनियन गर्वनर के नाम होती है इसलिए इसको बताना सम्भव नहीं है ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैंने बताया कि पहले राय यह थी कि कोई कन्डीडेचर वापस ले नहीं सकता है फिर से उस पर विचार किया गया विधायक के सुझाव पर तो यह निर्णय हुआ कि वापस लिया जा सकता है । और अब तो हमने सारा झगड़ा ही समाप्त कर दिया आयोग बना दिया । हमने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का अन्त करके दिखा दिया ।

***4—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

[दिनांक 21-2-83 को तारांकित प्रश्न संख्या-12 द्वारा उत्तरित]

उपनिदेशक, राज्य पुरातत्व संगठन के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की जांच

*5—**श्री भीखालाल**—

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक सांस्कृतिक कार्य तथा उप निदेशक पुरातत्व संगठन के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार तथा अनियमित क्रियाकलापों के विषय में कतिपय प्रमाणों सहित प्रश्नकर्ता के दो पत्र दिनांक 27-1-82 माननीय मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो उक्त दोनों शिकायती पत्रों पर जांच कराई गई अथवा नहीं ? यदि कराई गई तो किसके द्वारा कराई गई और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

निदेशक, सांस्कृतिक कार्य के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 27-1-82 माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त नहीं हुआ है। उपनिदेशक, राज्य पुरातत्व संगठन के विरुद्ध लगायें गये आरोप संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-1-82 माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ जिसके संबंध में जांच की कार्यवाही की जा रही है।

श्री भीखा लाल—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने 2 पत्र दिनांक 27-1-82 को मुख्यमंत्री को लिखा। दोनों पत्र साथ भेजे गये। एक पत्र मिला और दूसरा नहीं मिला। एक उपनिदेशक के खिलाफ था जो छोटा अधिकारी होता है और दूसरा निदेशक के खिलाफ था जो जो आई०ए०एस० अधिकारी होता है। मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मैं यह कहूँ कि मेरा पत्र वापस कर दिया गया लेकिन आई० ए० एस० बड़ा शक्तिशाली है, यह कुछ भी कर सकता है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि 27-1-82 का पत्र है एक साल हो रहा है इसकी जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जांच जारी है जो तथ्य सामने आयेगें, उनसे माननीय सदस्य को अवगत कराया जायेगा और उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, यह देखते हुए कि यह भ्रष्टाचार से सम्बन्धित पत्र है तथा उसमें जो आरोप हैं वह शिक्षा विभाग के एक उच्च अधिकारी के विरुद्ध है तथा उसकी जांच विशेष सचिव कर रहे हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि विशेष सचिव द्वारा कोई अन्तरिम रिपोर्ट या कोई इत्तिला इस एक साल के अन्दर दी है या फिर अभी वह मामला पड़ा हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

मान्यवर, अभी नहीं दी गई है, लेकिन सचिव महोदय को आदेश दिये गये हैं कि वह जल्दी से जल्दी इसे कम्पलीट करके इसकी आख्या दें ?

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह जाँच कब से प्रारम्भ हुई और कब खतम हो जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, हमने 27 अगस्त, 1982 को विशेष सचिव को जाँच करने हेतु आदेश दिये थे तथा इसको जल्दी पूरा करने हेतु भी आदेश दे दिये गये हैं।

कानपुर विश्वविद्यालय में कुलपति द्वारा संबंधित महाविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्रियां बांटने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

***6—श्रीमती गौरी देवी—**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति ने अपने विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा फर्जी डिग्रियाँ बांटने के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र सितम्बर, 1982 में शासन को लिखा है ? यदि हाँ, तो शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, आप देखें। मेरा प्रश्न दिनांक 5-11-1982 को सरकार को दिया गया था लेकिन दुख की बात है कि अभी सरकार उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकी। तो इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी बतायेंगी की कुलपति ने क्या पत्र लिखा था और किन किन महाविद्यालयों के विरुद्ध शिकायतें लिखी थीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, यहाँ पर इस संबंध में शासन ने उसे देखने की कोशिश की लेकिन इस प्रकार का कोई पत्र लिखा हुआ नहीं मिल पाया। लिहाजा हमने कुलपति महोदय को आदेश दिये हैं और एक पत्र लिखा है कि तुरन्त शिकायतों का जो पत्र है उसे भेज दें ताकि उस पर उचित कार्यवाही की जा सके।

श्री राम कुमार भार्गव—

मान्यवर, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस कानपुर विश्वविद्यालय से हम लोग भी सम्बन्धित हैं। लोगों की डिग्रियों की विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ गयी है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मान्यवर, यह विधान सभा का सत्र 25 तारीख तक है। मैं चाहूँगा कि आप माननीय मंत्री जी को स्पष्ट आदेश दें कि इसके अगले हफ्ते वे ले लें। क्योंकि इस प्रश्न से हमारा सीतापुर जिला भी सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—

जो इस प्रकार का प्रश्न आता है उसका उत्तर 15 दिन में आ ही जाता है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद इस प्रश्न को ले लें। तो क्या आप इस प्रश्न को एक हफ्ते के बाद लेने पर विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि कुलपति महोदय को पत्र लिख दिया गया है। यहाँ तो मुदई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात है, यदि पत्र का उत्तर नहीं आयेगा तो उनको रिमाइण्डर

भेज देंगे । जैसे उनके पत्र का उत्तर आयेगा तो तुरन्त उस पर कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, उनके पत्र को तो आने दीजिये ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मैं माननीया शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में उन्होंने एक पत्र कुलपति महोदय को लिखा है तो वह पत्र कब लिखा गया है ? बताने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, अभी हाल ही में, 4-6 दिन पहले लिखा गया है । सही डेट तो मैं नहीं बता सकूँगी ।

श्री देव दरबार आश्रम इण्टर कालेज, साण्डी के पूर्व प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध आरोप की जांच

***7—श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के श्रीदेव दरबार आश्रम इण्टर कालेज, साण्डी के पूर्व प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध आरोपों का वर्तमान प्रबन्धाधिकरण द्वारा निराकरण कर देने से सम्बन्धित एक प्रार्थना पत्र प्रबन्धक श्री कृपाल सिंह की ओर से जो प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित किया गया था, मई, 1982 के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जो को शर्म नहीं आती है और हर प्रश्न में कहती हैं कि सूचना एकत्रित की जा रही है लेकिन हम लोगों को शर्म आती है और हम बारबार टीका टिप्पणी करते जाते हैं । मान्यवर, आप प्रश्न को देखें कि मई, 1982 में सन्दर्भित विद्यालय प्रबन्धाधिकरण द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया और मई, 1982 में इस पर निर्णय शासन स्तर पर हो जाना चाहिए था और इसकी सूचना यहीं से मिल जानी चाहिए । उसके बाद मान्यवर, दिनांक 8-11-1982 का प्रश्न है और इसे भी 4 महीने होने जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, आप प्रश्न करें ।

श्री राम आसरे वर्मा—

तो मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूँछना चाहता हूँ कि आखिरी वह कितना समय इसमें और लेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, शीघ्र ही इसका जबाब, आप आज्ञा दें, उसका उत्तर दे दूँगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जो प्रबन्धाधिकरण ने प्रार्थना पत्र दिये थे उसमें कौन से तथ्य उठाये गये थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैंने अभी निवेदन किया कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।

जनपद वाराणसी के अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपविद्यालय निरीक्षक तथा कार्यरत कथित कर्मचारियों का निलम्बन

***8—श्री ऊदल —**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वाराणसी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप जिला विद्यालय निरीक्षक तथा 5/6 एस० डी० आई० एवं कई क्लर्कों को लाखों के गबन घोटाले, फर्जी अध्यापकों की नियुक्तियां एवं फर्जी चैक बुकों पर भुगतान तथा भविष्य निधि एवं दूसरे प्रकार के मदों का हिसाब किताब ठीक न रखने के जुर्म में सस्पेंड कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के सभी प्रकार के लेखों, मदों आदि की पिछले तीन वर्षों का आडिट एवं व्यापक जांच सरकार कराने पर विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

जनपद वाराणसी के बेसिक शिक्षा अधिकारी, अपर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) उप विद्यालय निरीक्षक, तीन एस० डी० आई० तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के कार्यालय का एक लिपिक फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति, कर्तव्यों के प्रति असावधानी बरतने तथा भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण निलम्बित किये गये हैं ।

जाँच आख्या के प्राप्त होने पर इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार निर्णय लिया जायगा ।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री जी फाइल देखकर बतायेंगी कि इसके संबंधित कुमार विमल कपूर, व महेन्द्र नाथ सिंह, जोखनराम दुबे, श्रीमती मनोरमा गौड़, प्रभा सिनहा आदि फर्जी अध्यापकों की नियुक्ति की गई । स्थानान्तरण किया गया । दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरुप कुमार बख्शी —

हमने 10 आफीसर्स के खिलाफ ऐक्शन लिया है । आपने नाम लिया है कि यदि उनके खिलाफ दोष सिद्ध हो जाता है तो कार्यवाही अवश्य की जायेगी ।

श्री ऊदल —

मैंने मान्यवर, पहला जो नाम लिया है उसकी अपने ब्लाक में फर्जी अध्यापक के रूप में नियुक्ति है । पहले का ब्लाक है इरऊवा, दूसरे का बड़ा गांव, तीसरे का नियामता-

बाद, चौथे का भदोही, पांचवे का हरऊवां मैंने पाँच ब्लाकों के नाम लिये हैं। मेरे पास लिस्ट है। मैं आपकी आज्ञा से सरकार से जानना चाहता हूँ कि मेरी बात को सही मानकर क्या इसकी जाँच कराने की कार्यवाही करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी --

जिले में स्थानान्तरण हो या नियुक्ति हो इसकी जिम्मेदारी बेसिक शिक्षा अधिकारी की होती है और महिलाओं में अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी की। उप शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी होती है। उनके खिलाफ ऐक्शन लिया है। आपने जो सूचना दी है उस पर भी कार्यवाही करेंगे। विभागीय जाँच हो रही है। और कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो अवश्य ही ऐक्शन लिया जायेगा।

श्री ऊदल —

क्या शिक्षा मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी जिले में ऐसे अध्यापकों को जो अध्यापक नहीं थे, बी० टी० सी० की ट्रेनिंग भी नहीं किये थे, उनको सेवा पुस्तिका फर्जी बनाकर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद् की जाली पोस्टिंग आदेश बनाकर नियुक्ति की गयी और वह दिसम्बर, 82 तक वेतन भी फर्जी लेते रहे ? क्या इस बात की जानकारी है मंत्री जी को।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

इस संदर्भ में निलम्बन किया गया है। जब निलम्बन किया जाता है तो उस पर भी एतराज होता है। विभागीय कार्यवाही हो रही है जो दोषी पाया जायेगा उसे बख्शा नहीं जायेगा।

श्री कैलाश टंडन —

मैं शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो फर्जी अध्यापक नियुक्त किये गये उन्हें वेतन विभाग से दिया जाता रहा होगा। यह वेतन किसके दस्तखत से दिया जाता था ? वह कौन अधिकारी था उसे क्यों नहीं निलम्बित किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

बेशिक शिक्षा अधिकारी को निलम्बित किया गया, उप जिला विद्यालय निरीक्षक को निलम्बित किया गया। मान्यवर, कार्यवाही की गयी है। इसी प्रकार अन्य लोग भी हैं।

श्री भीखा लाल —

अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें जानना चाहता हूँ। पहली तो यह है कि यह गड़बड़ी, भ्रष्टाचार की बात सरकार के संज्ञान में प्रश्न, माननीय सदस्य द्वारा करने के बाद आयी या पहले और दूसरी बात कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया है, तो प्राग्दर्शन में केस सही पाया गया। तो क्या आपने उनके खिलाफ पुलिस में रपट दर्ज करायी या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

विभागीय कार्यवाही हो रही है। एफ० आई० आर० के बारे में कोई सूचना नहीं है मेरे पास।

बुन्देलखण्ड विकास हेतु विकास प्राधिकरण का गठन

*9—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा (अनुपस्थित)**—

क्या ग्राम विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिए शासन ने बुन्देलखण्ड विकास प्राधिकरण का गठन कर दिया है ? यदि हाँ, तो 30 जुलाई, 1982 तक प्राधिकरण की बैठकों में क्या निर्णय लिए गए हैं ?

पंचायती राज एवं ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

जी हाँ ।

30 जुलाई, 1982 तक प्राधिकरण की दो बैठकें आयोजित की गयी हैं । इन दो बैठकों का कार्यवृत्त मेरे कार्यालय में उपलब्ध है । माननीय सदस्य अपनी सुविधानुसार निर्णयों से अवगत हो सकते हैं ।

शीतगृह में आलू रखने का रेट

*10—**श्री विमल प्रसाद तिवारी (अनुपस्थित)**—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शीतगृह अधिनियम के अन्तर्गत शीतगृह में आलू रखने का रेट शासन द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में घोषित किया जाना चाहिए जो वर्ष 1982 में शासन द्वारा सितम्बर, 1982 में घोषित किया गया जिसके फलस्वरूप मनमाने रेट लेकर शीतगृह स्वामियों द्वारा किसानों का शोषण किया गया ? यदि हाँ, तो इस अत्यधिक देरी के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (यश पाल सिंह)—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एल० टी० (भाषा) पदधारक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची व उनका स्थायीकरण

*11—**श्री कुंवर सिंह नेगी**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा 1971-72 में सी. टी. (भाषा) से एल. टी. (भाषा) में तदर्थ रूप से पदोन्नत कितने एल. टी. (भाषा) पदधारक अध्यापकों का विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन करा कर उन्हें एल. टी. वेतनमान में स्थायी घोषित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

किसी को नहीं । क्योंकि लोक सेवा आयोग से एल. टी. (भाषा) के अध्यापकों की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची अभी तक प्राप्त नहीं हुई । आयोग से सम्मिलित ज्येष्ठता सूची प्राप्त होने पर स्थायीकरण संभव होगा ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

1971-82 से सी. टी. भाषा से एल. टी. भाषा से तदर्थ रूप से इनकी पदोन्नति हुई थी और इतने लम्बे अर्से तक इनकी ज्येष्ठता सूची नहीं बनो है इसकी वजह से इनका स्थायीकरण नहीं हुआ है जबकि शासन के आदेश हैं कि कोई भी कर्मचारी नियमित 3 वर्ष तक किसी भी पद पर कार्य करता हो तो वह स्थायी माना जाता है। ज्येष्ठता सूची न बनने से इन कर्मचारियों को पदोन्नति भी नहीं मिल रही है और असामयिक निधन से पेंशन आदि में भी परेशानी होती है। तो इस विलम्ब का क्या कारण है और इस विलम्ब की वजह से दोषी अधिकारियों को दण्डित करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सी. टी. से एल. टी में तदर्थ रूप से पदोन्नति हो गई है। ज्येष्ठता के संबंध में पब्लिक सर्विस कमीशन से प्रतीक्षा है और जो निर्धारित समय होगा, उसी समय से उन लोगों का स्थायीकरण कर दिया जायेगा।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

10 साल का अर्सा हो गया है, इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी

इस संबंध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

***12—श्री रघुवीर सिंह यादव—**

(माननीय सदस्य ने वापस ले लिया)

झांसी समारोह में 'यहूदी की लड़की' नाटक के मंचन का आधार

***13—श्री जमुना प्रसाद तथा**
श्री मोहन सिंह—

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, के पत्र संख्या 2247 सा० का० नि० 14(89)81 दिनांक 14-9-81 के अनुपालन में झांसी जनपद में हुए माह अक्तूबर, 1982 में झांसी समारोह में "यहूदी की लड़की" नाटक का मंचन किस आधार पर किया गया ? क्या यह सत्य है कि उपरोक्त पत्रांक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि नाटक महारानी लक्ष्मी बाई से ही सम्बन्धित होना चाहिए ? यहि हाँ, तो इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

संदर्भगत पत्र झांसी समारोह 1981 के संबंध में था। उक्त समारोह उस वर्ष स्थगित कर दिया गया।

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 1982 को आयोजित बैठक में बाद में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय एकीकरण से सम्बन्धित "मेरे भाई मेरे दोस्त" नाटक का मंचन कराया जाय। चूँकि समारोह की तारीख जब निर्धारित की गयी उस समय "मेरे भाई मेरे दोस्त" का मंचन समय की कमी से संभव न था, अतः उस समय उपलब्ध देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना की प्रेरणा देने वाला नाटक "यहूदी की लड़की" मंचित कराया गया।

श्री मोहन सिंह—

झांसी की रानी समारोह 1981 में होने वाला था। उसके सम्बन्ध में मान्यवर, मैं सूचना देकर प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अवध कल्चरल एसोसिएशन द्वारा यह कहा गया था कि वाजिद अली शाह शीर्षक नाटक का मंचन करना चाहते हैं। इस पर यह कहा गया कि चूँकि यह समारोह झांसी की रानी से सम्बन्धित है इसलिए वाजिद अली शाह शीर्षक से नाटक का मंचन न करें कोई और मन्चस्थ कर सकें। दूसरे जो झांसी की रानी के जीवन से सम्बन्धित हो उसका मंचन करें। अवध कल्चरल एसोसिएशन ने इनको लिखा कि डा० वृन्दावन लाल वर्मा रचित "झांसी की रानी" खेलना चाहते हैं, उसकी स्वीकृति भी दे दी गयी। बाद में उसे स्थगित कर दिया गया। अवध कल्चरल एसोसिएशन को इस बात की स्वीकृति देने के बाद कि "झांसी की रानी" नाटक ही मंचस्थ किया जायगा, और प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है, पुनः उस नाटक को न मन्चस्थ कराये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, 1981 के लिए यह बात हुई थी 1981 में यह समारोह स्थगित कर दिया गया। इसलिए प्रोपोजल भी ड्राप कर दिया गया।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मा० मन्त्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। समारोह स्थगित कर दिया गया, समाप्त नहीं किया गया। जब समारोह स्थगित किया गया तो नाटक भी स्थगित किया गया, फिर उसको कायदे से खेला जाना चाहिये था। मैंने यह प्रश्न पूछा कि जो समारोह झांसी की रानी के नाम पर है, शासन ने नीति भी निश्चित कर दी, फिर उस नाटक को मन्चस्थ किये जाने के पीछे क्या कारण है ? मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि दूसरा नाटक करवाने में एक विभागीय अधिकारी द्वारा 65 हजार रु० की बरबादी की गयी है। जो नाटक कम पैसे में खेला जा सकता था, उसको न करवाकर दूसरा नाटक करवा दिया। क्या मा० मन्त्री जी मेरे आरोपों की पुष्टि कराने के लिये जांच करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह बात सही है कि "झांसी की रानी" एक सुन्दर नाटक है और उसके सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी शहीद की कहानी है, जो कि ऐतिहासिक फिगर है। उनके सम्बन्ध में नाटक होता तो अच्छा था। इस सम्बन्ध में सूचना नहीं है कि क्यों नहीं हो सका ? लेकिन "यहूदी की लड़की" जो नाटक हुआ, यह भी इतना सुन्दर नाटक है कि····

(घोर व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

उस नाटक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

(गाकर)

वह योरोप का वासिदा हो,

या·····

सब बन्दे खुदा के हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहतीं ।

श्री अध्यक्ष—

(शिक्षा मन्त्री को सम्बोधित करते हुए)

जब मैं आपको रोक रहा था और कह रहा था कि आप इसका उत्तर नहीं दें, तो आपको ध्यान देना चाहिए था ।

श्री मोहन सिंह—

मैं पुनः इस बात की सफाई दे दूँ कि "यहूदी की लड़की" जो नाटक है, इसके बारे में कोई दो राय नहीं हैं कि यह राष्ट्रीय एकीकरण से सम्बन्धित नाटक है । जहां तक राष्ट्रीय एकीकरण का सम्बन्ध है मैं भी इसके पक्ष में हूँ और अगर आप इसके लिये चन्दा मागेंगी तो चन्दा भी दूंगा, लेकिन जो समारोह विशेष रूप से "झांसी की रानी" के नाम पर हुआ और एक संस्था ने अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा कि मन्चस्थ करना चाहते हैं । शासन ने लिखकर भेजा कि "झांसी की रानी" के ही नाम से कोई ड्रामा खेला जाय । इसकी स्वीकृति भी दे दी । उस स्वीकृति के बाद दुबारा उस स्वीकृति को कब खत्म किया । क्या अवध कल्चरल एसोसिएशन को इस बात की सूचना दी गयी थी कि उनका नाटक नहीं, बल्कि "यहूदी की लड़की" नामक नाटक खेला जायेगा या [×××] खेला जायगा ···

(घोर व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय अध्यक्ष जी,

(श्री मोहन सिंह की ओर इंगित करते हुए)

इन्होंने जो मेरी लड़की के बारे में कहा उसे कार्यवाही से निकलवाने के आदेश दें ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री मोहन सिंह की ओर इंगित करते हुए)

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूँ ।

श्री मोहन सिंह—

मैं क्षमा प्रार्थी हूँ । (शोर)

एक संस्था को स्वीकृति देने के बाद बिना उस स्वीकृति को अस्वीकृति में बदले दूसरे नाटक को कराने का क्या औचित्य है ? (शोर)

नोट -- [×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मान्यवर, मेरी बात को तो सुन लीजिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

मा० शिक्षा मन्त्री की लड़की का संकेत माननीय सदस्य ने नाटक के सम्बन्ध में किया, क्या यह इन्हें ऐसा करना चाहिए ?

श्री मोहन सिंह—

मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और क्षमा मैं इससे पहले भी माँग चुका हूँ । मा० शिक्षा मन्त्री वस्तुस्थिति को स्पष्ट नहीं कर रही हैं कि जिस नाटक को कराने की स्वीकृति आपके विभाग ने दी फिर किन परिस्थितियों में उस संस्था को बिना उस पूर्व स्वीकृति को रद्द किये हुए दूसरा नाटक मंचस कराया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है ।

विभिन्न डिस्टिलरियों में अल्कोहल बनाने की लागत

***14—श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)—**

क्या सरकार दिनाँक 1 फरवरी, 1982 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेगी कि अल्कोहल बनाने की लागत कर के अतिरिक्त कितनी है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में उपलब्ध क्वालिटी के गन्ने के रस से गन्ने के प्रचलित मूल्यों पर यह अल्कोहल बनाने का क्या खर्चा आयेगा ?

श्री विद्या भूषण—

अल्कोहल बनाने की लागत विभिन्न डिस्टिलरियों में भिन्न-भिन्न हो सकती है । इसके बारे में राज्य सरकार द्वारा आँकड़े एकत्र नहीं किये जाते हैं क्योंकि इथाईल अल्कोहल का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है ।

प्रदेश की 25 डिस्टिलरियों में से किसी में भी सीधे गन्ने के रस से अल्कोहल नहीं बनाया जा रहा है । इसलिए गन्ने के प्रचलित मूल्यों पर गन्ने के रस से अल्कोहल बनाने पर खर्चे की कोई अधिकारिक सूचना दिया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के समस्त विकास खण्डों में कुर्सी और स्टील आलमारी का क्रय

***15—श्री हुकम सिंह—**

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि एकीकृत ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के प्रत्येक विकास खण्ड में वर्ष 1981-82 के दौरान लाखों रुपये का फर्नीचर एवं अलमारियां आदि खरीदी गयीं ? यदि हां, तो प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत

अधिकारियों के कार्यालयों के लिये फर्नीचर आदि जो खरीदा गया है उसका औचित्य क्या है ? क्या अनियमिततायें करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1981-82 में जनपद के समस्त विकास खण्डों के लिये 24,500 रु० व्यय करके कुर्सी और स्टील आलमारी क्रय की गयी । विकास खण्डों में प्रति माह बैंकों के शाखा प्रबन्धकों और जनपद स्तरीय अधिकारियों की आयोजित होने वाली बैठकों के लिये पर्याप्त फर्नीचर नहीं था तथा आई० आर० डी० योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण फाइलों और चेक आदि सुव्यवस्थित रखने के लिये आलमारी भी उपलब्ध नहीं थी । अत: उनका क्रय किया गया । कोई अनियमित व्यय नहीं हुआ है, अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हुकम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी इस प्रश्न के माध्यम से दो बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था एक तो यह कि आई० आर० डी० का पैसा किन-किन मदों में खर्च किया जा सकता है और किन-किन मदों में खर्च किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में मैंने एक मामला मुजफ्फरनगर का दिया है, जहाँ पर आई० आर० डी० का पैसा गाड़ी खरीदने, फर्नीचर खरीदने, जीप तथा अल्मारियाँ आदि खरीदने में खर्च किया जा रहा है, तो क्या यह उचित है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, आई. आर. डी. का पैसा जिन कामों में खर्च करने के लिये होता, उन्हीं मदों में खर्च किया गया केवल साढ़े 7 फीसदी व्यय प्रशासनिक रूप में व्यय करने के प्राविधान हैं, उन्हीं के अन्तर्गत वह धन खर्च किया गया है ।

श्री हुकम सिंह—

जो पुस्तिका आपके विभाग की ओर से जारी की गई है, उसमें गाइड लाईन्स दी गई हैं साफ तौर पर कि किन-किन मदों में कितना रु० खर्च किया जायेगा, जिसमें यह स्पष्ट दिया है कि छोटे स्तर के कर्मचारियों को नियुक्त करने में उस मद में यानी प्रशासनिक मद में से खर्च किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर, जीप, अल्मारियाँ आदि खरीदी गयी हैं, क्या इनके खरीदे जाने का कोई औचित्य बनता है, यदि हाँ, तो उसे स्पष्ट कर दें ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसको मान्यवर, दिखवा लिया जायगा ।

जो माननीय सदस्य ने कहा, इसको मैं दिखवा लूँगा लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज माननीय सदस्य विधान सभा के अन्दर प्रश्न कर रहे हैं लेकिन 18-8-82 को ग्राम अधिकारियों की मीटिंग में ये आए थे, ये वहाँ उपस्थित थे, इनके हस्ताक्षर मौजूद हैं और इनकी स्वीकृति से ही, इसकी सहमति से ही यह पास हुआ है । यदि आपको कोई एतराज होता तो आप वहाँ पर अपनी असहमति जाहिर कर सकते थे ।

श्री हुकम सिंह—

यह बात सामने लाने के लिये ही मैंने यह प्रश्न किया है।

श्री अध्यक्ष—

यहां पर आप प्रश्न बहुत देरी से कर रहे हैं।

श्री हुकम सिंह—

मैं यह कह रहा था कि जिस समय हमारे सामने स्वीकृति के लिये कार्यवाही आती है उससे वर्षों पूर्व यह खर्च कर लिया जाता है। क्या कृपा करके आप यह बतायेंगे कि जो फर्नीचर और गाड़ियां आपने खरीदी हैं वह स्वीकृति के बाद खरीदी हैं या उससे पूर्व ही खरीद ली थीं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसमें यही है कि उस मीटिंग के बाद ही खरीदी गयी हैं।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष—

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

बस्ती जनपद के बढ़नी विकास खंड में डढ़उल तथा ढेबरुआ ग्रामों में कूपों का निर्माण तथा धन का दुरुपयोग करने वाले उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध जांच

***16—श्रीमती कमला साहनी—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के बढ़नी विकास खण्ड के ग्राम डढ़उल ढेवलूपा में कोई हरिजन कूप बनवाया गया है ? क्या यह सही है कि वह अभी अपूर्ण बना है ? यदि हां, तो कूप के पूर्ण निर्माण न होने के जिम्मेदार कौन हैं और धन का दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ सरकार जांच कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

बस्ती जनपद के बढ़नी विकास खंड में डढउल नाम के गांव में एक हरिजन पेयजल कूप का निर्माण वर्ष 1977-78 में कराया गया था जो पूर्ण हो चुका है। इस विकास खण्ड में देवलूपा नाम का कोई गाँव नहीं है। एक गाँव ढेवरुआ नाम का है जहाँ कूप निर्माण वर्ष 1978-79 में स्वीकृत हुआ था। यह कूप अभी पूर्ण नहीं हुआ है। कूप निर्माण को पूर्ण कराने तथा इसके लिये उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध जाँच करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट बस्ती को निर्देशित कर दिया गया है।

नोट :—तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त तारांकित प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में अनुसूचित जाति जनजाति के अध्यापकों की पदोन्नति

*17—**डा० शिवानन्द नौटियाल**—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुख्य सचिव के अर्ध शासकीय पत्रांक 154/पी. एस. एम. एस.-81 दिनाँक 31 जनवरी, 1981 अ. शा. पत्राँक 443/पी. एस. एम. एस.-81 दिनांक 16 मार्च, 1981, अ. शा. पत्रांक 199/पी. एस. एम. एस.-81 दिनांक 28 अगस्त, 1981, अ. शा. पत्राँक पी. एस. एम. एस.-81 दिनांक 25 अक्तूबर, 1981, अ. शा. पत्रांक 268/पी. एस. एम. एस.-81 दिनांक 21 नवम्बर, 1981, तथा अ. शा. पत्रांक 96/पी. एस. एम. एस./एम. एल. ए. बी. 1982, दिनांक 18 मई, 1982 द्वारा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में अनुसूचित जाति के आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अनुसचित जाति के ही अध्यापकों को पदोन्नत करके कोटा पूर्ति हेतु शिक्षा सचिव को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया है ? यदि हां, तो इनके पत्र लिखने पर भी आज तक शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ । प्रकरण का परीक्षण किया गया तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के अर्ह एवं पात्र अध्यापकों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनमान में पदोन्नति दी गई ।

राष्ट्रीय इण्टर कालेज महरेव पुरेव, जौनपुर में अंग्रेजी व भूगोल के प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर विचार

*18—**श्री प्रभूनारायण सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि गत एक वर्ष से अधिक समय से माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पद सृजन रोक दिए जाने से छात्रों के पठन-पाठन में घोर व्यवधान उपस्थित हो गया है ? क्या यह सत्य है कि पद सृजन के अभाव में राष्ट्रीय इण्टर कालेज महरेव पुरेव, जौनपुर में नवीन मान्यता प्राप्त विषयों भूगोल एवं अंग्रेजी के प्रवक्ता की नियुक्ति जुलाई, 1981 से आज तक नहीं की जा सकी ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र पद सृजन करके उक्त विषयों के शिक्षक नियुक्त कराएगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पद सृजन रोका नहीं गया वरन मण्डलीय उप शिक्षा निदेशकों तथा बालिका विद्यालय निरीक्षिकाओं को, पदों के सृजन के जो अधिकार प्रतिनिधायित किये गये थे, उनका प्रयोग न करने के आदेश दिये गये थे ।

जी हाँ, अंग्रेजी के प्रवक्ता के पद की आवश्यकता नहीं समझी गयी । भूगोल प्रवक्ता के पद का सृजन शिक्षा निदेशक के विचाराधीन है ।

अधीनस्थ कृषि सेवा अभियंत्रण के रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव

*19—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि सेवा वर्ग–2 उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कर्मचारियों को राज्य सरकार ने वर्ष 1978 के शासनादेश द्वारा अगस्त, 1975 से

विशेष वेतनमान देना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो क्या निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि द्वारा आज तक जी०ओ० के अनुसार सेलेक्शन ग्रेड देने से असमर्थ है, तथा अधीनस्थ कृषि सेवा अभियन्त्रण के रिक्त पदों को पदोन्नति द्वारा न भरे जाने का कारण क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधीनस्थ कृषि सेवा अभियंत्रण के रिक्त पदों को प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजा जा चुका है तथा तदर्थ प्रोन्नतियों पर इस समय रोक लगी हुई है ।

प्रदेश के भूतपूर्व ए०पी०सी० श्री शमशाद अहमद का सहायक विकास अधिकारियों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में कथित पत्र

***20—श्री राजकुमार राय—**

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 15-11-82 के संलग्न उत्तर प्रदेश के भू०पू० ए०पी०सी० श्री शमशाद अहमद का पत्रांक 3600 दिनाँक 30-9-82 जो सहायक विकास अधिकारियों की प्रोन्नति के सम्बन्ध में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस सूची को रद्द कर पूर्व आदेश 2637 दिनांक 15-8-80 को आधार मानकर प्रोन्नति करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 15-×1-82 प्राप्त नहीं हुआ है । अतः शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

अस्पसूचित तारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में हुए सेमीनार में की गई संस्तुतियां तथा उनका अनुपालन

****1—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा**
श्री माधव प्रसाद—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 6,7,8 जनवरी, 1982 को हैदराबाद में हुए सेमिनार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की मुख्य संस्तुतियाँ क्या हैं तथा उस सेमिनार की मुख्य संस्तुतियों को प्रदेश में लागू करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में यह वर्कशाप दिनाँक 6 और 7 जनवरी 1983 को हुआ था । वर्कशाप में 32 संस्तुतियाँ की गयी है जिनका विवरण संलग्नक में दिया गया है । उक्त सेमीनार की कई संस्तुतियाँ विभिन्न विभागों/बैंकों आदि से संबंधित है जिन्हें सम्बन्धित विभागों को भेजा जा रहा है । उल्लेखनीय है कि एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार द्वारा जन प्रतिनिधियों एवं स्वैच्छिक संगठनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ···पर)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी जिन्होंने उस सेमिनार की रिपोर्ट को पढ़ा होगा इसमें साफ साफ लिखा है जो कि अंग्रेजी मैं है इसका मैं ट्रान्सलेशन करके बतला रहा हूँ कि यह एक आम राय बनी कि आई०आर०डी० प्रोग्राम वह केवल सरकारी प्रोग्राम बन चुका है। इसी परिपेक्ष में आपने जो उत्तर दिया है कि एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकार द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं स्वैच्छिक संगठनों का सक्रिया सहयोग प्राप्त करने के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं। तो मैं माननीय मन्त्रीजी से यह जानना चाहता हूँ कि आई०आर०डी० प्रोग्राम जो हुआ है उसमें साफ कहा है कि वह केवल सरकारी स्तर तक रह गया है, उसमें जनप्रतिनिधियों का सहयोग नहीं रह गया है। जो चयन किये गये हैं उसमें जन प्रतिनिधि, गांव समाज, विधायक और संसद सदस्य की राय के बाद उन लोगों का चयन किया जाय। जब कभी जब उनको अनुदान जाता है उसमें अंकित किया जाता है। क्या इस परिपेक्ष में आप आदेश करेंगे कि जनप्रतिनिधियों के जरिये और गांव समाज के जरिये यह धन उसकी राय से दिया जाय जिससे कि उनको समय-समय पर मिलने वाला धन जो है उसका पूरा उपयोग हो सके ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मैंने अभी बताया कि इसमें पूरा सहयोग दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

शासन ने इस सदन में स्वीकार किया था कि प्रदेश में कुछ ऐसे ब्लाक हैं जिनकी जनसंख्या दो ब्लाकों के बराबर हो चुकी है। मेरे जिला फैजाबाद में अकबरपुर ऐसा ब्लाक है जिसमें 168 गाँव सभाये हैं और 2 लाख की आबादी हो गयी है और रूरल डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जो बड़े ब्लाक हैं उनको छोटा ब्लाक बनाया जाय क्योंकि एक लाख से अधिक जनसंख्या के ब्लाक नहीं बनाये जा सकते। 80 गांव सभाओं के जो ब्लाक हैं और जो 200 गाँव सभाओं के ब्लाक हैं उनको बराबर अनुदान दिया जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहता हूँ कि अकबरपुर ब्लाक को दो भागों में विभाजित करने की करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस विकास खण्ड की काफी बड़ी आबादी है और अगर जिले से संस्तुति आयी है तो मैं विचार करूँगा कि उसके दो खण्ड हो जायें।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश की प्रतिलिपि गयी है, जो जनपद में विकास योजनायें होती हैं उनका सही कार्यान्वयन हो, इस बात को देखने के लिए वहां के अधिकारी हर तीसरे महीने स्थानीय विधायकों को आमंत्रित करें और वह अपने क्षेत्र की योजनाओं का निरीक्षण करें, परन्तु इस शासनादेश का परिपालन नहीं हो रहा है और जब माननीय मंत्री जी से पूछा जाता है तो जबाव दिया जाता है कि परिपालन हो रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है, प्रदेश के किसी भी जनपद में इस शासनादेश का परिपालन नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहूँगा कि इसके परिपालन के लिए वे सख्त से सख्त आदेश देंगे जिससे इसका परिपालन हो ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो अलग से प्रश्न कर लें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जनसंख्या के आधार पर एक ब्लाक को दो ब्लाकों में विभाजित करने की नीति है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन ब्लाकों का क्षेत्रफल बहुत अधिक है उनका भी विभाजन करने पर विचार करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

उसकी भौगोलिक स्थिति पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो रूरल डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट है उसकी रिपोर्ट में है कि आई०आर०डी० का प्रशिक्षण ग्रामसेवकों आदि को दिया जायेगा, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या गैर सरकारी सदस्य भी प्रशिक्षण ले सकते हैं अथवा नहीं ।

श्री बलराम सिंह यादव—

आई०आर०डी० के अन्तर्गत प्रशिक्षण ट्राइसम होगा जो व्यक्ति ट्रेनिंग लेना चाहे ले सकते हैं । यह नहीं है कि कौन हो और कौन न हो, जो लेना चाहे, ले सकता है ।

श्री प्रियदर्शी जैतली—

मान्यवर, मैंने यह पूछा था कि जो अधिकारी इन प्रोग्राम्स में लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग भी करायेंगे । जैसे नेशनल डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस सम्बन्ध में अपनी राय दी है और उसे सारे प्रदेशों में भेजा है कि इस प्रोग्राम में सरकारी सदस्यों का भी सहयोग होना चाहिए ताकि वे भी इन योजनाओं को पूरी तरह से जान सकें इसलिये क्या आपने उनके लिये भी ट्रेनिंग की व्यवस्था की है ? क्योंकि आज वह प्रोग्राम सही माने में धरती पर उतर नहीं रहा है और जो चयन होता है उसके बारे में आपने कहा है कि उसे हम उन अधिकारियों से करायेंगे । आपका जो एक इन्स्टीट्यूट है उसमें प्रदेशों से जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बैंकर्स गये । उन्होंने सर्वे किया और अपनी राय दी । उस राय को उन्होंने आपके पास भेजा । तो क्या उसके आधार पर भी आप इस बात को स्वीकार करने के लिये तैयार क्यों नहीं हैं ? इसलिये आप उस योजना को केवल गवर्नमेंट के पास ही न रखकर जन प्रतिनिधियों के सहयोग से उसको धरती पर उतारें और जो लोग उसमें लगे हुए हैं उनको भी ट्रेनिंग दें ताकि यह योजना हवा में ही न रह सके । ऐसी व्यवस्था आप अपने प्रोग्राम में करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं बता चुका हूँ कि इसमें जन प्रतिनिधियों का पूरा इन्वोल्वमेंट है । माननीय सदस्य हर ग्राम पंचायत को नहीं देख सकते हैं इसलिये ग्राम प्रधान का इन्वोल्वमेंट इसमें रखा गया है । कुछ अधिकारी भी इसमें रखे गये हैं । उसमें यह व्यवस्था है कि जो

ब्लाक की लिस्ट होगी उसको पब्लिश किया जायेगा। मान्यवर, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो उन्हें वह लिस्ट उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, लिस्ट तो वोटर्स लिस्ट से बनी है···

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ।

डा० शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा और माननीय जैतली साहब ने पूछा, मैं उसके सम्बन्ध में यह जानना चाहता हूँ कि पर्वतीय अंचलों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये जैसे कि माननीय मंत्री जी के पास बहुत से सुझाव भी दिये गये हैं उनके आधार पर और वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये पर्वतीय अंचलों में ब्लाक्स बनाने पर वे विचार कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, कुछ प्रस्ताव आये हैं जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है।

मैनपुरी, फर्रूखाबाद, एटा तथा इटावा के सभी विद्यालयों में बाढ़ के फलस्वरूप हुई क्षति में शिक्षण शुल्क मुक्त किये जाने की मांग

2—श्री सूबेदार सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा विस्तृत आदेश सं० 3479/15-8-3007 (179)81-21/194/सी के अन्तर्गत कक्षा 7 से विश्वविद्यालय तक के उन छात्रों को जिनके अभिभावकों की बाढ़ के फलस्वरूप 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, 6 माह तक शिक्षण शुल्क से मुक्त किये जाने के आदेश दिये गये थे ? यदि हाँ, तो मैनपुरी, फर्रूखाबाद, एटा तथा इटावा के सभी विद्यालयों को उक्त आदेश के अन्तर्गत शुल्क से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए अनुदान प्रदान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—(अनुपस्थित)—

जी हाँ। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से प्राप्त तद्विषयक् प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

श्री धनीराम वर्मा—

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि जब प्रदेश में बाढ़ आती है तो सरकार सितम्बर के बजाय अक्टूबर में आदेश निर्गत करती है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां प्रतिशत से ज्यादा बाढ़ से क्षति हुई हो वहाँ के छात्रों का शुल्क माफ किया जायेगा। इसके बाद

नोट:—अल्पसूचित ताराँकित प्रश्न संख्या 2 श्री धनीराम वर्मा की रुचि पर लिया गया।

जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से विद्यालयों में आदेश आते हैं। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूँ। कहा जाता है कि तहसील से आप प्रमाण-पत्र लगाकर भेजें कि किस क्षेत्र में कितना लौस हुआ है उसके बाद प्रमाण-पत्र आने पर ही शुल्क माफ होने की अनुमति दी जाती है। इस तरह से नवम्बर निकल जाता है....

श्री अध्यक्ष —

आप प्रश्न करें। भाषण न दें।

श्री धनीराम वर्मा –

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है बाढ़ से, उन क्षेत्रों के छात्रों से जो शुल्क माफ नहीं हुआ हो और उनसे वह शुल्क ले लिया गया हो, उन छात्रों का पैसा लौटाने के आप आदेश देंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बखशी—

मान्यवर, 33 जिलों में बाढ़ आयी थी और उसके लिये राजाज्ञा 19-9-81 के अनुसार जो फीस छात्रों की माफ की गई थी और जिन गांवों में किसानों की 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई है या जो खेतीहर मजदूर वहाँ रहते हैं उनके लिए राजाज्ञा जारी हुई है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि जहाँ मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जो एडेड है उनका जो 80 प्रतिशत संयुक्त खाता है उसमें हमने क्षतिपूर्ति कर दी है रहा 20 परसेंट मैनेजमेंट का खाता है उसमें अभी क्षतिपूर्ति बाकी है, या जो मान्यता प्राप्त है जिनको एड नहीं मिलती है उनकी क्षतिपूर्ति बाकी है। 21 जिलों की सूचना हमारे पास आ गयी है। 12 की बाकी है जैसे ही सूचना आ जायेगी वैसे ही क्षतिपूर्ति के आर्डर दिये जायेंगे। इस कार्य में शीघ्रता करने के आदेश मैंने परसों ही दे दिये हैं।

श्री भोला पान्डेय –

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 50 प्रतिशत से अधिक जहाँ क्षति हुई है वहाँ पर शुल्क माफी के आदेश शिक्षा सचिव ने दिये हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि किन-किन जनपदों में आपने 50 प्रतिशत से अधिक क्षति का आधार आपने रखा है ? क्या इस सन्दर्भ में वह बताने की कृपा करेंगी कि जो लड़के बिहार से या दूसरे प्रदेशों से आते हैं उनकी शुल्क माफी पर भी विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बखशी—

मैंने निवेदन किया कि इसमें सिर्फ 33 जिलों को लिया गया है। जो बाहर से लड़के आते हैं उनके लिए उनकी सरकार देगी।

श्री मोहन सिंह –

मैं माननीया शिक्षा मंत्री से जानना चाहता हूँ जैसा उन्होंने अभी स्वीकार किया कि क्षतिपूर्ति अनुदान भेजने में विलम्ब होता है। इसलिए विद्यालय या महाविद्यालय भी जो शुल्क का अंश होता है वह शासन में जमा नहीं कर पाते जिसके आधार पर आपका विभाग उनको विकास सम्बन्धी अनुदान या नये पदों के सृजन करने की आज्ञा नहीं देता यह कह कर कि आपने फीस जमा नहीं की है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन विद्यालयों की क्षतिपूर्ति अनुदान की वजह से, मामले अनिस्तारित हैं ऐसे विद्यालयों को पदों के सृजन या विकास सम्बन्धी अनुदान देने में जो शर्त है कि फीस जमा करनी पड़ेगी तो उसमें क्या छूट देने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस पर जरूर विचार करेंगे, आपका सुझाव बहुत सुन्दर है। जहाँ इस प्रकार का मामला होगा उसमें शीघ्रातिशीघ्र क्षतिपूर्ति करने का हमने निर्णय ले लिया है।

श्री भोला पाण्डेय—

किन-किन जनपदों को आपने 50 प्रतिशत के आधार पर रखा है। जहाँ 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है हमारी सूचना को सही मानते हुए कि वहा पर केवल 3 महीने के शुल्क माफी के आदेश हुए हैं आप कैसे कह रही हैं कि 6 महीने के हुए हैं तो वह किस आधार पर किया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मेरे पास जो राजाज्ञा है उसके अनुसार जो निर्देश भेजे हैं उसमें 33 जनपद हैं जिनकी सूची संलग्न है। इसमें शुल्क माफी के लिए माह सितम्बर, 81 से फरवरी, 82 तक के लिए है। माननीय सदस्य जो तीन महीने की बात कर रहे हैं वह शायद इस साल के लिए 82-83 की बात कर रहे हैं। तो वह अलग सवाल है। इस समय 81-82 की बात हो रही है जो 6 महीने के लिए माफ हुई है।

श्री रियासत हुसैन—

आप किसी भी साल दैवी आपदाओं के आधार पर जो क्षतिपूर्ति करते हैं वह समय पर नहीं मिल पाती है। क्या भविष्य के लिए इस तरह का प्रबन्ध करेंगी जो इस तरह की नेचुरल कैलेमिटी होती है बहाँ पर फीस जमा करने की जो ड्यू डेट होती है उससे पहले रेवेन्यू विभाग और आपका विभाग दोनों मिलकर तालमेल करके इस पर अमल दरामद कर लें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जरूर सहयोग लेंगे, बिना अन्तर विभागीय सहयोग के कार्य हो नहीं सकता है। मैं यह भी अनुरोध करूंगी कि जिलों से शीघ्र से शीघ्र सूचना भिजवाने में आप हमें सहयोग दें।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, 1981-82 की क्षतिपूर्ति इस साल तक नहीं दी गयी और 82-83 का सवाल भी चल रहा है। यह सहायता मिलने से पूर्व छात्रों से फीस वसूल कर ली गई है। तो क्या आप इस तरह के आदेश देंगे कि जिन छात्रों को यह सहायता मिलनी है और उनसे अगर फीस वसूल कर ली गई है तो उसे वापस कर दी जाये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वह तो नियम भी है कि जहाँ फीस माफ कर दी गयी है वहाँ अगर छात्रों से फीस ले ली गयी है तो वह वापस होगी। इसके फिर भी आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे ?

(व्यवधान)

नोट :— अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

जनपद शाहजहांपुर के कृषि रक्षा अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह चौहान के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

1—**श्री नाजिर अली**—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने एक शिकायती पत्र 17-10-81 को जनपद शाहजहांपुर के कृषि रक्षा अधिकारी (श्री रवीन्द्र सिंह चौहान) के विरुद्ध जनपद शाहजहांपुर के समक्ष विधायकों की ओर से दिया गया था ? क्या उस पर निदेशक, कृषि ने जांच की थी और जांच के समय कई अनियमितायें सामने आई थी ? यदि हाँ, तो इस संबंध में श्री रवीन्द्र सिंह चौहान, कृषि रक्षा अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ ।

प्रश्नकर्त्ता तथा शाहजहांपुर जनपद के चार अन्य विधायकों के नाम का एक शिकायती पत्र दिनांक 17-10-81 श्री रवीन्द्र सिंह चौहान कृषि रक्षा अधिकारी शाहजहांपुर के विरुद्ध प्राप्त हुआ ।

जी हाँ, उप कृषि निदेशक, बरेली मंडल द्वारा जांच की गई जिसमें अनियमिततायें सामने आयीं ।

श्री रवीन्द्र सिंह चौहान, कृषि रक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा की गई अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ अतिरिक्त सूचनाएं जांच अधिकारी से मांगी गयीं हैं । उसके पश्चात् उनके विरुद्ध अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी ।

यू. पी. हार्टिको लखनऊ द्वारा मेसर्स रतन एक्सपोर्ट नई दिल्ली के माध्यम से एक्सपोर्ट तथा माल प्राप्त होने से पूर्व रुपये का भुगतान

1— **श्री रामलाल वर्मा**—

क्या यह सत्य है कि यू० पी० हार्टिको लखनऊ द्वारा विदेशी व्यापार एस०टी०सी० के माध्यम से न करके अन्य निजी फर्मो के द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? वे कौन-कौन सी फर्में हैं जिनके माध्यम से एक्सपोर्ट किया गया तथा उनसे कितना लाभ मिला ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ ।

एस० टी० सी० के द्वारा यू० पी० हार्टिको को आर्डर प्राप्त न हो सका । मेसर्स रतन एक्सपोर्ट नई दिल्ली, जो एक निजी फर्म है, के माध्यम से एक्सपोर्ट किया गया तथा उनसे लगभग रु० 6-00 लाख का लाभ मिला ।

3—**श्री राम लाल वर्मा**—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 8-7-82 को यू० पी० हार्टिको लखनऊ द्वारा मैं० रतन इम्पोर्ट, नई दिल्ली को 2.5 लाख रुपये का भुगतान किया गया है ? क्या

माल प्राप्त हो जाने के बाद ही यह भुगतान किया गया है ? 2.5 लाख भुगतान किसके आदेश से किस आर्डर के तहत किन शर्तों के अन्तर्गत किया गया और माल न प्राप्त होने के क्या कारण रहे ? इस भुगतान से निगम को कितने रुपये की हानि ब्याज स्वरूप उठानी पड़ी तथा इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? शासन द्वारा उसके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

यू०पी० स्टेट हार्टिको मे० रतन एक्सपोर्ट, नई दिल्ली को 2,06,572.00 रुपये का भुगतान दिनांक 9-7-82 को किया गया। यह भुगतान माल प्राप्त होने से पूर्व किया गया।

2,06,752.00 रुपये का भुगतान मे० रतन एक्सपोर्ट नई दिल्ली तथा यू० पी० हार्टिको, लखनऊ के साथ हुये एक एग्रीमेंट के अनुच्छेद (3) के तहत किया गया था जिसके अनुसार मे० रतन एक्सपोर्ट के द्वारा यू० पी० हार्टिको को टिन के डिब्बे सप्लाई करने थे, टिन की डिब्बों की कमी के कारण सामान्य तौर पर पूर्व भुगतान करने पर ही यह सामिग्री उपलब्ध होती हैं। हार्टिको को पूरा माल प्राप्त हो गया है। इस भुगतान से निगम को कोई हानि नहीं उठानी पड़ी बल्कि कुछ लाभ हुआ क्यों कि शर्तो में डिब्बों की निर्धारित दरें बाजार भाव से कम थी। इस मामले में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री आर० एस० गुप्ता, लेखाकार यू० पी० स्टेट एग्रो, लखनऊ के वेतन वृद्धियां, भत्ते तथा बोनस का भुगतान तथा वेतन से काटी गयी धनराशि पर आवश्यक कार्यवाही

4—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या कृषि मंत्री बताने जी कृपा करेंगे कि श्री आर०एस० गुप्ता, लेखाकार, यू० पी० स्टेट एग्रो, लखनऊ की सन् 1976 से 1980 तक की सभी वेतन वृद्धिया, भत्ते आदि के भुगतान के साथ उपरोक्त वर्षो के बोनस का भुगतान न करने का क्या कारण है।

श्री यशपाल सिंह—

श्री आर० एस० गुप्ता, लेखाकार यू० पी० स्टेट एग्रो, लखनऊ को सन 1976 से 1980 तक की सभी वेतन वृद्धियां, भत्ते आदि के साथ उपरोक्त वर्षो के बोनस का भुगतान कर दिया गया है।

5—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या कृषि मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कर्मचारी के वेतन से रु० 10816.00 की कटौती माह अगस्त, 1982 में किन परिस्थियों में की गई है इस कटौती के सम्बन्ध में श्री आर० एस० गुप्ता ने शिकायती पत्र दिया है ? यदि हाँ, तो क्या शासन द्वारा उसकी जाँच कराई गई है ? तथा उनके परिणाम क्या हैं ?

श्री यशपाल सिंह—

प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० स्टेट एग्रो के आदेश संख्या 667/80/देसी/जांच/77-78, दिनांक 15 मई, 1982 के अनुसार श्री गुप्ता को निगम की हुई क्षति के लिये आंशिक रूप से दोषी ठहराते हुये वेतन के एरियर से रु० 10816-00 का समायोजन माह अगस्त, 1982 में किया गया। इस कटौती के सम्बन्ध में श्री गुप्ता का प्रत्याबेदन प्राप्त हुआ है

जिस पर आवश्यक कार्यवाही कर आख्या शासन को उपलब्ध कराने का निर्देश प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० स्टेट एग्रो को दिया गया है ।

6—श्री मित्रसेन—

[8 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत एल० टी० और एस० एस० ई० एस० वेतनक्रम में अध्यापकों का विभागीय चयन समिति द्वारा चयन तथा स्थानीयकरण

7—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत कितने अध्यापक एल०टी० और एस०एस०ई०एस० वेतनक्रम में ऐसे हैं जिनका अभी तक विभागीय चयन समिति द्वारा चयन नहीं किया गया और यह चयन की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी ? उन्हें उनके वर्तमान पदों पर कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खण्ड जहानागंज स्थित राहुलपुर माध्यमिक विद्यालय चकरपानपुर में हाई स्कूल की मान्यता

8—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड जहानागंज स्थित राहुलपुर माध्यमिक विद्यालय चकरपानपुर के हाई स्कूल का मान्यता का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उसमें बिलम्ब का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । प्रश्नगत विद्यालय के हाई स्कूल की मान्यता के प्रकरण पर विचार किया जा चुका है और विद्यालय उक्त मान्यता हेतु अर्ह नहीं पाया गया है ।

जनपद आजमगढ़ में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत कार्य तथा धनराशि का वितरण

9—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में ग्रामीण एकीकृत योजना के अन्तर्गत अब तक कितना कार्य हुआ है तथा सम्पूर्ण जनपद में इस योजना के अन्तर्गत नवम्बर, 1982 तक कितनी धनराशि का वितरण किया गया है ? क्या यह सही है कि विभिन्न विकास खन्डों में उक्त योजना के अन्तर्गत अनेक अनियमिततायें की गई है तथा एक ही काम पर अधिकारियों द्वारा कई बार भुगतान किया गया है ? यदि हाँ, तो उसकी जाँच कराके सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद आजमगढ़ में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत जनवरी 1983 तक 72272 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है तथा नवम्बर, 1982 तक लाभार्थियों को

198.17 लाख रुपये का अनुदान वितरित किया गया है। जनपद से सम्बन्धित अभी तक अनुदान वितरण में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। अतः जाँच कराने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जाँच

10—श्री हरी शंकर—

क्या शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 6-12-82 का पत्र बे० शि० अ०, हरदोई के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाहीं की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

इस सम्बन्ध में जाँच करायी जा रही है।

कप्तानगंज डिस्टिलरी (देवरिया) से सर्व श्री सोमैया आर्गेनिक्स, बाराबंकी को दी गई विकृत स्प्रिट तथा उसका मूल्य

11—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा
श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही—

क्या आवकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि डिस्टिलरी कप्तानगंज (देवरिया) से वर्ष 1979-80, 80-81, 81-82 में कितनी मात्रा एवं मूल्य की विभिन्न प्रकार की स्प्रिट सोमैय्या आर्गेनिक्स, बाराबंकी को गई ? क्या इसकी विक्री कर की धनराशि सरकार को मिली ? यदि हाँ, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विद्या भूषण –

कप्तानगंज डिस्टिलरी (देवरिया) से सर्व श्री सोमैया आर्गेनिक्स, बाराबंकी को निम्न लिखित मात्रा में विशेष विकृत स्प्रिट की निकासी दी गई है : –

1979-80	1,33,23,207·9 बल्क ली०
1980-81	1,13,34,384·4 ,, ,,
1981-82	1,08,02,643·4 ,, ,,

सर्वश्री सोमैया आर्गेनिक्स बाराबंकी से कप्तानगंज डिस्टिलरी (देवरिया) विशेष विकृत स्प्रिट का मूल्य चार्ज नहीं करती है। इसलिए मूल्य के संबंध में कोई अधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है। इथाइल अल्कोहल के भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के आधार पर अनुमानित मूल्य लगभग 319 लाख रुपये होना चाहिए।

बिक्री कर की कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि विशेष विकृत स्प्रिट की उपर्युक्त मात्रा पर बिक्री कर देय नहीं है।

शिक्षा-2 अनुभाग के विरुद्ध कथित शिकायतों की जांच तथा लिया गया निर्णय

12—श्री कुंवर सिंह नेगी—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के छटे मंगलवार के अता० प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के शिक्षा-2 अनुभाग के

विरुद्ध अनुसूचित जाति तथा जनजाति के आरक्षित कोटा पूर्ति में भेदभाव करने, आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों की अवहेलना करके आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य वर्ग के अध्यापकों को पदोन्नति करने तथा शासन के पदोन्नति विषयक नवीनतम सामान्य आदेशों के अनुसार आरक्षित कोटे के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अध्यापकों को पदोन्नति न करने विषयक शिकायतों की जांच और जाँच के पश्चात परीक्षण किस निष्पक्ष अधिकारी अथवा एजेन्सी द्वारा कराई गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रकरण की विस्तृत जांच एवं परीक्षण राष्ट्रीय एकीकरण, न्याय तथा कार्मिक विभाग के परामर्श से किया गया एवं आवश्यक निर्णय उचित स्तर पर लिया गया।

ग्राम सद्धरपुर बाजार बाया केदार नगर जन सम्पर्क मार्ग टाण्डा का निर्माण तथा स्वीकृत धन

13—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सद्धरपुर बाजार बाया केदार नगर जन-सम्पर्क मार्ग टाण्डा, जनपद फैजाबाद का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा 1981-82, 1982-83 में कराया गया ? यदि हाँ, तो उक्त जन-सम्पर्क मार्ग हेतु अब तक कितना धन स्वीकृत किया गया ? क्या 1982-83 में निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

दिनांक 13-2-82 को उक्त मार्ग का चयन स्टीयरिंग कमेटी द्वारा किया गया था। चयन के पश्चात माह जनवरी 1983 तक किसी धनराशि का आवंटन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। यदि भविष्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत धन का आवंटन इस प्रखण्ड को प्राप्त हुआ तो कार्य का सम्पादन करा दिया जायेगा। धनराशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में 1 कि० मी० मिट्टी का कार्य करा दिया गया है।

14—श्रीमती गौरी देवी—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 24 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

15—श्री कुंवर सिंह नेगी —

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में सी० टी० या एल० टी० से विभागीय पदोन्नति और चयन समिति द्वारा अनुमोदन की कार्यवाही तथा स्थायीकरण

16—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में इस समय एल० टी० तथा एस० एस० ई० एस० के कितने-कितने अध्यापक ऐसे हैं जिन्हें 1971 के पश्चात निचले संवर्ग सी० टी० या एल० टी० से विभागीय पदोन्नति देकर एल० टी० और एस० एस० ई० एस० में नियुक्त किया गया है किन्तु अभी तक उनका विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

17— **श्री कुंवर सिंह नेगी —**

उच्च श्रेणी के अध्यापकों का विभागीय चयन समिति द्वारा शीघ्र अनुमोदन हेतु शिक्षा निदेशक द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है तथा उन्हें कब तक अनुमोदन कराकर विभागीय कोटे के अन्तर्गत वर्तमान पदों में स्थाई किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

18—**श्री सरदार सिंह—**

[दिनांक 21-2-83 को तारांकित प्रश्न संख्या-6 द्वारा उत्तरित]

ब्लाक छलैट, जनपद मुरादाबाद में आवासीय भवन एवं पीने के पानी की व्यवस्था तथा व्यय की गई धनराशि

19—**श्री राम कृष्ण माहेश्वरी—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक छजलैट, जनपद मुरादाबाद में आई० आर० डी० में किन व्यक्तियों को किस कार्य हेतु कितनी धनराशि अनुदान में वर्ष 1981-82 में दी गई है एवं वर्ष 1981-82 में अनुसूचित जातियों के लिए किस गांव में कितनी धनराशि से आवासीय भवन एवं पीने के पानी की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ पर ।)

शिक्षा उप निदेशक पंचम मण्डल, बाराणसी द्वारा राजकीय आदर्श विद्यालय में सहायक अध्यापकों के पदों पर नियुक्तियाँ

20—**श्री बनवारी राम—**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा उप निदेशक पंचम मण्डल वाराणसी द्वारा राजकीय आदर्श विद्यालय में स० अ० पदों पर की जा रही नियुक्ति निदेशालय के निर्देशों के अनुसार है ? यदि नहीं, तो क्या इस अनियमित नियुक्ति को निरस्त करना चाहेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अवकाश प्राप्त शिक्षक श्री मुरली मनोहर मिश्रा की स्वीकृत पेंशन

21 —**श्री लल्लू सिंह चौहान**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या एटा जनपद के सर्वोदय विद्यालय हायर सेकेण्डरी स्कूल के अवकाश प्राप्त शिक्षक श्री मुरली मनोहर मिश्रा को रिटायर हो जाने के पश्चात 10 दिसम्बर 1982 तक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाली फार्म छपवाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

22—**श्री रुद्र प्रताप सिंह** —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1982 जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में जाली फार्म छपवाने के सम्बन्ध में था उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय सदस्य का मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 9 सितम्बर, 1982 तो नहीं प्राप्त हुआ है, परन्तु उसी तिथि का उसी प्रकरण पर शिक्षा मंत्री को संबोधित पत्र प्राप्त हुआ जिसकी प्रतिलिपि कुलपति, गोरखपुर विश्वविद्यालय को जांच कराकर शासन को आख्या प्रेषित करने हेतु भेजी गई है ।

नगरपालिका कन्या इण्टर कालेज, नबाबगंज में लिपिकों के चयन में अनियमितताये

23—**श्री मसरूर जाफरी**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका कन्या इण्टर कालेज, नबाबगंज (गोंडा) में दिनाँक 22-10-80 को हुए दो लिपिकों के चयन में गम्भीर अनियमितताएं होने के कारण आर० आई० जी० एस०, फैजाबाद द्वारा नियुक्ति अस्वीकृत कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो उनमें अनियमितताएं क्या थीं ? क्या इसमें कोई स्थान अनुसूचित जाति के लिए भी रिक्त था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री कुमद दत्त शुक्ल, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इण्टर कालेज, हरदोई के अवकाश को स्वीकृत करने तथा उक्त अवधि का वेतन दिलाने की मांग

24—**श्री सूर्यनाथ उपाध्याय**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कुमुद दत्त शुक्ल, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय इण्टर कालेज, हरदोई का दिनाँक 20-2-80 से 2 जून, 1980 तक का अबकाश जब वे राजकीय इण्टर कालेज श्रीनगर पौड़ी (गढ़वाल) में नियुक्त थे, को अब

तक स्वीकृत न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इनका अवकाश स्वीकृत करने के आदेश देगी तथा उक्त अवधि का वेतन दिलायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्व० श्री राम स्वरूप चौकीदार, राजकीय दीक्षा विद्यालय कछौना, जिला हरदोई के पुत्र श्री राजेश कुमार की नियुक्ति

25—श्री सूर्यनाथ उपाध्याय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व० श्री राम स्वरूप, चौकीदार, राजकीय दीक्षा विद्यालय कछौना, जिला हरदोई की मृत्यु उनके सेवाकाल में दिनाँक 11-10-76 को हो गयी थी ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि उनके पुत्र श्री राकेश कुमार द्वारा वर्ष 1976 से अब तक (1982) अनेकों प्रार्थना-पत्र विभागीय अधिकारियों को दिये जाने के बावजूद उसकी नियुक्ति उक्त पद पर न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी नियुक्ति के आदेश अविलम्ब देने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ । श्री राकेश कुमार की नियुक्ति की जा चुकी है जिन्होंने दिनाँक 7.2.83 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है । वर्ष 1982 तक नियुक्ति न किये जाने के कारणों की छानबीन की जा रही है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारो के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन में अनियमितताओं की जांच

26—श्री सुरेन्द्र कपिल—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 29-4-82 को युवा कल्याण निदेशालय द्वारा क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन नियमानुसार किया गया था जो निरस्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि इन्हीं उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शासन ने पुन: दिनाँक 11-8-82 का निदेशालय को आदेश प्रदान किये जिसके अनुसार पुन: अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई और चयन प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की गई जिसमें विशेष सचिव श्री बृजेन्द्र द्वारा 12 व्यक्तियों की सूची निर्देशक को चयन करने हेतु सिफारिश की गई जो प्राथमिक परीक्षा में अयोग्य होने के कारण चयनित नहीं किये जा सके ? दि० 29-9-82 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिये गये लेकिन विशेष सचिव श्री बृजेन्द्र द्वारा निदेशालय के चयन सम्बन्धी रिकार्ड सीलकर जाँच करने हेतु अपने आपको ही जाँच अधिकारी नियुक्त करा लिया ? यदि हाँ, तो क्या चयन में स्वयं रुचि रखने वाले अधिकारी को ही जांच अधिकारी क्यों नियुक्त किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं । चयन नियमानुसार नहीं किया गया था, जिसने फलस्वरूप कुछ माननीय विधायकों द्वारा इस चयन में की गयी गम्भीर अनियमितताओं से संबंधित शिकायती पत्र मानानीय ग्राम्य विकास एवम् युवाकल्याण मंत्री जी को दिये गये । शिकायती पत्रों के परीक्षण पर यह पाया गया कि नियमानुसार चयन समिति में प्रशासकीय समादेष्टा,

प्रादेशिक विकास दल के अतिरिक्त उपनिदेशक (युवा कल्याण) के स्थान पर एक सहायक समादेष्टा, प्रादेशिक विकास दल को, शासन की अनुमति के दर्ग़र रक्खा गया। अतः उक्त तथ्यों के आधार पर शासन द्वारा इस चयन को निरस्त किया गया।

यह सही है कि शासन ने दिनाँक 11 अगस्त, 1982 को उक्त चयन करने के आदेश पुनः दिये और उप निदेशन, युवा कल्याण के स्थान पर चयन समिति में शासन स्तर के उप सचिव, युवा कल्याण श्री के० पी० सिंह को सदस्य के रूप मे मनोनीत किया गया। श्री बृजेन्द्र विशेष सचिव द्वारा जिन 12 अभ्यर्थियों की सूची निदेशक को भेजी गयी थी इनमें कुछ अभ्यर्थियों का शारीरिक नाप-तौल जिला स्तर पर ठीक नहीं हुई बतायी गयी और कुछ अभ्यर्थियों को इस चयन की सूचना समय पर नहीं प्राप्त हुई। अतः इन अभ्यर्थियों के नाप-तौल मुख्यालय स्तर पर पुनः कराने के निर्देश दिये गये। इस चयन के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी होने पर शासन को जनप्रतिनिधियों आदि से इस चयन में की गयी गम्भीर अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुईं। जिनके आधार पर शासन द्वारा संबंधित विशेष सचिव श्री बृजेन्द्र को मामले की विस्तृत जाँच करने हेतु जाँच अधिकारी नामित किया गया। बाद में निदेशक युवा कल्याण एवम् प्रशासकीय समदेष्टा, प्रादेशिक विकास दल द्वारा यह जांच श्री बृजेन्द्र, विशेष सचिव से हटाने के अनुरोध पर शासन द्वारा सचिव, ग्राम्य विकास एवम् युवा कल्याण को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। इस जांच की प्राथमिक रिपोर्ट नियुक्ति सचिव को प्रस्तुत की जा चुकी है।

उद्यान एवं फल उपयोग विभाग (मैदानी क्षेत्र) में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सृजित पद

श्री झिलमिट राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में उद्यान विभाग (मैदानी क्षेत्र) में कितने पद प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सृजित एवं रिक्त हैं? क्या यह सत्य है कि उप निदेशक उद्यान, मुरादाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ के दो पद उप निदेशक शोध बस्ती एवं सहारनपुर, तथा उद्यान अधिकारी व नर्सरी अधिकारी सुल्तानपुर, महमूदाबाद, (सीतापुर) के पद रिक्त हैं? यदि हां तो दिनांक 6-12-82 तक इन रिक्त पदों के न भरे जाने का उत्तरदायित्व किन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का है? क्या सरकार उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने व रिक्त पदों को पदोन्नतियों द्वारा भरने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री यशपाल सिंह—

उद्यान एवं फल उपयोग विभाग (मैदानी क्षेत्र) में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के दिनांक 6-12-82 तक क्रमशः 28 एवं 77 पद सृजित तथा 10 एवं 14 पद रिक्त थे। प्रश्नगत पदों के बजाय उस समय उप निदेशक उद्यान, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, उप निदेशक उद्यान-कम प्रभारी अधिकारी, बस्ती, शाकभाजी विशेषज्ञ, सहारनपुर, उद्यान अधिकारी, (प्रशिक्षण), सहारनपुर, एवं पौधशाला अधिकारी (प्रशिक्षण), बस्ती के पद रिक्त थे। वर्तमान में तदर्थ पदोन्नतियों पर शासन द्वारा रोक लगा दी गई है फिर भी अपरिहार्य परिस्थितियों के अन्तर्गत एवं कार्य के हित में तदर्थ प्रोन्नति के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा तदर्थ प्रोन्नति पर रोक लगी है अतः कोई अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है और न किसी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न उठता है।

शिक्षा विभाग में ज्येष्ठ वेतनक्रम में कुल पद तथा अनुसूचित जाति के अधिकारी

28—**श्री नन्द राम**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में क्लास वन सीनियर क्लास में कुल कितने पद हैं ? इन पदों पर अनुसूचित जाति के कितने अधिकारी कार्यरत हैं ? क्या वे सब कोटा के अनुसार है यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा ज्येष्ठ वेतनक्रम में कुल 152 पद हैं।

इन पदों पर अनुसूचित जाति के 7 अधिकारी कार्यरत हैं।

जी नहीं। अभी पात्रता के क्षेत्र में अर्ह एवं उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूरा नही किया जा सका है।

यू०पी० हार्टिको के विभिन्न डिपो में खराब सामान

29—**श्री राम लाल वर्मा**—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यू०पी० हार्टिको लखनऊ के विभिन्न डिपो में अब तक कितने रुपये का माल मानव प्रयोग योग्य नहीं रहा है तथा वह निगम के किन-किन गोदामों में स्थित है ? क्या यह सत्य है कि निगम द्वारा इस माल पर भी विभिन्न बैंकों से ऋण लिया जा चुका है ? यदि हां, तो ऋण कितने रुपये का किन-किन बैंकों से लिया गया है और इस हेतु कौन उत्तरदायी है ?

श्री यशपाल सिंह—

यू०पी० हार्टिको के विभिन्न डिपो में हार्टिको के समय का निर्मित कोई भी सामान खराब नहीं है किन्तु यू०पी० एग्रो के समय का निर्मित 5·45 लाख मूल्य के पदार्थ मानव प्रयोग योग्य नहीं हैं। यह पदार्थ निगम के कायमगंज, कोटद्वार, कोमी, रामगढ़, लखनऊ, खलीलाबाद, हापुड़ फैक्ट्री, हापुड़ डिपो, तथा लखनऊ डिपो के गोदामों में स्थित हैं। इस माल पर निगम द्वारा बैंकों से कोई ऋण नही लिया गया है। अतः किसी के उत्तरदायित्व का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई में बेसिक प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापकों के स्वीकृत पद

30—**श्री राम लाल वर्मा**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में बे०प्रा० पाठशाला प्रधानाध्यापकों के कुल 1173 पद हैं तथा मई, 1982 तक 1194 प्रधानाध्यापक कार्यरत रहे हैं ? यदि हां, तो 21 प्रधानाध्यापक किस प्रकार हुए और उनके वेतन का भुगतान शासकीय कोष से कैसे किया गया जबकि उनके पद ही नहीं हैं ? इसके लिये कौन उत्तरदायी है तथा शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद हरदोई में बेसिक प्राइमरी पाठशाला के प्रधानाध्यापकों के 1173 पद स्वीकृत हैं तथा 1173 ही कार्यरत भी हैं। 1174 नहीं।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई में अध्यापकों की नियुक्ति विषयक विज्ञापन के विरुद्ध भर्ती तथा स्थानान्तरणों में व्यापक रूप से अनियमिततायें

31—**श्री राम लाल वर्मा**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद हरदोई में नवम्बर, 1981 में 98 अध्यापकों की नियुक्ति विषयक विज्ञापन के विरुद्ध मार्च, 1982 में सितम्बर 1982 तक 247 अध्यापकों की भर्ती की गयी ? यदि हां, तो क्या इस भर्ती में जनपद हरदोई से बी०टी०सी० प्रशिक्षित तथा उच्चतम अंक प्राप्त अध्यापकों को नजर-अन्दाज कर अन्य जनपदों, शाहजहांपुर, मैनपुरी एवं फतेहगढ़ आदि से कम अंक प्राप्त प्रशिक्षितों को भर्ती किया गया ? यदि नहीं, तो हरदोई से वर्ष 1976 की परीक्षा (बी० टी०सी०) में 293 अंक प्राप्त मो० सिद्दीक को भर्ती न करके फतेहगढ़ से वर्ष 1976 की (बी०टी०सी०) परीक्षा में 240 अंक प्राप्तकर्ता श्री नवल किशोर की भर्ती का क्या कारण है ? क्या यह भी सत्य है कि 8 नियुक्ति पत्रों में उन विद्यालयों का नाम दर्शाया गया है जो अभी तक खुले ही नहीं ? यदि हां, तो इन सबके लिये कौन उत्तरदायी है और शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

32—**श्री रामलाल वर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति स्थानान्तरणों में व्यापक रूप से अनियमिततायें की गई हैं ? यदि हां, तो वे अनियमितनायें किस प्रकार की हैं तथा अब तक बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

33—**श्री गया सिंह**—

[दनांक 7-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित]

ब्लाक कटेहरी, जिला फैजाबाद के शुक्ल पट्टी महरुआ रुदऊपुर आदि प्रा० विद्यालयों की बालाहार योजना का दूसरे ब्लाक में स्थानान्तरण

34—**श्री जियाराम शुक्ल "विकल साकेती"**—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगी कि ब्लाक कटेहरी शिक्षा क्षेत्र पहितीपुर जिला फैजाबाद के शुक्लपट्टी महरुआ रुदऊपुर आदि प्रा० विद्यालयों की बालाहार योजना काट कर दूसरे ब्लाक में स्थानान्तरित कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों द्वारा की गयी योग्यता वृद्धि तथा हायर सैकेण्डरी स्कूलों में रिक्त स्थानों पर नियुक्ति की मांग

35—श्री ललू सिंह चौहान—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलाये जा रहे प्राइमरी तथा जू० हा० स्कूलों में जिन शिक्षकों ने अपनी योग्यता बढ़ाकर बी० ए०, बी०एड० अथवा एम०ए० बी०एड० हो गये हैं उन्हें जिला परिषदों व नगरपालिकाओं तथा टाउन एरिया कमेटियों द्वारा चलाये जा रहे हायर सेकेण्डरी स्कूलों में रिक्त स्थानों पर नियुक्त करने का निर्णय लेंगे ? क्या इन शिक्षकों ने पूर्व काल में जिला परिषदों व नगरपालिकाओं के अन्तर्गत कार्यरत रहने पर इसी आशा में अपनी योग्यता में वृद्धि की थी ? क्या इस पर शिक्षा विभाग में कभी विचार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जिला परिषदों, नगरपालिकाओं व टाउन एरिया कमेटियों द्वारा संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूलों में की जाने वाली नियुक्तियाँ भी अब इण्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम व उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग और चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 के प्राविधानों द्वारा शासित हैं. जिसमे ऐसा कुछ किया जाना संभव नहीं है। शिक्षकों द्वारा की गई योग्यता वृद्धि के पीछे विद्यमान उनके आशय से शासन सम्बन्धित नहीं है ओर न ही उल्लिखित प्रश्न पर विचार किये जाने का कोई प्रश्न उठता है।

गोरखपुर जनपद में राजकीय हाई स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव

36—श्रीमती गौरी देवी —

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत 3 सालों में गोरखपुर जनपद में एक भी राजकीय हाई स्कूल बालकों एवं बालिकाओं के नहीं खोले गये ? यदि हाँ, तो क्या कारण है और क्या गोरखपुर जनपद में पिपरौली व मिर्जापुर में बालकों के शिक्षा के लिये राजकीय हाई स्कूल एवं गजपुर तथा भैरापुर में बालिकाओं के शिक्षा के लिए राजकीय हाई स्कूल स्थापित करने का प्रस्ताव वर्ष 1979-80 से ही विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक स्थापित होगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

क्योंकि इसके लिये वर्षानुवर्ष निर्धारित अत्यन्त न्यून परिव्यय के अन्तर्गत भवन/भूमि तथा छात्र/छात्रा संख्या आदि के देखते हुए वरीयता क्रय में गोरखपुर जनपद का समायोजन किया जाना संभव नहीं हो सका।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवई बाजार-भौवापार मार्ग के निर्माण हेतु गेहूं का आंवटन

37—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद की सेवई बाजार-भौवापार मार्ग के निर्माण के लिये अक्तूबर, 1979 में जिला अधिकारी, गोरखपुर ने 162 कुन्तल गेहूँ

आवंटित किया था ? यदि हाँ, तो क्या उक्त गेहूँ का उपयोग करके सेवई बाजार-भौवापार मार्ग का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो कारण क्या है तथा सेवई बाजार-भौवा-पार मार्ग के निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

150 कुन्तल गेहूँ का आवंटन अप्रैल 79 में उक्त सड़क के मरम्मत हेतु किया गया था । 2983 फीट लम्बी सड़क में 1634 फीट तक मरम्मत का कार्य कराया गया जिस पर 40-40 कुन्तल गेहूँ व्यय हुआ । शेष 1349 फीट पर मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा सका । अवशेष गेहूँ का निस्तारण नियमानुसार कर दिया गया है ।

श्री कृष्ण चन्द्र लाल श्रीवास्तव, भूतपूर्व बफर गोदाम निरीक्षक द्वारा बीज भंडार लटेरा के लेखा अभिलेखों में अनियमितता करने के सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही

38—**श्री श्याम नारायन तिवारी—**

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कृष्ण चन्द्र लाल श्रीवास्तव, भूतपूर्व बफर गोदाम निरीक्षक, बस्ती ने वर्ष 19-71-72 में, कृषि बीज भण्डार हल्लौर लटेरा एवं बेलवा, जनपद बस्ती को 16,876,000 टन यूरिया जिसका मूल्य 16,149,57 है, स्थानान्तरित दिखाकर गबन कर लिया है क्या यह भी सत्य कि उक्त कर्मचारी पर अब तक कोई अप-राधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही नहीं की गई है, बल्कि उसकी पदोन्नति भी कर दी गई है यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारी पर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं । श्री कृष्ण चन्द्र लाल श्रीवास्तव, भूतपूर्व बफर गोदाम निरीक्षक, केवल बीज भंडार, लटेरा के लेखा अभिलेखों में अनियमितता करने के संबंध में दोषी पाये गये हैं, अत: इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है । बीज गोदाम हल्लौर में यूरिया की जो कमी पायी गयी थी उस कमी को पूरा करने के हेतु श्री श्रीवास्तव से रु० 3632-26 की वसूली कर ली गयी है । चूँकि श्री श्रीवास्तव को प्रोन्नत करते समय उनकी चरित्र-पंजिका में प्रविष्टियाँ टीक थीं, इसलिये उनकी पदोन्नति उस समय कुछ शर्तों के साथ कर दी गयी थी । क्योंकि श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है, इसलिये इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम विधि सिंह, प्रधान, ग्राम सभा पगड़ी वीर भद्र, देवरिया के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

39—**श्री श्याम नरायन तिवारी—**

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री राम विधि सिंह, प्रधान, ग्राम सभा पकड़ी वीर भद्र, जनपद देवरिया का शिकायती पत्र दिनांक 17-10-82 जो भवनविहीन एवं छात्रविहीन संस्कृत पाठशाला चलाकर अनुदान प्राप्त करने के सम्बन्ध में है, शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो क्या इसकी जांच कराई गयी ? क्या शिकायती पत्र की सत्यता पर सरकार उक्त विद्यालय का अनुदान बन्द कर अब तक दुरुपयोग किये गये अनुदान की वसूली जिम्मेदार व्यक्ति से करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ! जाँच के आदेश दिये गये हैं जांच से जो तथ्य सामने आयेंगे, उनके अनुसार अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।

श्री आर०एन० सिंह बी. डी. ओ., ब्लाक असमौली में चुनाव परिणाम शीट में कथित अनियमिततायें

40—**श्री रियासत हुसैन—**

क्या पंचायत राज्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दिनांक 13-12-82 जो श्री० आर० एन० सिंह, बी० डी० ओ०, ब्लाक असमौली, ग्राम सभा मनौठा, जनपद मुरादाबाद में चुनाव परिणाम शीट में गम्भीर अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ। जाँच की गई। कोई अनियमितता नहीं पायी गई। अतएव किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम ललमन खेरा मजरे रावतपुर जिला उन्नाव में हरिजनों हेतु कुएं का निर्माण

41—**श्री भगवत सिंह विशारद—**

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम ललमन खेरा, मजरे रावतपुर, विकास खण्ड बीघापुर, जिला उन्नाव में हरिजनों को पानी पीने के लिये कुयें का निर्माण अधूरा पड़ा रहने के क्या कारण हैं ? अब इस कुयें का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम ललमन खेरा मजरे रावतपुर, विकास खण्ड बीघापुर, जिला-उन्नाव में हरिजनों को पानी पीने के लिए कुएं का निर्माण उस क्षेत्र के ग्राम सेवक के स्थानान्तरण हो जाने के कारण पूर्ण होने में विलम्ब हुआ था। अब कुएं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

जनपद जालौन के कालपी नगर के व्यापारियों द्वारा निर्मित मण्डी समिति में जाने के लिये सुविधाओं की मांग

42—**श्री शंकर सिंह—**

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जालौन जनपद के कालपी नगर के व्यापारियों ने नवनिर्मित मण्डी समिति यार्ड में जाने के लिए कुछ सुविधायें अभी हाल में मांगी हैं ? यदि हां, तो वे क्या हैं तथा सरकार को उन्हें पूरा करने में क्या कठिनाई है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ। माह अप्रैल 1982 में व्यापारियों ने मण्डी में जाने के लिये सुविधायें माँगी थीं वह इस प्रकार हैं :—

1—सफाई एवं समतलीकरण जो पूरा हो चुका है।

2—प्रकाश व्यवस्था पूरी की जा चुकी है।

3—पर्याप्त जल आपूर्ति जो पूरी हो चुकी है।

4—सुरक्षा एवं पुलिस व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस व चौकीदार की व्यवस्था की गयी है।

5—बैंक व्यवस्था—इलाहाबाद बैंक की शाखा खोलने की अनुमति रिजर्व बैंक से मिल चुकी है।

6 डाकघर व्यवस्था की जा रही है।

7—अतिरिक्त दूकान तथा अन्य अवशेष निर्माण कार्य व्यवस्था यह मण्डी समिति की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है।

जिला चमोली में हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण तथा एल०टी० तथा एस०एस०ई०एस० वेतनक्रम में सेवारत शिक्षकों का अनुमोदन

43—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला [illegible]

हाई स्कूलों तथा [illegible] वर्ष चमोली में 1977 के बाद कितने [illegible] तथा इण्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण कब-कब किया गया ? क्या उनमें सेवारत एल० टी० तथा एस० एस० ई० एस० वेतनक्रम में सेवारत शिक्षकों का लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय चयन समिति द्वारा अनुमोदन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और कब तक उक्त अनुमोदन कराया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास खण्ड राजेपुर, जनपद फर्रूखाबाद में संचालित जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों के वेतन में विसंगति

44—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड राजेपुर, जनपद फर्रूखाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में फरवरी, 1982 में कितने सहायक अध्यापक ऐसे थे जिन्हें वरिष्ठ होते हुए भी अपने से कनिष्ठ अध्यापकों से मूल वेतन कम प्राप्त हो रहा है ? इसका क्या कारण है तथा यह विसंगति अब तक क्यों दूर नहीं की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद शाहजहांपुर में शिक्षा सलाहकार समिति की कथित बैठक

45 श्री उदयवीर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 6-2-82 को हुई थी, क्या उसमें सर्व सम्मति से 23-1-82 को शिक्षा सलाहकार समिति की बैठक के निर्णय की संस्तुति की गई थी ? यदि हां, तो उस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

दिनांक 23-1-82 को शिक्षा सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी । अतः शेष प्रश्न नहीं उठते ।

जनपद शाहजहांपुर के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत उर्दू अध्यापक तथा छात्रों की संख्या

46— श्री उदयवीर सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के परिषदीय विद्यालयों के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत 'हाल्फ-ए-मिलियन जाब्स योजना' में कितने उर्दू अध्यापक ऐसे विद्यालयों में कार्यरत हैं जहां उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या नगण्य है ? यदि ऐसा है तो क्यों, तथा कब तक यह व्यवस्था ठीक हो जावेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

—[illegible] कालेज, फतेहगढ़

श्रीमती लल्लीदेवी मिश्रा, सहायक अध्यापिका, राजकीय [illegible] की गायब सेवा पंजिका तथा कृत कार्यवाही

47—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती लल्ली देवी मिश्रा, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इण्टर कालेज, फतेहगढ़ की सेवा पंजिका गायब हो गई है ? यदि हाँ, तो इसके लिये कौन दोषी है और दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं कार्यवाही की गयी है, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

48—श्री राम लाल वर्मा—

[दिनांक 7-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या–117 द्वारा उत्तरित]

मण्डी समितियों व मण्डी परिषद के खिलाफ दायर हाईकोर्ट व सर्विसेज ट्रिब्यूनल के कथित वादों की पैरवी

49—श्री राम लाल वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उत्तर के क्रम में क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 4.99 लाख रुपये की ब्याज स्वरूप हुई हानि की वसूली हेतु अब तक क्या वैधानिक कार्यवाही की गयी ? वाद कब व किस न्यायालय में किस वाद संख्या के अन्तर्गत दायर किया गया और उसकी अध्यावधि स्थिति क्या है ? वाद की पैरवी एग्रो की ओर से कौन कर रहा है ? तथा उनको क्या पारिश्रमिक दिया गया है अथवा दिया जायेगा ? क्या पिटिशन का अनुमोदन एल०आर० से कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

4.99 लाख रुपये की ब्याज स्वरूप हुई हानि की वसूली हेतु डी०जी०सी० लखनऊ के राय के अनुसार न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया गया। भारतीय खाद्य निगम को देय ब्याज धनराशि एग्रो की ब्याज की मिलने वाली धनराशि से अधिक होने के कारण ब्याज वसूली हेतु न्यायालय में कोई वाद दायर नहीं किया गया। उक्त मामले में आपसी बातचीत से समझौता कर लिया गया है। अतः एग्रो की ओर से वाद की पैरवी हेतु किसी अधिवक्ता की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक देने तथा पिटीशन का अनुमोदन एल०आर० से कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में इण्टरमीडिएट विद्यालयों में सैन्य विज्ञान विषय के अध्यापकों का वेतन

50—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इण्टरमीडिएट विद्यालयों में सैन्य विज्ञान विषय के ऐसे कितने अध्यापक है जो प्रवक्ता वेतनक्रम पा रहे हैं तथा वह केवल बी०ए० अथवा बी०एस०सी० सैन्य विज्ञान सहित तथा एन०सी०सी० कमीशण्ड अधिकारी है तथा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि नहीं रखते हैं ? क्या ऐसे अध्यापक राजाज्ञा सं० 8239/पन्द्रह 7-76-2(18)-1975 दिनांक 9-12-76 द्वारा सैन्य विज्ञान अध्यापकों की शैक्षिक योग्यताओं में किये गये संशोधनों के आधार पर सैन्य वि० प्रवक्ता वेतनक्रम (रु. 400-750) पाने के अधिकारी हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

एग्रो की गोरखपुर शाखा द्वारा खरीद में अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र

51—**श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—**

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 8-9-82 जो एग्रो की गोरखपुर शाखा द्वारा खरीद में अनियमितता के सम्बन्ध में है, मिला है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ।

प्रश्नगत मामले में आवश्यक कार्यवाही कर आख्या भेजने हेतु प्रबंध निदेशक, यू०पी० स्टेट एग्रो को निर्देश दे दिये गये हैं।

52—**श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र—**

[दिनांक 7-3-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या–157 द्वारा उत्तरित]

बी०एन.बी. इण्टर कालेज एवं मड़ियाहूं डिग्री कालेज जौनपुर में अनुसूचित जाति/जन जाति के कर्मचारियों की नियुक्ति

53—**श्री दीपू—**

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बी०एन०बी० इन्टर कालेज एवं मड़ियाहू डिग्री कालेज, जौनपुर में कोई अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का कर्मचारी है ? यदि हां, तो किस पद पर ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उन विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियुक्त करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वामी विवेकानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आरोप पत्र

54—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि स्वामी विवेकानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर, जनपद देवरिया में की गयी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का एक आरोप पत्र माह नवम्बर, 1982 में मिला था ? यदि हां, तो अभी तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

कार्यवाही की जा रही है ।

55—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[दिनांक 7-3-83 को अतारांकित प्रश्न सं० 118 द्वारा उत्तरित]

56—श्री प्रियदर्शी जेतली—

[दिनांक 1-2-82 को अतारांकित प्रश्न सं० 68 द्वारा उत्तरित]

जनपद जौनपुर में माध्यमिक शिक्षकों को विज्ञान विषयों में कराया गया पोस्ट ग्रेजुऐट डिप्लोमा तथा वेतनक्रम

57—श्री प्रभुनारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद जौनपुर में कितने माध्यमिक शिक्षकों को विज्ञान विषयों में सरकार ने पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा कराया था और उनमें से कितने शिक्षकों को अब तक प्रवक्ता वेतनक्रम दे दिया गया ? क्या बी. जी. डी. योग्यता-धारी शेष अध्यापकों को भी निकट भविष्य में प्रवक्ता वेतन क्रम दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती पत्र

58—श्री हरी शंकर—

क्या शिक्षा मंत्री को बे० शि० अ०, हरदोई के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-12-82 को प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

इस सम्बन्ध में जाँच कराई जा रही है ।

कानपुर में होने वाली जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा में प्रश्न पत्र आउट होने की सूचना

59—**श्री मोतीलाल देहलवी**—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 82 में कानपुर में होने वाले जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा के प्रश्न पत्र आउट होकर बाजार में बिकते रहे ? यदि हाँ, तो कौन-कौन से और प्रश्न पत्र किस प्रकार आउट हुए और इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, भूगोल और बीजगणित तथा रेखागणित के प्रश्नपत्र आउट होने की सूचना विभाग को मिली थी। किन्तु प्रश्नपत्रों के बाजार में बिकने की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई। इन प्रश्नपत्रों के लिफाफे परीक्षा केन्द्रों में संदिग्ध अवस्था में फटे पाये गये थे। विभाग द्वारा सम्बन्धित विद्यालयों के प्रबन्धक एवं प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई है।

माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की व्यायाम शिक्षकों से भिन्न सुविधायें

60—**श्री प्रभूनारायण सिंह**—

क्या शिक्षा मन्त्री इस प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को भी वही सुविधायें देंगे जो अन्य व्यायाम शिक्षकों को अनुमन्य है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की सेवायें भारत सरकार से हस्तान्तरित होकर राज्य सरकार में दिनांक 1-7-1976 से एक नये संवर्ग में, जो मृतप्राय है, रखी गयी है। इन पदों पर की गयी नियुक्ति की अर्हता तथा इनकी सेवा शर्तें व्यायाम शिक्षकों से भिन्न हैं। अतः शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को वे सुविधायें उपलब्ध कराना संभव नहीं है जो व्यायाम शिक्षकों को अनुमन्य हैं।

उद्यान विभाग (मैदानी क्षेत्र) के अन्तर्गत प्रथम व द्वितीय श्रेणी में रिक्त पद

61—**श्री झिलमिट राम**—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उद्यान विभाग (मैदानी क्षेत्र) में श्रेणी प्रथम व श्रेणी द्वितीय व ग्रेड दो के जून, 1981 से 6-12-82 तक कितने स्थान (पद) रिक्त रहे उनको पदोन्नति द्वारा न भरे जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उत्तरदायी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने व रिक्त स्थानों को पदोन्नति द्वारा भरने की कृपा करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो कठिनाइयों का कारण क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

उद्यान विभाग (मैदानी क्षेत्र) के अन्तर्गत 6-12-82 तक प्रथम श्रेणी के 10 पद द्वितीय श्रेणी के 14 पद तथा ग्रेड-2 का कोई पद रिक्त नहीं था। वर्तमान में तदर्थ पदो-

न्नतियों पर शासन द्वारा रोक लगा दी गई है फिर भी अपरिहार्य परिस्थितियों के अन्तर्गत एवं कार्य हित में तदर्थ प्रोन्नति के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा तदर्थ प्रोन्नति पर रोक लगी है, अतः कोई अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी नहीं है और न किसी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न उठता है।

बालिका इण्टर कालिज, हरदुआगंज थर्मल पावर हाउस, कासिमपुर में अध्यापकों की अस्थाई नियुक्ति हेतु विज्ञापन तथा सी टी व एल. टी. वेतनक्रम में अध्यापिकाओं की नियुक्ति का आधार

62—**धर्मपाल सिंह**—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सत्र 1980-81 हेतु बालिका इण्टर कालिज हरदुआगंज, थर्मल पावर हाउस, कासिमपुर में कुछ सी० टी० व एल० टी० वेतन क्रम में अध्यापिकाओं की अस्थाई नियुक्ति हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन पत्र आमंत्रित हुये थे ? यदि हाँ, तो आर० आई० जी० एस० द्वारा बगैर समिति गठित किये व बिना साक्षात्कार के अध्यापिकाओं की नियुक्ति के स्वीकृत किस आधार पर दी गई ? क्या यह सच है कि बालिका इण्टर कालेज कासिमपुर में सी० टी० व एल० टी० वेतनक्रम में 1982-83 में कुछ अध्यापिकाएं बगैर नियुक्ति के कार्य कर रही हैं ? यदि हां, तो इसका क्या आधार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम गड़िया, जनपद झाँसी के तालाब में बंधी के निर्माण की मांग

63—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि ग्राम गड़िया गांव ब्लाक बबीना, जनपद झांसी के तालाब में बंधी न होने से गांव के किसानों की 300 एकड़ खेती सूख गयी ? यदि हाँ, तो क्या शासन उक्त गांव के तालाब में शीघ्र बंधी बनवा कर किसानों को सिंचाई हेतु पानी देगी ? यदि हाँ तो उक्त बंधी के निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ होगा और इस बीच किसानों की खेती में जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे के रूप में शासन किसानों को धन देगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जूनियर हाईस्कूल कांखभार, आजमगढ़ के भवन निर्माण की स्वीकृति तथा निमाण कार्य

64—**श्री पंचानन राय**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाईस्कूल, काँखभार, आजमगढ़ के भवन निर्माण की स्वीकृति कई वर्ष पूर्व हो चुकी है किन्तु अभी तक उसका निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ? भवन का निर्माण कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जूनियर हाईस्कूल काँखभार (आजमगढ़) के भवन निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1981-82

में प्रदान की गई थी और उसका भवन निर्माण जनवरी, 1983 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, बरडीहा, आजमगढ़ के भवन निर्माण की स्वीकृति तथा निर्माण कार्य

65—**श्री पंचानन राय**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि कन्या जूनियर हाई स्कूल, बरडीहा, आजमगढ़ के भवन निर्माण की स्वीकृति दो वर्ष पूर्व हो गयी है किन्तु अभी तक भवन निर्माण प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उसका निर्माण कब तक प्रारम्भ होगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां।

कन्या जूनियर हाई स्कूल, बरडीहा, आजमगढ़ के भवन निर्माण की स्वीकृति वर्ष 1980-81 में प्रदान की गई है।

[illegible] के स्थान के बारे में विवाद था। जो स्थान पहले निर्धारित [illegible] परिवर्तन किया गया। अतः प्रश्नगत स्कूल भवन [illegible] किया गया था उस पर निर्माण में ग्रामवासियों द्वारा व्यवधान [illegible] प्रकरण की पुनः समीक्षा कराई गई एवं नये स्थान का चयन किया गया। नवीन भू-स्थल का नजरी-नक्शा आदि भवन निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को दे दिया गया है। जो भवन निर्माण प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं।

तत्कालीन सहायक कृषि निरीक्षक, देवरिया सदर द्वारा सम्बन्धित अभिलेखों को गायब कर देने के विरुद्ध कार्यवाही तथा अभिलेखों का पुनर्गठन

66—**श्री रुद्र प्रताप सिंह**—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि तत्कालीन सहायक कृषि निरीक्षक, देवरिया सदर (श्री रामयज्ञ सिंह) द्वारा लाखों रुपये का गबन करके सम्बन्धित अभिलेखों को गायब कर दिया गया है जिसके पुनर्गठन की जिम्मेदारी किसी सहायक लेखाकार को सौंपी गई है? यदि हाँ, तो कई वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी अभी तक अभिलेखों के पुनर्गठन न किये जाने का क्या कारण है ? क्या उक्त मामले में सम्बन्धित सहायक लेखाकार को निलम्बित करके उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करायेंगे ? यदि हाँ तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ। लेकिन सम्बन्धित अभिलेखों के पुनर्गठन की जिम्मेदारी किसी भी सहायक लेखाकार को नहीं सौंपी गई है। क्योंकि गायब अभिलेखों में आपूर्ति सम्बन्धी अभिलेख भी शामिल थे, इसलिये इस आपूर्ति सम्बन्धी सहायक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण अभी तक पुनर्गठन में विलम्ब हुआ है। उपयुक्त परिस्थिति में किसी सहायक लेखाकार के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

परियोजना अधिकारी (कृषि) रायबरेली के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के सी. डी. एस. का भुगतान

67 – **श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा**

श्री श्याम नारायण तिवारी —

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि परियोजना अधिकारी (कृषि), रायबरेली के कार्यालय में कार्यरत तमाम कृषि कर्मचारियों के सी० डी० एस० एकाउण्ट का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जबकि शासनादेश के अनुसार उक्त भुगतान बहुत पूर्व ही हो जाना चाहिए था ? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी कर्मचारियों के उक्त सी० डी० एस० का भुगतान शीघ्र करायेंगे तथा सम्बन्धित लेखाकार के विरुद्ध कार्यों में उदासीनता बरतने के आरोप में प्रशासनिक कार्यवाही करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह —

परियोजना अधिकारी (कृषि) रायबरेली के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के सी०डी०एस० का भुगतान किया जा चुका है। अतः लेखाकार के विरुद्ध किसी कार्यवाही के करने का प्रश्न नहीं उठता।

उदित नारायण इण्टरमीडिएट कालेज, पडरौना, देवरिया के शिक्षकों को वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजमंगल पॉडेय, विधायक का पत्र

68—**श्री रुद्र प्रताप सिंह तथा**

श्री श्याम नारायण तिवारी —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उदित नारायण इण्टरमीडिएट कालेज, पडरौना, देवरिया के 13 शिक्षकों को गत कई साल से वेतन न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राजमंगल पाण्डे विधायक का पत्र माह सितम्बर, 1982 में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास खण्ड, सरदारनगर, जनपद गोरखपुर के कर्मचारियों का सी०डी०एस० भुगतान की कार्यवाही

69—**श्री श्याम नरायन तिवारी तथा**

श्री रुद्र प्रताप सिंह —

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड, सरदारनगर, जनपद गोरखपुर के अनेक कर्मचारियों की सी०डी०एस० का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है जबकि शासनादेशानुसार उक्त सी० डी० एस० का भुगतान लगभग एक वर्ष पूर्व ही हो जाना चाहिए था ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के दो पत्र माह सितम्बर, 82, व नवम्बर, 82 में मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर व खण्ड विकास अधिकारी, सरदारनगर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गई है और अभी तक उक्त भुगतान सम्बन्धित कर्मचारियों को न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, कोषागार से लेखा का सत्यापन समय से न होने के कारण बिल जनवरी, 1983 में कोषागार में प्रस्तुत हुआ है, प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनांक 8-10-82 को प्राप्त हुआ था, उस पर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

अतिवृष्टि और बाढ़ से जोगिया बीज भण्डार में हुई क्षति

70—श्री धनी राम वर्मा—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में 11/12-9-81 को अतिवृष्टि और बाढ़ से जोगिया बीज भण्डार में क्षति हुई थी ? यदि हाँ, तो क्षति कितने रुपये की हुई थी ? और क्या क्षति ग्रस्त वस्तुओं की कोई सूची बनाई गई थी ? यदि हाँ, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त वस्तुओं की सूची से सदन को अवगत करायेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ।

लगभग रुपये 47,000

जी हाँ।

जी हाँ। क्षतिग्रस्त वस्तुयें निम्न हैं :—

क्र० संख्या	उर्वरक का नाम	क्षति की मात्रा
1.	यूरिया 46%	7-800-000
2.	डी०ए०पी०	4-230-000
3.	एम०ओ०पी०	8-500-000
4.	जिंक सल्फेट	0-318-000

ग्राम कहरा सलेमपुर, जिला फैजाबाद में सामुदायिक मिलन केन्द्र का निर्माण

71—श्री प्रियदर्शी जेतली—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड अकबरपुर, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम कहरा सलेमपुर में वर्ष 1964 में कोई सामुदायिक मिलन केन्द्र का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो कुल कितना धन शासन द्वारा कब-कब स्वीकृत हुआ था और क्या यह सही है कि वह मिलन केन्द्र निर्मित नहीं हुआ था ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद में कृषि मण्डी समिति हेतु भवन निर्माण

72—**श्री प्रियदर्शी जेतली**—

क्या कृषि मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद में कृषि मण्डी समिति हेतु चालू वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त कार्य के लिये कितना धन स्वीकृत हुआ है और निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री यशपाल सिंह—

जी नहीं । अकबरपुर जिला फैजाबाद में चालू वित्तीय वर्ष में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

कृषि विपणन नाम से नया निदेशालय स्थापित करने के आदेश तथा निदेशक का सृजित पद

73—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने कृषि विपणन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के निदेशक की पृथक से नियुक्ति न कर एक अर्ध सरकारी संस्था (मंडी परिषद्) के निदेशक को कृषि विपणन निदेशालय का कार्य देखने हेतु तैनात किया है ? क्या यह स्थिति छः वर्षों से निरन्तर चल रही है ? यदि हां, तो कृषक विभाग निदेशालय, उत्तर प्रदेश में निदेशक की पृथक से नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जुलाई, 1976 में शासन ने कृषि विपणन संगठन को कृषि निदेशालय से हस्तान्तरित करके कृषि विपणन नामक एक नया निदेशालय स्थापित करने के आदेश जारी किये । उक्त आदेशानुसार आई. ए. एस. के सीनियर स्केल में कृषि विपणन निदेशक का पद इस शर्त के साथ सृजित किया गया कि कृषि विपणन के संयुक्त सचिव के पद धारक मंडी निदेशक एवं मण्डी परिषद के सचिव के पद का कार्य-भार संभालने के साथ-साथ कृषि विपणन निदेशालय के निदेशक के पद भार को भी संभालते रहेंगे तथा इस निदेशालय के लिये किसी अधिकारी/कर्मचारी का अतिरिक्त पद स्वीकृत नहीं किया जायेगा । किन्तु इस पद के वर्तमान धारक मंडी तथा विपणन निदेशक एवं सचिव मण्डी परिषद के साथ-साथ संयुक्त सचिव, कृषि विभाग का पद धारित नहीं करते हैं ।

जी हां ।

इसकी आवश्यकता अभी नहीं है । उपर्युक्त व्यवस्था प्रदेश के कृषकों द्वारा उत्पादित कृषि पदार्थों की वैज्ञानिक आधार पर उचित विपणन की व्यवस्था की दिशा में कृषि विपणन संगठन के प्रयासों को गति प्रदान करके और कार्य-कुशलता में अभिवृद्धि किये जाने तथा कृषि विपणन संगठन और मंडी परिषद समितियों के कार्यों में उचित समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से लागू की गयी । अतः इसमें अभी कोई परिवर्तन करना समीचीन नहीं है ।

राजकीय महाविद्यालय, महमूदाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में शिकायती पत्र

74—**श्री राम आसरे वर्मा**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महाविद्यालय, महमूदाबाद (सीतापुर) में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में विधायकों के दिनांक

4-12-82, 16-12-82, 21-12-82 एवं 28-12-82 के पत्र उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हाँ, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ माननीय विधायकों के पत्र दिनांक 4-12-82, 16-12-82 तथा 20-12-82 को प्राप्त हुए हैं ?

शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा ने स्वयं दिनांक 7-2-83 को महाविद्यालय का निरीक्षण एवं आरोपों की जाँच की है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दीनानाथ सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला हरिपुर, जिला बलिया के विरुद्ध आरोपों की जांच

75—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दीनानाथ सिंह, पुत्र स्व. राम एकबाल सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला हरिपुर, ब्लाक दूबहड़, परगना व जिला बलिया के विरुद्ध अनेक गम्भीर आरोपों की जांच वर्तमान में की जा रही है ? यदि हाँ, तो जाँच का परिणाम क्या निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आबकारी विभाग में घपला किये जाने संबंधी कथित पत्र

76—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 2506/82 दिनांक 12-7-82 जिसमें आबकारी विभाग घोसी नं० 3 में वहाँ के अधिकारियों द्वारा राजस्व का घपला किये जाने की शिकायत की गयी है उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो शासन द्वारा उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विद्या भूषण—

जी नहीं, इस प्रकार का कोई पत्र शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं है । प्रश्न का शेष भाग लागू नहीं होता ।

वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आबकारी कर की चोरी तथा शराब निर्माताओं को लाभ पहुँचाने के संबंध में कथित मामला

77—श्री शंकर सिंह—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनकी जानकारी में हाल में ही कोई ऐसा मामला आया है कि जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी करोड़ों रुपये आबकारी कर की चोरी तथा पचास करोड़ रुपये का शराब निर्माताओं को लाभ पहुँचाने के दोषी पाये गये हैं ? यदि हाँ, तो सरकार ने उक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री विद्याभूषण—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया में बी० टी० सी० बेरोजगार अध्यापकों की नियुक्ति तथा प्राइमरी व जूनियर हाई-स्कूलों में कार्यरत अध्यापक

78—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जनपद में दिनांक 15-12-82 को कितने बी०टी०सी० बेरोजगार अध्यापक थे इनकी नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

79—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में कितने प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल दिनांक 15-12-82 को थे, तथा इन विद्यालयों में पढ़ाने के लिए कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या प्रत्येक कक्षा को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक है ? यदि नहीं, तो क्या उनकी नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

देवरिया जिलान्तर्गत भाटपाररानी नगर के गल्ला व्यापारियों पर मण्डी शुल्क का आकलन तथा बकाया धनराशि के वसूलने की कार्यवाही

80—श्री हरिवंश सहाय—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत भाटपाररानी नगर में गल्ला व्यापारियों पर दिनांक 1-1-82 से 15-12-82 तक कितना मण्डी टैक्स का आकलन किया गया ? किन-किन व्यापारियों पर कितना रुपया टैक्स का उक्त अवधि तक बकाया है ? इसे वसूलने की कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशपाल सिंह—

देवरिया जिलान्तर्गत भाटपाररानी नगर के गल्ला व्यापारियों पर दिनांक 1-1-82 से 15-12-82 तक रुपया 1,63,853.67 मण्डी शुल्क का आकलन किया गया । वैसे मण्डी समितियां फसली वर्ष से हिसाब रखती हैं ।

उक्त अवधि में मण्डी शुल्क के आकलन एवं बकाया धनराशि की सूची संलग्न है ।

संलग्न सूची के क्रमांक 1 से 12 तक के व्यापारियों ने उक्त धनराशि की वसूली के विरुद्ध स्थगनादेश उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त कर लिया है, शेष क्रमांक 13 से 28 तक के व्यापारियों के विरुद्ध बकाया धनराशि वसूलने की कार्यवाही चल रही है ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ · पर)

अध्यापिका, श्रीमती उर्मिला एवं निर्मला को पुनः सेवा में लिए जाने का औचित्य

81—**श्री मित्रसेन यादव**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती उर्मिला एवम् निर्मला नाम की दो अध्यापिकाओं को पूर्व शिक्षाधिकारी, फैजाबाद ने गंभीर आरोपों के कारण सेवा मुक्त कर दिया था जिन्हें वर्तमान शिक्षाधिकारी श्री राम इकबाल राय ने मई, 82 में उक्त दोनों अध्यापिकाओं को पुनः सेवारत कर लिया है ? यदि हां, तो उन्हें पुनः सेवा में लिऐ जाने का आधार क्या था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बजरंग बली संस्कृत विद्यालय ग्राम सोनवरसा, जनपद देवरिया के नाम से फर्जी विद्यालय चलाने एवं अनुदान की धनराशि प्रबन्धक द्वारा हड़पे जाने के विरुद्ध कार्यवाही

82—**श्रीमती कमला साहनी**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बजरंग बली संस्कृत विद्यालय ग्राम सोनवरसा, पो० पनिका बाजार, जनपद देवरिया के नाम से फर्जी विद्यालय चलाने एवं अनुदान की धनराशि प्रबन्धक द्वारा हड़पे जाने विषयक स्थानीय नागरिकों की शिकायत पर उक्त फर्जी विद्यालय को अनुदान देना बन्द कर दिया गया था ? यदि हाँ, तो उक्त फर्जी विद्यालय को पुनः अनुदान स्वीकृत करने का क्या औचित्य रहा है ? क्या सरकार इसकी पूरी जाँच करवा कर दोषी कर्मचारी, अधिकारी एवम् प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

83—**श्री फिरंगी प्रसाद विशारद**—

[6 ठें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

लोक राष्ट्रीय कालेज जसराना, जनपद मैनपुरी के अध्यक्ष के किलियरेंस हेतु प्रार्थना पत्र

84—**श्री विष्णु दयाल वर्मा**—

क्या शिक्षा मन्त्री की जानकारी में है कि लोक राष्ट्रीय कालेज जसराना, जनपद मैनपुरी के अध्यक्ष के किलियरेंस के लिए इस वर्ष शिक्षा सत्र के प्रारम्भ में प्रार्थना पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रस्तावित कालेज के सचिव से फरवरी तथा मार्च, 1982 में प्राप्त प्रार्थनापत्रों पर विचारोपरान्त प्रस्ताव सोशल सर्विसेज इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रगति आश्रम हाईस्कूल, बालगंज लखनऊ के सम्बन्ध में श्री मान्धाता सिंह, एम० सी० सी० का ज्ञापन

85—**श्री राम आसरे वर्मा**—

श्री गोपी नाथ वर्मा तथा

श्री जमुना प्रसाद—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के सम्बन्ध में श्री मान्धाता सिंह, एम० एल० सी० का ज्ञापन दिनांक 9-11-82 शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक एवं जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ, प्रश्नगत ज्ञापन पर पूर्ण जाँच करके आख्या एवं स्पष्ट संस्तुति शासन को अविलंब भेजने के लिये शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया गया है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

अवकाश प्राप्त शिक्षक श्री रमाशंकर मिश्र को पेंशन का भुगतान

86—**श्री प्रभू नारायण सिंह**—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 6 ठें मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 186 के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री रमाशंकर मिश्र के उक्त सन्दर्भित प्रकरण में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार उक्त अवकाश प्राप्त शिक्षक को शीघ्र ही पेंशन का भुगतान करायेगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मेसर्स फूलताज बीड़ी मुरादाबाद को भेजे गये खाद्य पदार्थ की धनराशि का अग्रिम भुगतान

87—**श्री राम लाल वर्मा**—

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि दिनांक 24-4-82 को मेसर्स फूलताज बीड़ी मुरादाबाद को 53788 रुपये के मूल्य का हार्टिको प्रोडक्ट बैंक द्वारा न भेजकर सीधे पार्टी को भेजा गया ? यदि हाँ, तो प्रश्नगत माल बैंक से न भेजने के क्या कारण रहे और सीधे पार्टी का माल किसके आदेश से भेजा गया ? क्या निगम को पार्टी से भुगतान प्राप्त हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतलायेंगे कि इस भुगतान को प्राप्त करने में अब तक अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा टी० ए०, डी० ए० के रूप में कितना धन वसूल किया गया ?

श्री यशपाल शर्मा—

जी हाँ ।

मेसर्स फूलताज बीड़ी मुरादाबाद को दिनांक 24-4-82 को 63,788 रुपये के मूल्य के खाद्य पदार्थ भेजे गये थे। वितरक ने रुपये 10,000/-का अग्रिम भुगतान कर दिया था अतएव जी० आर० केवल अवशेष धनराशि रुपये 53,788 की बनायी गयी थी। पार्टी तत्काल सामग्री चाहती थी जो परिवहन ट्रक हड़ताल के कारण संभव नहीं था अतएव सामान सीधे पार्टी को निगम के प्रतिनिधि द्वारा भेजा गया जो उचित था। बैंक के माध्यम से ही सामान भेजना किसी नियम अथवा अधिनियम में वाँछित नहीं है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से क्रय करने वाली पार्टी को सामान किसी भी प्रकार से भेजा जा सकता है। पार्टी ने केवल रुपये 12,668-93 पैसे का सामान प्राप्त किया एवं शेष सामान वापस कर दिया। पार्टी ने जितना सामान प्राप्त किया उसका भुगतान कर दिया है। इस भुगतान को प्राप्त करने में तथा कर्मचारियों द्वारा टी० ए० डी० ए० के मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की है।

जनपद गाजीपुर को खाद्यान्न योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत दिया गया खाद्यान धनराशि तथा कार्यों की प्रगति

88—**श्री राम नारायण सिंह (एडवोकेट)**—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 से दिसम्बर, 1981 तक गाजीपुर जनपद को खाद्यान्न योजना एवं ग्रामीण रोजगार योजना हेतु किन-किन विभागों को कितनी धनराशि एवं खाद्यान्न दिया गया था ? उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अब तक किए गये कार्यों की प्रगति क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

खाद्यान्न योजना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी, 80 से दिसम्बर 81 तक गाजीपुर जनपद को कुल 4726 मी० टन खाद्यान्न एवं 92,02,925 रु० की धनराशि दी गई थी जिसका विभागवार विवरण तथा उक्त योजनाओं के अन्तर्गत अब तक कराये गये कार्यों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ध" आगे पृष्ठ····पर।)

89-90—**श्री बाबू सिंह**—

[दिनांक 15-2-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 33-34 द्वारा उत्तरित]

साकेत उडेन इन्डस्ट्री नाका मुजफ्फरा, रायबरेली रोड, फैजाबाद के लाइसेन्स का नवीनीकरण

91—**श्रीमती किशोरी शुक्ला**—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि "साकेत उडेन इन्डस्ट्री नाका मुजफ्फरा रायबरेली रोड, फैजाबाद को लाइसेन्स दिनांक 30-8-80 की अवधि 1-4-79 से 31-3-81 तक के लिए दिया गया था तथा दिनांक 1-7-81 को उक्त इन्डस्ट्री द्वारा अतिरिक्त मुख्य अधिकारी जिला परिषद्, फैजाबाद को लाइसेन्स के नवीनीकरण हेतु लाइ-सेन्स फीस रु० 25 जमा कर दिया गया है ? यदि हां, तो सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद भी लाइसेन्स का नवीनीकरण न करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हाँ। चूँकि उक्त इन्डस्ट्री द्वारा चलाई जा रही आरा मशीन से आबादी क्षेत्र में लोक कंटक (पब्लिक न्यूसेन्स) पैदा हो रहा था इसलिये उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 202 के अन्तर्गत लाइसेन्स का नवीनीकरण नहीं किया गया।

श्री गोविन्द सिंह राणा, निवासी डिडोली, जिला चमोली एवं कतिपय अन्य कृषकों द्वारा पम्पिंग सेट क्रय करने हेतु लिये गये तकावी ऋण के अवशेष का भुगतान

92 — **श्री कुंवर सिंह नेगी—**

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के 4थे सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं० 29 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कब तक कृषकों को माफ की गई धनराशि लौटा दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सम्बन्धित कृषकों को आवश्यक धनराशि का भुगतान करने के आदेश शासन के वित्त विभाग के परामर्श से यथाशीघ्र निर्गत किये जायेंगे।

93 — **श्री जनार्दन प्रसाद ओझा —**

[5वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या–114 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

डिप्टी डायरेक्टर, हार्टिकल्चर के रिक्त पद पर हार्टिकल्चर आफिसर कोटद्वार की पदोन्नति

94— **श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौढ़ी में डिप्टी डाइरेक्टर, हार्टिकल्चर के रिक्त पद पर किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव अभी हाल में आया है, जिसका गृह जनपद पौढ़ी ही है ? यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या है तथा हार्टिकल्चर आफिसर कोटद्वार को पदोन्नति कर उक्त पद भरे जाने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां। क्योंकि प्रश्नगत अधिकारी का गृह जनपद पौड़ी है अतः उनकी नियुक्ति न करके हार्टिकल्चर आफिसर, कोटद्वार को ही डिप्टी डायरेक्टर हार्टिकल्चर के पद पर प्रोन्नति कर पद भर दिया गया है।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निदेशालय स्तर तथा शासन स्तर पर आरक्षण कोटा पूरा न होने के विरुद्ध कथित कार्यवाही

95— **श्री कुंवर सिंह नेगी—**

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 4504/2-क-7/1/69 दिनांक 20 अप्रैल, 1972 तथा शासनादेश संख्या 15/82/75-रा० एकीकरण दिनांक 25 मार्च, 1976 के अनुसार शिक्षा विभाग के अन्तर्गत निदेशालय स्तर तथा शासन स्तर पर वर्ष 1979-80 वर्ष 1980-81 तथा वर्ष 1981-82 में अनुसूचित जाति तथा जन जाति का आरक्षित कोटा पूर्ति में उदासीनता दिखाने वाले आरक्षित रिक्तियों पर सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को पदोन्नति करने वाले तथा आरक्षण सम्बन्धी शासनादेशों की अवहेलना

करके गलत सूचना देने वाले कितने अधिकारियों तथा सम्बन्धित कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय आख्याओं में प्रतिकूल प्रविष्ठियां अंकित की गईं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

किसी को नहीं। क्योंकि आरक्षण पूरा न करने के सम्बन्ध में प्रतिकूल प्रविष्टि देने की कोई आवश्यकता नहीं उत्पन्न हुई। अनुसूचित जाति/जनजाति के अर्ह एवं पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है न कि अधिकारियों/कर्मचारियों की शिथिलता या उदासीनता के कारण।

भोजपुरी भाषा के विकास हेतु भोजपुरी अकादमी की स्थापना

96—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि भोजपुरी भाषा के विकास के लिए भोजपुरी अकादमी की स्थापना की जायेगी ? यदि नहीं, तो भोजपुरी भाषा के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

म्युनिसिपल इण्टर कालेज, ताजगंज, आगरा में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति

97—श्री किरन पाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि म्युनिसिपल इण्टर कालेज, ताजगंज, आगरा में 5 जुलाई, 1970 से प्रधानाचार्य की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई विवाद चल रहा है ? उक्त दिनांक से आज की तक अवधि में किन-किन व्यक्तियों ने कितनी-कितनी अवधि के लिए किस आधार पर उक्त विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया ? क्या श्री देवकी नन्दन शर्मा वरिष्टतम् प्रवक्ता को नियम के अन्तर्गत प्रधानाचार्य नियुक्त किया जाना था ? यदि हां, तो उनको प्रधानाचार्य नियुक्त न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं, इस तिथि से कोई विवाद नहीं चल रहा है।

सूचना संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ···पर)

मैनपुरी जनपद में पंचायत सेवकों की ए०डी०ओ० पंचायत के पद पर प्रोन्नति

98—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में कितने पंचायत

सेवक (ग्राम पंचायत अधिकारी) ए०डी०ओ० पंचायत के पद पर प्रोन्नत होकर कार्य कर रहे हैं ? क्या इन्हें प्रतिवर्ष कुछ समय के लिए पदावनत करके पुनः प्रोन्नत करने की परम्परा चलाई जाती है ? यदि हाँ, तो क्यों ? सरकार इस परम्परा को बदलने पर विचार करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पारिश्रमिक संबंधी कार्य तथा धनराशि का वितरण, शिक्षक कल्याण कोष की स्थापना

99—श्री मोहन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पाँच वर्षों में (77-78, 78-79, 79-80, 80-81 एवं 81-82) में लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पारिश्रमिक (मूल्यांकन को छोड़कर) सम्बन्धी कुल कितना कार्य किन-किन लोगों को (मय नाम के) कितनी-कितनी धनराशि का वितरित किया गया ? क्या शिक्षा मंत्री यह भी बतायेंगे कि इसमें कितना काम स्नातक स्तर की परीक्षा एवं कितना परास्नातक स्तर की परीक्षा से सम्बद्ध है, और महाविद्यालय शिक्षकों को कितना कार्य दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

100—श्री मोहन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय परीक्षा पारिश्रमिक से किसी शिक्षक कल्याण कोष की स्थापना हुई है ? यदि हाँ, तो इसका वितरण वि०वि० एवं कालेज शिक्षकों के मध्य किस सिद्धान्त पर होता है और क्या दोनों के अलग-अलग खाते हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ नगर के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था पर विचार तथा शिक्षक संघ द्वारा दिये गये ज्ञापन पर कृत कार्यवाही

101—श्री मोहन सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा की व्यवस्था का प्रश्न कब से सरकार के विचाराधीन है और इसके क्रियान्वयन में क्या कठिनाइयां हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह प्रकरण लगभग दो वर्षों से विचाराधीन है किन्तु लखनऊ विश्वविद्यालय की स्पष्ट संस्तुति के अभाव में इस मामले में निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

102—**श्री मोहन सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर के 19 महाविद्यालयों में प्रतिवर्ष लगभग 10 हजार स्नातक छात्रों की उच्च शिक्षा की व्यवस्था केनिंग कालेज (लखनऊ वि०वि०) में हो सकना असम्भव है ? यदि हाँ, तो इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है ? क्या इस संबंध में शिक्षक संघ का कोई ज्ञापन सरकार को 1981-82 और 1982-83 में प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

मामला विचाराधीन है ।

जी हाँ ।

ग्राम जखनी में महुआ लिंक रोड के समीप पुलियों का निर्माण तथा सहेवा लिंक रोड तक जोड़ने तथा पक्का कराने पर अनुमति व्यय

103—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि ग्राम जखनी परगना नरैनी जनपद बांदा में नाले पर पुल निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता का कोई मांग पत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1982 का प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्न में सन्दर्भित 2 सितम्बर 1982 का माँग पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जिलाधिकारी, बांदा से दिनाँक 15-2-82 के पत्र द्वारा अनुरोध किया था कि ग्राम जखनी में महुआ लिंक रोड में जखनी ग्राम के समीप पुलियों का निर्माण कराया जाय ।

उक्त पुलियों (5) तथा सम्बन्धित मार्ग को पक्का निर्मित कराने में लगभग 5 लाख रु० व्यय होंगे ।

जनपद स्तर पर इतने परिव्यय से केवल एक ग्राम का सम्पर्क जोड़ने का औचित्य न होने तथा वित्तीय अनुपलब्धता के कारण कार्य नहीं कराया गया है ।

104—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा में विकास खण्ड महुआ के अन्तर्गत बांदा अतर्रा रोड से बरसंडा खुर्द वाया जखनी लिंक रोड के निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई मांग पत्र दिनांक 2 सितम्बर, 1982 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

प्रश्न में सन्दर्भित 2 सितम्बर 1982 का मांग पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता । इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने दिनांक 15-2-1982 के पत्र द्वारा जिलाधिकारी, बांदा से अनुरोध किया था कि ग्राम्य जखनी (महुआ) से सहेवा लिंक रोड को जोड़ दिया जाय । उक्त मार्ग को पुलियों (5) सहित पक्का निर्मित कराने में लगभग 5 लाख रु० व्यय होंगे । जनपद स्तर पर इतने परिव्यय से केवल एक ग्राम का सम्पर्क जोड़ने का औचित्य न होने तथा वित्तीय अनुपलब्धता के कारण कार्य नहीं कराया गया है ।

विकास खण्ड महुआ स्थित जूनियर हाईस्कूल के अर्ध निर्मित भवण को पूर्ण कराने का प्रस्ताव

105—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में विकास खण्ड महुआ स्थित जूनियर हाई स्कूल के अर्ध निर्मित भवन को पूर्ण कराने के लिए कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा नगर में जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण कराने की योजना तथा खोले गये प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाईस्कूल, भवन निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

106—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बाँदा नगर में कितने जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण कराने की योजना है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने ही हरिजन बस्ती कैलाशपुरी में भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करा दी है ? यदि हाँ, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

107—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के बांदा विधान सभा क्षेत्र में जून, 1980 से अब तक कितने प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल खोले गये ? कितने स्कूलों के भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया ? कितने स्कूलों के भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद बांदा में राजकीय आलू प्रक्षेत्र योजना के संबंध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

108—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा में राजकीय आलू प्रक्षेत्र योजना के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र 24 अक्टूबर, 1982 को उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हाँ, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हाँ ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

109—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[7 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 82 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बांदा में भवनहीन राजकीय स्कूल

110—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बांदा जनपद में कई राजकीय हाई स्कूल भवनहीन है ? यदि हाँ, तो विद्यालय भवन बनवाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों के निर्माण धनाभाव के कारण संभव नहीं हो पा रहा है ।

जनपद बांदा को खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न तथा सम्पर्क मार्गों का निर्माण

111—प्रो. चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा को खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 व 1979-80 में कितना खाद्यान्न आबंटित किया गया ? कितनी किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ ? विकास खण्डवार ब्यौरा देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद बांदा को खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 78-79 में 900 मे० टन तथा वर्ष 79-80 में 35,200 मे० टन खाद्यान्न आबंटित किया गया था ।

वर्ष 78-79 में 48 कि० मी० लम्बाई के 17 सम्पर्क मार्ग तथा वर्ष 79-80 में 625 कि० मी० लम्बाई के 244 सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया गया । 79-80 में निर्मित मार्गों पर पुलियों का निर्माण नहीं हुआ है । विकास खण्डवार मार्गों के संख्या की सूची संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "च" आगे पृष्ठ····पर ।)

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में आर. आई. डी. योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को ऋण

112—प्रो. चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आई० आर० डी० योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81, 1981-82 में बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने लाभार्थियों को ऋण दिलाये गये ?

श्री बलराम सिंह यादव—

वर्ष 1980-81 व 1981-82 में बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में आई० आर० डी० योजना के अन्तर्गत क्रमश: 135 एवं 380 लाभार्थियों को ऋण दिलाया गया।

जनपद बांदा में सम्पर्क मार्गों पर खड़ण्जा लगाने की मांग

113—**प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1978-79 व 1979-80 में लिंक रोडों में खड़ण्जा लगाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव —

जनपद बांदा में वर्ष 1978-79 व 1979-80 में सम्पर्क मार्गों पर खड़न्जा नहीं लगाया गया है क्योंकि इस कार्य हेतु धन की व्यवस्था नहीं थी।

जनपद बांदा में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत अधूरी सड़कों तथा पुलियों का निर्माण कार्य

114—**प्रो. चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 व 1979-80 में कितनी सड़कें अधूरी रह गयीं। इनका पूर्ण ब्यौरा क्या है ? अधूरी सड़कों को पूर्ण कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव —

जनपद बांदा में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में कोई सड़क अधूरी नहीं रह गई थी। वर्ष 1979-80 के 244 सम्पर्क मार्ग बनाये गये हैं परन्तु पुलियों का निर्माण न होने के कारण अधिकतर मार्ग अभी अपूर्ण हैं। इन मार्गों की विकास खण्डवार सूची संलग्न है।

उक्त अधूरी सड़कों पर पुलिया निर्माण का कार्य जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जा रहा है, कराया जा रहा है। इनमें से कुछ सम्पर्क मार्गों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत पक्का कराया जा रहा है।

(देखिए नत्थी "छ" आगे पृष्ठ··· पर)

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बांदा में असिंचित क्षेत्र में की गई खेती का ब्यौरा

115—**प्रो. चन्द्र प्रकाश शर्मा**—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद बांदा के बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में शुष्क खेती के अन्तर्गत कितने क्षेत्र में खेती की गयी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री यशपाल सिंह—

राजस्व विभाग के कृषि आंकड़ों के अनुसार बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र बांदा में वर्ष 1981-82 में 1,56,682 हेक्टर असिंचित क्षेत्र में खेती की गई। वर्ष 82-83 के

आंकड़ें अभी उपलब्ध नहीं है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शुष्क कृषि कार्यक्रम के अन्तर्गत 81-82 वर्ष में कोई कार्यकम नहीं लिया गया था। वर्ष 82-83 में शुष्क कार्यक्रम के अन्तर्गत 7,500 हेक्टर के निर्धारित लक्ष्य में से 6,943 हेक्टर क्षेत्र को आच्छादित किया गया। तत्सम्बन्धी विवरण निम्नवत है :—

1—आच्छादित क्षेत्रफल	5,943 हे०
2 कृषि निवेशों की आपूर्ति	51,023 मै० टन
3—बीज वितरण	7943.500 कि० ग्रा०
4—कृषि यंत्र वितरण	598 यंत्र
5—ऋण वितरण	137924.00 रुपये
6—ग्रहित ग्रामों की संख्या	64 गांव

116—श्री श्याम नारायन तिवारी—

[7 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद में राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना

117—श्री निर्मल कुमार खत्री—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सन् 1981 के मार्च माह में घोषित योजना कि फैजाबाद में राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान की स्थापना की जायेगी, को अभी तक मूर्त रूप क्यों नहीं दिया जा सका ? क्या अब भी यह योजना फैजाबाद के लिए विचाराधीन है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

संस्थान के लिए सृजित प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति की औपचारिकता में समय लगा जिसके फलस्वरूप दिनांक 13 दिसम्बर, 1982 को ही प्रधानाचार्य की नियुक्ति के आदेश जारी किये जा सके। प्रधानाचार्य के कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही संस्थान की स्थापना का कार्य भी फैजाबाद में प्रारम्भ हो चुका है।

लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राचार्यों द्वारा विश्वविद्यालय में आबंटित भवन खाली न किए जाने तथा बाहरी लोगों द्वारा अनधिकृत अधिकार बनाए रखने के विरुद्ध कार्यवाही

118- श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ, विश्वविद्यालय में ऐसे प्राचार्यों की कितनी संख्या है जिन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अवकाश लेने या सेवा समाप्ति होने या अपने निजी भवनों को बनाने के बाद भी विश्वविद्यालय में आबंटित भवन खाली नहीं किये हैं ? इन भवनों में उपरोक्त स्थिति में वे कब से तथा किस आधार पर रहते आ रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

119— **श्री जसवन्त सिंह विष्ट—**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन भवनों में से कुछ विश्वविद्यालय कर्मचारियों व बाहरी लोगों ने अनाधिकृत अधिकार कर रक्खा है ? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

विश्वविद्यालय द्वारा अपने निर्माणाधीन भवनों को खाली कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री हरिनारायण तिवारी, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला बलसिंह खेड़ा का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण

120 — **श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिनारायण तिवारी, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला बलसिंह खेड़ा, पो० करोरा (नगराम) तहसील मोहनलालगंज लखनऊ उक्त विद्यालय में लगभग 10 वर्षों से तैनात हैं ? यदि हाँ, तो इसका क्या आधार है ? क्या सरकार उक्त अध्यापक का स्थानांतरण लखनऊ से बाहर कराने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोविन्द बल्लभ पन्तनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर में शोध योजनाएं, उन पर व्यय तथा उपलब्धि

121—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय—**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोविंद बल्लभ पन्त नगर कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में 1 अप्रैल, 1980 से 30 सितम्बर, 1982 तक कुल कितने प्रकार के नये शोध कार्य हुए तथा उन पर उक्त समय में कुल कितना धन व्यय किया गया तथा उसकी कितनी उपलब्धि रही ?

श्री यशपाल सिंह—

गोविन्द बल्लभ पन्तनगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पन्तनगर में 1 अप्रैल, 1980 से 30 सितम्बर, 1982 तक कुल 199 शोध योजनायें चलायी गईं तथा उन पर उक्त समय में कुल रु० 1,75,33,545/- व्यय किया गया तथा विभिन्न फसलों की 16 प्रजातियाँ विकसित कर जारी की गई जो पुरानी प्रजातियों से अधिक उपज शील एवं रोग प्रतिरोधी हैं ।

हरिहर महोदय इण्टर कालेज, देवचन्दपुर, वाराणसी में समाज शास्त्र प्रवक्ता के पद पर अनियमितताओं से संबंधित शिकायती पत्र पर वांछित आख्या

122—**श्री प्रभू नारायण सिंह—**

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित मेरे अता-

रांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या वांछित आख्या शासन को प्राप्त हो गई है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज, झांसी ने अध्यापिकाओं की दक्षता रोक, वेतन वृद्धियां न लगाये जाने के संबंध में कार्यवाही

123 —**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज झाँसी में 1972 से अब तक किन-किन अध्यापिकाओं को दक्षारोक पार नहीं कराया गया तथा किन-किन अध्यापिकाओं की वेतन वृद्धियां नहीं लगाई गईं ? प्रबन्धाधिकरण के विभागीय नियमों के विरुद्ध कार्यकलाप के औचित्य की जाँच क्या शासन ने की है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा शासन अब इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पंचायत राज विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कच्चे मार्गों का निर्माण कार्य

124—**श्री हरी किशन श्रीवास्तव,**

श्री रेवती रमण सिंह तथा

श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 एवं 1979 में पंचायत राज विभाग ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितने किलोमीटर कच्चे मार्गों का निर्माण किया है ? वर्तमान शासन उन मार्गों के रखरखाव के लिये क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्रश्नगत वर्षों में पंचायत राज विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 31,440,34 कि० मी० लम्बे कच्चे मार्गों का निर्माण कराया गया । इन मार्गों का रखरखाव ग्राम सभाओं द्वारा श्रमदान तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तर प्रदेश से कराया जा रहा है । वर्षा तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत, उन पर सीलिंग एवं पुलियों के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा को वर्ष 1980-81 में 10 करोड़, 1981-82 में 3 करोड़ तथा वर्ष 1982-83 में 7 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय में हरिजनों द्वारा की गई हड़ताल तथा मांगों पर निर्णय

125—**श्री रामलाल वर्मा**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में हरिजनों द्वारा किन मांगों को लेकर दिनांक 17-9-82 से हड़ताल प्रारम्भ की गयी तथा प्रश्नगत हड़ताल कब तक चली ? शासन द्वारा उनकी मांगों के संदर्भ में क्या निर्णय लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

हरिजनों द्वारा गढ़वाल विश्वविद्यालय में एक कर्मचारी को निलम्बित किये जाने, नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को लिया जाना, आरक्षण का कोटा पूरा करना, एक कर्मचारी के साथ छुआ-छूत की घटना, इन कर्मचारियों के लिये मस्टररौल प्रथा समाप्त किया जाना, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना, अध्यापकों को आरक्षण के अनुसार भवन आवंटित करना, सहायक अधीक्षक, अधीक्षक एवं वरिष्ठ आशुलिपिक पदों पर पदोन्नति देना आदि मांगों को लेकर 17-9-82 से हड़ताल की गयी और 23-9-82 को समाप्त हुई। कतिपय मांगों को विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया। शासन द्वारा कोई कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा सत्र के दौरान सेवा निवृत हुये अध्यापकों को शिक्षा सत्र के अन्त तक कार्य करने का आदेश

126—**श्री सत्यपाल सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत जिला परिषद् (बेसिक शिक्षा परिषद्) के विभिन्न प्राइमरी पाठशालाओं तथा कन्या पाठशालाओं में ऐसे कौन-कौन से अध्यापक तथा अध्यापिकायें हैं जिनकी आयु गत शिक्षा सत्र में ही 60 वर्ष पूरी हो चुकी थी और उन्हें मात्र बीच शिक्षा सत्र में कार्यमुक्त होने से रोकने के लिये तौसी (सेवा) का अवसर दिया गया था ? यदि हाँ, तो अब इस सत्र में इन्हें कार्य करने का मौका किस शासनादेश के आधार पर तथा क्यों दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के नियम 29 में यह प्राविधान है कि यदि कोई अध्यापक शिक्षा सत्र के दौरान सेवा निवृत होता है तो वह शिक्षा सत्र के अन्त तक अर्थात् 30 जून तक कार्य करता रहेगा। उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड तिलहर के अन्तर्गत श्री गुलाम हुसैन, प्रधान अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, तिलहर को शिक्षा सत्र 1981-82 में 30 जून, 1982 तक नियमानुसार सेवा वितरण पैदा किया गया था। उक्त सत्र की समाप्ति के पश्चात् उन्हें कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई है।

खण्ड विकास अधिकारी, चौखोटिया, जनपद अल्मोड़ा द्वारा पटल गाँव कन्या प्राइमरी विद्यालय के जीर्णोद्धार हेतु श्री लक्ष्मण सिंह को कार्य का कथित भुगतान

127—**श्री जसवन्त सिंह बिष्ट**—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पटल गांव कन्या प्राइमरी विद्यालय

का जीर्णोद्धार खण्ड विकास अधिकारी, चौखोटिया, जनपद अल्मोड़ा द्वारा वर्ष 1980 में वर्क आर्डर से श्री लछमण सिंह पुत्र श्री तेज सिंह ग्राम खत्थाड़ी विकास खण्ड चौखोटिया ने किया है और श्री लछमण सिंह जी को अभी तक इस कार्य का भुगतान नहीं दिया गया है ? यदि हाँ, तो इसका भुगतान सरकार अबिलम्ब करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बखशी—

जी नहीं।

प्रश्नगत विद्यालय की मरम्मत हेतु खंड विकास अधिकारी चौखोटिया, अल्मोड़ा द्वारा वर्ष 1980 में कोई वर्क आर्डर श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री तेज सिंह को नहीं दिया गया था। अतः उनको उस कार्य का भुगतान किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला फैजाबाद स्थित नरेन्द्र देव इण्टर कालेज में शिक्षकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी सी० टी० डी, पी० एफ० तथा बीमे की धनराशि को संबंधित खाते में जमा किया जाना

128—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जलालपुर, जिला फैजाबाद स्थित नरेन्द्र देव इण्टर कालिज में वर्ष 1976 से कार्यरत शिक्षकों तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के वेतन से प्रति मास काटे जाने वाली सी० टी० डी० पी० एफ० तथा बीमा की धनराशि कितनी-कितनी है और इन मदों से सम्बन्धित खातों में कब व कितनी-कितनी धनराशि जमा की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बखशी

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

जलालपुर स्थित नरेन्द्र देव इन्टर कालेज को रिइम्बर्समेन्ट स्वरूप मिली धनराशि

129—**श्री राम आसरे वर्मा—**

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 5 वर्षों में फैजाबाद की जलालपुर स्थित नरेन्द्र देव इण्टर कालेज को किन-किन वर्षों में तथा कितना-कितना धन रिइम्बर्समेंट स्वरूप मिला है और गत 5 वर्षों में वर्ष वार कितना-कितना धन वेतन एकाउन्ट एवं प्रबन्धक में जमा हुआ ? क्या यह सही है कि उपरोक्त प्राप्त धन नियमानुसार सम्बन्धित खातों में जमा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बखशी—

गत 5 वर्षों में केवल वर्ष 1978-79 में कक्षा 6 के छात्रों की क्षतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट) स्वरूप रुपया 90-00 मात्र विद्यालय को मिला है।

विद्यालय के कार्यालय में दोनों पक्षों के ताले लगे हैं, जिससे अभिलेख उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। ताले खुलने के पश्चात ही वस्तुस्थिति की जानकारी हो सकेगी तथा तभी यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आगरा जिले के पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभागीय लिपिक श्री परमाल सिंह राना द्वारा की गई शिकायतें

130—**श्री विजय सिंह राना**—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले के पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध विभागीय लिपिक श्री परमार सिंह राना ने 1 सितम्बर, 1982 से आमरण अनशन करने की पूर्व सूचना दी थी यदि हां, तो इसमें श्री परमार सिंह की मुख्य शिकायतें क्या थीं और उन पर कोई जांच कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। इसमें श्री परमाल सिंह राना की निम्न मुख्य शिकायतें थीं :—

(1) श्री मोहम्मद अब्बास सहायक आंकिक (पंचायत) के विरुद्ध गबन, धोखाधड़ी फर्जीपन एवं भ्रष्टाचार आदि गम्भीर आरोपों के कारण हुए स्थानान्तरण का उल्लेख करते हुए विभागीय जांच की जाय।

(2) माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को गलत बताते हुए लिखा था कि स्थगन आदेश तोड़ा जाय।

(3) श्री परमाल सिंह राना कनिष्ठ लिपिक के अवशेष देयों का निस्तारण किया जाय।

(4) श्री विनोद कुमार शर्मा, कनिष्ठ लिपिक की सहायक आंकिक के पद पर अनियमित नियुक्ति।

(5) ग्राम पंचायत अधिकारियों की अनियमित नियुक्ति।

(6) श्री अब्बास के पक्षधर श्री रमेशचन्द्र गर्ग वर्तमान जिला पंचायत राज अधिकारी को हटाया जाय।

उक्त शिकायतों की जांच की गयी उनकी शिकायतों के संबंध में मुख्य विकास अधिकारी आगरा के पत्रांक 290 दिनांक 28-8-82 द्वारा श्री राना को उत्तर दे दिया है जिसके आधार पर उन्होंने अनशन नहीं किया।

अध्यापकों के वार्ड की शिक्षण शुल्क से मुक्त करने की व्यवस्था तथा शासन द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान

131—**श्री माता प्रसाद पाण्डेय**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यापकों के वार्ड (छात्र) की शिक्षण शुल्क मुफ्त करने के साथ सरकार द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण शुल्क के मुक्ति से जो क्षति होगी उसे शासन क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करेगी ? यदि हां, तो बस्ती के कितने विद्यालय के अध्यापक के पाल्लयों और किन-किन विद्यालयों को उक्त भुगतान अभी तक नहीं किया गया, क्या सरकार भुगतान करने के लिए सोच रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षा शुल्क का भुगतान

132—**श्री माता प्रसाद पांडेय—**

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले में माध्यमिक विद्यालय कितने हैं और उन विद्यालयों में से कक्षा 6 का शिक्षा शुल्क गत कितने वर्षों से किन-किन विद्यालयों को नहीं भुगतान हुआ ? किस-किस विद्यालय का कितना-कितना धन बकाया है ? इसे भुगतान करने के लिए सरकार सोच रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के रिक्त स्थान एवं नियुक्ति

133—**श्री फखरे आलम—**

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स के कितने स्थान थे और उनमें से कितने स्थानों पर नियुक्ति हुई तथा कितने स्थान रिक्त हैं ? यदि स्थान रिक्त हैं तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

श्री जगदीश सिंह, प्रवक्ता, इण्टर कालेज दुबारी, आजमगढ़ को लगातार अनुपस्थित रहने के बाद वेतन भुगतान के विरुद्ध कार्यवाही

134—**श्री मोहन सिंह—**

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जगदीश सिंह, प्रवक्ता, इण्टर कालेज दुबारी, आजमगढ़ के लगातार विद्यालय से अनुपस्थित रहने के बाद भी साधिकार नियंत्रक द्वारा अनियमित वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र दिनांक 10-12-80 अथवा उसके आसपास शासन को मिला है ? यदि हाँ, तो अनियमित वेतन भुगतान के संबंध में शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड खैराबाद, ऐलिया, परसेड़ी में स्थित जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापकों की संख्या तथा छात्र संख्या

135—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड खैराबाद

ऐलिया तथा परसेडी में स्थित जूनियर हाईस्कलों (बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित) में वहाँ की छात्र संख्या तथा विषयों को देखते हुए कितने-कितने अध्यापक विद्यालयवार चाहिए और कितने-कितने अध्यापक आज हैं ? जो अध्यापक कम हैं उनकी नियुक्ति कब तक हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद सीतापुर के विकास खंड खैराबाद, ऐलिया तथा परसेड़ी में स्थित एवं बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में विद्यालयवार छात्रों, अध्यापकों तथा आवश्यकता से कम अध्यापकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। संलग्न विवरण के स्तम्भ-4 में छात्रों की संख्या तथा स्तम्भ 3 में छात्र संख्या तथा विषयों को देखते हुये आवश्यकतानुसार वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की संख्या दी गई है। अध्यापकों की आवश्यकतानुसार विकास खंड खैराबाद के जूनियर हाईस्कूल नैरपुर व खरैया खानों में, विकास खंड ऐलिया के जूनियर हाई स्कूल तिहार में तथा विकास खंड परसेड़ी के जूनियर हाईस्कूल चमेघी, तालगाँव व कन्या क्रमोत्तर विद्यालय परसेड़ी में अध्यापकों के एक एक पद कम हैं। उक्त अध्यापकों के 6 रिक्त पदों पर नियुक्त हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा यथाशीघ्र नियुक्तियाँ कर दी जावेगी।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ···पर)

परिषदीय जूनियर हाईस्कूल रखौना, जिला सीतापुर में अनुसूचित तथा पिछड़ा वर्ग के छात्र तथा दी गई छात्रवृत्ति

136— **श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिषदीय जूनियर हाई स्कूल ग्राम रखौना, विकास खंड परसेड़ी, जिला सीतापुर में वित्तीय वर्ष 1981-82 में अनुसूचित तथा पिछड़ा वर्ग के कितने छात्र थे तथा हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति कितनों को मिली ? वर्ष 1982-83 में इसी प्रकार हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग के कितने छात्र हैं तथा कितनों को छात्रवृत्ति दी जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बदायूं में प्राइमरी तथा जूनियर हाईस्कूल

137—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982-83 में जनपद बदायूँ में कितने प्राइमरी स्कूल एवं कितने जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत किये गये इनको खोले जाने हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति ने क्या-क्या निर्णय लिया था ? क्या उक्त निर्णय के आधार पर ही उक्त स्कूल खोले जा रहे हैं ? यदि हां, तो उक्त स्कूल किन-किन स्थानों पर खोले जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1982-83 में जनपद बदायूँ हेतु 10 प्राइमरी तथा 4 जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत किये गये। जिला सलाहकार समिति ने अपनी बैठक दिनाँक 3-7-82 में पारित प्रस्ताव द्वारा निम्न स्थानों पर विद्यालयों को खोले जाने का सुझाव दिया था :—

जूनियर हाई स्कूल	प्राइमरी स्कूल
1 हथरा बजीरगंज	1 मोगरी टेटई
2 गुधनी अम्बियापुर	2 फरीदपुर
3 सेहरा पश्ता झुकसा	3 कमालपुर
4 पडब्बा जगत	4 बारी खेड़ा
	5 गिरगिट नगला
	6 बुद्ध नगर
	7 सदर उद्दीनपुर
	8 टोडलपुर
	9 नगर बदायूं
	10 बिल्सी नगर क्षेत्र

जिली सलाहकार समिति द्वारा सुझाये गये सभी स्थानों पर विद्यालय नहीं खोले गये क्योंकि जिला बेसिक शिक्षा समिति, जो स्कूल खोलने हेतु स्थान का चयन करने में सक्षम है के निर्णयानुसार स्कूलों को खोला गया है। जिला सलाहकार समिति के उपरोक्त प्रस्ताव में सुझाये गये स्थानों में जिला बेसिक-शिक्षा समिति के निर्णयानुसार एक जूनियर हाई स्कूल गुधनी-अम्बियापुर के स्थान पर जड़वार गुन्नार में तथा चार प्राइमरी स्कूल मोगरी टेटई, कमालपुर, बारी-खेड़ा व सदर उद्दीनपुर के स्थान पर क्रमशः बस्तरा बुनियादपुर, सुजातगंज, एस्तोर सहसवान भ्रन्द्र क्षेत्र उसावां व दन्ड़वारा क्षेत्र जुनार्वड़ में खोले गये हैं तथा शेष विद्यालय जिला सलाहकार समिति के सुझाव के अनुसार ही खोले गये हैं।

जिला शिक्षा सलाहकार समिति में स्थानीय विधायक गण एवं संसद सदस्य

138—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद**—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला शिक्षा सलाहकार समिति में स्थानीय विधायक गण एवं संसद सदस्य इसके सदस्य हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी अध्यक्षता विधायकगण अथवा सांसदों द्वारा की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

कुमारी शान्ती सिंह, प्रधानाध्यापिका का स्थानान्तरण निरस्त करने के आदेश

139—**श्री मोहम्मद अबरार अहमद**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कन्या पाठशाला, जू०हा० स्कूल, कुँवरगांव, जनपद बदायूँ की प्रधानाध्यपिका कु० शान्ति सिंह का वर्ष 80-81 में क्षेत्रीय जनता की शिकायतों पर स्थानान्तरण जिला प्रशासन द्वारा किया गया था ? यदि सही है कि उक्त अध्यापिका को उसी विद्यालय में पुनः स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो इस का क्या औचित्य है ? इस संबंध में श्री मोहम्मद असरार अहमद, संसद सदस्य का दिनांक 24-8-82 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

कुमारी शान्ती सिंह, प्रधानध्यापिका का स्थानान्तरण वर्ष 1982-83 में बिना जिला स्थानान्तरण समिति की स्वीकृति प्राप्त किये कन्या जूनियर हाई स्कूल कुंवरगाँव को पुनः कर दिया गया था । उक्त स्थानान्तरण निरस्त करने के आदेश सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दे दिये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जिला परिषद हरदोई द्वारा अध्यापकों की नियुक्तियों में अनियमितता के विरुद्ध कार्यवाही

140—श्री राम लाल वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद, हरदोई द्वारा मार्च 82 मे 109, जुलाई 82 में 90 तथा सितम्बर, 1982 में 48 अध्यापकों की नियुक्तियां जो की गयीं उनका विज्ञापन क्या कभी किसी समाचार पत्र द्वारा कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो किन-किन पत्रों में किस-किस दिनांक को रिक्त विषयक विज्ञापन कितने पदों हेतु प्रकाशित हुआ था ? क्या यह सत्य है कि इनमें कुछ ऐसे अध्यापकों की भी नियुक्ति की गयी जो कि निर्धारित उम्र से अधिक है तथा कुछ बी. टी. सी. प्रशिक्षित नहीं है ? यदि हां, तो उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों एवं कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती पर रोक

141—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के आदेश संख्या 3760/15(5)-80-449/76, दिनांक 9-9-80 के द्वारा प्रदेश के परिषद के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया गया ? जनपद उन्नाव में चतुर्थ श्रेणी के ऐसे कितने स्थान रिक्त हैं जो उक्त आदेश के कारण भरे नहीं जा सके हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश से नहीं बल्कि शासनादेश संख्या 3760/15 (5)-80-449/76, दिनाँक 9 सितम्बर, 1980 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों एवं कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती पर रोक लगा दी गई है । ऐसा बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन 1800 से अधिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के फालतू हो जाने तथा उन्हें समायोजित किये जाने के उद्देश्य से किया गया है । जनपद उन्नाव में उक्त आदेशों के कारण चतुर्थ श्रेणी के 7 स्थानों को नहीं भरा जा सका है ।

श्री पोत्तन दुबे, निवासी ग्राम ईसीपुर, जिला वाराणसी द्वारा पुनर्नियुक्ति के संबंध में दिया गया पत्र

142—**श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पोत्तन दुबे, निवासी ग्राम ईसीपुर, पोस्ट बड़ागांव, जिला वाराणसी ने दिनांक 7-6-1982 को तत्कालीन राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन, लखनऊ मंडल (श्रीमती प्रेमवती तिवारी) को कोई प्रार्थना-पत्र शिक्षा विभाग में अपनी पुनर्नियुक्ति के संबंध में दिया था ? यदि हां, तो श्री पोत्तन दुबे की पुनर्नियुक्ति हुई ? यदि नहीं हुई, तो कब तक हो जायगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पी०डी०एन०डी० इण्टर कालेज, चुनार मिर्जापुर में प्रबन्ध समिति के वैधानिक चुनाव एवं गठन के संबंध में कार्यवाही

143—**श्री राम चरण सिंह**—

विधान सभा के कार्यसूची 2 फरवरी, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी०डी०एन डी० इण्टर कालेज, चुनार मिर्जापुर में प्रसाशन योजना के अनुसार प्रबन्ध समिति का वैधानिक चुनाव एवं गठन कब तक हो जायेगा ? प्रबन्ध समिति के वैधानिक चुनाव एवं गठन अब तक न होने का क्या कारण है ? इसके लिये कौन दोषी है ? दोषी व्यक्ति के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर नारायनपुर, मिर्जापुर को बालकों के साथ मिश्रित करने या गाँवों में हटाने के सम्बन्ध में कार्यवाही

144—**श्री राम चरण सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनाँक 15-8-82 को एक पत्र कन्या प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर नारायनपुर, जिला मिर्जापुर को बालकों के साथ मिश्रित करने या अन्य गांवों में हटाने के सम्बन्ध में उन्हें लिखा था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोरसीया ठकुराई, मिर्जापुर में अध्यापिकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

145—**श्री राम चरण सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,

सीरसीया ठकुराई टोला खैरपुर, मिर्जापुर में स्वीकृत पद के अनुसार कितने अध्यापक कम हैं और उनकी कमी कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी

विद्यालय में कुल स्वीकृत 13 पदों में से दो पद रिक्त हैं। नियमित चयन अथवा स्थानान्तरण पर लगी रोक समाप्त होने के उपरान्त ही रिक्त पदों को भरना सम्भव होगा।

सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय नबाबगंज में आडिट आपत्ति में निस्तारण असंतोषजनक होने के विरुद्ध कार्यवाही

146—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त** —

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के नबाबगंज स्थित सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय का वर्ष 1976-77 में किये गये आडिट आपत्ति में निस्तारण कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या निस्तारण असंतोषजनक है ? यदि नहीं, तो दोषी लोगों के प्रति क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज, झांसी की अध्यापिकाओं के जी०पी०एफ० की कटौती

147—**श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज, झांसी की किन-किन अध्यापिकाओं का जी०पी०एफ० अभी तक कटना प्रारम्भ नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि शिक्षिकाओं के प्रार्थना-पत्र देने के बावजूद प्रबंधाधिकरण इस सम्बन्ध में उदासीन है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में शासन ने अगस्त, 82 तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज झाँसी की दो अध्यापिका श्रीमती गीता अवस्थी एवं कुमारी प्रमिला त्रिपाठी का जी०पी०एफ० कटना प्रारम्भ नहीं हुआ था।

प्रबंधाधिकरण द्वारा इन्हें प्राविडेण्ट फण्ड योजना में सम्मिलित करने का निर्णय ले लिया गया था। परन्तु उनके पत्रजातों में कुछ कमियों के कारण प्रकरण पर निरीक्षिका द्वारा कुछ आपत्तियां लगाई गई। आपत्तियां निराकृत हो चुकी हैं तथा दोनों अध्यापिकाओं का जी०पी०एफ० कटना प्रारम्भ हो गया है। अब कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है।

कन्या जूनियर हाई स्कूल कमासिन, जिला बांदा में सेविका के पद पर श्रीमती भगोनिया देवी को समायोजित करने की मांग

148—**श्री भीखा लाल**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्रांक बे. शि. प. 3268-एक-2/78-79, दिनांक 16-2-79 के द्वारा कन्या जूनियर हाई स्कूल, कमासिन विकास खण्ड कमासिन, जिला बांदा में सेविका के पद

पर श्रीमती भगोनिया देवी को समायोजित करने के आदेश दिये गये ? यदि हां, तो इसके बावजूद उक्त सेविका को वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद गाजीपुर में पंचायत चुनाव में पंचायत कर के रूप में वसूल की गई धनराशि

149—**श्री राम नारायण सिंह** (एडवोकेट)—

क्या पंचायत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में वर्ष 1982 में हुए पंचायत चुनाव में कितनी धनराशि पंचायत कर के रूप में वसूल की गयी है उसका विकास खण्डवार विवरण क्या है ? क्या सरकार विशेष आडिट दल नियुक्त करके पंचायत कर की वसूली की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

गाजीपुर जनपद में वर्ष 1982 में हुए पंचायत चुनाव में रुपये 2,58,771-35 की धनराशि पंचायत कर के रूप में वसूल की गयी है जिसका विकास खण्डवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	वसूली की गयी धनराशि
1	—गाजीपुर	19,162-90
2	—विश्नो	15,440-65
3	—करण्डा	9,370-05
4	—मरदह	14,723-13
5	—मुहम्मदाबाद	17,717-02
6	—कासिमाबाद	14 557-02
7	—वाराचवर	21,113-52
8	—भांवरकोल	20,154-79
9	—सैदपुर	22,630-69
10	—सादात	13,184-99
11	—जखनियां	6,424-44
12	—मनिहारी	15,021-24
13	—देवकली	6,852-45
14	—जमानियां	21,936-25
15	—रेवतीपुर	17,988-15
16	—भदौरा	22,494-06
		2,58,771-35

विशेष आडिट कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीरुपुर, बलिया की रजिस्टर्ड सोसाइटी, शिक्षा परिषद के निर्वाचित प्रबन्धक श्री विश्वनाथ तिवारी एवं प्रबन्धक समिति को अमान्य घोषित किये जाने का औचित्य

150—**श्री भोला पाँडेय**—

क्या शिक्षा मन्त्री बतानै की कृपा करेंगे कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीरुपुर, बलिया की रजिस्टर्ड सोसाइटी शिक्षा परिषद तथा इस विद्यालय के प्रशासन योजना के नियमान्तर्गत परिषद के सभी सदस्यों की उपस्थिति में सर्व सम्मति से विधिवत निर्वाचित प्रबन्धक श्री विश्वनाथ तिवारी एवं प्रबन्धक समिति को जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया द्वारा किस नियम के अन्तर्गत अमान्य कर दिया गया है यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नीरुपुर, बलिया में नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक को रखने का आधार

151—**श्री भोला पाँडेय**—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16 डी (4) के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नीरुत्तर, बलिया में 5-5-73 को नियुक्त प्राधिकृत नियंत्रक की समाप्ति आठवें वर्ष में 8-5-80 को किस आधार पर की गयी ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय के वैध प्रवन्धक, विश्वनाथ तिवारी ने सभी त्रुटियों का निराकरण मार्च, 1978 तक पांचवें वर्ष में ही कर दिया था और उचित माध्यम से शासन को सूचित कर दिया था और प्राधिकृत नियंत्रक कालातीत होने पर स्वतः समाप्त हो गया था ? यदि हां, तो प्राधिकृत नियंत्रक को 8-5-80 तक रखने का क्या आधार था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर में बी. टी. सी. प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों की नियुक्ति

152—**श्री उदयवीर सिंह**—

क्या शासन को ज्ञात है कि सन् 1971 के बी. टी. सी. प्रशिक्षित अध्यापक जिनकी संख्या जनपद शाहजहांपुर में लगभग 800 है नियुक्त न होने के कारण बेरोजगार घूम रहे हैं ? जबकि जनपद के सभी स्कूलों में वांछित संख्या में अध्यापक नहीं हैं ? यदि हां, तो शासन उनकी नियुक्ति की क्या व्यवस्था सुनिश्चित कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1971 में कुल 460 अभ्यर्थियों को बी. टी. सी. प्रशिक्षण हेतु चुना गया था अतः वर्ष 1971 के बी. टी. सी. प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापकों की संख्या 800 होने का प्रश्न नहीं उठता तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर के कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार सन् 1971 में बी. टी. सी. प्रशिक्षण प्राप्त कोई भी अभ्यर्थी रोजगार पाने के लिये शेष नहीं है । जनपद शाहजहांपुर के बे. शि.

प. द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में गत दो वर्षों से नियमानुसार अध्यापकों का समायोजन न किये जाने के कारण कुछ विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक तथा कुछ विद्यालयों में आवश्यकता से कम अध्यापक तैनात हैं। इसे नियमानुसार अध्यापकों के समायोजन से ठीक करने हेतु आदेश निर्गत कर दिये हैं। जनपद शाहजहाँपुर में प्राइमरी स्कूलों में वर्तमान में सहायक अध्यापकों के 43 पद रिक्त हैं, जिन पर चयन की कार्यवाही भी करली गई थी, परन्तु उक्त चयन के आधार पर नियुक्ति के मामले में न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने के कारण उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही न्यायालय के अन्तिम निर्णय के पश्चात् ही संभव हो सकेगी ।

आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई की बी. ए. द्वितीय वर्ष की छात्राओं को भेजी गयी अंक तालिकाएं

153— **श्री प्रमोद कुमार—**

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या महाविद्यालय, हरदोई की वर्ष 1982 की बी. ए. द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं के अंक पत्र अभी तक कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा कालेज को न भेजे जाने का क्या कारण है ? क्या मन्त्री जी अंक पत्र उक्त विद्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार आर्य कन्या महाविद्यालय हरदोई की बी. ए. द्वितीय वर्ष 1982 की संस्थागत छात्राओं की अंकतालिका दिनांक 5 अक्टूबर, 1982 को विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को भेज दी गई थी। व्यक्तिगत छात्राओं की उक्त परीक्षाओं का परीक्षाफल 26 फरवरी, 1983 को घोषित किया गया और उसकी अंक तालिकायें भी सम्बन्धित अभ्यर्थियों को 5 मार्च 1983 को भेजी जा चुकी हैं।

श्री रामदवर आत्मज श्री देवीदीन का शिकायती पत्र तथा पुलिया का निर्माण न होने के विरुद्ध जांच

154—**श्री पंचानन राय—**

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के संदर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामदवर आत्मज श्री देवीदीन के शिकायत की जांच तहसीलदार सदर द्वारा करायी गयी थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि पुलिया का निर्माण न होने से पानी का निकास अवरुद्ध हो गया है ? क्या इसकी जांच किसी उच्चाधिकारी से करायी गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर में माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय तथा शिक्षकों को प्रदत्त सुविधायें

155—**श्री प्रभू नारायण सिंह—**

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों

से सम्बद्ध कितने प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं और उनमें कुल कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या सरकार इन शिक्षकों को भी वही सुविधायें प्रदान करेगी जो इनके समकक्ष अन्य प्राथमिक शिक्षकों को उपलब्ध हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जी.एन.के. इंटर कालेज, कानपुर के प्रधानाचार्य द्वारा अनधिकृत शुल्क वसूली के विरुद्ध शिकायत पर कृत कार्यवाही

156—**श्री पंचानन राय—**

द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच के समय शिकायत-कर्त्ताओं को साक्ष्य के लिये न बुलाये जाने का क्या कारण है शिकायतों को सही पाये जाने पर शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16 (डी) के अन्तर्गत नोटिस कब जारी किया गया तथा यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जांच के समय शिकायतकर्त्ताओं को इसलिये नहीं बुलाया गया क्योंकि शिकायत के साथ संलग्न जी०एन०के० इण्टर कालेज कानपुर के प्रधानाचार्य द्वारा प्रसारित शुल्क विवरण सूची ही अनाधिकृत शुल्क वसूली सिद्ध करने, के लिये पर्याप्त थी । शिकायतों के सही पाये जाने पर प्रबन्धक के विरुद्ध शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16 डी के अन्तर्गत कार्यवाही की गई तथा प्रबन्धक को 16 डी (2) का नोटिस दिनाँक 23-2-1983 को निर्गत किया गया । प्रबन्धक का उत्तर प्राप्त होने तथा क्षेत्राधिकारियों एवं शिक्षा निदेशक से आख्या प्राप्त होने के उपरान्त 16 डी की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

शिक्षा निदेशक द्वारा आडिट आपत्तियों की मांगी गयी अनुपालन आख्या

157—**श्री पंचानन राय—**

द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-7-81 को शिक्षा निदेशक द्वारा आडिट आपत्तियों की अनुपालन आख्या मांगी जाने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा एक वर्ष तक उसे उपलब्ध न कराने के लिए सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या अनुपालन आख्या अब प्राप्त हो गयी है ? यदि हाँ, तो उस आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के कालातीत प्रबन्धाधिकरण को प्राप्त अनुरक्षण तथा अन्य अनुदान तथा आदर्श इंटर कालेज, मानिकपुर बांदा के सन्दर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय

158—**श्री पंचानन राय—**

द्वितीय सत्र 82 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 44

के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि कालातीत प्रबन्धाधिकरणों को विभाग तथा शासन द्वारा सभी अधिकार युक्त नहीं मान्य किया जाता रहा तो उन्हें अनुरक्षण तथा अन्य अनुदान यथावत् कैसे मिलते रहते हैं ? उनके द्वारा नियुक्त शिक्षक एव अन्य कर्मचारी किस आधार पर विधि मान्य माने जाते रहे हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

159—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र जांच हेतु अग्रसारित होकर 28 मार्च, 1982 के आस पास उन्हें मिला ? यदि हाँ, तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राष्ट्र सेवा सदन हा.से. स्कूल सेडना, फरीदपुर, जिला बुलन्दशहर के लेखा परीक्षा में गम्भीर अनियमितायें

160—**श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राष्ट्र सेवा सदन हा०से० स्कूल सेडना, फरीदपुर, जिला बुलन्दशहर में वर्ष 1976-77 से 1979-80 तक अवधि में स्थानीय निधि लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा में गम्भीर अनियमितताएँ पाई गयी थीं ? यदि हां, तो वे अनियमितायें क्या थीं तथा उस बारे में शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

नेहरु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहोर, जौनपुर को हाईस्कूल की मान्यता, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के पद सृजन और नियुक्ति के लिए अनुमोदन

161—**श्री हरदेव—**

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नहोर, जौनपुर को हाई स्कूल की मान्यता कब मिली और वहां के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को पद सृजन और नियुक्ति के लिये अनुमोदन कब लिये गये ? क्या यह सत्य है कि बिना अनुमोदन प्राप्त किए उक्त विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री सत्यदेव सिंह से गत सात वर्षों से अध्यापन कार्य कराया गया ? यदि हां, तो क्या इस शिक्षक की सेवाओं को देखते हुए इन्हें नियमित मान लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जनपद जौनपुर के माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक योजना

162—**श्री प्रभू नारायण सिंह**—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कितने माध्यमिक विद्यालयों में बुक बैंक योजना लागू है तथा इस योजना से शिक्षा सत्र 1981-82 में कितने छात्र लाभान्वित हुए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जनपद के शिक्षकों द्वारा शिक्षा निदेशक, लखनऊ स्थित कार्यालय पर धरना तथा समस्याओं का निराकरण

163—**श्री पंचानन राय**—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन 12 शिकायतों का निराकरण किया गया है और शेष 15 शिकायतों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंटर कालेजों में तदर्थ नियुक्तियां

164—**श्री राम चरण सिंह** —

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1981-82 व 82-83 में हा० स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों में कितने अध्यापकों की एडहाक नियुक्ति सी०टी०, एल०टी०, एवं प्रवक्ता के पद पर किस तारीख एवं किन-किन विद्यालयों में की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत अवधि में मिर्जापुर जनपद के अन्तर्गत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इण्टर कालेजों में निम्न विवरण के अनुसार तदर्थ नियुक्तियाँ की गई हैं :

बालिकों के विद्यालय

पद	
प्रवक्ता	1
एल०टी०	2
सी०टी०	39

बालिकाओं के विद्यालय

प्रवक्ता — 1
एल०टी० — 4
सी०टी० — 3

नियुक्तियों का संस्थावार एवं तिथिवार विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी "क्ष" आगे पृष्ठ""पर ।)

श्री वीरेन्द्र कुमार, सहायक अध्यापक, आचार्य जे.बी. कृपलानी उ. मा. वि. जमालपुर, बलिया के भुगतान के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों पर रोक

165—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1982 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं० 158 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा शिक्षा निदेशक के आदेश दिनांक 27-4-81 जिसके द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को भुगतान के आदेश दिये गये हैं पर कोई रोक लगा दी गयी है ? अवशेष भुगतान के विरुद्ध प्रबन्धक द्वारा मंडलीय उप शिक्षा निदेशक के यहाँ अधिनियम के किस धारा के अन्तर्गत अपील की गयी है और उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

श्री कमला प्रसाद सिंह, शाखा मन्त्री गाँधी विद्यालय इण्टर कालेज, मारुफपुर, मर्यादिपुर आजमगढ़ की शिकायतों की जांच

166—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 195 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री कमला प्रसाद सिंह शाखा मन्त्री गाँधी विद्यालय इण्टर कालेज, मारूफपुर, मर्यादिपुर, आजमगढ़ की संदर्भित शिकायतों की जाँच पूरी हो चुकी है ? यदि हाँ, तो जांच रिपोर्ट क्या है और उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(12 बज कर 20 मिनट)

(व्यवधान)

प्रश्नों के उत्तर स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री पंचानन राय—**

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री पंचानन राय

मान्यवर, जो प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश आपके यहाँ से जारी हुए हैं उसके पृष्ठ 7 पर लिखा है कि शासन किसी प्रश्न को एक बार से अधिक नहीं स्थगित करायेगा। मेरे प्रश्न 3-3 बार स्थगित कराये गये हैं। तो मैं आपका संचरण चाहता हूँ, अथवा इस तरह से तो प्रश्न पूछने का कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा। इस समय के मिल जाने पर अधिकारियों को रेकार्ड्स की टेम्परिंग करने का अवसर मिल जाता है और वे, मेरी सूचना है कि रेकार्ड्स को मैनुपुलेट किया जा रहा है। आप मान्यवर, शासन को निर्देश दें कि सवालों के उत्तर शीघ्र दिये जांय और किसी भी प्रश्न को एक बार से अधिक बार स्थगित न किया जाय।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त** —

जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य आजमगढ़, ने उठाया है, मेरा भी आज प्रश्न संख्या 159 (अतारांकित) है, उसका उत्तर नहीं मिला। हम बार-बार जब भी प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत उठाते हैं तो उन सवालों को बार-बार टाल दिया जाता है। इस तरह से प्रश्नों को टालना आपकी प्रक्रिया नियमावली की स्पष्ट अवहेलना है और यह शासन की बदनीयती का भी परिचायक है। इसलिये इस की आप कोई व्यवस्था करें ताकि प्रश्नों को बार बार न टाला जा सके।

श्री अध्यक्ष —

माननीय शिक्षा मन्त्री जी, कृपया आज के एजेण्डे के अतारांकित प्रश्न संख्या 155, 158, 157, 153, 159, 161, 162, 163 आदि को देखें। ये प्रश्न माननीया शिक्षा मंत्री जी से ही सम्बन्धित हैं। मैं यह निवेदन करूँगा कि वे इन प्रश्नों को खास तौर से देख लें कि कहीं कोई गड़बड़ तो विभाग द्वारा नहीं हुई है और सूचना क्यों नहीं आयी है। भविष्य में भी आप कृपया यह देख कर ही निर्णय लिया करें। देर होने से माननीय सदस्यों को परेशानी होती है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में इस ओर विशेष ध्यान रखा जाय और ऐसी चीज नहीं होनी चाहिये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी —

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

जाजमऊ सीवेज पम्पिग स्टेशन (कानपुर) द्वारा रुमा एवं चकेरी माइनर को गन्दा पानी न देने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष —

आज नियम 301 के अन्तर्गत 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें 5 सूचनाओं को स्वीकार किया है और वे हैं—श्री भूधर नारायन मिश्र, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री जसवन्त सिंह विष्ट और श्री नन्द किशोर सिंह की। शेष सूचनाओं को मैंने अस्वीकार किया है।

श्री भूधर नारायण मिश्र —

अध्यक्ष महोदय, जलसंस्थान, कानपुर द्वारा संचालित, जाजमऊ सीवेज पंपिग स्टेशन के अधिकारियों की लापरवाही के कारण रूमा माइनर एवं चकेरी माइनर के पचासों ग्रामों की फसल सूख रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाजमऊ सीवेज पम्पिग स्टेशन (कानपुर) द्वारा रूमा एवं चकेरी माइनर को 1093 गन्दा पानी न देने से फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

जाजमऊ पंपिंग स्टेशन जल संस्थान कानपुर के नियंत्रण में है। उसके आठ पम्पों में से केवल तीन छोटे पम्प चालू हालत में हैं और शेष पाँच बड़े पम्प खराब पड़े हैं। इस प्रकार गन्दा पानी जो फसल के लिए बेहद उपजाऊ है, को गंगा में बहाकर प्रदूषण किया जा रहा है। उक्त पानी किसानों को न देने से वहाँ के किसानों में आक्रोश पैदा हो गया है और किसी समय कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

कृपया शासन को आदेश देकर तुरन्त बन्द पाँचों पम्पों को चलवाने का कष्ट करें ताकि उक्त क्षेत्र के किसानों की फसल का उत्पादन ठीक हो सके।

ग्राम अमरापुर थाना खैराबाद (सीतापुर) स्थित भट्टे पर हरिजन युवतियों के साथ बलात्कार किये जाने तथा पुलिस द्वारा रिपोर्ट न लिखे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

अध्यक्ष महोदय, मान्यवर, इस निरन्तर गिरती हुई शांति एवं व्यवस्था की दशा में अब तक किसी की भी इज्जत सुरक्षित न होने की अतीव दर्दनाक घटना आपके माध्य से शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 9 मार्च की रात, थाना खैराबाद जिला सीतापुर के ग्राम अमरापुर स्थित एक भट्टे पर 7 शस्त्रधारी बदमाश अचानक पहुँचे। वहाँ रहने वाली मध्य प्रदेश की 7 मजदूर हरिजन औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार किया। औरतों के अनुसार पुरुष मजदूरों को मारा पीटी तथा बन्दूक की नोंक पर उनकी इज्जत लूट ली। दो घण्टे तक यह हृदय विदारक तांडव चलता रहा। सर्वाधिक चिंता की बात यह है कि दिन भर प्रयास करने पर भी स्थानीय पुलिस ने मामले की रिपोर्ट तक नहीं लिखी। तथा तार देकर रिपोर्ट लिखाई गयी। बदमाशों के नाम बताये जाने पर भी अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। निराश सभी मजदूर परिवार मध्य प्रदेश वापस चले गये। घटना से पूरे क्षेत्र में आतंक तथा भय व्याप्त है। मैं असामाजिक तत्वों के खिलाफ कटोर कार्यवाही करने, भट्टे पर सुरक्षा प्रदान करने तथा पुलिस की ढिलाई के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की माँग करता हूँ।

बस्ती में विश्व स्वास्थ्य संगठन से बालकों एवं बाढ़ पीड़ितों के वितरण हेतु प्राप्त दुग्ध चूर्ण एवं दलिया को अधिकारियों द्वारा चोर बाजारी में बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री माता प्रसाद पांडेय—**

अध्यक्ष महोदय, बस्ती जनपद में विश्व स्वास्थ्य संगठन के माध्यम से भारी मात्रा में दुग्धचूर्ण, दलिया बालकों तथा बाढ़ पीड़ितों में वितरण हेतु अधिकारियों को उपलब्ध कराया गया था परन्तु वह वांछित लोगो में न वितरित करके कागज पर वितरण दिखाकर बहुत सा हिस्सा चोर बाजारी में बेच दिया गया। एक हजार बोरी पकड़े जाने के भय से अधिकारियों ने जिला विकास अधिकारी के कार्यालय के गोदाम के पीछे गोपनीय स्थान पर जमीन में गढ़ढ़ा खोदकर ढकवा दिया गया है। पानी बरस जाने से अब वह दुग्ध चूर्ण बर्बाद हो गया। जिस स्थान पर यह दुग्ध चूर्ण है, उसको मैंने तथा बहुत से पत्रकारों ने देखा है।

अतः आपके माध्यम से शासन से माँग करता हूँ कि इस घटना की जाँच करायें तथा उक्त स्थान पर रखें दुग्ध और दलिया को बरामद करके दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसान नेता श्री सुभाष कुर्मी और श्री दीना के बरेसर ड़ाना (गाजीपुर) को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री जसवन्त सिंह विष्ट—**

अध्यक्ष महोदय, मैं उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रशन सदन में उठाना चाहता हूँ:—

मुझे यह जानकारी मिली है कि इंडियन पिपुल्स फ्रन्ट उ० प्र० के कार्यकर्ता श्री सुभाष कुर्मी और दीना को बरेसर थाना, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर की पुलिस ने 19, फरवरी 1983 को उग्रवादी कहकर गिरफ्तार किया है तथा थाने में बहुत परेशान किया है और फर्जी मुठभेड़ में मारने के बहाने एक थाने से दूसरे थाने में ले जाते रहे। चूंकि ये दोनों व्यक्ति किसान नेता हैं, इसलिये इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्हें असामाजिक तत्व बतला कर समाप्त करने का प्रयास जारी है।

प्रबल जनप्रतिरोध के बाद भी इन नेताओं को रिहा नहीं किया जा रहा है। मेरी यह मांग है कि किसानों के इन शुभचिंतकों को शीघ्र रिहा किया जाय।

कसाब मरयाद पुर (आजमगढ़) में सर्वदलीय सभा के श्रोताओं पर पुलिस द्वारा मारपीट एवं नेताओं के अपमानित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

***श्री नन्द किशोर सिंह—**

महोदय, आपके माध्यम से एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि कस्बा मरियादपुर थाना मधुवन जिला आजमगढ़ में 12 मार्च, 83 को एक सर्वदलीय सभा दिन के 12 बजे हो रही थी कि मधुवन की पुलिस पूरे हथियारों से लेस होकर के सभा स्थल पर पहुँच गयी और राजनीतिक नेताओं को बुरी तरह से मारपीट करके 32 लोगों को जबरिया बन्द कर दिया और श्रोताओं को को भी लाठियों से मार कर भगा दिया। जिसमें समाजवादी नेता श्री विष्णु देव गुप्त, छात्र नेता रमाशंकर और भू० पू० एम० पी० शिवराम राय सहित लोगों को थाने में ले गये और थाने में जूते डण्डे से सभी लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा।

अस्तु मा० सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को लेकर माननीय मुख्य मंत्री से आवश्यक कार्यवाही करने तथा सम्पूर्ण मामले की जाँच कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्री यदुनाथ सिंह तथा श्री किरनपाल सिंह की गिरफ्तारी व रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अधीक्षक जिला जेल, मिर्जापुर ने अपने वारलेस संदेश, दिनांक 10 मार्च, 1983 जो दिनांक 11 मार्च, 1983 को प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री यदुनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा को अपराध संख्या 22।83, अन्तर्गत धारा 188 भारतीय दण्ड विधान में दिनांक 10 मार्च, 1983 को रिहा कर दिया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर ने अपने वायरलेस संदेश दिनांक 11 मार्च, 1983, जो उसी दिन प्राप्त हुआ, में सूचित किया है कि श्री किरनपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा को मुकदमा अपराध संख्या 182, अन्तर्गत धारा 188।147।452 427 भारतीय दण्ड विधान तथा धारा 7 क्रिमिनल ला अमेडमेंट ऐक्ट, थाना कोतवाली सिटी, बुलन्दशहर में दिनांक 12 मार्च, 1983 को गिरफ्तार किया गया है।

सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना जेल अधीक्षक द्वारा भेजे जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, इस संबंध में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आप नियम 80 देखें, उसमें यह व्यवस्था है—जो हम लोगों का विशेषाधिकार है, अगर कहीं कोई सदस्य निरुद्ध किया जाएगा तो उसकी जानकारी माननीय सदन को और माननीय अध्यक्ष को मिलेगी। उसमें यह लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग सदस्यों की गिरफ्तारी आदि की सूचना देंगे, लेकिम इधर इसका पालन नहीं हो रहा है। मैं इस सदन में पहले भी इसे उठा चुका हूँ कि यह जानकारी निरीक्षक, जेल अधीक्षक के माध्यम से यहाँ न आया करे। फिर भी यहाँ पर जानकारी अधीक्षक जेल के माध्यम से आती है। यह माननीय सदस्यों की गरिमा का सवाल है कि इसकी सूचना किसके माध्यम से आयेगी, लेकिन यथोचित सम्मान जन-प्रतिनिधियों को नहीं मिल रहा है और शासन उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए मैं संसदीय कार्य मंत्री का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जब पहले मैंने इसे सदन में उठाया था तो उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने आदरणीय सदन में क्षमा याचना करते हुए इस बात का वायदा किया था कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जाएगी। मानमीय अध्यक्ष महोदय, आप भी अपने कार्यलय को निर्देश देने की कृपा करें कि इस संबंध में जो एक विहित प्रपत्र है उससे भिन्न फार्म में यदि सूचना आती है, या भिन्न अधिकारी से आती है तो आप उसे अस्वीकार कर दिया करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

इससे पहले जो कुछ हुआ था, उसमें मुख्य सचिव को आदेश दिये गये थे कि ऐसी सूचनाएं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा आपको फौरन भेजी जायेगी। मैं इस मामले को दिखवा रहा हूँ कि कैसे, किस तरह अब भी वह दूसरे माध्यम से पहुँचा है। जिस माध्यम से पहुँचना चाहिए उसी माध्यम से भविष्य में आपके पास पहुँचेगा।

***श्री रियासत हुसैन—**

संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को कहा है कि मुख्य सचिव की इस बात के बारे में आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदेशों की अवहेलना हुई है, जिसकी सदन में घोषणा भी हुई थी, तो उसके जवाब-तलबी या सजा आदि की कोई व्यवस्था होगी या नहीं, अन्यथा ऐसे वाकिये होते रहेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आपके द्वारा सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री ने किसी को निर्देशित किया, तो उसको न मानना क्या विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

संसदीय कार्य मंत्री जी पुनः इसको देखें, जहाँ तक हमारे कार्यलय या विभाग का सम्बन्ध है, भविष्य में कोई सूचना इस प्रकार की स्वीकार नहीं की जाएगी, जो नियम के अनुसार ,तरीके से प्राप्त नहीं होती है और आगे भी उसमें कार्यवाही की जाएगी । संसदीय कार्य मंत्री जी पुनः इसे देखें और भविष्य में कभी इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत मुझे 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की है, जिसमें लिखा गया है, कि लखनऊ में गोमती का पानी विषाक्त होने के सम्बन्ध में । दूसरी सूचना माननीय बलबीर सिंह जी की, जिला रामपुर में नगर-पालिका स्वार के अन्तर्गत सिविल अस्पताल के भवन के जीर्ण-शीर्ण होने के सम्बन्ध में । तीसरी सूचना माननीय कुंवर सिंह नेगी और माननीय नरेन्द्र सिंह भंडारी की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्वायतत्ता में सरकारी हस्तक्षेप से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में । चौथी सूचना श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री की, झांसी-लखनऊ मार्ग पर परिवहन निगम की बस पर पड़ी डकैती के सम्बन्ध में है । पांचवीं सूचना, माननीय शंकर सिंह की, झांसी-लखनऊ मार्ग पर परिवहन निगम की बस पर पड़ी डकैती के सम्बन्ध में है । छठीं सूचना माननीय मोहन सिंह की और माननीय माता प्रसाद पाण्डेय की, कानपुर से प्रकाशित 'दैनिक जागरण' के एक कर्मचारी व उसके छोटे भाई की असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या किये जाने के संबंध में है । सातवीं सूचना माननीय रियासत हुसैन की, कानपुर से प्रकाशित दैनिक जागरण के एक कर्मचारी व उसके छोटे भाई की असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या किये जाने के संबंध में है । आठवीं सूचना माननीय ऊदल जी की, थानाध्यक्ष मडियाहूँ, जिला जौनपुर के खिलाफ फर्जी मामला बनाने के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के संबंध में है । नवीं सूचना माननीय प्रदीप कुमार यादव की, गौण्डा की तहसील तरबगंज में हरिजनों की भूमि को दूसरे लोगों के नाम आबंटित किये जाने के संबंध में है । दसवीं सूचना माननीय राम आसरे और खैरुल बशर की, प्रदेश के बेसिक शिक्षकों द्वारा भूख-हड़ताल किये जाने के संबंध में है । ग्यारहवीं सूचना माननीय मित्रसेन की, विष्णु स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री, मोती नगर, फैजाबाद के मजदूरों को निकालने के संबंध में है । बारहवीं सूचना श्री यदुनाथ सिंह की मिर्जापुर में सरदार बल्लभ भाई पटेल की आदमकद मूर्ति न लगाये जाने के संबंध में है । तेरहवीं सूचना माननीय गौरी शंकर भैय्या की, जनपद बलिया में विद्यालय की जमीन पर कब्जा किये जाने के संबंध में है । चौदहवीं सूचना माननीय मोती लाल देहलवी की, रायबरेली के गांव मऊ के प्रधान की हत्या के संबंध में है । पंद्रहवीं सूचना माननीय नन्द किशोर सिंह की, देवरिया जिले के कई तहसीलों में किसानों से बकाया की जबरन वसूली किये जाने तथा गन्ने का मूल्य न मिलने के संबंध में है । सोलहवीं सूचना माननीय केदार नाथ सिंह की, वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध मूतपूर्व डी०एफ०ओ० द्वारा अनशन किये जाने के संबंध में है ।

श्री मोती लाल देहलवी —

मान्यवर, हमारे कार्य-स्थगन में 5 लोगों की हत्या है, एक नहीं, 5 हैं । मान्यवर, 4 तो आग में जला कर मारे गये ।

श्री अध्यक्ष—

देख लूँगा उसको ।

जहां तक माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना का सम्बन्ध है, वह 16-3-83 को वक्तव्य के लिये निर्धारित है। जो माननीय राम आसरे वर्मा और माननीय खैरुल बशर की सूचना प्रदेश के बेसिक शिक्षकों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में है, आज शिक्षा विभाग का ही बजट है, उस पर चर्चा के समय आप अपनी बात रख सकते हैं। माननीय मोती लाल देहलवी जी की रायबरेली के गांव मऊ के प्रधान की हत्या के सम्बन्ध में है, आप पांच की हत्या की बात बता रहे हैं, मैं इसको पुनः देख लूंगा, लेकिन जिसका जिक्र आपने किया है, यह पहले ही देखा जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, इसको आप देख लें।

श्री अध्यक्ष —

एक माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री एवं माननीय शंकर सिंह, दूसरी श्री ऊदल तीसरी श्री यदुनाथ सिंह और चौथी श्री केदार नाथ सिंह की सूचनाओं को सुनने के लिए मैंने स्वीकार किया है, बाकी को अस्वीकार किया।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

जब मैं आपका नाम पुकारूं तब आप खड़े हों।

***श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—**

श्रीमान, अध्यक्ष जी, आपने कार्य स्थगन की ग्राह्यता के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि बुन्देलखण्ड में जो कानून की स्थिति है वह बिगड़ती जा रही है। उसका एक नमूना में 13 मार्च की रात के 8 बजे जो हुआ उसको मैं बताना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष—

आप केवल ग्राह्यता पर बोलें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

13 मार्च की रात 8 बजे झांसी से उरई को जो बस चलती है वह झांसी से 6 बजे प्रारम्भ होती है और डेढ़ घण्टे बाद 4 सशस्त्र डकैत उस रोडवेज बस का अपहरण कर लेते हैं और वहाँ से चिरगांव नगरपालिका से डेढ़ किलोमीटर पर यह बस लूटी गयी। डकैत हजारों रुपये के जेवर, नकदी, घड़ियां लूट कर ले गये और महिलाओं की बेइज्जती की। श्रीमन् इसके बाद बस चालक बस लेकर 10 किलोमीटर दूर मोंट थाने पर पहुँचता है। कंडक्टर के हिसाब से 36 यात्री बस में यात्रा कर रहे थे। मोंट की पुलिस ने केवल 22 यात्रियों को लिखा है। तीन यात्री गायब हैं। उस बस के पीछे की बस से मैं आ रहा था,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री]—

लुटे हुये यात्रियों ने मुझे जानकारी दी कि डकैतों ने चालक पर अपना अधिकार कर लिया उसके बाद बस में बैठे हुये यात्रियों से कहा कि अपना सर सीट के नीचे डाल दीजिये और इस प्रकार से डकैतों ने महिलाओं और पुरुषों की बेइज्जती की। डकैत किसको अपने साथ ले गये यह अभी भी जानकारी नहीं है। वहां पर 3 थाने 10 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बड़ागांव, चिरगांव, मोंट। मैंने चिरगांव थाने से जानकारी प्राप्त की तो एक भी सब इन्सपेक्टर, इन्सपेक्टर, दो घन्टे पहले और बाद तक अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं था। मैंने यह भी जानकारी की तो पता चला कि उस सड़क पर पी० ए० सी० का पहरा था।

मान्यवर, यह जो लूट की घटना हुयी है, यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है और बुन्देलखण्ड क्षेत्र में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। मैं मांग करता हूं कि हमारे इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को आप स्वीकार करें।

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री ने जो कहा है...

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, पूरे मिर्जापुर जनपद में 1240 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आप अपनी जगह पर बैठें, आपको पूरा मौका मिलेगा।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, इनको पहले सुन लिया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है। मैंने सुबह-सुबह 9 बजे दिया है। सबके अन्त में लगा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने जिस प्रकार से स्वीकार किया है उसी प्रकार से बोलने की व्यवस्था होगी।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह आपकी व्यवस्था पर आक्षेप हो गया।

श्री यदुनाथ सिंह—

मुझे आप सुन लें।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, मैं व्यवस्था का सवाल उठा रहा हूँ। माननीय यदुनाथ सिंह ने आप पर आक्षेप किया कि मैंने 9 बजे दिया था आपने पीछे लगा दिया।

श्री यदुनाथ सिंह —

मैं दो घण्टे बोलूंगा, सदन नहीं चलने दूंगा ।

श्री अध्यक्ष —

यदुनाथ सिंह, जो नियम हैं उसके आधार कर कार्य करना चाहिये ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, आपके नियम अंग्रेजों के जमाने के होंगे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यदुनाथ सिंह को पहले बोलने दिया जाय ।

(कोई आपत्ति न होने पर ।)

माननीय यदुनाथ सिंह जी आप केवल 2 मिनट में अपनी बात कहेंगे ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, 31 अक्तूबर, 1982 को सरदार पटेल की आदमकद मूर्ति को मेरे हाथों शिलान्यास होना था, जिसके लिए जनता द्वारा 2 लाख रुपये जुटाये गये थे । लेकिन 29 अक्तूबर को मुझे गिरफ्तार कर लिया गया दौलत सिंह अब्दुल सतारा रामदेव प्रधान के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, 400 लोगों को मारा गया, जिस कारण 31 अक्तूबर को हम वह कार्यक्रम नहीं कर पाये । माननीय लोकपति त्रिपाठी, जो स्वास्थ्य मन्त्री हैं, जो मिर्जापुर से ही एम० एल० ए० हैं, उनको सरदार पटेल से एलर्जी है, यह समारोह जो है वह उन्हें खराब लगता है, आँख का काटा बना हुआ था, जबकि सरदार पटेल के हिमायती लाखों-लाखों मिर्जापुर और बनारस में हैं । मेरी गिरफ्तारी के कारण वह समारोह नहीं हो पाया ।

दिनांक 28 फरवरी/1 मार्च को 0,35 बजे मैं गिरफ्तार कर लिया गया पूरे परिवार सहित जिसमें हमारी पत्नी, बच्चे और 95 साल के बूढ़े पिता भी शामिल थे, उसके बाद 940 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया उनको 188 आई० पी० सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया । मान्यवर, मिर्जापुर की सी क्लास जेल में केवल 240 लोगों का लाक अप है, उसमें 1236 राजनीतिक लोगों को भी रखा गया, जबकि उसमें आलरेडी 300 क्रिमिनल हवालाती थे, इस प्रकार से वहां जेल मैनुअल को भी ताख पर रख दिया गया, 46 औरतें हम लोगों के साथ थीं । इतने लोग हो जाने के कारण वहां संडास से लैटीन बेरकों में बहने लगी । वहाँ कैदी मोट से पानी भरते हैं ऐसी रद्दी जेल मैंने अपने जेल यात्रा मे कभी नहीं देखा जबकि मुझे 52 बार जेल यात्रा करनी पड़ी उस जेल में पानी पीने तक को नहीं मिलता है । मान्यवर, सुपुत्र कांग्रेस आई० के प्रेसीडेंट कमला पति त्रिपाठी हैं, उनके यह लोकपति त्रिपाठी जी सुपुत्र हैं, माननीय अम्मार रिजवी जी पक्ष में बोलना चाहते हैं, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं । नेशनल हाई वे का मामला है, यह बात लोकपति के परसुएशन में कह रहे हैं, कमलापति जी से डर रहे हैं । नेशनल हाई वे कर देंगे तो यह चला जायेगा सेन्ट्रल में, वहाँ से उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, जबकि यह पी० डब्लू डी० की ट्रैंगुलर प्लेस है । उत्तर जो दिए गये हैं माननीय रिजवी साहब लोकपति के दवाब में देना चाहते हैं, सदन को गुमराह करना चाहते हैं, मैं एक इन्जीनियर एम० एल० ए० हूँ, बी० टेक हूँ जब यहाँ नहीं सुना

श्री यदुनाथ सिंह—

जायेगा तो पार्लियामेंट की विशिष्टदीर्घा से लौह पुरुष सरदार पटेल के फाउंडेशन स्टोन के लिए नारायणपुर त्रिमुहानी, जो चुनार तहसील मिर्जापुर के अन्तर्गत है, उसके लिए हम वहां पम्फलेट फेकेंगें, ताकि इन्दिरा गाँधी समझें उत्तर प्रदेश सरकार की कमजोरी। मान्यवर, हम लोगों को सी० क्लास मिर्जापुर जेल के बजाय कहीं और रखा जा सकता था, वहाँ इतने लोगों की क्षमता भी नहीं थी, हम लोगों को वहाँ थाली नहीं दी गयी लोटा नहीं दिया गया, वहाँ राजनैतिक बंदियों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। हम लोगों को कहीं और रखा जाता, फतेहगढ़ की जेल में रखा जाता, नैनी में रखा जाता, बनारस सैंट्रल जेल में रखा जाता। हम लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है हम लोग अधमरे की स्थिति में हैं, इस सदन का यह एम० एल० ए० अधमरे की स्थिति में है। मुझे कई बार मरवाने का प्रयास किया गया। मान्यवर, उस जेल में 1236 राजनीतिक लोगों को रखा गया, जिसमें 46 महिलाएं भी थी, 14 अबोध बच्चों को रखा गया, जो 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के थे, मैं जानना चाहता हूँ कि उनको किस धारा में रखा गया जो यह नहीं जानते सरदार पटेल क्या थे। धारा 144 नहीं जानते, आई० पी० सी० नहीं जानते, उनको क्यों रखा गया ?

श्री अध्यक्ष —

आप तो डिटेल में जा रहे हैं, समय नहीं है, आप ग्राह्यता पर ही बोलें।

श्री यदुनाथ सिंह —

मान्यवर, मिर्जापुर, वाराणसी के चारों प्रशासनिक अधिकारी आई० ए० एस० आई० पी० एस० मनु व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन से निकम्मे तबके के हैं, वे चारों प्रशासनिक अधिकारी मगरूर स्वास्थ्य मन्त्री के नट बोल्ट हैं। आज मिर्जापुर की लाखों जनता के साथ गरीब कोलीन(आदिवासी) मतिया की तरह बलात्कार किया जा रहा है और उनके धन एवं अस्तित्व के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मान्यवर, 1236 राजनैतिक कार्यकर्ता जेल में ठूंस दिये गये। लार्ड क्लाइव की कलकत्ता की काल कोठरी जैसी मिर्जापुर के जेल की हालत हो गयी। मिर्जापुर जेल का जल्लाद छोटे लाल सिंह ठाकुर एवं मिर्जापुर के जिलाधिकारी प्रशान्त कुमार मिश्रा एवं दुष्ट पुलिस अधीक्षक उमाशंकर बाजपेई ने जेल मैनुअल ताख पर रख दिये।

श्री अध्यक्ष —

इतना समय आपने ले लिया, ग्राह्यता पर बोलें।

श्री यदुनाथ सिंह

ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूँ, अभी भूमिका बांध रहा हूँ। मान्यवर, मैंने अपनी सूचना में लिखा भी है कि यह दुख की बात है कि लोहपुरुष सरदार पटेल की मूर्ति इन उत्पादन से निकम्मी जातियों के कारण नहीं लग पा रही है जबकि आज तक हजारों लोगों के हाथ पैर तोड़े गये, मुझे दो बार जेलों के सींकचों में डाला गया और आज भी 1236 व्यक्ति धारा 188 मे चुनार तहसील से गिरफ्तार करके रखे गये हैं जिसमें मेरी पत्नी प्रभावती पटेल और मेरी तीन बिटिया प्रतिमा पटेल, प्रमिला पटेल उर्मिला पटेल, एवं एकमात्र पुत्र धनंजय कुमार पटेल भी गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया यहाँ तक कि हमारे 95 वर्ष के पिता जो गीता और रामायण पढ़ा करते हैं उनको भी मिर्जापुर जेल में डाल दिया गया। अब तक सरकार

36 बच्चों, 51 महिलाओं, 5 वकीलों, 10 डाक्टरों जिसमें भूतपूर्व महामन्त्री छात्रसंघ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की छात्रा मंजूलता सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष —

आप ग्राह्यता पर बोलें मैं इस प्रकार आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूँ ।

श्री यदुनाथ सिंह —

मान्यवर, वहां पर पुलिस राज्य कायम किया गया है । मान्यवर, पूरे मिर्जापुर और बनारस में गिरफ्तारी की जा रही है । मिर्जापुर जल रहा है जेल में नरक हो गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप आपनी बात समाप्त करें ।

श्री यदुनाथ सिंह—

माननीय सरमाइकिल से धर्मसिंह तक ऐसी ज्यादती मा० सदस्यों के साथ कभी भी नहीं हुआ है । मान्यवर, सरदार पटेल की मूर्ति पी० डब्लू डी० विभाग नहीं लगाने दे रहा है क्या बच्चे राजनीतिक हैं ? मेरे बूढ़े पिता जी क्या राजनीतिक हैं ? ऐसे लोगों को जेल भेजने की क्या जरूरत थी ? मान्यवर, ऐसा आन्दोलन कभी नहीं हुआ न देखा न सुना । मैंने सुप्रीम कोर्ट मे धारा 32 के अन्तर्गत रिट कर रखी है लेकिन उसकी सुनवाई एक महीने में होगी । आप कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें । ऐसा अहम सवाल मेरी जिन्दगी में नहीं आयेगा ।

संसदीय कार्य मन्त्री(श्री अम्मार रिजवी)—

मुझे दो शब्द कहना है । एक तो यह कि सरदार पटेल की मूर्ति को स्थापित करने का जो प्रश्न है इसमें 2 राय नहीं है । वह हमारे राष्ट्रीय नेता थे और यह बात खुशी की है कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल की तरफ लोगों की आस्था होने लगी है । लेकिन माननीय सदस्य ने यह कहा कि वह जमीन उत्तर प्रदेश पी० डब्लू० डी० का है । मेरा निवेदन है कि यह नेशनल हाईवे का है ।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष —

"यह चीज नहीं लिखी जायेगी ।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, नेशनल हाई वे की जमीन पर केन्द्र सरकार का कन्ट्रोल होता है जहां तक मूर्ति का सवाल है को इन्कार नहीं कर सकता है लेकिन जमीन किस की है किससे अनुमति लेनी चाहिये कौन दे सकता है, इसको देखना आवश्यक है ।

(व्यवधान)

नोटः—[× × ×]यह अंश श्री अध्यक्ष की आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय यदुनाथ सिंह, अपने स्थान पर जायँ ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

उसके लिये केन्द्र सरकार को लिखना पड़ेगा और जब उनकी स्वीकृति मिल जायेगी तभी···

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष —

माननीय यदुनाथ सिंह, बैठें आप । आप अपने स्थान पर बैठें पहले । बाद में मैं अपना निर्णय दूँगा ।

(व्यवधान)

कोई शब्द नहीं लिखा जाएगा । बैठें आप पहले ।

(श्री यदुनाथ सिंह ने एक कार्ड सदन के फ्लोर पर फेंका । श्री जसवन्त सिंह बिष्ट ने उनको बिठाने का प्रयास किया तो श्री यदुनाथ सिंह ने श्री बिष्ट की टोपी सदन के फ्लोर पर फेंक दी ।)

श्री यदुनाथ सिंह के सदन से निलम्बन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

माननीय यदुनाथ सिंह सदन छोड़ें ।

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री, मैं एक दिन के लिये श्री यदुनाथ सिंह को इंगित करने के लिये कहता हूँ ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि श्री यदुनाथ सिंह को सदन से एक दिन के लिये सदन से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न है कि श्री यदुनाथ सिंह को एक दिन के लिये सदन से निलम्बित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(श्री यदुनाथ सिंह अपने स्थान पर खड़े होकर रोटियां दिखाने लगे ।)

श्री अध्यक्ष—

मार्शल, इनको सदन से बाहर ले जायें ।

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर लेट गये जिन्हें मार्शल द्वारा विधान सभा रक्षकों की सहायता से सदन से बाहर से ले जाया गया।)

एक सदस्य—

राम नाम सत्य है।

श्री अध्यक्ष—

शान्त रहिए आप लोग।

(व्यवधान के मध्य किसी सदस्य द्वारा लोकदल के लिये कुछ कहे जाने पर।)

श्री मोहन सिंह—

इस तरह से सदन नहीं चलेगा। पूरे लोकदल को····

(श्री हुकम सिंह, श्री मोतीलाल देहलवी आदि कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे।)

श्री अध्यक्ष—

इस तरह के आक्षेप आप लोगों को नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

आप लोग शान्त रहें, कोई चीज नहीं लिखी जायेगी।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री ऊदल—

मैंने नियम 56 के अन्तर्गत जो नोटिस दी है····

(व्यवधान)

थाना मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर में एक फर्जी रिपोर्ट ट्रेन डकैती 1-3-83 को डालने के बारे में लिखी। दो तारीख को कुछ लोगों को घरों से पकड़ा गया। एक व्यक्ति को 7 बजे तक थाने के अन्दर बैठाया गया था और केस डायरी में फरार दिखाया गया। थानाध्यक्ष, देव प्रभाकर पाठक ने उसके इनकाउण्टर करने की योजना बनायी थी। इसकी जाँच परगनाधीश ने की। एस. एस. पी., डी. एम., डी. आई. जी. के यहाँ जुलूस निकाला, प्रदर्शन किया गया, और ज्ञापन दिया गया, आज तक कोई समुचित कार्यवाही नहीं हुई। सैकड़ों लोग अनशन कर रहे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, पुलिस का इतना जबरदस्त आतंक व्याप्त है, कि निरीह लोग मारे जा रहे हैं, इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर चर्चा करा दें। वहाँ पर व्यापक असंतोष है और अव्यवस्था फैल गई है, थाने के कर्मचारी गलत रिपोर्ट लिखकर फर्जी तरीके से लोगों को फंसा रहे हैं, उस पर चर्चा हो जाय, यही मुझे कहना है।

* श्री केदारनाथ सिंह—

मान्यवर, श्री राघव सिंह, डी. एफ. ओ. आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस विषय पर नियम 56 के अन्तर्गत आपको सूचना दी है। श्री राघव सिंह काफी दिनों तक डी० एफ० ओ० के पद पर कार्यरत रहे। उत्तर प्रदेश में उनके विभाग के अन्दर व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने शासन की कई रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। भ्रष्टाचार में व्याप्त अधिकारियों ने विक्षुब्ध होकर द्वेष की भावना से उनकी पदावनति कर दी। परिणामस्वरूप विक्षुब्ध होकर राघव सिंह ने अपना त्याग-पत्र दे दिया। उस समय इस पक्ष के और उस पक्ष के 15 विधान सभा के सदस्यों ने 9-10-80 को पत्र दिया था मंत्री जी को, कि वह मामले पर सहानभूतिपूर्वक विचार करें और अधिकारियों के खिलाफ जाँच करायें। साथ ही यह भी निवेदन किया गया था कि राघव सिंह की पदावनति को समाप्त किया जाय। परन्तु इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई और राघव सिंह के त्याग पत्र को विभाग के तथाकथित भ्रष्ट अधिकारियों के घेरे में आकर शासन ने स्वीकार कर लिया। 20-8-82 को जब सदन चल रहा था, उस वक्त भी राघव सिंह ने आमरण अनशन किया था। मैंने उनसे इस आश्वासन के साथ जाकर अनशन तुड़वाया था कि इस सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। उस समय भी मैंने शासन की जानकारी में यह तथ्य प्रस्तुत किये थे। साल भर से ज्यादा हो गया उनको अपना त्याग पत्र दिये हुये।

श्री अध्यक्ष—

आप ग्राह्यता के बारे में कहें।

श्री केदारनाथ सिंह—

मैं मान्यवर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जो आवश्यक है वही कहूँगा। इसका इतिहास तो बहुत लम्बा है केवल मुख्य बातें कह रहा हूँ।

उनका त्याग-पत्र सशर्त था। शासन के किसी भी अधिकारी ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज तक एक भी पत्र नहीं दिया होगा। कम से कम मेरी जानकारी में तो नहीं है। इन परिस्थितियों में मान्यवर, उन्हें दोबारा अनशन करने के लिये मजबूर होना पड़ा। 13वाँ दिन हो रहा है अभी तक वह अनशन पर बैठे है। शुक्रवार को उनकी हालत बहुत चिन्ताजनक हो गई थी। ऐसी हालत में उनको पुलिस वाले आकर उठा ले गये। वह आज भी अनशन पर हैं। उनका जीवन संकट में है। शासन की कुम्भकर्णी नींद खोलने के लिये विभाग का इतना बड़ा अधिकारी व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये आमरण अनसन करने पर विवश हो ऐसा उदाहरण सदन में इससे पूर्व तो आया नहीं। मेरा कहना है कि ऐसे अधिकारी को न्याय दिया जाय, उनके जीवन की रक्षा की जाय। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इससे बड़ा लोक महत्व का और अविलम्बनीय प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता। इसलिये नियमों के अन्तर्गत यह ग्राह्य योग्य है। कृपया इसे स्वीकार करें और सदन का कार्य स्थगित करके इस पर चर्चा करायें।

श्री मोतीलाल देहलवी—

बहुत गम्भीर मामला है, पाँच लोग मारे गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

बात हो गयी थी। मेरे पास सब लिखा हुआ है। आप एक मिनट में कह दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, जो कार्य स्थगन का प्रस्ताव मैंने दिया है वह इसलिये अविलम्बनीय लोक महत्व का है कि यह घटना कल घटी है। और यह घटना जनपद रायबरेली की है। मान्यवर, यहां 5 लोगों की जानें गयी हैं। ग्राम मऊ जनपद रायबरेली के ग्राम प्रधान की हत्या की गई। जब हत्या करने वाले लोग एक मकान में छुप गये तो गाँव के कुछ लोगों ने उस मकान में आग लगा दी जिसमे 4 हत्यारे जल कर भस्म हो गये इसलिये मान्यवर, यह कहा जा सकता है कि यह महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि यह जो घटना हुई है, यह इस बात का द्योतक है कि लोगों का धीरे-धीरे कानून और व्यवस्था से विश्वास हटता जा रहा है। इसलिये मान्यवर, यह गम्भीर हो जाता है। मान्यवर, एक हत्या हुई, कानून-व्यवस्था के अनुसार उन हत्यारों को पकड़ा जाता लेकिन उन हत्यारों को एक मकान के अन्दर जलाकर भून दिया गया। अगर एक ही मकान जला होता तो कोई बात नहीं थी लेकिन उस मकान से 15 मकान और जल गये जिनका उस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा कि यह कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित मामला है। अगर कानून-व्यवस्था की यही स्थिति बनी रही तो अराजकता की स्थिति पैदा हो जायेगी उत्तर प्रदेश में। मान्यवर, मेरा आपसे विशेष साग्रह निवेदन है कि यह एक बहुत गम्भीर घटना है अतएव आज आप सदन की कार्यवाही को रोककर इस विषय पर चर्चा कराने का कष्ट करें ताकि कानून-व्यवस्था से सम्बन्धित इस मामले पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जा सके।

***श्री मोहन सिंह—**

मान्यवर, यह एक गम्भीर मामला है। अखबार के कर्मचारी श्री विनोद कुमार और उसके भाई को कुछ लोगों ने मार दिया। जबकि उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिये पुलिस से पहले ही माँग की थी लेकिन सिरसौली के थानाध्यक्ष कातिलों से मिला हुआ है। वहाँ के मजदूरों में उत्तेजना व्याप्त हैं, वहाँ पुलिस के खिलाफ कर्मचारियों में जबरदस्त आंदोलन की भावना पैदा हो गई है। मान्यवर, इस प्रदेश में पत्रिकारिताओं में काम करने वाले कर्मचारियों का जीवन सुरक्षित नहीं है। इस तरह से दोनों भाई की हत्या कर दी गई एक साथ। मान्यवर, इन दोनों भाईयों की हत्या करने में थानाध्यक्ष का हाथ है। अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं किये जा सके हैं। यह एक गम्भीर मामला है। एक कर्मचारी जब निष्पक्ष पत्रकारिता और सदन के अखबारों का कार्य संचालन करता है। तो इस प्रकार मान्यवर, यह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस गम्भीर विषय पर आप चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूँगा। जैसाकि मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि नियमों का हमें पालन करना चाहिये। आप ही लोगों ने यह निर्णय लिया और कुछ दिन तक वह चलता भी रहा, लेकिन उसके बाद हर एक माननीय सदस्य दबाव देकर कहते हैं कि एक-एक मिनट दे दिया जाय। इस प्रकार यदि एक-एक मिनट दे दिया जायेगा तो तमाम समय इसमें चला जायेगा। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। इस संबंध मे मैं एक मिटिंग करवा रहा हूँ उसमें आप सभी लोग होंगे और आप उसमें स्वयं निर्णय कर लें। इतने छोटे-छोटे मसले आते हैं इन सबको स्वीकार करना कैसे सम्भव हो सकेगा ? आपके पत्र लिखकर मेरे पास आते हैं। उसके बाद मेरा कार्य है कि किसे स्वीकार करें और किसे नहीं करें। कौन सूचना कितनी महत्ता की है, किसको वरीयता दी जानी चाहिये, इन्हीं बातों को देखकर मैं स्वीकार करता हूँ। यदि इस प्रकार सभी माननीय सदस्य बोलना शुरू कर दें तो सदन की कार्यवाही का किस प्रकार संचालन सम्भव हो सकेगा ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री मित्रसेन—

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर और ग्राह्यता के बारे में कहना चाहता हूँ। मान्यवर, यह मजदूरों का मामला है। विष्णु स्ट्रा बोर्ड से कई मजदूरों को निकाल दिया गया है। और उन मजदूरों को उचित वेजेज नहीं दिये जा रहे हैं। उनको न बोनस दिया जा रहा है, न मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। आज इस प्रकार वहाँ पर 36-36 मजदूरों की रोजी रोटी का सवाल है। वे मजदूर सड़क पर खड़े हैं। गुण्डों के डण्डों के जरिये उनको निकालकर बाहर कर दिया गया है। उनको मंहगाई भत्ता, वेतन वगैरह कुछ नहीं दिया जा रहा है। शासन कम से कम यह जानकारी कर ले कि यह जुर्म और ज्यादती मिल मालिक कर रहा है या कौन कर रहा है···

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री कुंवर सिंह नेगी की सूचना को शासन को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज दूँगा।

नियम 56 के अन्तर्गत आज 16 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इस नियम के अन्तर्गत मैंने किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं किया है लेकिन श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री जी की जो सूचना है उसको वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। श्री यदुनाथ सिंह जी की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किये देता हूँ। माननीय देहलवी जी की जो सूचना है, उस पर भी शासन का ध्यान आकर्षित किये देता हूँ। श्री मोहन सिंह जी की भी सूचना को शासन के पास ध्यान आकर्षित करने के लिये भेज रहा हूँ तथा श्री ऊदल जी की भी सूचना शासन के पास भेज रहा हूँ। शेष जो हैं, उनको अस्वीकार करता हूँ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मेरी सूचना पर भी बयान दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निर्णय ले लिया है।

श्री केदार नाथ सिंह—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना पर मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री केदार नाथ सिंह —

मान्यवर, यह इतनी महत्वपूर्ण सूचना है····

(श्री अध्यक्ष द्वारा 'शिक्षा मंत्री को पुकारे जाने पर सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है।

श्री मित्रसेन—

जब आपसे संरक्षण नहीं मिल पाता तो कोई और अधिकार मुझे नहीं मिला है कि मैं उसके अन्तर्गत बोलूँ ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी बात को सुन लिया है, मैंने क्या कहा, आपने नहीं सुना । आप अपने स्थान पर बैठें ।

श्री मित्रसेन—

आपकी इस व्यवस्था के लिखाफ मैं सदन का बहिष्कार करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निर्णय दे दिया है । यदि आप सन्तुष्ट नहीं होंगे या आपका समाधान नहीं होगा तो नियमानुसार माँग लिए जाने पर जरूर अवसर दिया जायगा ।

(श्री मित्रसेन सदन त्याग कर चले गये ।)

वित्तीय वर्ष 1983-84 के आय व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-56-शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 68-सांस्कृतिक कार्य विभाग तथा अनुदान संख्या 80-स्पोर्ट्स विभाग

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी) —

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56-शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,04,60,66,000 रुपए से अनधिक धन-स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 68-सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,84,000 रुपए से अनधिक धन-राशि राशि स्वीकृत की जाय ।

(1 बजकर 20 मिनट)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूँ कि 31 मार्च, 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 80-स्पोर्टस विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,27,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

मान्यवर, शिक्षा के लिए हमने वर्ष 1983-84 में 4,84,90,79,000 रु० का प्राविधान किया है, जिसके अंतर्गत 4,52,73,3000 रुपए आयोजनेत्तर में है और

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

32,17,49,000 रुपए आयोजनागत में, जो सम्पूर्ण राजस्व का 19.4 प्रतिशत है। और पर्वतीय क्षेत्र को अगर मिला लें तो 19.8 प्रतिशत हो जायेगा। मान्यवर, 1946-47 में जो शिक्षा का बजट था वह रुपये 3 करोड़ 18 लाख रु० का था, जो राजस्व का 11 प्रतिशत था। आज वह बजट 3.18 से बढ़कर 4,84,90,79,000 रु० आपके आशीर्वाद से हो गया। और मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा में 52 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में 34 प्रतिशत, उच्च शिक्षा में 9 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत मिसलेनियस में, जिसका तात्पर्य है कि प्राथमिक शिक्षा में 2,52,1207 हजार माध्यमिक शिक्षा में 1,64,83,48 हजार तथा उच्च शिक्षा में 45,56,82 हजार रुपए की धनराशि का प्राविधान किया गया है। मान्यवर आपके आशीर्वाद से बहुत विस्तृत बजट है एवं उसके अन्य सम्पूर्ण पहलुओं पर विचार करने से पहले मैं इस विभाग की जो विशेष उपलब्धियाँ हैं, उनके विषय में प्रकाश डालना चाहूँगी।

(इस समय 1 बजकर 23 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए।)

मान्यवर, पिछले तीन वर्षों में विशेषकर आपके आशीर्वाद से जो प्रमुख उपलब्धियां रहीं, उन पर एक दृष्टि डालने की आज्ञा आपसे चाहती हूँ। मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में जो भंयकर भ्रष्टाचार नियुक्तियों के संबंध में व्याप्त था, उसे मैंने माध्यमिक शिक्षा आयोग एवं उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करके पूर्ण रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार और लेनदेन को समाप्त किया। इसके लिए हमारे जो आदरणीय मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र जी हैं, उन्हें मैं धन्यवाद एवं बधाई देती हूँ। मान्यवर इसके अतिरिक्त शिक्षा सत्र में जो 1980 में नियमित रूप में नहीं था, परीक्षाएँ टलती जा रही थी, परीक्षाओं का बहिष्कार होता था तथा मास काफी की महामारी, जो फैली हुयी थी, उसको हमने 1982 के सत्र से एवं आप लोगों के सहयोग से समाप्त किया। जहां तक हाईस्कूल एवं इण्टर कालेज का प्रश्न है उनकी परीक्षाएं भी ठीक समय से मार्च से प्रारम्भ हो जाती हैं और ठीक 8 जुलाई से नया सत्र प्रारम्भ हो जाता है। हमारे विश्वविद्यालय पिछड़े हुए थे। लेकिन मुझे खुशी है कि तीन वर्षों के अथक प्रयास के बाद हम शिक्षा सत्र को नियमित कर सके हैं और विश्वविद्यालय में जो अव्यवस्था थी उसमें व्यवस्था ला सके हैं। यह विश्वविद्यालय हैं लखनऊ, अवध, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, काशी विद्यापीठ तथा सम्पूर्णानन्द विश्वविद्यालय, ये सब अब नियमित हो चुके हैं। और मुझे खुशी है कि मार्च और अप्रैल में इन सबमें परीक्षायें प्रारम्भ हो जायेंगी ताकि परीक्षाओं के बाद जुलाई में नया सत्र प्रारम्भ हो सके।

इसी तरह से गढ़वाल में, बुन्देलखण्ड में तथा कुमायूं में काफी तेज रफ्तार से शिक्षा प्रगति की ओर आगे बढ़ रही है, कई क्लासेज का वहाँ पर विनियमतीकरण किया जा चुका है। जहां तक डिसीप्लिन का प्रश्न है तो हम डिसिप्लिन के मेंटेनेन्स के लिये पूरी तरह से सन्तुष्ट नहीं हैं लेकिन फिर भी पहले के मुकाबिले में हमने काफी सफलता प्राप्त की है। पहले एक प्रथा सी थी कि लड़के परीक्षाओं का वाक आउट करते थे लेकिन 1980-81 में हमने निर्णय लिया कि जो लड़के वाक आउट करेंगे उनके लिये हम दुबारा परीक्षायें नहीं करेंगे।

इण्टरमीडिएट परीक्षाओं में भी 1981 और 1982 की परीक्षाओं में किसी भी पेपर का लीकेज नहीं हुआ, यह पूरे भारतवर्ष के लिये एक नजीर है, यह बहुत बड़ी बात है। इसके अतिरिक्त हमको कई सालों के बाद हाईस्कूल का रिजल्ट जून के महीने में निकालने में सफलता प्राप्त हुई है, यह भी हमारे लिये एक नई उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत और संस्थागत छात्रों की अलग-अलग परीक्षा करके हमने हिन्दुस्तान को

एक नया मार्गदर्शन दिया है। आज जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई है यह पूरे भारतवर्ष में पहला प्रान्त है जिसने सर्वप्रथम यह साहसिक कदम उठाया है। बंगाल को छोड़ कर, कहीं भी सारे भारतवर्ष में शिक्षा सेवा आयोग नहीं है।

मान्यवर, जहाँ तक कम्प्यूटर सिस्टम का प्रश्न है, अब हमने इससे सहायता लेनी प्रारम्भ कर दी है क्योंकि पिछले सालों में यह होता था कि अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षा में पास होने के प्रमाण पत्र तीन-तीन, चार-चार सालों के बाद उन लोगों को मिलते थे लेकिन अब हमने समस्त केन्द्रों के लिये कम्प्यूटर सिस्टम का प्रयोग किया है और परीक्षाओं के साथ ही साथ हम उसका प्रमाणपत्र भी देने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हमने 10+2 प्रोग्राम लागू करके एक साहसिक कदम उठाया है। इसके साथ ही हमने दशम कक्षा में विज्ञान विषय को कम्पलसरी कर दिया है। तीन सालों में दशम् तक के क्लासेज में विज्ञान को कम्पलसरी यानी अनिवार्य विषय कर दिया जायेगा। मेरिट को ऊँचा बनाने के लिये, उत्तम विद्यालयों को मान्यता देने के लिये हमने एक नई योजना चालू की है कि एक लाख रुपए का अनुदान जो हमने तीन संस्थाओं को पिछले साल दिया था वैसे ही तीन को इस साल भी देने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बाढ़ग्रस्त जनपद हैं, वहाँ पर हमने फीस माफ करने का निर्णय लिया है। हमने विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की हैं, एन० सी० सी० और स्काउटिंग में पहले से अधिक विकास की कार्यवाही की है।

मान्यवर, जहां तक अध्यापकों का प्रश्न है, मेरा दावा है कि जितना उनके लिए इन वर्षों में किया गया है, उतना और कभी नहीं किया गया है। यह सब आपका ही आशीर्वाद है। जितने अध्यापक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके वेतनमान में वृद्धि के लिए जो कुछ इन तीन सालों में किया है, वह और कभी नहीं किया गया है। इतना काम और कभी नहीं हुआ है हमने अध्यापकों की फेमिली पैंशन के बारे में व्यवस्था की है, ग्रुप इन्शोरेन्स की 12 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दिया गया है। अध्यापकों की प्रोन्नति के लिए व्यवस्था की गयी है, यह इतिहास में कभी नहीं हुआ है। केवल इन्टरमीडिएट में ही नहीं बल्कि डिग्री कालेज के अध्यापकों के 16 साल में अवरोध निवारण के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए हमने प्रोन्नति का प्राविधान किया है। इसके अतिरिक्त उनके वेतन पुनरीक्षण का प्रश्न है, तो वेतन आयोग ने जितनी सिफारिश की थी और स्वीकार किया था उससे भी अधिक हम देने जा रही हैं।

श्री मोहन सिंह—

सिस्टेमेटिक ढंग से नहीं प्रस्तुत कर पा रही हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मा० मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहती हूँ कि प्राइमरी और बी.टी.सी. के अध्यापकों को 1959 में रु० 60-120 मिलता था, उसको हमने 400-620 कर दिया। पहले प्रधानाचार्य का वेतनमान 550-1200 था और अब हमने 850-1720 कर दिया है। प्रधानाध्यापक का पहले वेतनमान 450-950 था जिसको हमने 770-1600 कर दिया हैं। प्रवक्ता का वेतनमान 400-750 था जिसको हमने 650-1280 कर दिया है। एल० टी० का वेतनमान 300-550 था जिसको हमने 540-910 कर दिया है और सी० टी० अध्यापकों का वेतनमान पहले 250-425 था और अब हमने 450-720 कर दिया है। मान्यवर, जूनियर हाईस्कूल के हैड मास्टर का चयन वेतनमान रु० 700-

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

910 कर दिया है और हाईस्कूल के प्रधानाचार्य का चयन वेतनमान 850-1720 कर दिया है। रिजल्ट समय से निकले इसका भी हमने बहुत प्रयास किया है। इस बारे में हमें शिक्षकों का बहुत सहयोग प्राप्त हुआ है।

मान्यवर, जहां तक राज्य संग्रहालय का सम्बन्ध है एक अपूर्व घटना हुई है। हुलास खेड़ा (मोहनलाल गंज) की खुदाई में कुषाणवंश के पुरातत्व के अवशेष मिल हैं। यह बहुत वड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से शंख लिपि में भी हमने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। यह लिपि गुप्त काल के समकालीन वंश की है। जो शंख लिपि थी उसे यहाँ पर कोई नहीं पढ़ सकता था। लेकिन इधर दो एक दिन पहले हमारे पुरातत्व विभाग में इस शंख लिपि को पढ़ा गया है जो कि अश्वमेघ यज्ञ के बारे में लिखा गया है। यह एक अभूतपूर्व खोज हुई है। जहाँ तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का सम्बन्ध है, मैं चैलेंज करती हूँ कि हमारे प्रदेश में ऐसे विद्यार्थी हैं, म्यूजिक कालेज भातखण्डे की बात तो छोड़ दीजिये, क्योंकि वह तो बहुत ऊंची चीज है लेकिन आपको इस बात का तजुर्बा होगा हमारे स्कूलों की जो लड़कियाँ हैं उनमें जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम सामूहिक रूप से होता है और काफी मात्रा में इन्टरनेशल प्वाइण्ट आफ व्यू से बेहतरीन तरीके से सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है और जो विदेशों से लोग आते हैं उनके लिये हमारे स्कूलों और विद्यालयों से प्रोग्राम मांगे जाते हैं। मान्यवर, एशियाड में हमारे स्कूलों की 400 लड़कियों ने होली का जो नृत्य प्रदर्शित किया, वह न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में उसकी तारीफ हुई है और वह एक उच्च कोटि का प्रदर्शन माना गया है जिसके लिए हमें अभिमान है। हमें अपनी इन लड़कियों पर गर्व है।

अब मैं स्कूलों की स्थिति बताना चाहती हूँ। 1983-84 में हम कितने स्कूल देने जा रहे हैं, इसमें आप इन्टरस्टैड होंगे, कितने को हम मान्यता देने जा रहे हैं, कितने डिग्री कालेज देने जा रहे हैं, वह मैं आपको बताना चाहती हूँ। जहां तक प्रारम्भिक स्कूलों का सम्बन्ध है इसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि 1980-81 में आदरणीय प्रधान मन्त्री जी के निदेशों के अनुसार हम लोगों ने संविधान के उसूलों को ध्यान में रखकर इस बात का पहली बार निर्णय लिया कि हम शिक्षा का सार्वभौमीकरण करेंगे। यह हमारा ध्येय है और इसकी प्राप्ति के लिए हम आगे कदम बढ़ायेंगे। इसकी पूर्ति के लिए हर गांव के विद्यार्थी को शिक्षा की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि गाँव के नजदीक स्कूल होना चाहिए। साथ ही हमने यह भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक डेढ़ किलोमीटर के ऊपर एक प्राइमरी तथा 3 किलोमीटर में 800 की आबादी के ऊपर एक जूनियर हाईस्कूल खोला जायेगा। इस हिसाब से हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है यदि हम 4500 प्राइमरी तथा 4800 जूनियर हाईस्कूल खोलेंगे। यह एक वृहद और विशाल कार्य है और उसमें हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबका सहयोग हमें चाहिए। हमने पिछले साल 1982-83 में 501 प्राइमरी पाठशालायें ग्रामीण क्षेत्रों में, मैदान में तथा पर्वतीय क्षेत्रों के 12 नगरों में खोले थे। और जूनियर हाइस्कूल 152 मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्र में खोले हैं।

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी—

पेड़ के नीचे।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पेड़ के नीचे जो पढ़ते थे उन्होंने अपने गुरू से पूछा था"""

कोस्मिन्नु भगवतो विज्ञाते सर्वइ इदम् विज्ञातम् भवति ।

वह कौन सी विद्या है जिसके प्राप्त करने से सब कुछ जाना जा सकता है। तो यह प्रश्न पेड़ के नीचे पूछा था पक्के भवन में नहीं पूछा था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया शांत रहें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैंने गोरखपुर जाते समय रास्ते में एक प्राइमरी स्कूल देखा, जहाँ पर तीन कमरे जरूर थे लेकिन बच्चे मैदान में एक वृक्ष जो वट वृक्ष था, बहुत फैला हुआ था। हमारी छत जो यहाँ पर है, उतना फैला था आपको यकीन नहीं आयेगा, लेकिन वहाँ पर 11 क्लासेज लग रही थी, एक - एक अध्यापक वहाँ पर मौजूद था। मेरे साथ विकट जी, मानधाता सिंह जी और के० पी० सिंह जी थे। (व्यवधान) मैं अपने विधायकों से निवेदन करूंगी कि अगर आप एक कमरा न बना सकें तो एक वट वृक्ष की स्थापना कर दें। मान्यवर, 1983-84 में 390 प्राइमरी स्कूल जिसमें से 305 मैदानी क्षेत्र में और 85 पर्वतीय क्षेत्र और 12 शहरी क्षेत्र में प्रावधान है। इस प्रकार 390+12 हम प्राइमरी स्कूल खोलने जा रहे हैं। जहाँ तक जूनियर हाई स्कूल का संबंध है 100 मैदानी क्षेत्र में और 30 पर्वतीय क्षेत्र में खोलने जा रहे हैं।

जहां तक अनौपचारिक शिक्षा का सम्बन्ध है 56 जिलों में हम यह योजना चला रहे हैं और प्रत्येक जनपद में 6 विकास खंड लिये हैं और हर विकास खंड में हमारे केन्द्र हैं। एक केन्द्र में 25 से 30 तक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। 1983-84 मे इन अनौपचारिक केन्द्रों में 2,69,339 बालक और 1,20,768 बालिका की संख्या है इसमें से 1,17,450 हरिजन और 2,292 जनजाति के छात्र हैं। यह कार्य 44 जनपदों में पूर्ण रूप से हो रहा है और 12 जिलों में प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। इन केन्द्रों में 10 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। सिर्फ अक्षर ज्ञान ही इनमें नहीं कराया जाता है बल्कि स्वास्थ्य सम्बन्धी, कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है तथा महिलाओं को संगीत, सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उनको इतना प्रशिक्षण दे दें ताकि समाचार पत्रों की हैडलाइन वे पढ़ सकें। बैंक में दस्तखत कर सकें, कोर्ट में कागजात आदि देख कर दस्तखत कर सकें और कोई उन्हें बेवकूफ न बना सके।

श्री अधिष्ठाता—

आप अभी कितना समय और लेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, तीन विभाग हैं मेरे पास। जल्दी करती हूँ।

हरिजनों के लिये मात्राकृत स्कूलों के लिए जो 5.95 करोड़ की धनराशि थी पहले, हमने उसे भी बढ़ाकर 7.66 करोड़ कर दिया है।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

मान्यवर, कुल माध्यमिक मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 5,600 है। इसमें हाई स्कूल और इण्टर के छात्रों की संख्या 22.20 लाख है। 1982-83 में हमने नये 8 हाई स्कूल खोले– 5 मैदानी क्षेत्र में, 3 पर्वतीय क्षेत्र में। इण्टरमीडिएट के 11 खोले 6 मैदानी क्षेत्र में और 5 पर्वतीय क्षेत्र में। 25 माध्यमिक स्कूलों को गत वर्ष अनुदान दिया। 112 लड़के व 28 लडकियों के स्कूलों को अनुदान दिया इस वर्ष और भी स्कूलों को अगले वर्ष अनुदान सूची में लाने का प्रयास करेंगे। हमने एक यह भी निर्णय लिया है कि वार्षिक क्रमानुसार अनुदान देंगे।

एक और निर्णय लिया है और वह यह कि बालिकाओं के लिये विद्यालयों में शौचालयों की व्यवस्था जिसके अन्तर्गत प्रति विद्यालय के लिये 15 हजार रुपये की धनराशि रखी गयी है।

एक और निर्णय लिया गया है इन्टर और हाई स्कूल के जो व्यक्तिगत छात्र होंगे उनके लिए पत्राचार प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी। इससे उनको अपने विषय का ज्ञान हो सकेगा। सन् 1984 से इण्टर में और 1985 में हाई स्कूल में यह पत्राचार के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था लागू की जायेगी। इसमें उनका ज्ञान वर्धन होगा।

माध्यमिक शिक्षा के केन्द्र मेरठ, वाराणसी और बरेली में खोले जा चुके हैं, इलाहाबाद में भी क्षेत्रीय केन्द्र खोला जा रहा है। इससे कार्य में शीघ्रता आयेगी।

उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में भी बतलाना चाहती हूँ। 1982-83 में विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या 1,27,000 है। डिग्री कालिजों में इनकी संख्या 3,75,000 है। 1981-82 में ललितपुर और जालौन डिग्री कालेज खोला गया। 1982-83 में ओबरा, महोबा, नोयडा, में खोले गये। 1983-84 में जलेसर (एटा), देवबन्द (सहारनपुर), द्वारहाट (अल्मोड़ा), नारायणनगर (पिथौरागढ़) में खोलने की व्यवस्था है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

और बाराबंकी में ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वहाँ आप जैसे शिक्षित लोग हैं तो क्या जरूरत है ? (हंसी) तो 4 डिग्री कालेजज खोलने का 1983-84 में प्राविधान बजट में किया गया है।

मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो छात्रायें हैं उनके छात्रावास के लिये 5 लाख रुपया स्वीकृत किया जा रहा है जब कि कुल लागत 40 लाख रुपये की है।

मान्यवर, पिछड़े इलाकों या पर्वतीय क्षेत्रों में अध्यापकों के आवास व्यवस्था के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 50 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा पद्यति में नई बातें लाने के लिए ताकि छात्रों का नैतिक स्तर ऊंचा उठे इसलिये उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसमें विचार विमर्श चल रहा है। विश्वविद्यालयों की, छात्रों की, अध्यापकों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है इसलिये समस्यायें भी बढ़ती जा रही हैं जिसके समाधान हेतु नये तरीके हमको सोचना है कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में हम क्या संशोधन कर सकते हैं ताकि शिक्षा का विकास हो सके, इस सम्बन्ध में एक समिति गठित की गई है और जो भी उसके निर्णय होंगे वह आपके सामने आगे आयेंगे।

मान्यवर, जहाँ तक प्रौढ़ शिक्षा का सम्बन्ध है उसके केन्द्र 1980-81 में 32 जिलों में 64 विकास खण्डों में 9563 केन्द्र थे, 1982-83 में 107 विकास खंडों में 11442 हमारे केन्द्र हैं जिसके 3,33,423 लाभार्थियों ने भाग लिया और विद्या अर्जित किया। मान्यवर, यह केन्द्र स्थापित करने में हमें केन्द्र सरकार से सहायता मिलती है और कुछ प्रदेश सरकार की सहायता से चलते हैं और स्वैच्छिक संस्थान भी चलाती हैं जैसे विद्या-लय या विश्वविदयालय, जिसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रौढ़ शिक्षा का काम अच्छा हो रहा है। इस संबंध में मैं यह भी बताना चाहूँगी कि 1983-84 में 18400 केन्द्रो का लक्ष्य है जिसमें 5,52,000 छात्र लाभान्वित होगें।

मान्यवर, बालाहार योजना 51 जनपदों में लागू है जिसमें 40 जनपदों में केयर से सहायता मिलती है और 11 जनपदों में शिक्षा विभाग यह योजना चला रहा है। वर्ष 1983-84 प्लान में 7,50,000 रुपये और नान-प्लान में 1,32,25,000 प्राविधान किया गया है, इससे 6,71,000 बच्चे केयर द्वारा और 2,04,000 बच्चे शिक्षा विभाग द्वारा लाभान्वित होंगे।

मान्यवर, विशेष पौष्टाहार योजना में 1983-84 में प्लान में 2,50,000 रुपये और नान प्लान में 58,61,000 रुपये का बजट में प्राविधान किया गया है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण जैसे हाई स्कूल साइन्स या बी० टी० सी० प्रशिक्षण के लिये प्रावधान किया गया है। भाषा की प्रगति करने के लिए भी हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं। हिन्दी संस्थान के माध्यम से जितनी भी हिन्दी के उच्च कोटि के लेखक हैं, उनको प्रतिवर्ष संस्कृत और हिन्दी भाषा की उल्लेखनीय सेवा के लिए पुरुस्कार दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक नई योजना हमने प्रारम्भ की है, जो उच्चतम कोटि के लेखक हैं, उनको हम एक लाख रुपया प्रतिवर्ष देंगे // यह सूचित करने में मुझे प्रसन्नता है कि यह पुरुस्कार पहली बार एक महिला को दिया जा रहा है, जिसका नाम श्रीमती महादेवी वर्मा है। अब मैं क्रीडा संस्थान के बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने इस संस्थान को लेकर अपनी शंका प्रकट की है कि क्रीडा संस्थान के लिये विधायकों की ओर से निर्णय लिया गया था, लेकिन उसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। मुझे सूचित करने में हर्ष होता है कि क्रीडा संस्थान की स्थापना हो चुकी है और उसके लिए डायरेक्टर का एप्वाएनमेंट हो चुका है। फैजाबाद में जमीन इसके लिए उपलब्ध है और वहाँ पर हमने इसे स्थापित कर दिया है।

पाठ्य पुस्तकों के जहाँ तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, कक्षा 1 से 8 तक की पुस्तकों का राष्ट्रीकरण हो चुका है, जिसमें 33 उर्दू की पुस्तकें हैं। कक्षा 9 व 10 की 15 पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और धीरे धीरे इसी तरह से आगे भी करते चले जायेंगे।

जहाँ तक उर्दू का प्रश्न है, 1980 में जब हमारी सरकार श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में आयी थी, उन्होंने निर्णय लिया था कि 6 हजार जो उर्दू के अध्यापक वर्षों से टेम्प्रेरी काम कर रहे हैं, उनको नियमित और स्थायी कर दिया जाएगा, उसी अनुसार उनको नियमित करके स्थायित्व प्रदान किया गया है। उन्होंने यह भी निर्णय लिया था कि जिस कक्षा में 40 छात्र उर्दू पढ़ने वाले हों, उनको एक अध्यापक दिया जाए और जिस विद्यालय में 40 छात्र उर्दू भाषा के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने की सुविधा दी जाए। तो उसको भी स्वीकार करके उसके आदेश दिये गये हैं।

जहाँ तक पुस्तकीय सहायता का सम्बन्ध है, उसमें भी हमने धन बढ़ाया है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए 10 रुपये से बढ़ाकर 70 रुपया, 6 से 8 तक 25 से 80, 9 से 10 तक 20

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

से 90 और 11 से 12 कक्षा तक 25 से बढ़ा कर 100 रु० सहायता प्रतिवर्ष कर दी गई है। इसी तरह छात्रवृति में भी हमने वृद्धि की है, कक्षा 6 से 8 तक 5 रुपये के स्थान पर 10 रुपया, 9 से 10 तक 10 रुपये से 15 रुपया और 11 से 12 तक 25 रुपये से बढ़ाकर 40 रु० छात्रवृति कर दी गई है। इसी तरह से हमने डिग्री क्लासों के छात्रों के लिए भी छात्रवृत्ति में वृद्धि की है।

अब मैं स्पोर्ट्स के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। स्पोर्ट्स के लिये हमने इस बजट में 1 करोड़ 49 लाख 13 हजार रुपये का प्राविधान किया है, जिसमें योजनागत में 46 लाख 48 हजार रुपया है और नान-प्लान में 1 करोड़ दो लाख 65 हजार रुपया रखा गया है।

मान्यवर हमारे स्पोर्ट्स विभाग ने अच्छे खिलड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं। जो लड़के इन्टरनेशनल और नेशनल गेम्स में उच्चकोटि का प्रदर्शन करेंगे, उनमें से स्वर्ण पदक प्राप्त विजेता को हम एक लाख रुपया पुरुस्कार देंगे और रजत पदक प्राप्त विजेता को 50 हजार रुपया पुरुस्कार देंगे और जो टीम स्वर्ण पदक प्राप्त करेगी, उस टीम के हर सदस्य को 25-25 हजार रुपया दिया जाएगा। तो मुझे बड़ी खुशी है बताने में कि हमारे कुछ खियाड़ियों ने इण्टरनेशनल फील्ड में नाम कमाया। मैं आपके सम्मुख श्री सैयद मोदी का नाम बताना चाहती हूँ। उन्होंने कामनवैल्थ गेम्स और एशियाड गेम्स में गोल्ड मैडल प्राप्त किया। मान्यवर, गोल्ड मैडल प्राप्तकर्त्ता को सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये का इनाम देंगे। मान्यवर, राजेन्द्र दुनेडा ने एशियाड गेम्स में सिलवर मैडल प्राप्त किया। मान्यवर, एसियाड गेम्स में सिलवर पदक प्राप्तकर्त्ता को हम 50 हजार रुपया देंगे। मान्यवर, राजेन्द्र सिंह ने दो ब्राज मैडल एशियाड गेम्स में प्राप्त किया। इनको 50 हजार रुपया दिया जायगा और मान्यवर, 4 लड़कियाँ हैं, लड़के तो तीन ही हैं। लड़किया 4 हैं, अनुरीता दुबे, रजिया जेदी, प्रेम माया और सुधा, ये चार लड़कियाँ हैं, जिन्हें एशियाड हाकी गेम में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। मान्यवर, इन्हें 25000 प्रत्येक को दिये जायेंगे।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

इनको दीदी के रिटायरमेंट के बाद मिलेगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, 82-83 में 55 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक व 33 कांस्य पदक प्राप्त किये गये।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी अपने भाषण को सीमित करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो आज्ञा। मान्यवर, क्रीड़ा छात्रावास तथा स्पोर्ट्स कालेज में भोजन जो साढ़े 9 रुपये की दर से दिया जाता था, वह अब हमने बढ़ाकर साढ़े 12 रुपये प्रतिदिन की दर से कर दिया है। इस समय मान्यवर, हमारे पास क्रीड़ा छात्रावास 9 हैं और हमारे पास इस समय ग्रामीण खेल कूद के भी केन्द्र हैं, 290 सेन्टर्स हैं, 39 नये केन्द्र हम खोलने जा रहे हैं। 83-84 में, इन केन्द्रों में 50 रु० जो शिक्षक होता है, उसको मानदेय देते हैं, 600 रुपये वर्ष, 300 रु० अगले अनवर्ती वर्ष में देते हैं, ताकि वे सामान खरीद सकें।

(व्यवधान)

मान्यवर, बहु उद्देशीय क्रीड़ा हाल बिजनौर, रायबरेली, सुल्तानपुर, गोरखपुर में हमारी खोलने की योजना है। इस समय हमारे पास 11 स्टेडियम हैं और निर्माणाधीन 20 हैं। मैं आशा करता हूँ कि 83-84 में पूर्ण हो जायेंगे। 8 की जमीन मिल चुकी है, बह जो जमीन मिल गयी है, 83-84 में उनमें भी काम शुरू होने की आशा है।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करती हूँ कि यह शिक्षा विभाग एवं सांस्कृतिक विभाग, एवं क्रीड़ा विभाग, इन विभागों का जो बजट है, उसके बारे में मुझे पूरी आशा है, क्योंकि इसमें लगभग 2 करोड़ छात्रों के भविष्य की शिक्षा का प्राविधान है। तो मैं समझती हूँ कि उधर के हमारे विपक्ष के नेता अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेंगे और छोटे बच्चों के हित के लिए इसे सर्वसम्मति से आस पास करेंगे।

मान्यवर, अन्त में मैं लखनऊ के भातखण्डे महाविद्यालय के विषय पर, सांस्कृतिक कार्यक्रम के संबंध में प्रकाश डालना चाहती हूँ। यह वह विद्यालय है, जिसने इण्टरनेशनल ख्याति प्राप्त की है और इसमें सीलोन वगैरह बाहर से लोग आते हैं संगीत का अध्ययन करने के लिए मान्यवर, इस महाविद्यालय ने उच्चकोटि के संगीतज्ञ उत्पन्न किये हैं जिसमें कि श्री विष्णु गोविन्द जो प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं इनको पद्म भूषण की उपाधि केन्द्रीय सरकार ने दिया है। यह हमारे लिए कीर्ति का विषय है। लखनऊ का एक लड़का अनूप जलोटा जो इस विद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र है, मान्यवर, इसके अलावा दिलराज कौर वह भी इस विद्यालय की छात्रा रही है। इनको फिल्मों में एक एक कंपोजीशन में 25 हजार रुपये मिलते हैं। यह सब इसी विद्यालय के पढ़े हुये बच्चे हैं। मान्यवर, पहाड़ी सान्याल का नाम आपने जरूर पढ़ा होगा, यह फिल्मों के उच्च कोटि के गायक हैं वह भी इसी विद्यालय के पढ़े हैं। चिन्मय लहरी, सुनीति मुटाटकर, दिनकर केंकिणी, पी०एन० चिचोरे, श्रीमती पूर्णिमा पांडे इन्होंने पूरे भारत में नाम कमाया है और उत्तर प्रदेश का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। मुझे इस बात का गर्व है कि बिरजू महाराज, दिनकर केंकिणी आदि ने पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में उत्तर प्रदेश के संगीत का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और आपका नाम रोशन कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं चाहूँगी कि विपक्ष अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेकर हमें सहयोग प्रदान करें।

श्री अधिष्ठाता—

अभी तो कटौती का प्रस्ताव पेश ही नहीं हुआ है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं कहना चाहूँगी कि पेश ही न करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपने शिक्षा विभाग, सांस्कृतिक विभाग और क्रीड़ा विभाग के सचिव महोदय तथा उनके साथ जो हमारे अधिकारी गण हैं उन्होंने जो भी प्रगति में सहयोग दिया है, मैं उनको बधाई देती हूँ और आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक गण हैं जितने हमारे छात्र-छात्रायें हैं, मैं उनका अभिनन्दन करती हूँ और मैं अपने हृदय से शुभकामनायें प्रकट करते हुये जिन्होंने उत्तर प्रदेश की अव्यवस्थित शिक्षा को व्यवस्थित करने में योगदान दिया है उनकी मैं हृदय से आभारी हूँ।

*राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि अनुदान संख्या 56 शिक्षा विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या-68 सांस्कृतिक कार्य विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या 80 स्पोर्टस विभाग, सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। मान्यवर, अपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के पहले, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अभी तक कुछ को आदरणीय, वंदनीय की संज्ञा और विशेषण दिया है, लेकिन शासन की हृदय हीनता के फलस्वरूप आज दो दिन पहले बाराबंकी में जो एक अध्यापक काल कलवित हो गया, हमारे बीच से सदा सदा के लिए चला गया, मुझे सही स्मरण है कि आंध्र प्रदेश के रमोला के बाद यह पहला मौका है, जब एक अध्यापक भूख हड़ताल करता हुआ शहीद हो गया। चूँकि आज शिक्षा का बजट है और इसका उससे सीधा सम्बन्ध है इसलिए मैं उसके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हुआ, शासन की हृदयहीनता की निन्दा करता हूँ। इसके बाद मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ।

माननीय मंत्री जी का भाषण सुनते समय ऐसा लग रहा था कि जैसे परम्परागत, रटी रटायी बात माननीय मंत्री जी सुना रही थी। वास्तव में किसी अच्छी नीति की घोषणा की गयी होती, शिक्षा की पृष्ठभूमि में जो ज्वलंत प्रश्न हैं, उनके हल के लिए कोई उपयुक्त घोषणा की गयी होती, बात समझ में आती। मान्यवर, आज शिक्षा जगत की समस्यायें क्या हैं। यह जो हमारी शिक्षा है, किसी भी देश के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे सबल साधन है, जिसनी भी समस्यायें हैं, उनका समाधान हो जाय, अगर देश शिक्षित हो जाय, लोग साक्षर और योग्य संस्कार से अच्छे नागरिक बन जायें क्योंकि अच्छा नागरिक बनाने में शिक्षा व्यवस्था का योगदान रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। अभी माननीय मंत्री जी ने कुछ आंकड़े दिये, लेकिन अगर उन आंकड़ों को देखें, तो ऐसा लगेगा, जहां तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान में शिक्षा की दृष्टि से तो करीब करीब सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है। हमारे यहाँ कुल 27.40 साक्षर हैं और यह संख्या अगर केवल दो प्रदेश छोड़ दिये जायं, बिहार राजस्थान, तो मान्यवर हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ यह उल्लेखनीय बात है, हमारे पास 1979 में जो सांख्यकीय आंकड़े प्रकाशित हुए थे, जो 1971 की जनगणना के आधार पर थे, उसमें साक्षरता प्रतिशत अलग-अलग रूप में दिये गये हैं। उनमें सिक्किम और त्रिपुरा—यह भी हम से पीछे थे, लेकिन आज जब 1981 की जनगणना के आधार पर लेटेस्ट स्थिति है, उसमें यह आगे बढ़ गये हैं। 17.74 प्रतिशत वाले राज्य सिक्किम में साक्षरता 33.83 प्रतिशत हो गयी, 30.98 प्रतिशत वाले राज्य त्रिपुरा में साक्षरता 41.58 हो गयी और उत्तर प्रदेश में 21.70 प्रतिशत थी जो अब 27.40 प्रतिशत हो गयी, केवल लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस तरह से यह छोटे-छोटे राज्य हम से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन हमारा प्रदेश आगे बढ़ने में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, इसका कारण क्या है। कारण यह है कि आज माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बड़े जोरदार शब्दों में प्राथमिक शिक्षा की वकालत की कि हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, मान्यवर, मेरा भी यही मत है, जिससे आदरणीय सदन भी सहमत होगा कि जब तक प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगा, जब तक उसके उन्नयन के लिए, विकास के लिए काम नहीं होगा, तब तक यह साक्षरता उतनी नहीं बढ़ पायेगी अपितु निरक्षरता बराबर बढ़ती चली जायेगी ।

माननीय मंत्री जी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम का हवाला दिया प्रधानमंत्री जी की बात कही और कहा कि हमने यह तय कर लिया है कि एक किलोमीटर से दूर किसी भी बालक को पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा, घोषणा स्वागत योग्य है । एक तरफ तो यह स्वागत योग्य है, लेकिन वहीं हमें यह भी देखना होगा कि यह व्यवस्था पूरी कितने वर्षों में होगी । जहाँ तक आंकड़ों का ताल्लुक है उसके सम्बन्ध में आप वर्ष 1983-84 के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक के पृष्ठ-6 पर देखें कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उनकी संख्या बतायी गयी है 500, लेकिन जो माननीया मंत्री जी ने भाषण दिया उसमें यह संख्या बतायी गयी 501, हो सकता है शायद उनके मुंह से यह निकल गयी होगी, शायद माननीय मंत्री जी के ब्रीफ नोट में यह आ गया हो । 1983-84 के लिये घोषणा की गयी कि 500 स्कूल, तो यह पहले से भी आप देखें कि पिछले साल आपने कितने खोले अगर आपने यह संख्या 2000 बतायी होती, तो कुछ संतोष की बात होती । पिछले साल जो खोले गये और इस साल जितने खोलेंगे तो उसको देखते हुए यह प्रगति बहुत कम है, इससे शिक्षा की उन्नति और विकास कैसे पूरा हो पायेगा ?

मान्यवर, जो आर्थिक आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं कि अगले साल खर्च क्या होगा । पृष्ठ-4 पर आप देखें पिछले वर्ष की अपेक्षा जो आगे आने वाला वित्तीय वर्ष है, उसमें केवल साढ़े तीन करोड़ की वृद्धि बतायी गयी है । अब आप हिसाब लगायें कि वह साढ़े तीन करोड़ रुपये की वृद्धि, इतने बड़े प्रदेश और जो यह इतनी मंहगाई बढ़ी हुई है और जो इनके प्रशासनिक खर्चे बढ़ गये हैं तो शायद वेतन भत्ते और प्रशासनिक खर्च आपने इतने बढ़ा दिये हैं कि यह तीन करोड़ प्रशासनिक खर्च को पूरा नहीं कर पायेगा । इसलिये नये काम की शुरूआत की आशा करना 83-84 के बजट में व्यर्थ है । मान्यवर, आप देखें माननीय मंत्री जी ने कहा 72 हजार 2 सौ प्राइमरी स्कूल हैं । लेकिन कितने कागज पर हैं और मैदान में कितने हैं । मान्यवर, इनके आंकड़ों के अनुसार मुझे पता चला कि लगभग 20-22 हजार स्कूल भवनहीन हैं और मान्यवर, सन् 67-68 से 81 तक 3 हजार 8 सौ स्कूल बनाने के लिये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दिया और 1/3 आज तक बन पाये । लक्ष्य कैसे पूरा होगा ।

एक तो लक्ष्य को पूरा करने के लिये वित्तीय साधन नहीं हैं और अगर कहीं साधन दिखाई देता है तो साधन को पूरा करने के लिये प्रशासनिक क्षमता का अभाव है । इसलिये मेरा सुझाव है कि इन स्कूलों की कमियों को समझते हुये जिस वित्तीय वर्ष में धन का आवंटन हो उसी वर्ष में वह काम पूरा हो जाय । इसके लिये आप एक तंत्र स्थापित करें । मान्यवर, मैं एक उदाहरण अपने क्षेत्र का देना चाहता हूँ । जनपद सीतापुर में 3 जूनियर स्कूल का भवन बनना था शिक्षा समिति की मीटिंग हुई और तीनों विद्यालयों के लिये स्थान चयनित हो गया । लेकिन मान्यवर, बनने लगे तो पैसा कम पड़ गया और 3 में से मात्र 2 स्कूल बन पाये । चूँकि मैं प्रतिपक्ष का विधायक हूँ इसलिये मेरे निर्वाचन क्षेत्र का विद्यालय काट दिया गया । दोनों राम रतन के क्षेत्र में बन गये । मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन सी नीति है । आप नीति को आवश्यकता के अनुसार निर्धारित करते हैं या चेहरे को देखकर । अगर कोई मंत्री है तो उसी के क्षेत्र में काम होगा और कहीं काम नहीं होगा । मैं साफ तौर से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह कौन सा मानक है जिसके आधार पर मेरे निर्वाचन क्षेत्र का विद्यालय काट दिया गया । बड़ेगांव के विद्यालय को काटने का आधार क्या है । कहाँ पर भवन की आवश्यकता है या कहीं पर पुराना भवन है वहाँ बाद में बन जायेगा । किस जगह पर अधिक आवश्यकता है इसको देखकर आप

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

बनायेंगी या बिना किसी मानक के। मान्यवर, मैं चाहूँगा कि इस प्रकार से मेरे क्षेत्र के विद्यालय को काटने में जिस अधिकारी का दोषपूर्ण रवैया रहा हो उसको आप दण्डित करें लेकिन आप कुछ कर नहीं पायेंगी। मैंने पिछले साल मार्च 82 में सीतापुर के जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ शिकायती पत्र दिया और कहा कि यह राजनीतिक आधार पर काम करते हैं और लोगों की उपेक्षा करता है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। 2 बार मेरा प्रश्न स्थगित हुआ और आज उत्तर आया सूचना एकत्रित की जा रही है, मैं समझता हूँ कि यह शासन के लिये कलंक की बात है और इससे लज्जाजनक कोई बात हो नहीं सकती है।

मान्यवर, सरकारी कर्मचारी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। जो अच्छे कर्मचारी हैं उनको शासन पुरस्कृत करे और जो बुरे हैं उनको दण्डित करें, इससे अलग कोई नीति शासन की नहीं हो सकती है। अगर जिला विद्यालय के खिलाफ आरोप साबित होता है तो दण्डित कीजिये, वरना साफ कह दीजिये कि आरोप निराधार पाये गये लेकिन यह कहना कि सूचना एकत्रित की जा रही है लज्जाजनक बात है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी आपको बता देना चाहता हूँ कि आरोप इतने साफ हैं और डाकूमेंट पर आधारित हैं कि उसको नौकरी से निकालने के सिवा आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा। मान्यवर, मैंने सवाल किया था मेरे क्षेत्र सीतापुर में कौन-कौन से स्कूलों में छात्र संख्या के अनुसार अध्यापक कम हैं। मुझे बड़ी लम्बी फेहरिस्त भेज दी गई। आपके पास जो स्कूल हैं उसमें वांछित संख्या में अध्यापक नहीं हैं। मैं सीतापुर की बात कहता हूँ यदि छात्र संख्या के मानक के आधार पर अध्यापकों की नियुक्ति की जाय तो 5 सौ नये पद सृजित करने होंगे। मान्यवर, हर जिले में बी० टी० सी० के ट्रेंड अध्यापकों की फौज तैयार है। जो आये दिन धरना और आमरण अनशन करते रहते हैं। और हम लोग भी सदन में इस मामले को उठाया करते हैं। हमारे यहाँ 362 ट्रेंड टीचर हैं अगर मानक के आधार पर नियुक्त किया जाय तो 5 सौ अध्यापक नियुक्त हो जायेगा। यह है ज्वलन्त समस्या आज की।

(2 बजकर 20 मिनट)

जिसकी तरफ आपको ध्यान आकर्षित करना चाहिये। आपने कहा कि हमने मिश्रित विद्यालय खोल दिये। मिश्रित विद्यालय का अर्थ है कि वहां लड़के, लड़कियां साथ साथ पढ़ेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ दो स्कूल एक साथ चल रहे थे और छात्र संख्या कम थी वहाँ से एक विद्यालय ट्रान्सफर कर दिया जायेगा। वह विद्यालय कहाँ खोलेंगे। दो-दो वर्षों से इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् में फाइल पड़ी है। हम लोगों ने अपने-अपने क्षेत्र में जानकारी दे दी कि आपके यहाँ फलां फलां जगह विद्यालय खुल रहे हैं। वह कौन से कारण हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद् के कार्यालय में इतने दिनों तक फाइल पड़ी रहे। प्राइमरी शिक्षा केवल बच्चों की शिक्षा नहीं है नैतिकता की शिक्षा है। आज बच्चे स्कूल में जाते हैं। आंकड़े कहते हैं, प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चे पांचवे में पहुँचते पहुँचते केवल 50 प्रतिशत ही रह जाते हैं। 25 प्रतिशत ही पांचवा पास कर पाते हैं। मैट्रिक तक तो केवल पांच प्रतिशत ही रह जाते हैं और विश्वविद्यालय केवल एक प्रतिशत ही पहुँच पाते हैं। कारण क्या है ? कारण गरीबी है। शिक्षा का महत्व रखते हुये, पेट भी चाहिए, रोटी भी चाहिये।

सार्वभौमिक शिक्षा की बात होनी चाहिये। आज वर्ग शिक्षा हो गयी है। शासन की जिम्मेदारी उनको शिक्षित करना भी है जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह शिक्षा प्राप्त कर सकें। प्राइमरी के नीचे नर्सरी शिक्षा आती है। आंकड़े देखें। 50 प्रतिशत स्कूल नर्सरी के चल रहे हैं। 73-74 में 129 स्कूल नर्सरी के चला करते थे। 25 हजार छात्र संख्या थी। 80 हजार हो गयी। बड़े लोगों के पढ़ने की व्यवस्था हो

गयी। इनका या तो विस्तार किया जाय अन्यथा बन्द कर दिये जाय। मैं एक बात की ओर आपके माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। प्राइमरी शिक्षा बेसिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से चल रही है, व्यक्तिगत स्कूल भी बहुत से खुले हैं। ओमर वैश्य कालेज, कानपुर की ओर ध्यान आकर्षित करूँगा। नर्सरी, किंडर गार्डन है उसमें। डी० एम०, ए० डी० एम० वहाँ गये। उनमें समझौता हुआ कि विद्यालय मान्यता प्राप्त कर लें। उसने मान्यता प्राप्त नहीं की। 15 रुपये प्रति छात्र फीस लेते हैं और 100-150 रुपये अध्यापकों को देते हैं। उनका शोषण हो रहा है। आपके पास दिक्कत नहीं है। मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि एक बोर्ड बनायें जो निजी स्कूलों को देखें। अनिवार्य रूप से उन्हें मान्यता लेनी चाहिये। अगर मान्यता नहीं लेते तो उनको बन्द कर देना चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के अलावा अब कोई दूसरा चारा रह नहीं गया। प्रबन्ध समितियां समयातीत हो गयी हैं। अब उसकी कोई जरूरत नहीं हैं कि आप प्रबन्ध समितियों को रखें। जब तक आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं करते विकास होने वाला नहीं है। आपका कमीशन अभी काम नहीं कर रहा है। तब तक तदर्थ नियुक्तियाँ की गयीं हैं, नियमों के अन्तर्गत ही की गयी होंगीं। तदर्थ नियुक्तियों में नियम क्या हैं ?.... मान्यवर, उसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज जो फैकल्टी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अन्दर जो अध्यापक रखे गये हैं। मान लीजिये कोई दो वर्ष की छुट्टी पर चला गया और कोई 5 वर्ष की छुट्टी पर चला गया और उस फैकल्टी में 5-7 वर्ष से कोई अध्यापक कार्य कर रहा है। उसके लिये आपने कहाकि आयोग बना जायेगा और आयोग उनको नियुक्त करेगा उन रिक्त पदों पर। तो मेरा कहना है कि उन रिक्त पदों पर जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनके बारे में शासन की क्या नीति होनी चाहिए। मान्यवर, मेरी साफ मान्यता है कि इस प्रकार जो अध्यापक वर्षों से इस योजना के तहत अपना इण्टरव्यू फेस करके विधिवत नियुक्त हुए हैं वो वहीं बने रहें उनको नौकरी से नहीं निकाला जाय।

मान्यवर, एक बात की तरफ आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कुछ विषयों में परिवर्तन किया गया है। विशेष कर विज्ञान के विषय के बारे में। इस सम्बन्ध में पहले भी मैं शासन और मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर चुका हूँ। इस सम्बन्ध में मेरी मान्यता होती जा रही है कि शासन अगर समस्याओं को समझ भी लेता है तो उसके अधिकारी उनके आपे में नहीं आते हैं। मान्यवर, आज हाई स्कूल में कुछ विषय अनिवार्य कर दिये गये हैं। इसके तहस सारे उत्तर प्रदेश में, मान्यवर, मेरे भी क्षेत्र में, जब वहाँ के छात्र मुझे मिलते हैं और वहाँ के अध्यापक मुझे मिलते हैं तो उनके दुख को देखकर द्रवित हो जाता हूँ। मैं इस विषय पर लगातार एक वर्ष से शासन का ध्यान आकर्षित कराता आ रहा हूँ।

मान्यवर, आज अप्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश के बहुत से स्कूलों में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे उत्तर प्रदेश में आज 374 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ आवश्यक भाषा की मान्यता नहीं है। मेरे पास इसका जी० ओ० भी है। मान्यवर, इस अनिवार्य भाषा के तीन ग्रुप बना दिये गये हैं। इन तीनों में, पहले में उर्दू, गुजराती, पंजाबी, बँगाली आदि-आदि। दूसरे में अंग्रेजी, फ्राँसीसी आदि वैदेशिक भाषायें तथा तीसरे में हमारी औरियण्टल लैंगवेज, संस्कृत, और पाली है। मान्यवर आज जिन विद्यालयों में संस्कृत भाषा नहीं है तो जिस छात्र ने कक्षा 8 तक अंग्रेजी की ए बी सी डी न पढ़ी हो तो उसे अपिरिहार्य रूप से अंग्रेजी लेनी पड़ेगी। जबकि वह छात्र हाई स्कल में

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

अगर अंग्रेजी पढ़ता है। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह कौन सी नीति है ? इस विषय की तरफ मैंने सदन का ध्यान कई बार आकर्षित किया लेकिन माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि यह काम किया जायेगा और इसे हम देख रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

श्री गुप्ता जी समय को ध्यान में रखते हुए अपनी बात 2-3 मिनट में समाप्त कर दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ हायर एजूकेशन के बारे में। हायर एजूकेशन के राष्ट्रीयकरण होने का मैं पक्षधर हूँ। मान्यवर, इन डिग्री कालेजों, कानपुर विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय आदि। मान्यवर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। त्याग पत्र देने के कारण यह हैं कि उन्होंने अपने अन्दरूनी वर्किंग में हस्तक्षेप समझा। मुझे जानकारी मिली है कि चपरासी को निकाल दिया गया। गढ़वाल विश्वविद्यालय में भी आज यही है। मान्यवर, मैं कानपुर विश्वविद्यालय की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित केस कई यहाँ पर सामने आये हैं। मान्यवर, वहाँ पर सी. पी. एम. टी. की परीक्षा में काफी भ्रष्टाचार हुआ है, नम्बर बदले गये हैं। और इस मागले में जाँच करने के आदेश दिये गये लेकिन आज तक उस जाँच के परिणाम सामने नहीं आये हैं। मान्यवर, जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया रेवेन्यू बोर्ड का एक मेम्बर, जितने अधिकारी इसमें नियुक्त किये गये थे अधिनियम की धारा 8 के तहत। इन लोगों को नियुक्त हुए कई महीने हो चुके हैं लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है। जानबूझकर स्टाफ नहीं दिया गया ताकि उनकी इन्कवायरी न होने पाये। मान्यवर, अन्त में क्या हुआ कि उन्हें कोर्ट में जाना पड़ा। दिनांक 28-2-1983 को हाई कोर्ट के न्यायाधीश श्री के. एस. वर्मा और श्री एन. एस. मिश्रा ने साफ-साफ लिखा है कि :—

"आल दो आन द व्यू दैट वी हैव टेकन इन्टायर एक्जामिनेशन रिजल्ट डिजर्वस टू बी क्वेशड एण्ड फ्रैसट्वेल्यूएशन आफ रिजल्ट एण्ड रैंकिक आफ द केन्डीडेट इज टू बी मेड"

साफ-साफ कहे देता हूँ कि उपर्युक्त बिन्दुओं के परिपेक्ष्य ने सम्पूर्ण परीक्षा रद्द किये जाने योग्य है। यह न्यायाधीश ने कहा है। इसमें आगे भी 42 लड़कों के बारे में कहा है कि उनका समायोजन किया जाना चाहिए। जजेज़ ने साफ स्वीकार कर लिया है पूरी परीक्षा रद्द करने योग्य है। मैं जानना चाहता हूँ कि अब आप इस विश्वविद्यालय के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही हैं। उनके खिलाफ पूर्ववर्ती शिक्षा मन्त्री ने काम किया था, लेकिन वर्तमान शिक्षा मन्त्री के आरुढ़ होने के बाद मामला खटाई में पड़ गया है। जिस गौरव के साथ आप कहती हैं कि आप 2 करोड़ बच्चों की माँ हैं, वैसे ही अपने आपको 2 करोड़ बच्चों की माँ समझकर उनके साथ इन्साफ करें।

जहां तक उक्च शिक्षा का प्रश्न है, उच्च शिक्षा के दो अंग हैं प्रशासनिक और एकेडेमिक। एकेडेमिक का मामला तो कुलपति का होना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक मामलों में सरकार को ऐसा हस्तक्षेप करने की जरूरत है कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार न हो। उदाहरण के लिये अगर कुलपति और प्रबन्धकारिणी समिति का गठबन्धन हो जाय तो भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर पहुँच जायगा। एक उदाहरण दे दूं। एस० एस० वी० कालेज,

हापुड़ है । यहां पर एक सैन्य विज्ञान में अध्यापिका की नियुक्ति हुई । चांसलर ने नियुक्ति रद्द कर दी । दुबारा विज्ञापन हुआ और उसी को फिर चुना गया । दो एक्सपर्टस आये थे । एक्सपर्टस की ओपीनियन अलग थी, शेष लोगों की अलग थी । नियमों में व्यवस्था है कि दो में से एक एक्सपर्ट की राय पक्ष में होनी चाहिये । चांसलर ने रद्द किया क्योंकि क्वालीफाइड नहीं है और क्वालीफाइड न होने पर भी उसकी नियुक्ति हो जाती है । इस लिए सुझाव है कि प्रशासनिक मामले को लेकर दो काम तत्काल कर दिये जायें ।

(व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इसीलिए तो आयोग बनाया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आयोग क्या करेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय, गुप्त जी, आप मुझे सम्बोधित करिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसका प्रशासनिक पहलू जो है, मेरी साफ मांग है कि कमेटीज को अधिनियमित करके स्टेच्युटरी बाडीज बना दीजिये, तो मामला सुलझ सकता है । चान्सलर के पास समय नहीं है, चाहें तो जुडिशियल चान्सलर नियुक्त करिये । कोई ऐसी चीज जो जल्द समस्याओं का निराकरण करे तभी समस्यायें सुलझ सकती हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपने 25 मिनट के बजाय 30 मिनट समय ले लिया है । अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

बस मान्यवर, 2 मिनट और ।

पूरे विश्वविद्यालयों की स्थिति खराब हो गयी है । कारण यह है कि शासन के पास जो शिकायतें आती हैं, प्रभावी ढंग से काम नहीं किया जाता । अवध विश्वविद्यालय की जांच हुई, रिपोर्ट आ गयी, 3 साल हो गये हैं, रिपोर्ट शासन के पास है । एसेम्बली में क्वेशचन भी किया तो उत्तर आया कि शीघ्र प्रस्तुत की जायगी लेकिन रिपोर्ट अभी तक सदन की मेज पर नहीं रखी गयी । उसकी बहुत सी फाइनडिंग्स् हैं, उसके आधार पर डिग्री कालेजेज के खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत थी परन्तु उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है । माननीया शिक्षा मंत्री जी ने अपनी घोषणा में ऐसा निराशाजनक चित्र प्रस्तुत किया है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में ज्वलन्त सवाल बना हुआ है उसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है ।

शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण में एशियाड की बड़ी चर्चा की और खिलाड़ियों के नाम लिये और उस पर गौरवान्वित होने की कोशिश की । परन्तु उन खिलाड़ियों को आपकी नियत पर शक हो गया है क्योंकि आपने उनको आज तक पुरस्कार नहीं दिया है तो इससे उनका मनोबल गिरेगा या नहीं ? यह एक शोचनीय विषय है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे शिक्षा जैसे अहम् अनुदान पर बोलने का अवसर दिया। मैं निश्चित रूप से माननीया शिक्षा मंत्री जी और उनके विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश में शिक्षा की प्रगति के लिए कार्य किया है और जो सुझाव दिये हैं और अपना प्रस्ताव रखा है लेकिन मैं उनका ध्यान शिक्षा से सम्बन्धित कुछ मुद्दों की ओर ले जाना चाहता हूँ। मान्यवर, शिक्षा का प्रारम्भ प्रथम माँ की गोद से शुरू होता है। पहली शिक्षा संस्था माँ की गोद है, दूसरी शिक्षा संस्था उसका परिवार तथा समाज है, तीसरी शिक्षा संस्था वह है जिन्हें हम विद्यालय कहते हैं, बच्चा जहां शिक्षा पाता है। मान्यवर, लेकिन सर्वप्रथम उसकी शिक्षा माँ की गोद से प्रारम्भ होती है।

मैं माननीया मंत्री जी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि किस तरह से एशियाड व विश्व प्रतियोगिता में गोल्ड मेडिल और सिल्वर मेडिल जीतने में लडकियों की तादाद आगे रही है। यह हर्ष की बात है कि लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। मान्यवर, जब तक लड़कियाँ शिक्षित नहीं होंगी तब तक हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकेगा। परन्तु मैं यह आंकड़े देख रहा था तो इस सम्बन्ध में मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आज बावजूद इसके कि शिक्षा विभाग एक सम्मानित महिला के हाथ में है और इसके लिये हम गौरव भी करते हैं जब हम हाईस्कूल और इण्टर के बच्चों के रिजल्ट देखते हैं तो उनके प्रति अपने विश्वास को हम ध्यान से देख सकते हैं उनमें भी लड़कियां आगे नजर आती हैं इसके बावजूद प्राइमरी स्कूल तक जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें तो लड़के लड़कियों की शिक्षा एक साथ चल सकती है लेकिन आगे की शिक्षा के लिये अभी भी ग्रामों में समस्या है। और जो तादाद इसमें शिक्षा के आंकड़ों में दिखाई है। वह इस बात का स्वयं प्रमाण है कि महिला जगत को शिक्षा के लिए आज भी कमी है। जिसके ऊपर आना जरुरी है। बावजूद इस कमी के हम कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, और स्कूलों तथा कालेजों के जो रिजल्ट निकलते हैं उसमें यही देखने में आता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबिले में आगे है। इसके बावजूद भी लड़कियों के लिये समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।

माननीय मंत्री जी इस समय हैं नहीं, उठ कर चली गई हैं, फिर भी मैं उनके डेस्क से बड़े अदब के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस बात की ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिये कि प्राइमरी एजूकेशन के बाद ऊपर की जो एजूकेशन है उसमें हम लड़कियों के लिये व्यवस्था करें जहां लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें।

और ताकि वहाँ लड़कियाँ अधिक शिक्षा ग्रहण कर सकें मान्यवर, दूसरी बात जो मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि जहाँ हम शिक्षा की प्रगति के लिये तमाम नये काम करते जा रहे हैं, अध्यापकों के वेतन और स्कूलों की बिल्डिगें, वहीं पर हमको यह भी देखना पड़ेगा कि शिक्षा जगत में शिक्षा के स्टैण्डर्ड में प्रगति हो, जो कि आज तेजी से गिरता जा रहा है। भ्रष्टाचार इसमें बढ़ता जा रहा है। इस ओर मैं यह कहना चाहूँगा, जिसे मैं महसूस स्वयं करता हूँ और मुझे कहते हुए शर्मसी महसूस हो रही है क्योंकि इसके लिये हम सब दोषी हैं आज बजाए गिनती 100 से गिनने के शून्य से गिनें, जिस शून्य के मायने में होता है आज वहां से आपको गिनती शुरू करने की आवश्यकता है, मान्यवर, शासन को केवल दोषी हम बनाए, ठीक नहीं लगता है क्योंकि उसके अंग लोग भी उसी समाज के हैं। साथ ही साथ हम दोनों पक्षों के लोग भी उसी समाज की तसवीर हैं। दोनों समाज की सेवा के लिये आये हैं। इसके बाद भी हमारी जिम्मेदारी समाज को ठीक करने की बनती है।

मान्यवर, आपके सामने मैं एक बात रखना चाहता हूँ, आप कहेंगे कि मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित है, मेरे पास इससे सम्बन्धित हाई कोर्ट का जजमेंट है, यदि आप पढ़ने की इजाजत देंगे तो इसके द्वारा मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आज शिक्षा जगत में गड़बड़ियाँ किस सीमा तक पहुंच चुकी हैं। सुप्रीमकोर्ट के इस जजमेंट में साफ-साफ कहा गया है कि 19 लड़के पी० एम० टी० मे ऐसे फेल किये गये हैं जो भ्रष्टाचार की एक बेमिसाल मिशाल है। इस फैसले में न्यायाधीश ने कहा कि मजबूरी चाहे जो हो इन लड़कों को प्रवेश के लिये जो नम्बर मिलने चाहिये थे, वह नहीं मिले, अर्थात कम दिये गये और और जिनका प्रवेश होना है क्योंकि उन्हें जो नम्बर दिये गये हैं वे बहुत कम हैं। जो उनको मिलने चाहिये थे, कम पाने वाले को ज्यादा दिये गये हैं। इजाजत हो तो मैं पढ़ दूँ ?

इन ब्यू आफ दैट हैज बीन सैड एबव रिट पेटीशन नम्बर्स। सच एण्ड सच आफ 1983 आर हेयरबाई डिस्मिस्ड एन्ड रिट पेटीशन नम्बर्स 9,146,230 एण्ड आर० एन० 277 आफ 1983 आर हेयरबाई पार्टली एलाउड एण्ड दि अपोजिट पार्टीज नम्बर 1,2 एण्ड 3 आर डाइरेक्टेड टू एडमिट इन दि एम०बी०बी०एस० कोर्स दि एफोरसैड पेटीशनर्स इन एकार्डेन्स विद दि आब्जरवेशन्स मेड एबव।

आगे दिया है माननीय न्यायाधीश ने-हर पेटीशन आलसो एक्सीड एन्ड दि अपोजिट पार्टीज नं० 1,2 एण्ड 3 आर डाइरेक्टेड टू एडमिट हर इन ए मेडिकल कालेज टू व्हिच शी मे नाउ बी इनटाइटिल्ड टू हर एडमिशन एकार्डिग टू हर रैंकिग आन दि बेसिस आफ टोटल मार्क्स सो रिसीब्ड बाई हर।

आज मान्यवर, इन परिस्थितियों को देखते हुए यह सहज ही कहना पड़ जाता है कि हमारे मेडिकल कालेज में प्रवेश इग्जामिनेशन्स में भी बेमानी हो रही हैं, इसके लिये उपकुलपति महोदय जिम्मेदार हैं। मान्यवर, उसके लिये विभाग जिम्मेदार है। मैं कहना चाहूँगा कि आज स्थिति गम्भीर बन गयी है यह जो मेडिकल कालेजों तक यह पहुँच गई है। अब कोई यह नहीं कह सकता है कि वह अपनी योग्यता पर चुन ही लिया जायेगा। मान्यवर, यह निश्चित रूप से कलंक है, जिसे विभाग को समाप्त करना होगा। डा. श्रीमती हेमलता स्वरूप, उपकुलपति कानपुर के बारे में आरोप हैं। उन आरोपों की जाँच के लिये सी० आई० डी० को दी गयी थी। उनके खिलाफ 24 आरोप लगे अब एक कमीशन बैठा है लेकिन उस कमीशन का नतीजा क्या है आज तक नहीं पता चल पाया है। आज भी हमको उसकी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है। मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मसला है और सी० आई० डी० द्वारा प्रूव भी हो गया है। मामला कमीशन को भी दिया गया। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में शासन को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है। अब समाप्त करें।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मैं 2-3 बातें कहकर ही समाप्त करता हूँ। अब मैं प्राइमरी स्कूलों के बारे में कहना चाहता हूँ। मेरे जनपद फैजाबाद के अकबरपुर तहसील में है जिसकी आबादी 8 लाख है और वहाँ पर इतनी बड़ी जनसंख्या में प्राइमरी स्कूल 354 हैं। मान्यवर, 8 लाख में 354, यह आप देखें। मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी से प्राइमरी स्कूलों के बारे में एक लिस्ट माँगी थी कितने स्कूलों के भवन हैं और कितने के नहीं हैं तो उन्होंने पहले उत्तर दिया कि आपके पत्र पर कार्यवाही की जा रही है। मान्यवर, उन्होंने 6 महीने में लिस्ट दी। इस सूची में भी वह झूठ बोलने से डरे नहीं। उन्होंने यह भी नहीं परवाह की कि मैं

[श्री प्रियदर्शी जेतली—]

इस लिस्ट को उस विधायक को देने जा रहा हूं जो वहां से चुनकर आता है और वहीं का रहने वाला है, वह मिर्जापुर का रहने वाला नहीं है, फिर भी वह झूठ बोलने से डरे नहीं। जहां पर भवन नहीं था, वहाँ पर भी भवन दिखा दिया। जहां पर बच्चे पेड़ के नींचे और आसमान के नीचे बैठते हैं, उसको भी दिखा दिया लिस्ट में।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूँ। मान्यवर, हमारे यहां पर फतेहपुर काकाडिल एक स्कूल है, उसको मान्यता मिली है। एस० डी० आई० ने वहां का इन्सपेक्शन भी किया है इन्सपेक्शन 14-10-70, 16-3-71, 20-3-73, 24-9-79, 6-11-71, 27 सितम्बर, 1972 को किया गया है। जिला परिषद से लोटा बाल्टी मिलती रही। बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब कहा गया तो कहते हैं कि जांच की जा रही है कि उसको मान्यता कब मिली। वहाँ पर बी० एस० ए० राय साहब थे जिनका ट्रान्सफर बड़ी मुश्किल से हुआ यह शिक्षा विभाग का मसला है। फर्रूखाबाद में 37 नियुक्तियां अनियमित की गयीं। मान्यवर, अन्तिम बात यह है कि शिक्षा विभाग में जो कर्मचारी हैं उनकी कार्य करते हुये अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के लोगों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर सुविधा जो मिलती है। उस जी० ओ० में परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि वह जी०ओ० बाद में किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और माननीय गुप्त जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसको वह वापस ले लेंगे यह निवेदन करता हूँ आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया।

*डाक्टर शिवनाथ नौटियाल—

मान्यवर, माननीया शिक्षा मन्त्री जी ने जो आज यहाँ पर प्रदेश के लिये शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है, इससे अधिक निराशापूर्ण और जैसा कि उन्होंने स्वयं पहले ही शब्द में कहा था कि भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये हम बजट ला रहे हैं, उनकी सारी बातों को और उनकी मंशा को ध्यान में रखते हुये मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि उन्होंने ठीक ही कहा है कि सम्पूर्ण प्रदेश में भ्रष्टाचार को उत्पन्न करने वाले इस शिक्षा के बजट को उन्होंने प्रस्तुत करके सारे उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार की नींव रख दी है उससे बढ़कर हमारे लिये और इस प्रदेश के लिये कलंक की बात नहीं हो सकती है, न कभी हुई है और न ही इसकी कल्पना की जा सकती है। जैसा कि उन्होंने अपने भाषण में कहा उसी के सम्बन्ध में मैं मान्यवर, आपके सम्मुख एक उदाहरण रखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमने शिक्षा जगत में बहुत भारी प्रगति की है। परीक्षायें करवाकर उनके परीक्षाफल निकलवा दिये हैं।

मैं माननीया शिक्षा मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सन् 1980,81 और 82 के संस्थागत और व्यक्तिगत छात्रों का परीक्षाफल अभी तक क्यों नहीं निकाला गया है। यह 1983 चल रहा है। आज भी उन छात्रों का भविष्य लटका हुआ है। आज वे छात्र इलाहाबाद की सड़कों पर इधर-उधर ठोकरें खाते हैं। मान्यवर, मैं स्वयं भी उसका एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मेरा लड़का भी इण्टरमीडियेट परीक्षा में बैठा था। मैंने कई बार शिक्षा मन्त्री से, शिक्षा सचिव से उसका परीक्षाफल निकालने के बारे मैं कहा कि उसका परीक्षाफल निकाल दिया जाय मैं स्वयं भी इसके बारे में इलाहाबाद गया। मान्यवर, वहां के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इनके दफ्तर के गेट पर गया तीन आदमी मेरे पास गेट पर ही आ गये और उन्होंने समझा कि आज कोई मुर्गा फंस गया है। इसी तरह से मैं बुश-शर्ट में था। वे मुझसे कहने लगे कि हम सचिव से आपका काम करवाते हैं बोलो कितना रुपया दे सकते हो। मैंने उनसे कहा कि आप लोग अपना-अपना शुभ-परिचय दे दीजिए। उसके बाद एक बाहरी आदमी की नजर मेरे ऊपर पड़ गई और उसने जब मुझे नमस्कार किया और मुझे पहचान गये तब वे तत्काल वहाँ से हट गये लेकिन मैंने उनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। मैं कहना चाहता हूँ कि इलाहाबाद का इनकी बोर्ड का कार्यालय दलालों का अड्डा बन गया है। आज मन्त्री जी कहते हैं हमने बड़ा भारी काम कर दिया है और माननीय पंचानन जी इसकी गवाही दे देंगे।

मान्यवर, यही नहीं 150 पेटियाँ माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव ने बनायी हैं। जो परीक्षाओं के लिये आवश्यक होती हैं। उसके लिये लोहे की आल्मारियो की जरूरत पड़ती है। उन्होंने 150 पेटियां लकड़ी की खरीदी हैं। रिटायर होने वाले जो लोग हैं उनका सामान ले जाने के लिये इन पेटियों का इस्तेमाल होगा। मान्यवर, ऐसा नियम पास हो गया था कि 400 वर्कर्स से ज्यादा डैली वैजेज पर नहीं रख सकते हैं लेकिन सचिव ने 800 वर्कर्स रखे हैं। इस तरह से शिक्षा की तरक्की की बात करते हैं। मेरे पास इसकी भी सूचना है कि दो आदमी शिक्षा निदेशक के पास हैं और इसी तरह से हर कर्मचारी के पास है जो कि मुफ्त सेवा कर रहे हैं और तनख्वाह वहाँ से ले रहे हैं। इस तरह से मन्त्री जी कह रही हैं कि हम शिक्षा जगत में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। कानपुर के बारे में तो आपने सुन लिया। कहते हैं हमने इतना बड़ा तीर-तुक्का चला दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर प्रोसीक्यूशन होना चाहिए। 24-7-82 को कानपुर की एक जनजागरण संस्थान ने मुख्य मन्त्री को, शिक्षा मन्त्री को, स्वास्थ्य मन्त्री को लिखकर दिया था कि वहाँ पर 3 पेपर आउट हो गये हैं। यही नहीं उसने यह भी लिखकर दिया था कि सन् 76 में सौंठी ने जिस मैसर्स कपूर आर्ट प्रेस को आपने यहाँ से अयोग्य घोषित कर दिया था वहीं से पेसर्स छपवाये गये। मान्यवर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जो मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने कह दिया कि ठीक है यह उनके जूरिसडिक्सन में है। लेकिन सरकार ने उसके लिए एक जांच कमीशन बना दिया। यहां पर आप कहती हैं कि हमने यह कर दिया वह कर दिया, बड़ा भारी काम कर दिया। मेरे पास एक पत्र है जो श्रीमती सुशीला रस्तोगी ने लिखा है उसमें उन्होंने कहा है कि 50 हजार देकर पास करवाया है। इसमें कोई शक नहीं कि ऊपर से नीचे तक यह सब करिश्मा होता है वह पैसा बँटता है। आज उत्तर प्रदेश में इस विभाग में इतना भ्रष्टाचार फैल गया है कि अधिकारो लोग इस प्रकार का षडयंत्र करते हैं और प्रदेश की शिक्षा को जरजर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शिक्षा को इतना पीछे कर दिया है कि हम उसको देखने और समझने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग का दफ्तर दलालों का दफ्तर हो गया है यहां तक कि मुझ से तक कहा जा रहा है कि इतना रुपया दो।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

इतना भी लिहाज नहीं किया कि यह भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री हैं।

डा० शिवानन्द नौटियाल—

यह तस्वीर शिक्षा विभाग की है यह सोचने की बात है। हमारे यहां पौड़ी में एक

[डा० शिवानन्द नौटियाल—]

डी० डी० आर० बैठा रखे हैं जो एक एक ट्रांसफर पर 5,5 सौ रुपया खुलेआम ले रहे हैं और कहते हैं कि मुझको मन्त्री जी तक रुपया पहुंचाना है। मैंने पिछले साल भी कहा था इस साल फिर कह रहा हूँ उनसे इतना मोह क्यों है (व्यवधान) मेरे भाई आप उसमें शामिल नहीं है आप को भी पैसा मिलता तो अच्छा था लेकिन आपको नहीं मिलता है उसमें मन्त्री जी का हिस्सा होता है····

श्री अधिष्ठाता—

डा० नौटियाल आपका समय हो रहा है एक मिनट बाकी है।

डा० शिवानन्द नौटियाल—

आप मुझे उतना ही समय देंगे जितना जैतली साहब को समय दिया। संगीत की आप यहां पर बड़ी बात करती हैं कहती हैं कि हमने यह कर दिया वह कर दिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने घोषणा क्यों नहीं की जिस बात की बहुत दिनों से मांग थी कि हम संगीत विश्वविद्यालय बनाते हैं।

आपने पृष्ठ 81 में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए लिखा है कि उनको छात्रवृत्ति देते हैं। बड़ा कमाल कर दिया जो एक चीज दादा आदम के जमाने से चली आ रही है यानी 30 रु० उनको आप देते हैं क्यों नहीं उसको आपने बढ़ाया है उनके बच्चों को 30 रु० छात्रवृत्ति देते हैं कम से कम उन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिए त्याग किया उनके बच्चों को इस मंहगाई के जमाने में इतनी छात्रवृत्ति दे देतीं जितना अनुसूचित जाति और जन-जाति के बच्चों को दे रहे हैं। प्रतापगढ़ में तो स्कालरशिप मिला ही नहीं है।

यहाँ पर स्पोर्टस कालेज के बारे में भी बात आई। मैं एक ही शब्द में कहना चाहता हूँ कि बनारस से लेकर इलाहाबाद तक बिना टिकट के बच्चे आये हैं। यहाँ पर एक गैंग बना हुआ है स्पोर्टस के लिए वही लोग हमेशा आते हैं जो खेलते आये हैं नयी प्रतिभा को आने नहीं देना चाहते हैं। जो एक साल आयेगा वही दूसरे साल भी आयेगा। एक प्रकार का गुट बन गया है। इस प्रकार शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार फैल रहा है।

मैं अन्त में एक बात कहना चाहता हूँ पिछले साल भी मैंने कहा था आपको याद होगा सेवा नियमावली के बारे में, आप यहां पर कहती हैं हमने बड़ा भारी काम कर दिया आपने अभी तक अपने कर्मचारियों के लिये सेवा नियमावली तक नहीं बनायी है। सेवा नियमावली न होने के कारण उन लोगों को बहुत जल्दी तरक्की मिल जाती है जो अपने अधिकारियों के पैरों में पड़ जाते हैं। जो ऐसा नहीं करते, वे 20-20 वर्ष तक कोई तरक्की नहीं पाते। आप कहती हैं हमने बहुत बड़ा काम किया, पर सेवा नियमावली तक आप नहीं बना सकीं, तो क्या बड़ा काम किया। बिना सेवा नियमावली के आप किस प्रकार अध्यापकों को न्याय दिला सकेंगी? अध्यापकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

पर्वतीय अंचल के लिये कहा गया बहुत बड़ा काम किया, पर 119 विद्यालयों में वहाँ प्रिंसिन्पल तक नहीं हैं। 146 विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर 60 प्रतिशत से अधिक टीचर्स नहीं हैं। इम्तिहान हो रहे हैं, पर अध्यापक नहीं हैं। हिल कैडर बना दिया, लेकिन पहाड़ों पर जाने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त ।

***श्री पंचानन राय—**

अधिष्ठाता महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ । मैं समझता था कि माननीय गुप्त जी अपने कटौती के प्रस्ताव की जगह इस शिक्षा के बजट को बढ़ाने का प्रस्ताव करेंगे । शिक्षा का जन जीवन से बड़ा ही गहरा संबंध है । आज शिक्षा पर जितना खर्च करने की आवश्कता है उसके अनुसार हम खर्च नहीं कर रहे हैं । आज बहुत से प्राइमरी विद्यालय ऐसे हैं जो जमीन पर आसमान के नीचे चल रहे हैं ।

मान्यवर, 1980-81 में अपने बजट का 11.9 प्रतिशत 1982-83 में 11.8 प्रतिशत और 1983-84 में 11.9 प्रतिशत बजट शिक्षा के लिये रखा गया है । बजट वही है जो सन् 1980-81 में था, जब कि कर्मचारियों के वेतन में कई गुना वृद्धि हो गयी है । इस 500 करोड़ के शिक्षा के बजट में केवल 10 करोड़ रुपया ही ऐसा होगा जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर, उसके विकास पर खर्च हो सकेगा ।

हमारे साथी ने बहुत से मूल्यवान सुझाव भी दिये । आजादी के बाद के जो आंकड़े उन्होंने दिये उसकी मैं ताईद करता हूँ । (विरोध पक्ष से मेजों की थपथपाहट) साक्षरता का प्रतिशत उत्तरोत्तर कम होता गया और महिला शिक्षा का स्तर भी काफी कम हुआ है । पूरे भारत में यह शिक्षा का स्तर औसत 24.88 है, जबकि हमारे यहाँ केवल 14.4 है । हम औसत के बराबर भी नहीं हैं । शिक्षा के क्षेत्र में हमारा तीसरा स्थान है । शिक्षा के क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो व्यय होना चाहिए वह भी हमारे यहाँ अन्य प्रान्तों से कम है । सबसे कम बिहार में है 22.8, उसके बाद हमारे यहाँ 25.5 है । यही कारण है कि बिहार में अराजकता सबसे ज्यादा है, उसके बाद अराजकता में हमारे प्रदेश का दूसरा नम्बर आता है । इसलिए शिक्षा ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बजट को बढ़ाने का प्रस्ताव आना चाहिए था । जो उन्होंने सुझाव दिये वह ऐसे हैं कि उनके लिए और धन की आवश्यकता है और हमारी मांग है कि जो हमारा कुल आऊट ले है उसका कम से कम 40 प्रतिशत शिक्षा के ऊपर व्यय किया जाना चाहिए अन्यथा जो लक्ष्य हैं वह हम पूरा नहीं कर सकेंगे ।

मान्यवर, आजादी जब हासिल हुई तो उस समय जो निरक्षर थे वह 5 करोड़ थे जो अब बढ़कर 8 करोड़ हो गये हैं । तो जनसंख्या बढ़ने का जो अनुपात है 1971 से 1981 तक उ० प्र० में 25.49 प्रतिशत बढ़ा और साक्षरता में 5.68 प्रतिशत इसी अवधि में बढ़े हैं । शिक्षा के ऊपर हमें जितना व्यय करना चाहिए वह हम नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए साक्षरता के क्षेत्र में हम पिछड़ रहे हैं और प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है । लेकिन मैं सरकार को कुछ बातों में बधाई देता हूँ कि प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय आवश्यकतानुसार दस वर्षीय पाठ्यक्रम पिछली जुलाई से लागू किया । मान्यवर, आज आवश्यकता थी कि विज्ञान के क्षेत्र में जो ज्ञान का विस्फोट हुआ है उसका ज्ञान बच्चों को होना चाहिए । जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक स्थितियां हैं उनकी जानकारी शिक्षा में दी जानी चाहिए इसीलिये पहली बार सरकार ने फैसला किया है कि 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा हम देंगे और जुलाई से लागू किया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री पंचानन राय—]

लेकिन मान्यवर, जब यह फैसला सरकार ने लिया तो निश्चित रूप से उसको कार्यान्वित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिये केवल फैसला करें और सही रूप कार्यान्वित न करें तो हो सकता है कि नीति सही हो लेकिन हम असफल होंगे। इसलिये कहना चाहता हूँ कि आज यह फैसला करना होगा कि 10 वर्षीय सामान्य शिक्षा लागू कर रहे हैं तो कक्षा 10 तक सारे विषय मान्यता प्राप्त समझे जाने चाहिए जिनको 10 वर्षों में अनिवार्य किया है अन्यथा हो रहा है कि विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य कर दिया लेकिन उसके लिये शिक्षा जो सम्पन्न वर्ग समाज का था जिसको काले धन को खर्च करने का सवाल है वह गाँवों में जो नरसरी स्कूल बढ़ रहे हैं वहां पढ़ता है और गरीब के बच्चे उससे वंचित हो जाते हैं, इसलिये कल्याणकारी राज्य है, जनतन्त्र में हमारी आस्था है, तो गरीब और अमीर के बच्चों को एक तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। इसलिये 10 वर्षीय पाठ्यक्रम का निर्णय सही है लेकिन परिस्थितियां बन रही हैं कि एक तरफ तो गरीब आदमी का बच्चा विज्ञान नहीं पढ़ पा रहा है, इसलिये इसके लिये साधन इकट्ठा करने होंगे और फैसला करना चाहिए कि 10 वर्षीय पाठक्रम को सभी विद्यालयों में लागू किया जायेगा फिर चाहे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल हों या शहर के विद्यालय हों।

मान्यवर, हम जो निर्णय करते हैं यदि वह निर्णय कार्यान्वित नहीं होता है तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। मान्यवर, इसी सदन में कानून बना था कि जो विद्यालय हैं उनका जबतक राष्ट्रीयकरण नहीं होता है तब तक प्रबंध समितियाँ जनतंत्रीय आधार पर गठित होंगी। उसमें व्यवस्था थी कि किसी व्यक्ति या किसी जाति का प्रबंध समितियों में एकाधिकार नहीं होगा लेकिन उसको पिछले दो वर्षों में आप लागू नहीं कर सके। इसलिये आपका फैसला सही है लेकिन उसको कार्यान्वित नहीं करेंगे तो जातिवाद पनपेगा और इससे जनतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी।

मान्यवर, इस प्रदेश में कानून बना है कि किसी विद्यालय में जगह खाली होगी तो सीनियर मोस्ट व्यक्ति को उच्च पद पर प्रोन्नत किया जायेगा। मान्यवर, हमारे जिले में एक विद्यालय है जहाँ आज भी तेरहवें नम्बर का सीनियर व्यक्ति प्रधानाचार्य के रूप में आज भी काम कर रहा है।

दजनों बार इसी सदन में उसके बारे में सवाल उठा और सैकड़ों चिट्ठिया लिखी गइ, लेकिन उसमे कुछ नहीं हुआ। शेर बहादुर सिंह की चर्चा गुप्त जी ने की। यह दूसरी घटना है कि कोई अनशनकरी आज मरा है और इस परिस्थिति में मरा है। 6 महीने का उसका वेतन बाकी था, जिसके लिए वह अनशन पर था और मरने पर उसके पास से जेब से केवल 89 पैसे पोस्ट मार्टम के समय निकले हैं। अब उसके मरने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक, उसके बकाये की चेक लेकर घूम रहे हैं। तो क्या मरने के बाद ही बकाया मिलेगा, उसके पहले नहीं मिल सकता था। क्या अब अध्यापकों को अपना वेतन पाने के लिए मरना पड़ेगा। इससे बड़ा और कोई भ्रष्टाचार का उदाहरण नहीं हो सकता है। मैं किसी खास के भ्रष्टाचार के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, वह जनजीवन का हिस्सा हो गया है।

मैं एक घटना की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 5 सितम्बर के दिन प्रति वर्ष शिक्षक दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। डा० राधाकृष्णन के जन्मदिन पर यह सरकार शिक्षक दिवस मनाती है। शिक्षक कल्याण के लिए इसमें टिकट आदि बेचकर धन एकत्र किया जाता है और इसलिए एकत्र किया जाता है कि जो विपन्न अध्यापक हैं और दुर्घटनाग्रस्त अध्यापक हैं, उनके बच्चों को राहत दी जाएगी। उस कोष का आज शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों में 31,34,243.47 रुपया बकाया है। शिक्षक

कल्याण के नाम पर एकत्र किये गये इतनी भारी धनराशि शिक्षा विभाग के कर्मचारी और अधिकारी खा गये हैं और प्रयासों के बावजूद उसकी कोई वसूली अबतक नहीं हुई है। तो अब यह पैसा उनको कैसे मिलेगा। तो इसको भ्रष्टाचार नहीं क्या कहा जाएगा। साथ ही यह सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि उसने बहुत सारे जनकल्याणकारी काम किये हैं। 10 वर्षीय पाठ्यक्रम इस प्रदेश में लागू किया गया है, जो राष्ट्रीय आवश्यकता थी। विद्यालयों की प्रबन्ध समितियाँ को जनतन्त्रीय आधार पर गठित किया जाएगा, उसमें किसी व्यक्ति, जाति और साम्प्रदाय का एकाधिकार नहीं होगा। विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए उनके वेतनमानों में वृद्धि की गई है। इस सरकार ने पहली बार पूरे भारतवर्ष में फैसला किया है कि 16 साल का ठहराव दूर करने के लिए, 16 साल पर चयन वेतनमान की व्यवस्था प्राइमरी से लेकर डिग्री कालेजों के लिए की जाएगी। इस सरकार ने यह फैसला किया है कि मरने वाले के सामुहिक जीवन बीमा की राशि को बढ़ाकर 25 हजार रुपया कर दिया जाएगा। तो यह बहुत सारे फैसले हैं, जिनका हम सबको स्वागत करना चाहिए।

यह बात मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि आजादी के 30 साल में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ होगा, जितने महत्वपूर्ण निर्णय इधर इस सरकार में लिए गये है। शिक्षा सेवा आयोगों का गठन किया गया है। कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्राइमरी से लेकर उच्चस्तर तक के अध्यापकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। अध्यापकों के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था की गई है और आवासीय भत्ते में समानता स्थापित की गई है। यह सारे सही निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, लेकिन मैं दो-तीन बातें और कहना चाहता हूँ। असहायिक विद्यालयों के अध्यापकों की दीन हीन दशा और उनके शोषण की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उनके वेतन की भी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिऐ। आज ऐसे 700 विद्यालयों में करीब 10 हजार अध्यापक वर्षों बर्षों से कार्यरत हैं, जो 20 से 40 रुपया मासिक पर नौकरी कर रहे हैं। सरकार ने बंधुवा मजदूरों और अकुशल मजदूरी भी निर्धारित कर दी है। सरकार इस प्रदेश में अनस्किल्ड लेबर की मजदूरी 8 रुपया प्रति दिन तय कर चुकी है, उसी हिसाब से देखा जाए, तो भी अध्यापक का वेतन कम से कम 240 रुपया मासिक तो अवश्य ही होना चाहिए, लेकिन आज उसको 20-40 रुपया मिल रहा है। तो इनके लिए भी सरकार को फैसला करना पड़ेगा कि जिन विद्यालयों को उसने मान्यता दी है, उनमें काम करने वाले अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान की जिम्मेदारी वह स्वंय अपने ऊपर ले।

लखनऊ के ही एक अभिजात्य वर्ग की सदन में चर्चा हुई। इसी लखनऊ नगर में उनके जो विद्यालय हैं, उनको सरकार के कानून की कोई परवाह नहीं है। उनके विद्यालयों में अध्यापकों और कर्मचारियों का जितना शोषण और पीड़न हो रहा है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। यह जगदीश गांधी सिटी मांटेसरी के नाम से चैन आफ इंस्ट्यूशस खुलाते हैं। लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि यह जगदीश गांधी सी० आई० ए० का एजेंट है और उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिऐ। दीनानाथ पाण्डेय जी बैठे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बांसी में जितना ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार है, उसका कहीं उदाहरण नहीं मिल सकता है। लेकिन सारी औपचारिकताओं के बाद भी वहां पर कन्ट्रोलर नहीं बिठा पा रही है। तो हमें यदि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना है और प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो इस दिशा में सक्रियता के साथ कदम उठाना जरूरी है। सरकार ने जो बहुत सारे क्रान्तिकारी निर्णय लिये हैं, उसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ और गुप्त जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह इसके बजट को बढ़ाने का प्रस्ताव रखें, कटौती का नहीं।

*श्री धनीराम वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा रखे हुए शिक्षा के बजट पर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा जो सारी प्रगति का एकमात्र स्रोत है, उसकी ओर शिक्षा मंत्री जी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की पूर्णतया उदासीनता है। किंचितमात्र यह नहीं सोचते हैं कि किस तरह से छात्रों को सुख-सुविधा दी जाय, कैसे परीक्षा के समय में, कैसे केन्द्र बनाने के समय में उनकी परीक्षा व्यवस्था ठीक तरह से हो। इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं बहुत सी बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पहली बात, कितने अधिकारी इस विभाग में उदासीन हैं, इस विभाग में भ्रष्टाचार कितना है, मान्यवर, हमारा विद्यालय इटावा जनपद में श्री भगवानदास इण्टर कालेज, हरचन्दपुर है, हमारे विद्यालय में इण्टरमीडिएट में केवल आर्ट साइड से मान्यता प्राप्त है और उसमें केवल इस साल 95 छात्र इण्टरमीडिएट परीक्षा में बैठ रहे हैं। मान्यवर, उनके लिए कहा गया कि पूरे 95 छात्र सरसई नावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पंजीकृत किये जाते हैं, यही 95 छात्र कनैडी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरबंशपुर में किये जाते हैं। मान्यवर, सरसई नावर हमारे विद्यालय से 50 किलो मीटर दूर और कनैडी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की वास्तविक दूरी 5 किलो मीटर है, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय से लिखा गया है कि कनैडी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 16 किलो मीटर और सरसई नावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मात्र 8 किलो मीटर दूरी पर है।

मान्यवर, मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक को इस संबंध में लिखकर भी 10 जनवरी, 1983 को दिया, परन्तु उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, केवल मेरे लेटर को ओरिजिनल रूप में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को डी०ओ० लिखकर भेज दिया। वह लेटर भी मेरे पास मौजूद है। मान्यवर, सरसई नावर विद्यालय के प्राचार्य का पत्र मेरे पास आता है कि आपके विद्यालय के छात्र हमारे केन्द्र पर पंजीकृत हैं। जब मैंने यह देखा कि हमारे विद्यालय के वही छात्र दो केन्द्रों पर पंजीकृत हैं, और जिला विद्यालय निरीक्षक ने उन पर कोई कार्यवाही मेरे पत्र लिखने के बाद भी नहीं की, तो मैंने शिक्षा सचिव को 21 फरवरी, 83 को इस आशय का लिख दिया कि हमारे छात्र कनैडी उ०मा० विद्यालय केन्द्र पर ही पंजीकृत रखे जायं, जो केवल 5 किलो मीटर की दूर पर है, सरसई नावर विद्यालय पर न पंजीकृत रखा जाय, क्योंकि वह 50 किलो मीटर से ज्यादा दूर है, जिसे उन्होंने इस टिप्पणी के साथ सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को भेज दिया कि अवलोकन करें और विषय का निस्तारण किया जाय और विधायक जी को सूचित किया जाय, परन्तु उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की, जबकि व्यक्तिगत रूप से उनसे भी मिला।

मान्यवर, फिर मैंने माननीया शिक्षा मंत्री महोदया से 8 मार्च, 83 को उक्त आशय का पत्र लिखकर निवेदन किया कि हमारे विद्यालय में छात्रों को सरसई नावर विद्यालय पर पंजीकृत न रखकर कनैडी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केन्द्र पर ही रखा जावे। यह सुनकर माननीया शिक्षा मंत्री जी सदन के बाहर जा रही हैं और हमारी बात की उपेक्षा कर रही हैं। मान्यवर, उन्होंने मेरे सामने ही उस पत्र को विधान सभा में ही शिक्षा निदेशक महोदय श्री पृथ्वीराज चौहान को दे दिया और श्री पृथ्वी राज चौहान से मैं इस पत्र से संबंधित विषय पर दो बार मिला भी, उन्होंने बार-बार आश्वासन दिया कि मैंने सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को लिख दिया है कि केन्द्र कनैडी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पर ही रहेगा। मैं विश्वस्त हो गया, परन्तु दुख: की बात यह है कि हमारे छात्रों को 50 किलो मीटर से ज्यादा दूर पर स्थित सरसई नावर विद्यालय केन्द्र पर ही पंजीकृत रखा गया है, जिससे छात्रों को रहने और जाने-आने की निहायत कठिनाई होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय धनीराम वर्मा को बोलने दीजिए ।

श्री धनीराम वर्मा —

मान्यवर, इस उदासीनता के दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय । इसके साथ-साथ शिक्षा की दोहरी नीतियों को समाप्त किया जाय । धनी-गरीब को समान शिक्षा दी जाय । विज्ञान में हाई स्कूल में जो विज्ञान कम्पल्सरी किया गया है, उसके लिए विज्ञान के सामान की व्यवस्था की जाय और पढ़ाने वाले अध्यापकों की व्यवस्था की जाय । एक साल से पद सृजन पर जो रोक लगा रखी है, जिससे सारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, उसे हटाये जाने के लिए अविलम्ब आदेश पारित किये जावें, जिससे अध्यापकों की नियुक्ति करके शिक्षा व्यवस्था सुचारुरूप से चलाई जा सके । मान्यवर, भूगोल विषय की इण्टरमीडिएट में प्रयोगात्मक परीक्षा प्रारम्भ की गयी है, परन्तु प्रयोगशाला और प्रयोग-शाला के लिए आवश्यक सामान की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । अत: मैं माँग करता हूँ कि सरकार की ओर से अनुदान दिया जाय अथवा छात्रों से कुछ शुल्क लेने की अनुमति प्रदान की जाय । मान्यवर, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल जो नये खोले जाने हैं, उनकी संख्या माननीया शिक्षा मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार नगण्य है, इस घोषणा के अनुसार प्रत्येक जिले में केवल एक या दो जूनियर हाई स्कूल और दो या तीन प्राइमरी स्कूल ही खुल सकेंगे और साथ ही साथ भवनहीन विद्यालयों के भवन बनाये जाने हेतु भी न के बराबर घोषणा की गयी है । विद्यालयों के भवन बनवाये जाने हेतु समुचित व्यवस्था की जाय, जिससे शिक्षा व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके । मान्यवर, स्थायी मान्यता प्राप्त जूनि-यर हाई स्कूलों को अविलम्ब ग्राण्ट इन एड की लिस्ट पर लाया जाय, जिससे अध्यापकों का वेतन सुचारु रूप से मिल सके । अभी तक अध्यापकों का शोषण इन विद्यालयों में हो रहा है और भवन निर्माण हेतु मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों और हाई स्कूलों को भी अनुदान दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूँ ।

(3 बजकर 20 मिनट)

(श्री परमात्मा प्रसाद सिंह का नाम पुकारे जाने पर
तथा कुछ अन्य सदस्यों के खडे होने पर ।)

श्री अधिष्ठाता —

माननीय बाजपेयी जी आप 5 मिनट में क्या बोलेंगे ?

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है इसलिए मैं आपका आभारी हूँ । मैं शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का हृदय से स्वागत करता हूँ ।

श्री श्याम बाल बाजपेयी—

मान्यवर, अभी आपने मुझे संबोधित करने के बाद कहा, मैं आपकी बात समझा नहीं । शायद आपने कहा कि मैं 5 मिनट में क्या बोलूँगा ? तो जब पूरा सदन बोलता है,

[श्री श्यामलाल बाजपेई—]

तो मैं क्यों नहीं बोल सकता ? मान्यवर, जिस आसन पर आप बैठे हैं उस आसन पर यह टिप्पणी शोभा नहीं देती है।

मान्यवर, लिस्ट देखें कितने सदस्य रोज बोलते हैं।

यदि आपकी इच्छा नहीं है कि मैं न बोलूँ, तो मैं नहीं बोलूँगा। आपकी बिल्कुल इच्छा है कि मैं न बोलूँ।

श्री अधिष्ठाता—

ऐसी बात नहीं है।

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

मान्यवर, शिक्षा मनुष्य का निर्माण करती है। बिना पढा लिखा आदमी पशु के बराबर समझा जाता है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज जो अराजकता है यह वर्तमान शिक्षा की अकुशलता का प्रमाण है। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय इतिहास के पन्नों में रह गये हैं। हिन्दुस्तान की अपनी निजी शिक्षा प्रणाली बिल्कुल समाप्त हो गयी है। हिन्दुस्तान में और पूरे प्रदेश में अँग्रेजियत शिक्षा का प्रभाव छाया हुआ है। चाहे प्राइमरी एजूकेशन हो, चाहे जूनियर हाई स्कूल एजूकेशन हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो या चाहे यूनीवर्सिटीज की शिक्षा हो। मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा को मैं सबसे पहले लेता हूँ। प्राइमरी शिक्षा का यह हस्र है, यह परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश में 5, 6 किस्म की शिक्षा संस्थायें चल रही हैं।

मान्यवर, अभी हमारे माननीय सदस्य ने यह बताया कि मान्टेसरी स्कूल की चेन, इंगलिश मीडियम के स्कूलों की चेन, सरकार के स्कूलों की चेन, इस प्रकार के स्कूल हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा स्कूलों की श्रेणियाँ हैं। गाँव में प्राइमरी स्कूल दूसरी तरह के हैं, टाउन्स में प्राइमरी स्कूल दूसरी तरह के हैं, तहसील स्तर पर दूसरी तरह के प्राइमरी स्कूल हैं, जिले लेविल पर अलग तरह के प्राइमरी स्कूल हैं तथा इनमें शिक्षा का स्तर अलग अलग है। तो इस तरह से 6, 7 किस्म की शिक्षा चल रही है। मान्यवर, मैं इस सिलसिले में सुझाव देना चाहूँगा कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो। दूसरी चीज यह है कि एक किस्म की शिक्षा सभी विद्यालयों में सभी छात्रों को दी जाय। तीसरी चीज यह है कि शिक्षा के माध्यम में सबका पाठ्यक्रम एक रखा जाय यह मेरे कहने का मतलब है। मान्यवर, यह देखने की चीज है कि शिक्षा में हम कहाँ पर हैं। पूरे देश में उत्तर प्रदेश नीचे से तीसरे स्थान पर है। यही हाल बस्ती जिले का उत्तर प्रदेश में है। चौथे या पाँचवें स्थान पर बस्ती जिला है। मान्यवर, मान्यता देने का जो नियम बनाया गया उसके संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। प्रदेश के जिन जिलों में शिक्षा का जो औसत प्रतिशत 25% या प्रदेश के औसत से कम है उन सभी जिलों के सभी स्कूलों को मान्यता दे दी जाय और उनको अनुदान देने की सूची में शामिल कर लिया जाय। मान्यवर, प्रदेश में आजकल जो प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा में अव्यवस्था है, जिससे सर्वाधिक जनता प्रभावित हुई है, सर्वाधिक छात्र प्रभावित हुए हैं, उसमें अव्यवस्था का एक कारण यह भी है कि जो आपके सब डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल हैं, उनकी तनख्वाह कम है और जो सहायक अध्यापक एवं हेड मास्टर हैं, उनकी तनख्वाह इनसे ज्यादा हैं तो होता यह है कि उनकी बात इतनी ज्यादा सुनी नहीं जाती है, उनको कोई किसी प्रकार के प्रशासनिक अधिकार नहीं दिये गये हैं तो जब तक किसी को प्रशासनिक अधिकार नहीं दिये जायेंगे, तब तक वह प्रशासन क्या करेगा, उसका प्रशासन क्या होगा।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से सुझाव स्वरूप कहना चाहता हूँ कि यह जो आपके सब डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स हैं, इनको प्रशासनिक अधिकार दिये जायें ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह जी आपका केवल एक मिनट अब शेष है ।

श्री परमात्मा प्रसाद सिंह—

मान्यवर, दो मिनट और दे दीजिये अभी कुछ महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं । इसके अतिरिक्त एक बात और कहनी है कि जब तक पूरे सिस्टम में सुधार नहीं लाया जायेगा, तब तक जो यह अराजकता, भ्रष्टाचार है, वह समाप्त नहीं हो पायेगा । मैं अपने जिले के दो उदाहरणों की ओर मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ । मान्यवर, हमारे बस्ती जिले के बांसी डिग्री कालेज में अभी सी० डी० एफ०, पी० एफ० और फर्जी मार्कसीट बनाने तथा बी० एड० में एडमिशन में पैसा लेने का मामला है, इसके विरुद्ध शिकायत हुई थी, स्पेशल आडिट में यह तथ्य सही भी पाये गये । इसके लिए मांग की गयी थी कि वहाँ पर प्रशासक या कंट्रोलर बिठा दिया जाय, लेकिन आज तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है, पूरा का पूरा मामला अभी तक फाइलों में दबा पड़ा है । मैं माननीया मंत्री जी से चाहूँगा कि वहाँ पर कंट्रोलर या प्रशासक तुरन्त बिठा दिया जाय ।

इसके अतिरिक्त मान्यवर हमारे बस्ती जिले के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी और उनके दफ्तर का काम है, वह बहुत निम्न कोटि का है, निन्दनीय है, वे पैसा लेकर तमाम उल्टे सीधे काम करते हैं । मेरी जानकारी में एक निश्चित मामला है कि प्रधानाचार्य जूनियर हाई स्कूल कैथलिया, विकास खंड सांथा बस्ती के विरुद्ध गमन व भ्रष्टाचार का मामला था, उस पर जो जांच हुई उसमें 4 हजार रुपये के गबन का मामला साबित हुआ । उन्होंने अपने बयान में भी तसलीम किया कि उन्होंने लड़कों से नाजायज पैसा लिया, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन फिर बगैर इन्क्वायरी रिपोर्ट आये ही लगभग एक महीने के अंदर ही उनको रिइन्सटेंट कर दिया गया, उनका तबादला करने के बजाय उन्हें उसी ही स्कूल में पोस्ट कर दिया गया, मैं चाहूँगा कि इसको आप दिखवा लें ।

मान्यवर, इन चन्द सुझावों के साथ मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । मैं माननीया शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूँ ।

***श्रीमती गौरी देवी**—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे माननीया शिक्षा मंत्रीं जी द्वारा प्रस्तुत इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती का प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूँ ।

मान्यवर, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यह जो लम्बा चौड़ा बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें चाहे ग्रामीण अंचल के विद्यालय हों, पर्वतीय अंचल के विद्यालय हों, या अन्य विद्यालय हों, उनको इससे कोई खास लाभ नहीं पहुँचने वाला है, कोई विकास नहीं पहुंचने वाला है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती गौरी देवी—]

माननीया शिक्षा मंत्री जी का ध्यान गोरखपुर जनपद के अपने निर्वाचन क्षेत्र "कोड़ीराम" की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। वैसे तो मैं लिखकर भी दे चुकी हूँ, सदन में भी कह चुकी हूं, पुनः दोहरा देना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में कई स्कूल ऐसे हैं, जो भवन-विहीन हैं, कई स्कूलों की तो हालत यह है कि उनकी छतें लटक रही हैं, किसी भी समय कोई घटना हो सकती है, माननीया शिक्षा मंत्री जी इसको आप गम्भीरतापूर्वक सुनें। बाढ़ के समय में मैं जिलाधिकारी के साथ क्षेत्र का दौरा करने गयी थी तो मैंने उनको कई प्राइमरी स्कूल, कन्या प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूलों की दुर्दशा को दिखाया था, उन्होंने अन्दर जाकर उसकी हालत को देखा था। ऐसी हालत थी, ऐसा लगता था कि जैसे जानवर के बाँधने का खूँटा होता है वैसे वह स्कूल हैं, जिसमें 400 बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर स्कूलों की तो छतें लटकी हुई हैं किसी भी दिन वहां कोई घटना हो सकती है। जिले के अधिकारी से बात करें, शिक्षा सचिव से बात करें, निदेशक से बात करें, तो वे लोग कहते हैं जिले में पैसा गया है वहाँ बात कीजिये। जिले में शिक्षा अधिकारी से, विद्यालय निरीक्षक से बात करती हूँ तो कहते हैं कि जिले में पैसा नहीं है। मैं समझती हूँ जितना बजट पास होता है आपके अधिकारियों की जेबों में जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि बहुत से विद्यालय भवनहीन हैं। बच्चे चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो गरमी में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ 4-5 सौ बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। अध्यापक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाता है। शिक्षा विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन शिक्षा मंत्री के हाथों में जाने से यह शिक्षा विभाग लगता है खत्म हो गया है।

कई जगह लड़कियों के लिए डिग्री कालेज नहीं है। बड़ी-बड़ी लड़कियां दूर-दूर तक पढ़ने जाती हैं। मंत्री जी लड़कियों की तरफ विशेष ध्यान दें और राजकीय डिग्री कालेज खुलवाने का कष्ट करें। मैं चाहती हूँ कि मंत्री जी जो प्राइमरी पाठशाला है, कन्या पाठशाला है उनकी तरफ ध्यान दें। जिन स्कूलों को मान्यता नहीं मिल रही है उनको तत्काल मान्यता दिलाने का कष्ट करें। विगत वर्ष की बात है हमारी पार्टी के ओझा जी ने सवाल उठाया था कि पुनः प्राथमिक शिक्षा को तहसील के बाहर रखा जाय, उनका वेतन बढ़ाया जाय और आवासीय भत्ता और स्थानान्तरण भत्ता दिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुप्त जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करती हूँ।

*श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूँ कि आपने बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस चीज के लिए बधाई दूँगी माननीय शिक्षा मंत्री जी को, कि उन्होंने शिक्षा आयोग बनाकर शिक्षा जगत को नई दिशा और प्रेरणा दी। रिजेल्ट समय से निकल रहे हैं, क्लास समय से खुल रहे हैं। यह कहना कि कुछ हुआ ही नहीं मैं समझती हूँ उचित नहीं होगा। मान्यवर, कुछ और बातों की तरफ मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं। प्रारम्भिक शिक्षा की ओर इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने वार्ता की। मैंने स्वयं प्राइमरी स्कूल देखे हैं बहुतों में भवन नहीं हैं, बहुतों का भवन बिल्कुल जर्जर हो गया है और जैसा मुझसे पूर्व वक्ता बहन गौरी देवी ने कहा विद्यालय पेड़ों के नीचे लगते हैं। मैंने स्वयं निरीक्षण किया है। मैं चाहूंगी कि उधर और इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य जाकर उनकी पुस्तक उठा कर देखें तो पता चलेगा कि शिक्षा में बहुत ज्यादा कमी नहीं है, शिक्षा अच्छी चल रही है।

मैं भवन की बात नहीं कर रही हूं। इस बीस सूत्री कार्यक्रम 5 वें-अ में नये विद्यालयों के बारे में जो हैं, आप देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत देखें, 1981-82 में

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चालू की गयी योजना में 1165 परिषदीय प्राइमरी और जू० हा० स्कूल भवनों के निर्माण के लिए इतना रुपया केन्द्र और राज्य सरकार की सहायता के रूप में दिया गया और 1982-83 में 3 करोड़ की व्यवस्था की गई। यह स्वीकृत हो चुका है लेकिन क्या भवन बन गये हैं ? पूरा वित्तीय वर्ष बीता जा रहा है, जैसाकि मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रही हूँ, पूरा वित्तीय वर्ष बीता जाता है लेकिन सम्बन्धित विभाग द्वारा उसका आगड़न ही नहीं किया जाता। इससे होता क्या है वित्तीय स्वीकृति लेकर भी काम पूरा नहीं होता। तीन-तीन चार-चार साल बीत जाते हैं। नगरपालिकाओं, महापालिकाओं, के माध्यम से जो स्कूल बनते हैं, मैं पूँछना चाहूँगी माननीय शिक्षा मंत्री जी से स्कूलों की स्वीकृति हर जगह हो चुकी है, मार्च पूरा हो चुका है, लेकिन अभी विगत वर्ष का काम भी शुरू नहीं हुआ है।

पंचानन राय जी चले गये, माध्यमिक शिक्षा में, अच्छी चीज है, हाई स्कूल, इण्टर मीडिएट बोर्ड जिससे कि उनका सीधा सम्बन्ध है, जरा भी उन्होंने इधर उधर देखने की कोशिश नहीं की। हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट बोर्ड, बालकों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है, यह बिल्कुल सही बात है। हाई स्कूल इण्टरमीडिएट बोर्ड की जो परीक्षायें होती हैं, कापी जांचते हैं, एक कमरे में बैठा कर लाइन लगाते हैं, वह उनकी किस्मत की लाइन लगाते हैं सही लाइन नहीं लगाते। जब स्क्रुटिनी के लिए मेरे पास, माननीय सदस्य इस समय सदन में नही हैं, बालक या उनके अभिभावक आते हैं, इतना खर्च करते हैं, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि योग्यता को देखते हुए चाहते हैं किसी प्रकार भी स्क्रूटनी में कुछ हो जाय, सब्जेक्ट वाइज पैसा खर्च करते हैं लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि परीक्षायें आ गयीं लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। पंचानन राय जी से खासतौर से कहना चाहती हूँ कि हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट बोर्ड के सदस्य हैं।

एक बात मंत्री जी ने कही थी कि कुछ बजट स्वीकृत हुआ पुराने भवनों की रिपेयरिंग के लिए लेकिन पैसा मन्जूर हो गया है मंत्री जी यह भी देखने की कोशिश करें कि कौन से कारण हैं कि मार्च समाप्त होने जा रहा है, कार्य अभी शुरू ही नहीं हुआ। मेरे स्वयं के निर्वाचन क्षेत्र पारा में स्कूल है, एक लाख 10 हजार रुपया मंजूर कर दिया लेकिन आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ। नौटियाल जी ने अभी कहा, मैं उनकी बात की ताईद करती हूँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का शिक्षा जगत से बड़ा गहरा रिश्ता है। बहुत से जो जा चुके हैं और थोड़े से बचे हैं लेकिन उनके परिवार वालों को तरह नहीं देनी चाहिए अगर देनी चाहिए तो जैसा कि 30 रुपया जो पुराना चला आ रहा है, आज भी वही है, उसको बढ़ाने का प्रयास होना चाहिए।....

स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानियों के परिवार हैं जिनके पास किसी प्रकार का साधन नहीं है, अगर उनके बच्चे पढ़ने के योग्य हैं तो यह स्टेट की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि उनकी शिक्षा पूरी कराने की कोशिश करे। इससे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे बीच नहीं रहे उनकी आत्मा को शान्ति मिलेगी। इन शब्दों के साथ गुप्त जी जो बड़े योग्य हैं, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है इसलिये विरोध करती हूँ कि उन्होंने मन से नहीं रखा और मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करती हूँ।

श्री राम सागर—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी माननीय मंत्री जी ने शिक्षा की

[श्री रामसागर—]

उपलब्धियों और अध्यापकों की हमदर्दी में बड़ा लम्बा चौड़ा भाषण दिया। शिक्षा की उपलब्धियों के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आजादी के पैंतीस वर्षों के बाद भी आज केवल सत्ताइस प्रतिशत लोग ही शिक्षित हो पाये हैं। उसमें से यदि 1947 के पहले के शिक्षित लोगों को घटा दिया जाये तो शिक्षितों के आंकड़े कहाँ पहुँच जायेंगे, इसका आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं। शिक्षा मन्त्री जी ने अध्यापकों की हमदर्दी के बारे में भी लम्बा चौड़ा भाषण दिया। अध्यापकों की हमदर्दी के बारे में मैं उनकी हृदयहीनता का एक उदाहरण, जिसके बारे में कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की है, देना चाहूंगा। मेरे जनपद बाराबंकी में सरस्वती जयन्ती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, त्रिवेदीगंज में एक शेर बहादुर सिंह सी०टी० ग्रेड में अध्यापक थे। उसका वेतन बकाया था जिसको लेकर वह दो मार्च को इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे। दो-तीन दिन बाद उसकी हालत गम्भीर हो गयी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। सबसे तकलीफदेय बात यह है कि ऐसे अध्यापक के लिये अस्पताल में कहा गया कि इसके उपयोग की दवा यहां नहीं है। शिक्षा विभाव पाँच रुपये का इन्जेक्शन खरीद कर उस मर रहे बेचारे अध्यापक को नहीं दे सका। शिक्षा मंत्री की हमदर्दी और व्यवस्था है। मान्यवर, जिसके कारण अध्यापक शेर बहादुर सिंह की मृत्यु हो गयी। इस मामले को लेकर जनपद बाराबंकी में जितने भी शिक्षक हैं आन्दोलित हैं। कल से परीक्षा होने वाली हैं। शिक्षा मंत्री और उनके शिक्षा विभाग का कोई भी उच्च अधिकारी इन गम्भीर घटनाओं व परिस्थितियों का निरीक्षण करने के लिये बाराबंकी नहीं गया है।

ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इस घटना से पूरे प्रदेश का शिक्षा जगत प्रभावित हो सकता है, इसलिये तत्काल शिक्षा मंत्री को इस सम्बन्ध में निरीक्षण करना चाहिये और मौके पर जाना चाहिये और जिन परिस्थितियों में अध्यापक की मृत्यु हुई है उसमें दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उसके परिवार वालों को मुआवजा देना चाहिये। मान्यवर मंत्री जी के बड़े लाडले बी०एस०ए० हैं हमारे यहाँ ओम प्रकाश मिश्र, उन्होंने गत वर्ष में संस्कृत और विज्ञान में अध्यापकों के चयन में काफी रिश्वत ली। मेरे जनपद के बी०टी०सी० ट्रेंड जो बेरोजगार थे उनमें 500 लोगों को अब तक जगह नहीं मिली उसमें भी बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दूसरे जनपद के लोगों की पोस्टिंग कर लिया पैसा लेकर। भैरोंनाथ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मऊग्वार पुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया गया। वहां के अध्यापकों, प्याऊ और चपरासी की नियुक्ति में पैसा लिया गया है।

मान्यवर, इन सारे मामलों में तमाम प्रार्थना-पत्र अधिकारियों और मंत्री जी को दिये गये लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मान्यवर, कई समाचार पत्रों में भी आया। मान्यवर, जन भावनाओं के अनुरूप जब जन मोर्चा के पत्रकार साहित्य अर्जनायें सम्पादक सुरेश बहादुर सिंह कौशिक जी ने इस संबंध में जब माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया तो बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उनका अपमान किया और उनके घर बदमाशों को भेजा और आज वे असुरक्षित हैं।

मान्यवर, इस तरह की आज उनकी व्यवस्था है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी के काले कारनामों की जाँच और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूँ। मान्यवर, आज हिन्दुस्तान की और उत्तर प्रदेश की आम जनता गाँवों में रहती और शिक्षा के मामले में सरकार की दोहरी नीति है। आज शहरों में माण्टेसरी स्कूल हैं। माननीय मंत्रियों के लड़कों को पढ़ने के लिये मंसूरी व अन्य पब्लिक स्कूल हैं। यदि माननीय मंत्री जी की लड़की भी गांवों के स्कूलों में पढ़ने गई होती तो तब उनको

मालूम पड़ता कि गाँवों में प्राइमरी स्कूलों की क्या हालत है और तब उनमें सुधार होता। आपके माध्यम से मैं माँग करता हूँ कि शिक्षा के बारे में शहर और देहात में एक नीति होनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी—

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करता हूँ, साथ ही साथ विरोध पक्ष की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव आया है उसका मैं विरोध करता हूँ। मान्यवर, शिक्षा के मामले में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी रोशनी डाली है। मैं वक्त खराब न करके कुछ खास पहलुओं की तरफ माननीय शिक्षा मंत्री जी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज जो हमारी सरकार है, इसने अपने इलेक्शन मैनीफिस्टो में तथा अपने भाषणों में इस बात का बराबर एलान किया है कि हमें, अल्पसंख्यकों के जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं, उनको बचाये रखना है और साथ ही साथ उनकी जो पाठशालायें और संस्थायें चल रही हैं उनकी तरफ भी देखना है/लेकिन मान्यवर, मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि करनी और कहनी में बड़ा फर्क है।

मान्यवर, मैंने गत वर्ष शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का प्रयास किया था। उस समय भी उमकी पुस्तिका मेरे हाथ में थी और आज भी उसकी पुस्तिका हाथ में है। जब-जब इस पुस्तिका को मैंने देखा तो यह पढ़ने को मिला कि इस वर्ष हम कुछ पाठ-शालाओं को अनुदान सूची में लेंगे। मुझे इस बात से खुशी है मगर इसका अफसोस है कि इसके साथ में मदरसों का कोई जिक्र नहीं किया गया है मान्यवर, इस पुस्तिका के पृष्ठ 68 पर देखें उसमें पाठशालाओं का तो जिक्र किया गया है, परन्तु जितना होना चाहिये था उससे कम है। इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि अब तक आपने ऐसी कितनी पाठशालाओं को मान्यता दी है और ऐसे कितने मदरसों को मान्यता दी है तथा इस वर्ष कितने मदरसों को अनुसूची में सम्मिलित कर रही हैं। मान्यर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान एक खास बात की तरह आकर्षित करना चाहता हूँ वह इस प्रकार है :—

वह दुनिया थी जहाँ तुम काट सकती थी जबां मेरी,
यह मशहर है यहाँ सुननी पड़ेगी दास्ताँ मेरी।

मान्यवर, इसके पहले की सरकार ने दस्तरे-हिन्द के मुताबिक कई संस्थाओं की माइनीरिटी कैरेक्टर प्रदान किया था किन्तु तब से आज तक हमारी सरकार ने एक भी अल्प संख्यक शैक्षिक संस्था को अल्प संख्यक स्वरूप की मान्यता नहीं दी। पता नहीं किस प्रकार की एक कमेटी बना दी और ये भी पता नहीं कौन लोगों को उसमें बना रखा है पता नहीं आज तक वह क्या काम कर रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूँगा कि वह अपने उत्तर में इसका जवाब दें। क्या हम इसी तरह से निराश हो जायें, और माइनौरिटी इन्स्टीट्यूशन्स को बन्द कर दें। अगर आप उन्हें यह मान्यता प्रदान नहीं कर पाती हैं तो आप साफ-साफ कह दें हम उसे स्वीकार कर लेंगे। इस प्रकार शहद भरे शब्दों में मीठा जहर देकर हमें तसल्ली न दें। मान्यवर, यह थीं वह मुख्य बातें अब रहा बजट का सवाल।

इसमें दो राय नहीं कि इम्तहान वक्त पर हो रहे हैं, बच्चों में डिसिप्लिन है। एक और खास बात जो है वह है विभागीय अधिकारियों की तानाशाही। माननीया मन्त्री जी भी उन पर कन्ट्रौल नहीं कर पा रही हैं। यही कारण है कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है।

[श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी—]

जब भी मंत्री जी के पास जाओ तो कहती हैं आज मिलो, कल मिलो, सुबह मिलो, शाम को मिलो और इसी तरह कामों को टालती रहती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

*श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

इस कम समय के अन्दर अपने क्षेत्र के एक मसले की ओर आपके माध्यय से माननीया मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए यह बताना चाहता हूँ कि आपका प्रशासन कितना भ्रष्ट और निकम्मा हो गया है। हमारे जनपद कानपुर में 1949 में एक स्वामी रघुनन्दन जी महाराज ने हनुमान गढ़ी स्कूल की स्थापना की थी। 1954 में इसको मान्यता मिली और दूसरी मान्यता हायर सेकेण्डरी की 1966 में मिली और 1969 से इसे सरकारी सहायता प्राप्त हो रही है। विज्ञान की मान्यता इसे 1972 में मिली। इसमें 15 कमरे हैं और 10 अन्य कमरे हैं तथा पूरी विज्ञानशाला में 700 लड़के और 10 अध्यापक और अन्य कर्मचारी मिलाकर 21 कर्मचारी हैं। 79 में इसमें कुछ विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके कारण शिक्षा विभाग ने प्रबन्ध समिति को निलम्बित करके प्रबन्धक के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर को नियुक्त कर दिया। जब वहां की शिक्षा सरकार के नियंत्रण में चल रही थी, आज से लगभग एक वर्ष पूर्व प्रबन्धकों ने सुनियोजित ढंग से किराये पर गुण्डे लेकर रात को 12 बजे उस शिक्षा की इमारत को जलवा दिया। वह इमारत 10 लाख रु० की थी। उसको जलाने के उपरान्त, वह इतने प्रभावशाली लोग थे कि जिन लोगों ने स्कूल जलाया, उन्होंने ही कलेक्टर को मिलाकर दूसरी रिपोर्ट दर्ज करा दी कि यह स्कूल तो अध्यापकों ने जलाया।

मैं प्रशंसा करूँगा भूतपूर्व मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की, जब उनके ध्यान में यह बात लाई गयी तो उन्होंने सख्त निर्देश दिये और 23 आदमियों के खिलाफ चार्जशीट लगी और जिनके खिलाफ झूठी चार्जशीट लगी थी, उनके खिलाफ फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह के जाने के बाद, इन्हीं लोगों ने इमारत को फिर गिरा दिया और 10 लाख की जमीन पर कब्जा कर लिया और बाउण्डरी बना ली और उस स्थान को अवैध रूप से घेरकर वहाँ टिन डाल दी। कलेक्टर को कह दिया कि अगर तुम समझते हो तो स्कूल चलाओ नहीं तो यहां नहीं आ सकते हो। शिक्षा विभाग को जानकारी थी, सचिव को जानकारी थी, माननीया मन्त्री जी को अब पता चला। शिक्षा विभाग में गृह विभाग में उन लोगों के ऊपर मुकद्मे दर्ज हैं। सी०आई०डी० ने भी लिखा है कि एक बाबा है बहुत बड़ा गेंग है, उसी ने यह सब किया है। प्रशासन को झुकना पड़ा और दूसरी जगह स्कूल चलाना शुरू किया। बाबा ने कहा कि हम स्कूल चलने नहीं देंगे। एक माह पहले यह षड़यन्त्र किया कि यह कहा कि हम तो स्कूल की बिल्डिग दान करना चाहते हैं, आप उसमें स्कूल क्यों नहीं चलाते हैं? शिक्षा अधिकारी ने यह निर्देश दिये कि बाबा द्वारा बनवाये गये स्कूल को चलाईये, लेकिन शिक्षा विभाग वालों ने यह प्रश्न नहीं किया कि जिस स्कूल को जलवाया गया है, उस बिल्डिग के हुए नुकसान को कौन देगा यह बात शिक्षा विभाग वालों ने उनसे प्रश्न के रूप में नहीं की, बल्कि उस बाबा द्वारा बनवाए गये स्कूल जो बिल्कुल अवैध स्कूल हैं में स्कूल खुलवा दिया गया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज दो स्थानों पर स्कूल लग रहा है और उस बाबा से किसी में हिम्मत नहीं चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे एस०डी०एम० हो और चाहे जिला विद्यालय निरीक्षक हो किसी की हिम्मत नहीं कि वहाँ पर जाकर निरीक्षण करे। और जो भी वहां जाता है, उसको वह बाबा पैसे दे देता है वह उसी की ऐसी तैसी कहने लगता है, मान्यवर, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से, कि हनुमान गढ़ी हायर सेकेण्ड्री स्कूल के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह आश्वासन दें अपने जवाब में कि जब तक यह स्कूल अपने स्थान पर नहीं पहुँच जाय और बाबा वाले स्थान पर स्कूल न लगे, इसका आश्वासन माननीय मंत्री जी अपने जवाब में अवश्य दे दें तो मान्यवर मैं···

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि एक महत्वपूर्ण बजट पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया। दूसरे मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में 8 जिले हैं और आठों जिलों में से कम से कम एक विधायक को अवश्य हर बजट पर पर्वतीय क्षेत्र से बोलने के लिए मौका दिया जाना चाहिए। मैं पर्वतीय क्षेत्र के अनुसूचित बच्चों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिनकी संख्या वहाँ बहुत ज्यादा है और देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत इन अनुसूचित जाति के बच्चों को शिक्षा जगत में आगे बढ़ाना चाहती हैं, वहीं पर यह अधिकारीगण उनकी टांग पकड़कर पीछे कर देते हैं। आज इनकी जनसंख्या पर्वतीय क्षेत्र में प्राईमरी स्कूल्स में ज्यादा है और राजकीय इण्टर कालेजेज में ज्यादा है, लेकिन इनके पढ़ने की व्यवस्था वहां पर उचित नहीं हैं, आज वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्कूल की जरूरत है।

मैं मान्यवर, जिस क्षेत्र खटीमा, टनकपुर, मोलापार और कोलाघाट क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ पर मैंने यह देखा है कि वहाँ के स्कूलों पर कभी भी बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं आते। एक माननीय सदस्य ने यह शिकायत की कि बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं, लेकिन इसे देखने को वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी कभी नहीं गये और नैनीताल में इस विभाग के एक कर्मचारी हैं जो दिन में शराब की बोतल लिये रहते हैं वह फिर शिक्षा विभाग को क्या संभालेंगे। और जब से यह अधिकारी नैनीताल कुमाऊँ मण्डल को गये हैं, तब से वहां की स्थिति बिल्कुल चौपट हो गयी है। शिक्षा विभाग ऐसा चौपट हुआ, माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात पर आप जरा ज्यादा ध्यान देंगी तो बड़ी कृपा होगी। आज यहाँ पर हरिजनों की, पिछड़े वर्ग की बहुत बात की जाती है थारु और बोगसा की बात की जाती है परन्तु विस्थापित लोग जो खटीमा क्षेत्र में हैं वह सबसे ज्यादा हैं।

आपने कहा कि हम चार डिग्री कालेज खोलने जा रहे हैं। खटीमा क्षेत्र का जिसका दायरा 50 किलो मीटर का है वहाँ 8 हजार से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर 11 इण्टर कालेज हैं और 8 हाईस्कूल हैं परन्तु डिग्री कालेज कोई नहीं है जिसके लिये मैं लगातार दो सालों से प्रयत्न कर रहा हूँ। श्री नारायण दत्त तिवारी, जो कि भारत सरकार के उद्योग मंत्री हैं वह उनका भी क्षेत्र है परन्तु आज तक वहां एक डिग्री कालेज नहीं दिया गया है। मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि एक डिग्री कालेज खटीमा में, नानक भत्ता, सितारगंज या टनकपुर कहीं भी दे दें।

शिक्षा विभाग का जो बजट हरिजन कल्याण विभाग से संबंधित है वह हरिजन बच्चों को, गरीब बच्चों को जिनको स्कालरशिप मिलती है तो हरिजन कल्याण विभाग से यह बात आयी है कि जिसकी तनखाह 501 रु० है या उससे ज्यादा है उसको वजीफा नहीं दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा हरिजन कल्याण मंत्री जी से भी और शिक्षा मंत्री जी से भी कि तनख्वाह चाहे 501 रु० हो या 600 रु० हो परन्तु गरीब लोग को स्कालरशिप जरूर दी जाय।

एक बात और मैं कहना चाहता हूँ इसे अधिकारी लोग सुनें और शिक्षा मंत्री जी भी सुनें क्योंकि आप इंसाफ के तख्त पर बैठी हैं इसमें इंसाफ जरूर मिलना चाहिये। सारे शिक्षा विभाग के अधिकारीगण बैठे हुए हैं, मैं कहता हूँ कि हरीराम आर्य, प्रवक्ता राजकीय

[श्री बिहारी लाल—]

इण्टर कालेज, देवलथल से आये 4-1-82 को, अपना कार्यभार ग्रहण करने के लिये, वहां पर 7-1-82 को राजकीय इण्टर कालेज खटीमा में चार्ज नहीं ग्रहण करने दिया गया। कितने शर्म की बात है अधिकारी वर्ग के लिये। शिक्षा मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक गरीब हरिजन लेक्चरार, (प्रवक्ता) जो कि मेरे क्षेत्र का है देवलथल से 4-1-82 को आया और आज 14-3-83 तक उसे चार्ज नहीं मिला और न उसे आज तक की तनख्वाह ही मिली है।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री बिहारी लाल—

उसे तनख्वाह नहीं दी गयी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है शिक्षा विभाग की। यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो इसके जिम्मेदार शिक्षा विभाग के अधिकारी होंगे। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूँ और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा मंत्री द्वारा रखें दिशाविहीन और संकल्प-विहीन बजट का मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। शिक्षा मंत्री ने अपने भाषण के दौरान अपनी नीतियों की घोषणा नहीं की है। जिसके आधार पर सर्वांगीण जन जीवन का विकास हो सके, शिक्षा का विकास हो सके। यह हम लोगों को पुस्तकें बांटी गयी हैं कि हम सबको देखने में लग जाय कि अच्छा काम हो रहा है। लेकिन आज तक मंत्री जी ने जो शिक्षा की दोहरी नीति अपना रखी है इसको नहीं दूर कर पायीं हैं। जो सरकार शिक्षा में दोहरी नीति का पोषण करेगी वह सरकार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने में, जनता को साक्षर बनाने में सतत् प्रयत्नशील रहेगी, यह सन्देहास्पद बात है। मान्यवर, आज 2 प्रकार की शिक्षा चल रही है। एक तो वह शिक्षा जो आप प्राइमरी स्कूलों के जरिये बालकों को देते हैं जहां पर जिला परिषद् से नियुक्त अध्यापक पढ़ाते हैं दूसरे प्रकार की शिक्षा पब्लिक स्कूलों में दी जाती है जहाँ पर बड़े बड़े आदमियों के बच्चे पढ़तेहैं और उन पर बहुत सा धन खर्च होता है। आपके बजट से ऐसी शिक्षा दी जाती है जो किसी काम की नहीं होती है और उस शिक्षा के पाये हुए लड़के चपरासी तक नहीं बन पाते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए वह नहीं है। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात की ओर कोई संकेत नहीं दिया है।

मान्यवर, आज आपकी शिक्षा बेरोजगारी पैदा करने वाली है आपकी शिक्षा रोजगार पूरक नहीं है। आपकी शिक्षा से जो युवक पढ़कर निकलते हैं वह अपने हाथ से काम करने में झेंपते हैं। आज हाई स्कूल पास लड़का या इण्टर पास लड़का जब अपने घर आता है तो वह अपने हाथ से काम करते शरमाता है क्योंकि उसको शिक्षा इसी प्रकार की दी जाती है। वह नागरिक शास्त्र, इतिहास पढ़कर निकलता है तो उससे क्या आशा की जाय। इसलिये माननीय मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक विशेषज्ञों की कमेटी बनावें जो बेरोजगारी को रोकने वाली योजना बनावें और शिक्षा रोजगार परक हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज आपकी जो शिक्षा प्रणाली है वह दो तरह की है, एक व्यक्तिगत और दूसरी। संस्थागत एक ही विषय के लिए दो प्रकार के पर्चे बनाये जाते हैं यह आपके अधिकारियों की उदासीनता का परिचायक है। मान्यवर, एक स्कूल में पहले प्राइवेट विद्यार्थियों का केन्द्र होता है और फिर संस्थागत विद्यार्थियों का केन्द्र होता है। इस प्रकार से उस स्कूल में महीनों महीनों पढ़ाई नहीं हो पाती है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का समय समाप्त हो रहा है, आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एक मिनट में मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। आज की शिक्षा दोषों से मुक्त नहीं है। बी० एड० की परीक्षा लोग पास करके आते हैं। फर्जी सर्टीफिकेट के आधार पर वह बी० एड० हो जाते हैं और वही लोग कालेज में अध्यापक होकर आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं तो क्या स्थिति होगी यह आप ही समझ सकते हैं। हमारे यहां मदन सेन डिग्री कालेज है यूनिवर्सिटी से उनकी मार्कशीट भिन्न थी उसकी जांच भी हुई लेकिन उन लड़कों से उस फर्जी डिग्री को वापस नहीं लिया गया है। वहां पर दस हजार रुपये लेकर फर्जी टी० सी० बनायी जाती है। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस प्रकार की चीजों पर नियंत्रण करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मेरा आपसे निवेदन है कि बोलने वालों की संख्या अधिक है इसलिए आप 2-2 मिनट का समय दे दें और सभी लोग केवल सुझाव दें भाषण न करें।

श्री विशन लाल—

आप उन लोगों को भी मौका दें जो अनुसूचित जाति के हैं उनके जिले से कोई मंत्री नहीं है, उनको भी मौका दें।

(श्री पन्नेलाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। 3 महत्वपूर्ण विभाग मंत्री जी के पास हैं और गरीब से लेकर अमीर तक सभी वर्गों के लोग इन विभागों से सम्बन्ध रखते हैं। एक घण्टा तो माननीय मंत्री जी ने ले लिया और 1 घण्टा कटौती के प्रस्तावक महोदय ने ले लिया। अभी हम लोग भी काफी बोलना चाहते हैं इसलिये आप व्यवस्था दें

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं कहना चाहता हूं कि जब आपका एजेण्डा बने तो उस समय इसका ध्यान रखा जाय। इस पर तीन दिन की बहस रखी जाय ताकि मंत्री जी को पता चले कि उनका विभाग कैसा है।

श्री पन्ने लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि केवल सुझाव ही देना चाहिए क्योंकि समय कम है। वैसे भी हम लोगों को सदन में बोलने का अवसर नहीं मिलता है और इस बजट सत्र में मुझे पहली बार आज बोलने का अवसर मिला है। मैं सिर्फ दो तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि यह जो हमारे प्रदेश में दोहरी शिक्षा की पद्धति लागू की गई है उसको समाप्त किया जाना चाहिए क्योंकि इससे दिन प्रतिदिन देश और प्रदेश के अन्दर गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ती जायेगी। आजादी से पहले यह व्यवस्था थी कि 24 प्रतिशत लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे यह प्रतिबन्ध हट गया और इस क्षेत्र में हमने प्रगति की है। दोहरी शिक्षा पद्धति से गरीबी बढ़ती जा रही है। गरीबों के बच्चे वह शिक्षा नहीं प्राप्त कर रहे हैं जो अमीरों के बच्चे प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे यह समस्या दूर हो सके।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि हमारे यहाँ ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिससे देश और प्रदेश के अन्दर लोगों में नागरिकता, राष्ट्रीयता, मैत्री और विश्वबंधुत्व की भावना पैदा हो। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था करें जिससे हाईस्कूल और इण्टरमीडियेट जो भी माध्यम हो, आप तय करें कि लड़का जिस नेचर का हो, उसी विषय की शिक्षा उसे मिलनी चाहिये। जैसे कोई छात्र एम० बी०बी० एस० करना चाहता है, कोई इन्जीनियरिंग में जाना चाहता है तो उसको इस स्टेज से ही वैसी शिक्षा दी जानी चाहिए। क्योंकि हमारा देश और प्रदेश गरीब है। यहां का छात्र उस भावना से शिक्षा ग्रहण करना चाहता है जिससे भविष्य में वह अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। यदि इस स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा हो जायेगी तो जो समस्या आज खड़ी है, उसका हल हो जायेगा।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी प्रधान मंत्री ने क्षेत्रीय पिछड़ेपन के आधार पर उसे दूर करने की बात कही है, मैं उसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है वहां चार महीने तक शिक्षण कार्य नहीं होता है। साथ ही कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहां पर कि स्कूलों के लिये भवन नहीं हैं जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र कछार का इलाका है वहाँ पर 150 गाँव ऐसे हैं जिसमें प्राइमरी स्कूल भवनविहीन हैं। दूसरे वहाँ पर चार-पाँच महीने तक बाढ़ और बरसात में वे स्कूल बन्द रहते हैं। जाड़ों में ही वहां पर पढ़ाई हो पाती है। इसलिये जब तक उन स्कूलों के लिए भवन का निर्माण नहीं होगा तब तक उनका कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जैसा आपने इस पुस्तिका में दिखाया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक आपने अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति दी है वह भी उनको नहीं मिल पाती है। इसलिये जो बजट आप इस कार्य के लिये देते हैं उसे काटकर उसका प्रयोग भवन के निर्माण में करें तो वहाँ के लोगों का और छात्रों का कल्याण हो हो सकता है। किसी स्कूल में टाटपट्टी नहीं पहुँचती है उसके बजट से आप भवन बनायें। मैंने अपने क्षेत्र बरही में एक स्कूल देखा उसमें सामान रखने के लिए बक्सा होता है वह भी वहां पर नहीं था। इसलिए माननीय मंत्री जी से विनम्र निवेदन करूँगा कि इन सुझावों की तरफ ध्यान दें और जो पिछड़े क्षेत्र के हैं उनके पिछड़ेपन को दूर करें।

श्री लल्लू सिंह चौहान—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं भाषण के चक्कर में न पड़ कर जैसा माननीय निर्भय नारायण सिंह जी ने सुझाव दिया कि केवल सुझाव आ जाय, उसका मैं स्वागत करता हूँ। केवल सुझाव देकर माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपने जो बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किया सन् 1972 में क्या यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप है। यह शिक्षा परिषद इसलिये फेल्योर है क्योंकि इसमें कोई शिक्षाविद् नहीं है, न इसमें टीचर्स के रिप्रजेंटेटिव हैं, न विद्यार्थियों के रिप्रजेंटेटिव हैं और न अभिभावकों के रिप्रजेटेटिव हैं केवल नौकरशाही का इसमें बोलबाला है। इसलिये बेसिक शिक्षा परिषद सफल नहीं हो रही है।

बेसिक शिक्षा परिषद प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल तक का काम देखती है। मेरे मैनपुरी जिले में एक छोटा सा गांव है, जिसमें करीब 100 मतदाता हैं और दो सौ करीब की वहाँ जनसंख्या है उसमें एक प्राइमरी स्कूल नगला घाघ के नाम से है और वहीं पर एक दूसरा प्राइमरी स्कूल सूरजपुर नाम से ब्लाक अरोब में दोनों एक ही गाँव में प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। आपका बेसिक शिक्षा विभाग उसे देखने वाला नहीं है कि एक ही गाँव में दो स्कूल कैसे चल रहे हैं सिर्फ नाम उनका दूसरा लिखा हुआ है एक का नाम है सूरजपुर और दूसरे का नाम है नगला घाघ।

एक और गाँव गोकुलपुर नाम से है जिसमें एक ही बिल्डिग में प्राइवेट मैनेजमेंट अपना स्कूल चला रहा है और उसी बिल्डिग में बेसिक शिक्षा परिषद का स्कूल चल रहा है, छात्र एक ही हैं अलग से कोई छात्र नहीं हैं सिर्फ यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अध्यापक बैठे रहते हैं और प्राइवेट मैनेजमेंट के अध्यापक पढ़ाने का काम करते हैं। यह स्कूल गोकुलपुर तालिबपुर घिरोर ब्लाक में है। इसके बारे में मैं कई बार माननीय मंत्री एवं विभाग को लिख चुका हूँ। तो इस प्रकार दो स्कूल एक ही बिल्डिग में चल रहे हैं उसके लिये कोई अलग से बिल्डिग नहीं है।

माननीय शिक्षा मन्त्री जी जरा ध्यान दें आप दो करोड़ बच्चों की मां बनने की बात करती हैं। उनकी तरफ ध्यान दें। आपने ऐसे-ऐसे लड़कियों के जू० हा० स्कूल खोल रखे हैं जहां पर 10 लड़कियाँ हैं और 4 अध्यापिकायें हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे जू० हा० स्कूलों को आप ट्रांसफर कर दीजिये उसमें बिल्डिग का कोई लास आपको नहीं होगा वह पंचायत घर के काम आ जायेगी। दूसरी जगह जहां पर ज्यादा जरूरत है वहां उस स्कूल को ट्रान्सफर करके ले जाइये। जो हाईस्कूल और इंटरमीडिऐट कालेजेज हैं उनके लिये कोई कमेटी बनाइये जो यह तय करे कि कहाँ-कहाँ पर जिले में हाई स्कूलों की आवश्यकता है कहीं पर 8 हजार की आबादी वाला एक गाँव है वहाँ पर एक हाई स्कूल है और एक हमारे यहाँ नगला बल्लमपुर गाँव है वहाँ पर दो सौ की आबादी में हाई स्कूल है। तो इस सबका अध्ययन करने की बात है।

(इस समय 4 बजकर 19 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

हमारा मैनपुरी जिला पिछड़ा हुआ जिला है और डकैतों से प्रभावित जिला है वहाँ पर मैनपुरी हैडक्वाटर में एक विज्ञान का डिग्री कालेज खुलवा दें। रामप्रसाद विस्मिल जो अमर और महान क्रान्तिकारी हुए हैं उनकी स्मृति में उनके गाँव कोसना में एक हाईस्कूल खुलवा दें। इस तरह से मैनपुरी की जन भावनाओं के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था वहाँ पर की जानी चाहिये। भ्रष्टाचार दूर करने के लिये जब तक आप संकल्प नहीं करेगी, वह दूर नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष —

आपका समय समाप्त । मैं यह चाहूँगा कि अब माननीय सदस्य कृपया 2-2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करें । इससे अधिक समय न लें ।

[4 बजकर 20 मिनट]

श्री सतीश अजमानी —

मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया । मैं माननीया शिक्षा मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन तथा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । मान्यवर जिस मकान की नींव अच्छी व मजबूत न हो वह बहुत जल्दी गिर जाता है । जिसका बचपन अच्छा न हो उसका भविष्य भी खराब हो जाता है । यही बात मेरे निधासन क्षेत्र में है और यह सत्य है कि वहां पर 90 प्रतिशत प्राइमरी स्कूलों के मास्टर ऐसे हैं जो स्कूलों में पढ़ाने जाते ही नहीं है, वे या तो खेती करते हैं, या कोई पान की दूकान करता है, या पन्सारी की दूकान करते हैं । वहां के बच्चों का भविष्य क्या होगा, विचाराधीन विषय हैं । वहाँ के स्कूलों के बच्चों को यह मालूम ही नहीं है कि कौन उनका मास्टर है । 15-15 वर्षों से उन्होंने अपने मास्टर की शक्ल तक नहीं देखी हैं ।

मेरे यहाँ थारू जन जाति के लिये 27 स्कूल हैं और उनमें 25 स्कूल ऐसे हैं जिनमें मास्टर जाते ही नहीं हैं । 28 तारीख को मैंने अपनी पद यात्रा में एक विकास गोष्ठी में यह बात कही थी कि जब तक गाँव का प्रधान यह न कहे कि अमुक टीचर स्कूल में पढ़ाने जाता है, तब तक उसे वेतन न दिया जाय । इसके ऊपर अध्यापकों की ओर से धमकी भरे हुए तमाम खत मेरे पास आ रहे हैं । मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी से निवेदन करूंगा कि वे मुझे संरक्षण दें क्योंकि मुझे कत्ल करने की धमकी दी जा रही है गुप्त जी क्योंकि स्वयं मास्टर हैं इसलिये मैं इनका भी संरक्षण चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया समाप्त करें । आपका समय समाप्त ।

श्री सतीश अजमानी—

हमारी जान को खतरा है और आप इजाजत नहीं दे रहे हैं बोलने की । हमें कत्ल की धमकी दी जा रही है । मेरे पास टेप पड़ा हुआ है, मैं सदन को सुना सकता हूँ जो मैंने कहा है । मैंने किसी भी गुरु के लिये कोई अपशब्द नहीं कहा है । मुझे यह पत्र मिला है जिसमें लिखा है—आपने दिनांक 28-12-82 को ग्राम मझगई में आयोजित विकास गोष्ठी में शिक्षकों से जूतों की नोंक पर कार्य लेने का आह्वान किया है । इन अपमान जनक शब्दों की भर्त्सना करते हुए शिक्षकों में घोर असंतोष है । मैं यह निवेदन करूंगा जो इस तरह के मास्टर हैं उनको माननीय राजेन्द्रकुमार गुप्त जी के क्षेत्र में भेज दीजिये, या माननीया शिक्षा मन्त्री जी के क्षेत्र में भेज दीजिये । मैं इन शब्दों के साथ आपका संरक्षण चाहता हूँ और इस बजट का समर्थन करता हूँ । और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ ।

*** श्री केदार नाथ सिंह—**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया । सबसे पहले मैं आपके सामने इस विधान सभा में मेरे द्वारा पूछे गये एक

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रश्न और उसके उत्तर को पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। मैंने लिखित प्रश्न यह किया था— "क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक गोरखपुर ने तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर डा० उमा शंकर मिश्र जो इस समय गवर्नमेंट कान्सट्रक्टिव ट्रेनिंग कालेज लखनऊ के प्रिंसिपल हैं के विरुद्ध निलम्बन हेतु शासन को आरोप पत्र प्रस्तुत किया है ? यदि हाँ, तो आरोप क्या हैं तथा कौन सी कार्यवाही की गयी है ?" मान्यवर, इस प्रश्न को अतारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकार किया गया। उसका जो उत्तर आया वह आप सुन लें :—

प्रमुख आरोप प्रधानाचार्यों का वेतन बढ़े दर पर भुगतान करना, अध्यापकों को अनियमित सेलेक्शन ग्रेड देना, अनियमित आवास बनाना तथा उसका भुगतान न करना, अध्यापकों के समायोजन, नियुक्ति, पदोन्नति तथा वेतन भुगतान में अनियमितता करना, पद सृजन तथा वेतन वृद्धि देने में अनियमितता एवं अनाधिकृत रूप से मुख्यालय छोड़ना आदि हैं। दिनांक 21-12-1982 को डा० उमा शंकर मिश्र को आरोप पत्र तामील किया गया है।

मान्यवर, मेरा कहना है कि इससे बड़ा आरोप किसी अधिकारी के विरुद्ध साबित नहीं हो सकता है। उप शिक्षानिदेशक, गोरखपुर ने इसकी जाँच किया और उनकी रिपोर्ट पर शासन ने आरोप पत्र माँगा और जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध रिपोर्ट आ गयी परन्तु शिक्षा मंत्री का कहना है कि दोषी व्यक्तियों को बक्सा नहीं जायेगा। इस तरह वह भ्रष्ट डी० आई० ओ० एस० शिक्षा मंत्री की छत्र छाया में पल रहा है। इतना ही नहीं एक और प्रश्न मंत्री जी को दिया था जिसमें उन्होंने यहाँ असत्य बोला और कहा कि कोई प्रश्न नही उठता है जबकि मैंने कहा था। कि वह डी० आई० ओ० एस० मुख्यालय छोड़कर भगा है। इसलिये मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह कार्यवाही आपकी भ्रष्टाचार को दूर करने की है। क्या यह बात सत्य नहीं है कि 30 हजार रुपये की आप और आपके अधिकारियों द्वारा इसमें सौदेबाजी की गयी है। वह डी० आई० ओ० एस० यहाँ बैठा हुआ है और आप लोगों को प्रभावित कर रहा है, तो जब उसको दोषी पाया गया तो उसको निलम्बित क्यों नहीं आप करती हैं ?

मान्यवर, अब मैं श्री टी० एन० शाही के संबंध में कहना चाहता हूँ कि उनको 6 वर्ष पहले सस्पेण्ड किया गया था, उसकी जाँच चल रही है लेकिन उसको अभी तक आरोप पत्र नहीं दिया गया है, वह आपके पास कई बार आ चुका है लेकिन उसके पास चूँकि थैली नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिये उसको आप बहाल नहीं कर रहीं हैं। तो इन दोनों में भेदभाव क्यों है ? यह शिक्षा मंत्री के भ्रष्टाचार के नमूने हैं। मान्यवर, आज 30 हजार रुपये आप हड़प कर उस डी० आई० ओ० एस० को आप निलम्बित नहीं कर रहे हैं और उसको संसक्षण दे रहे हैं।

***श्री भोला पाण्डेय—**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का समय दिया। श्रीमन् शिक्षा विभाग की मुझे एक पत्रिका मिली है जिसमें लिखा है कि शिक्षा सर्वोमुखी विकास का साधन है लेकिन हमारा व्यक्तिगत विचार है कि आज शिक्षा की मौजूदा व्यवस्था लार्ड मैकाले के समय जैसी चल रही है। मान्यवर, आज शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें अराजकता बढ़ रही है और शून्य शिक्षा मिल रही है। समय कम है, इसलिये अब में अपनी बात संक्षेप और सूत्र में कहना चाहता हूँ। मान्यवर, यदि समाजवादी और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भोला पाण्डेय—]

जनतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करना है और श्रीमती इंद्रा गाँधी के 20 सूत्रीय कार्यक्रम को अमली जामा पहनाना है तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रदेश में जो गैर बराबरी का दर्जा है उसको समाप्त करना होगा।

मान्यवर, जनता पर्टी के शासन में जो माध्यमिक शिक्षक संघ पर शिक्षकों की आत्मा में एक-एक कील ठोंकने का प्रयास किया गया था उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षक संघ की उस समय जो माँग की थी वह जायज थी, इसलिये आप शिक्षा को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना होगा जैसे कि केरल, बिहार और बंगाल में किया गया है। यदि उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा, यहाँ पर शिक्षा का विकास नहीं हो सकता है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में हमारे क्षेत्र के अन्दर एक सुदिष्ट बाबा इण्टर कालेज चला करता था, उसमें तमाम तरह का भ्रष्टाचार पाया गया है, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि आज तक उस विद्यालय के अन्दर रिसीवर नियुक्त नहीं किया गया है। उसके नियुक्त करने की प्रक्रिया भी आपके द्वारा नहीं चलाई गई है। इसकी मैं घोर निन्दा और भर्त्सना करता हूँ। मेरे जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक पर घोर अनियमितता बरते जाने के स्पष्ट आरोप हैं। जिसके विरुद्ध हमारे जनपद के सारे विधायकों जनप्रतिनिधियों ने लिखकर दिया कि उसको वहाँ से तत्काल हटाकर, उस शिक्षण संस्थान में, जनपद में सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाने की कृपा की जाय। लेकिन आज तक वह नहीं हुआ है। अगर आप हमारे जनपद में शान्ति व्यवस्था कायम रखना चाहती हैं, तो जो आपको दिया गया है, आप जिला विद्यालय निरीक्षक पर तुरन्त जाँच बिठा लें और उनको तत्काल सुव्यवस्थित रूप से चलाने की व्यवस्था करें। हमारा जो मौजूद शिक्षा का बजट है, वह हमारी शिक्षा व्यवस्था को सही तरीके से और सुचारू रूप से चलाने के लिए सही कदम है, कार्यक्रम है। इसलिए मंत्री जी इसके बधाई की पात्र हैं।

जहाँ तक शिक्षा जगत में जगह-जगह भ्रष्टाचार की बात है, जिसके बारे में गुप्त जी ने कहा, उससे कोई इन्कार नहीं है, लेकिन में मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आपके सचिवालय में सचिव स्तर से डायरेक्टर स्तर तक, बड़े आसानी से, बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से जनप्रतिनिधियों की बातें सुनकर उसको निपटाने की व्यवस्था नहीं की जाती है, लेकिन अब यहाँ से इलाहाबाद फाइले जाती हैं, तो वहाँ के अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक और उप विद्यालय निरीक्षक के यहाँ जनहित का कोई काम नहीं होता है, सरकारी आदेशों के पालन, निर्वहन और उनके इंपलीमेंटेशन में ढ़िलाई और घोर अनियमितता बरती जाती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि शिक्षा की जो दोहरी नीति है, उसको तत्काल से समाप्त किया जाय और शिक्षा का सभी स्तरों पर राष्ट्रीयकरण किया जाय और इसके साथ ही इसके माध्यम से प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के 20 सूत्री कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया जाए। इसके साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री विद्यासागर नोटियाल —

मान्यवर, मैं इस पर केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मेरे जिले में बी०टी०सी० में प्रशिक्षार्थियों के स्थान कम कर दिये गये हैं, यह स्थान बढ़ाए जांय, क्योकि हमारे जिले

में जो रिक्तियाँ हैं, उस पर बलियाँ और मुजफ्फरनगर के अध्यापक भेजे जाते हैं, जो वहाँ के सुदूर क्षेत्रों में जाकर कतई कार्य नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने शाखा विद्यालय बन्द करने का निश्चय किया है··· (व्यवधान) यदि यह बन्द कर दिये गये तो काम कैसे चलेगा। मन्त्री जी ने ऐलान किया था कि पहाड़ों के अन्दर 2 किलोमीटर से ज्यादा विद्यार्थियों को बेसिक शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आप भले ही दो के बजाय तीन किलोमीटर की घोषणा कर दें, लेकिन वह आश्वासन पूरा हो। क्योंकि अकेले मेरे क्षेत्र में अगर तीन किलोमीटर कर दिया जाए तो भी 65 बेसिक विद्यालय चाहिए और आपने शाखा विद्यालयों को खोलना बन्द कर दिया तो यह समस्या और बढ़ जाएगी। आपने जो विद्यालय तीन वर्ष पूर्व खोले उनको पूर्ण नहीं किया है।

देवप्रयाग में डिग्री कालेज के लिए एक ऐसा भवन बनाया गया है, जिसके बारे में नल नील की परम्परा में पलने वाले अम्मार रिजवी साहब से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह की बिल्डिग को हमने 4 लाख में बनवाया है, उसको 14 लाख में भी बना दें। उनमें वह नहीं बन सकता है। दो साल बने उस विद्यालय भवन को हो गये किन्तु उनका कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, क्योंकि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री शिवानन्द नौटियाल ने उस भवन का उद्घाटन किया था। यह राजनैतिक भेदभाव बढ़ता जा रहा है। 12 इण्टर कालेज उसके चतुर्दिक हैं। अपने जिले के कुछ अध्यापकों के बारे में 2 साल से प्राविडेण्ट फन्ड देने के बारे में लिखता आ रहा हूँ, अध्यापकों को रिटायर हुए 5 से 10 साल हो गये लेकिन आज तक उसके पेंशन के केसेज तय नहीं हुए हैं। मैं आपको उनमें कुछ के नाम बताना चाहता हूँ, श्री सुरेशानन्द मैठाणी, श्री महानन्द मैठाणी और हरिकृष्ण। इसी तरह के हजारों केसेज शिक्षा विभाग में पेंशन और प्रोविडेण्ट फंड के पड़े हैं। इसके साथ मान्यवर मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

डा० बृजकिशोर मिश्र –

मान्यवर, इस शिक्षा बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। समय की कमी के कारण मैं मंत्री जी को केवल कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार को इस देश और प्रदेश में समाप्त करने के लिए हमें स्वयं अपने नैतिकता के स्तर को ऊँचा उठाना होगा, अपने अन्दर से भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा। मैं सदन से पहले कहना चाहूँगा, कि जो अध्यापक वर्ग है, वह चाहे सदन में बैठें हो या बाहर हों, वह दोहरी नीति का परित्याग करें और एक तन्खवाह लेने का कष्ट करें– वह एक तन्खवाह का त्याग करें।

दूसरा निवेदन यह करना चाहूँगा कि जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं··· (व्यवधान) आज बोर्ड की जो रूपरेखा है, उस पर विचार होना चाहिए।

मान्यवर, बड़े गर्व के साथ कहने में मुझे हिचक नहीं होगी कि शिक्षा मन्त्री जी के माध्यम से, चाहे माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार रही हो या माननीय श्रीपति मिश्र की सरकार है, जो 1980 से लेकर अब तक प्रगति हुई है, वह बेमिसाल है, इम्तहान का समय से होना, रिजल्ट का समय से आना, कोई अनियमितता नहीं, कोई दुव्यवस्था नहीं। यह कम बात नहीं है।

मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, माननीया शिक्षा मन्त्री जी से, 1980 में लिखित भी दिया था कि उदित नारायण इण्टरमीडिएट कालेज, पडरौना में जो अध्यापक

[डा० ब्रज किशोर मिश्र—]

हैं, जिनको मैनेजिंग कमेटी ने एप्वाइंट किया, कोर्ट ने वैधानिक मान लिया, लेकिन फिर भी शासन के माध्यम से उनका निस्तारण नहीं हो रहा है । वे बेचारे 1974 से आज तक एक पैसा तनख्वाह नहीं पा रहे हैं । मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ कि कोई अध्यापक हटाया जाय, किन्तु वहाँ जगह है, सबको समायोजित कर लिया जाय । आप किसी को निकालिये नहीं, लेकिन जिनको वेतन नहीं मिल रहा है, उन्हें वेतन देने का कष्ट करें । मान्यवर, उदित नारायण इण्टरमीडिएट कालेज, पडरौना उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इण्टरमीडिएट कालेज है । मान्यवर वहाँ के 11 अध्यापक बेचारे 1974 से लेकर आज तक भूखों मर रहे हैं । मान्यवर, उन्हें अविलम्ब वेतन दिलाने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, इसमें शक नहीं है कि प्राइमरी स्कूलों के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया, किन्तु यह भी मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मेरे क्षेत्र पडरौना में 40 परसेन्ट से अधिक स्कूल आज भी ऐसे हैं, जो भवनहीन हैं, चाहे वह जूनियर हाई स्कूल हो, या प्राइमरी स्कूल हों ।

इसलिये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि उसके लिए अविलम्ब व्यवस्था की जाय । मान्यवर, जिले पर जाने के बाद यह मालूम होता है कि बजट में पैसा नहीं, इस लिए कोई काम नहीं हो रहा है । अस्तु इस बजट के प्राविधान से वहाँ पर पैसा भेजने का कष्ट करें ताकि भवन का निर्माण कराया जा सके और बच्चों के बैठने के लिए टाट पट्टी की अविलम्ब व्यवस्था की जा सके । मान्यवर, मुझे कहने में तनिक भी हिचक नहीं हो रही है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीया शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि वह जितनी नेक, समाजसेवी, कर्मठ और ईमानदार हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी की बात यह है कि भवन का निर्माण, टाट-पट्टी लड़कों के बैठने के लिए अविलम्ब व्यवस्था करें । अन्त में मैं माननीया शिक्षा मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ और माननीय गुप्त जी जैसे व्यक्ति को कटौती नहीं करनी चाहिए, किन्तु अगर किये हैं, तो मैं चाहूँगा कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें ।

***श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—**

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, 3 विभाग माननीया मन्त्री जी के पास हैं । शिक्षा स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक विभाग । मान्यवर, ये तीनों विभाग बहुत महत्वपूर्ण हैं । मान्यवर, स्पोर्ट्स की तमाम चर्चायें होती हैं । मान्यवर, सांस्कृतिक कार्य की चर्चायें होती हैं । तो मान्यवर, इस बजट भाषण में 1 घण्टा माननीया शिक्षा मन्त्री जी ने लिया, आधा घण्टा माननीय गुप्ताजी ने लिया । तो मान्यवर, हम लोगों के भी बहुत से सुझाव इस महत्वपूर्ण विभाग के ऊपर हैं । तो मान्यवर, आपको इसके लिए समय बढ़ाना चाहिए । इसमें कम से कम तीन दिन का समय होना चाहिए । आपको महत्वपूर्ण सुझाव मिलेंगे । इसलिए आप कम से कम तीन न रखें, तो आज तो समय बढ़ा दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठिये ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे इस कटौती के प्रस्ताव पर, चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के, अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिये । मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों ने, यदि कटौती शब्द हटा दिया जाय, तो मेरे प्रस्ताव का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समर्थन ही किया है। माननीय, अजमानी जी संरक्षण मुझसे प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं, अपनी सरकार और अपने दल के लोगों में उनका विश्वास खत्म हो गया है।

श्री सतीश अजमानी—

मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। मैंने पूरे सदन की बात कही है। उसमें आप आ जाते हैं। हमारी सरकार हर बात में सक्षम है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे खुशी हुयी कि छविराम जैसे डाकू का हृदय परिवर्तन करने गये, वह भी अपने रास्ते पर आ गया। लेकिन अपने क्षेत्र के चंद अध्यापकों का हृदय परिवर्तन नहीं कर पाये।

मान्यवर, जब मैंने पहला भाषण दिया था तो उस समय मैं सांस्कृतिक कार्य विभाग की बात नहीं कह पाया था। उस संबंध में एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूँ। सांस्कृतिक कार्य विभाग से सम्बन्धित राजकीय वास्तु कला महाविद्यालय, गवर्नमेंट कालेज आफ आर्किटेक्चर को तीन साल हो गये हैं। 5 साल का आपने इसमें कोर्स किया है लेकिन पिछले तीन सालों के चलते हुये आपने एक पैसे का बजट नहीं बढ़ाया है। वहाँ पर 4 पद सृजित किये हैं और इन्टीरियर डिजाइन के टीचर्स की नियुक्तियां नहीं हो सकी हैं इसलिये छात्रों का प्रवेश नहीं हुआ है। क्योंकि वहाँ बजट ही नहीं है। मान्यवर, माननीय मोहन सिंह ने एक प्रश्न किया था, राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में रानी झांसी के नाम से समारोह हुआ था उसकी उन्होंने चर्चा की थी। किन्तु न जाने कितने उदाहरण हैं।

मैं दो बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। विगत वर्ष एक नाटक किया गया था हरिश्चन्द्र के शीर्षक से तो मेरी जानकारी है कि उसमें पचास हजार रुपया खर्च हुआ है। मन्त्री जी जानने की कोशिश करें कि उसका मंचन फैजाबाद में हुआ तो ढ़ाई सौ या तीन सौ आदमी से ज्यादा देखने के लिये नहीं आये थे। पता लगाये कि ऐसा क्यों हुआ। जब सम्मानित कलाकारों की उपेक्षा करके सामान्य स्तर के लोगों को भारी पारश्रमिक देकर काम कराया जायगा तो यही हाल होगा। जितना भी अनुदान 1981-82 में बांटा गया है उसमें आधा अनुदान लखनऊ की संस्थाओं को दिया गया है। क्या प्रदेश की अन्य संस्थायें तिरोहित हो गयी हैं, या लायक नहीं हैं। इसमें मुझे भ्रष्टाचार की गन्ध आती है। मैं हल्की बात कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन इसमें जाति बिरादरी की गन्ध आती है। आप जाँच करायें।

मान्यवर, रतन सेन डिग्री कालेज की बात माननीय पंचाचन राय जैसे माननीय सदस्य ने भी कही। मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि रतन सेन डिग्री कालेज में भ्रष्टाचार है। मुझे आश्चर्य यह है कि इतना लबालब भ्रष्टाचार में डूबे रहने के बाद हमारी इस सरकार के मन्त्रीगण माल्यार्पण में जाते हैं। लेकिन ऐक्शन नहीं लेते हैं। मेरे दल के नेता माधव प्रसाद त्रिपाठी जब सदन के सदस्य रहा करते थे तो उन्होंने रतन सेन डिग्री कालेज के मामले उठाये। मुझे याद है कि कानपुर विश्वविद्यालय की बी० एड० के प्रवेश की प्रणाली जो है वह उन्हीं की योजना का परिणाम है। रतन सेन डिग्री कालेज की गड़बड़ियों के मामले अनेकों बार उठाये गये हैं लेकिन आज भी रतन सेन डिग्री कालेज में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। प्रदेश भर में नियम बदल गये हैं। मेरे पास फोटोस्टेट कापी है जिसमें रतन सेन डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य को लिखा गया है। आपकी आज्ञा से मैं पढ़ना चाहता हूँ। "महोदय, आपके द्वारा प्रस्तुत बी० एड० की छात्र सूची प्राप्त

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

हुयी । जाँच करने पर यह ज्ञात हुआ है कि निम्नलिखित छात्रों का नाम इस विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित सूची में नहीं हैं । अतः उनका प्रवेश अवैध है ।" यह गोरखपुर विश्वविद्यालय स्वीकार करता है आडिट में लोग स्वीकार करते हैं लेकिन न जाने कौन सा जादू है कि जो रतन सेन डिग्री कालेज को संरक्षण प्रदान कर रहे हैं ।" रतन सेन डिग्री कालेज को यह शासन संरक्षण प्रदान कर रहा है । मुझे आश्चर्य है ।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूँगा और वह यह है कि माननीया शिक्षा मंत्री जी ने बड़े गौरव के साथ अपनी पीठ थपथपाई । और कहा कि नकल बन्द हो गई है । जादू वह जो सर पर चढ़ कर बोले । मान्यवर मोती लाल देहलवी का प्रश्न है और उसका उत्तर आया है । जी हाँ । भूगोल एवं बीजगणित तथा रेखागणित के प्रश्नपत्र आउट होने की सूचना विभाग को मिली थी । किन्तु प्रश्नपत्रों के बाजार में बिकने की सूचना विभाग को नहीं प्राप्त हुई । इस प्रश्न में स्वीकार किया गया कि नकल हुई । मेरी साफ मांग है कि आप इस बोर्ड को ही भंग करें । अभी तिवारी जी बोल रही थीं कि जिन विद्यार्थियों ने स्क्रूटनी के लिये पैसा जमा किया था उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया । आप बोर्ड को भंग कर दीजिये । अगर आप नहीं करना चाहती हैं तो आप सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बनाइये जो इस बोर्ड के भ्रष्टाचार की जाँच करें । दो बातों की तरफ और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा ।

मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में मैंने अखबारों में पढ़ा । वहाँ प्रशासनिक जाँच हो रही है । मेरी मांग है कि आप 7 के यूनीवर्सिटी ऐक्ट की धारा 8 के तहत तत्काल इन्क्वारी कमेटी बना दीजिये जो लखनऊ विश्वविद्यालय की ला फैकल्टी में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करें । अभी हमारे साथ शर्मा जी बोल रहे थे कि जो बजट पास होता है यह वहाँ तक पहुँचता नहीं है । मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा की व्यवस्था आपके हाथ से बाहर चली गई है । आप दो करोड़ बच्चों की माँ तो बन जाती हैं लेकिन आपका ममत्व कहाँ चला जाता है ? जब होली आने वाली है और अध्यापकों को पिछले महीने का वेतन नहीं मिला है । कल से परीक्षा होने जा रही है । बच्चों के सामने रंग है, पिचकारी है, गोझियाँ हैं लेकिन उनके बाप को वेतन नहीं मिल रहा है । यह कंगाल शासन अध्यापकों को वेतन नहीं दे पा रहा है । यह कहाँ चला जाता है आपका ममत्व मैं आपके ममत्व को चेतावनी और चुनौती देना चाहता हूँ ।

मान्यवर, मेरे जनपद सीतापुर में डिग्री कालेज में कामर्स की व्यवस्था नहीं है । कई बार प्रयास किया गया और उसकी स्वीकृत भी मिल गई लेकिन इन्डाउमेंट न जमा करने के कारण यह व्यवस्था नहीं हो पायी । मेरी मांग है कि या तो सहकारी कालेजों में सरकार कामर्स की व्यवस्था कर दें अथवा जो इन्डाउमेंट जमा करना है इसमें ऐसे पिछड़े क्षेत्रों को छूट दें । और भी क्षेत्रों में यह मांग हो सकती है । मेरी मांग है कि उनके बारे में शासन उदार नीति बरते । रामपुर में तहसील स्तर पर हाई स्कूल और इण्टर कालेज खोलने पर शासन विचार करें ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ । संविधान के तहत शिक्षा की आजादी होनी चाहिये । लेकिन यह कहाँ का न्याय है कि जो काम करने वाले अध्यापक है

अपना शोषण बर्दास्त करते रहे और प्रबन्ध कमेटी को चलाने की आजादी हो। मुझे खुशी है कि श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी जी शिक्षा मन्त्री हैं लेकिन उस दिन संसदीय कार्य मन्त्री जी ने इण्टरवीन करते हुए कहा था कि मैं श्री गुप्त के विचारों से सहमत हूँ संविधान में कोई व्यवस्था होने के बाद भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि अल्पसंख्यक शिक्षक जो हैं उनकी सबों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था हो। मैं तो यहां तक सहमत हूँ कि उन्हीं वर्ग के लोगों में से ऐक्ट्राइब्यूनल बना दिया जाय जो उनकी सेवा सुरक्षा की व्यवस्था करें।

मेरे कटौती के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने प्रेम प्रकट करते हुए मेरे लिए कहा कि मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूँ और मैं वापस ले सकता था लेकिन अगर कोई सदाशयता कोई रुचि कोई कदम ऐसा दिखायी पड़ता कि श्रीमती इंदिरा गाँधीं द्वारा यह कहा जाना कि हर गाँव में स्कूलों का प्रबन्ध हो, अगर कोई योजना होती, क्यों कि जो गति है इसमें जो हम लोग, दीर्घायु हों,....

(हँसी)

इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूँ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, पक्ष और विपक्ष की ओर से कई महत्वपूर्ण सुझाव आये और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे बच्चों में आप लोगों ने इतनी दिलचस्पी दिखायी और यह बात सभी के भाषणों में दिखायी पड़ी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के प्रसार, सुधार और उसकी उन्नति में समान रूप से पक्ष और विपक्ष के लोगों ने दिलचस्पी ली, यह मेरा सौभाग्य है। आप लोगों का सम्पूर्ण सहयोग शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने में मिला, यह भी मेरा सौभाग्य है। अगर आप लोगों का यह सहयोग न मिला होता तो जितनी अव्यवस्था शिक्षा जगत में दिखायी देती थी, कुछ वर्षों पूर्व, 1980-81, 81-82, 82-83 में तथा जिसे हमने धीरे-धीरे व्यवस्थित किया और सफलता प्राप्त की और उसका सारा श्रेय हमारे प्रदेश की जनता को है, अध्यापक वर्ग अभिभावकों को है और पक्ष तथा विपक्ष को है। शिक्षा के सारे लक्ष्य को पूरा करने में हम आगे बढ़ते जायें और जैसा कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी, हमारी प्रधान मन्त्री का स्वप्न है, उसे पूरा कर सकें, इसमें हम सभी के सहयोग की आवश्यकता है।

प्राइमरी पाठशाला के इनरोलमेन्ट में काफी अन्तर आया है। हालाँकि मैं उससे सन्तुष्ट नही हूँ। सन्तोष तो हमें तभी मिलेगा जब कि हमारा एक-एक बच्चा साक्षर होगा। प्राइमरी क्षेत्र में हम छात्रों की संख्या को बढा सके हैं और मान्यवर, 1980-81 में 95 लाख 48 हजार हमारे प्राथमिक पाठशाला में छात्र थे। आज 82-83 में एक करोड़ ग्यारह लाख तीस हजार का हुआ है। मुझे आशा है कि 83-84 में हम इस लक्ष्य को काफी आगे बढ़ा पायेंगे। 1947 के बाद से उत्तर प्रदेश ने आशातीत तरक्की की है लेकिन अगर हम एक कदम आगे बढ़ते हैं तो जनसंख्या तीन कदम आगे बढ़ जाती है। परिणाम यह होता है कि हमारा बढ़ा हुआ कदम दिखाई ही नहीं पड़ता। समस्या यह है।

सीतापुर के विधायक श्री गुप्ता जी ने भवनों के बारे में कहा और भी कइयों ने कहा कि स्कूलों में भवन नहीं हैं। 1947 के बाद जब प्राथमिक शिक्षा का प्रसार होने लगा तो हमारे मनीषियों ने यह सोंचा कि कम से कम एक गांव में एक पेड़ के तले तो दीपक को अवलोकित कर दिया जाये। भवनों की बात तो बाद में रही। यानी यह कि मिले जुले क्षेत्र में एक अध्यापक को रख दें। स्कूल खुलते चले गये, कहीं भवन बना कहीं नहीं। इसलिये लगता है कि प्राथमिक पाठशालाओं में भवन नहीं हैं। 80-81 में पहली

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

बार साहसिक कदम उठाया गया कि हम ऐसे सभी स्कूलों में भवन बनायेंगे जहाँ भवन नहीं हैं। पिछली बार बजट में दो प्रकार के प्राविजन किये गये। एक तो यह निश्चय किया गया कि नये प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल खोले जायेंगे तो उनका भवन होगा। 47 के बाद पहली बार इस प्रकार का निर्णय लिया गया। बजट में प्राविजन भी किया गया दूसरे एक करोड़ रुपया 80-81 में बजट में रखा गया कि जो पुराने भवन हैं उनकी हम मरम्मत करायेंगे। इसी प्रकार 82-83 में 3,16,00,000 का बजट में प्राविजन किया गया। अभी माननीय गुप्ता जी ने कहा कि स्कूलों का निर्माण हुआ, वहाँ भवन का निर्माण नहीं हुआ। माननीय सदस्य अपने जिलों में जिला नियोजन समिति के मेम्बर हैं। जिनको मालूम नहीं है उनको बता देना चाहती हूँ कि वह मेम्बर हैं। अगर प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाईस्कूल के भवनों की बात है, नये खोलने की बात है तो वह इस समिति के अन्तर्गत है। कई जिलों से खबर आयी, वहाँ के विधायक लोग बहुत प्रसन्न थे कि हमने आपस में निर्णय ले लिया भवनों के खुलने का काम हो गया। जिला योजना समिति में लेकर आप लोग बतायें कि कहां पर बनाने की आवश्यकता है, कहां मरम्मत की आवश्यता है, कहां नये स्कूलों के खोलने की आवश्यकता है। यह आप लोगों को अधिकार दे दिया गया हैं।

एक सदस्य—

बनाता कौन है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आर० ई० एस० है, पी० डब्लू० डी० है, जिला परिषद, बड़े नगरों में नगर-महापालिका हैं। चार साधन हैं। विधायकों की इच्छा के अनुसार जिलाधिकारी को सुविधानुसार निर्णय लेने का अधिकार है कि किसके द्वारा यह बनवाये जायें मैंने जिले के अधिकारियों को इस बात को कहा है- आदेश दिये हैं कि वर्ष 1983-84 में जितने नये स्कूल दिये हैं, वह यह देखें कि उनके जनपद में हमने कितने स्कूल दिये हैं. कहाँ-कहां के लिए कितने रुपए दिये हैं, कहाँ कहां उसका उपयोग होना है, यह सब काम विधायक महोदय की सलाह से, एम० पी० महोदय की सलाह से, उनके विचार विमर्श से करें। मैंने यह भी कहा है कि कोई स्कूल बन जाय तो उस क्षेत्र के विधायक को उसकी सूचना दें, उद्घाटन भी उनके हाथों से करायें, शिलान्यास उनके हाथों से करायें (मेजों की थपथपाहट)। यह भी सूचना के लिए निर्देशित किया गया है कि वे उनकी यह सूचना दें कि फलां स्कूल में हमने 5000 रुपए की मरम्मत करायी है, लाँ में 10,000 की मरम्मत करायी है। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास और सुधार के लिए हमें माननीय विधायकों का सुझाव अपेक्षित है।

अभी चर्चा के दौरान एक माननीय विधायक ने यह बात कही कि 90 प्रतिशत अध्यापक विद्यालयों में पढ़ाने नहीं जाते हैं। मान्यवर, 1980-81 से लेकर आज तक इन तीन सालों में मैंने सैकड़ों, हजारों की संख्या में प्राथमिक स्कूल देखें, अनएक्सपेक्टेड मैं वहाँ गयी, कहीं मैंने कोई अव्यवस्था नहीं देखी, केवल एक विद्यालय में देखा था जहां कि अध्यापक बिना सूचना अनुपस्थित था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप समय का ध्यान रखें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, अजमानी साहब ने कुछ बातें कहीं मैं यह नहीं कहती कि वे सही नहीं कह रहे हैं, हो सकता है वहाँ की परिस्थिति कुछ और होगी, उसके कुछ कारण होंगे। मैं अजमानी साहब को विश्वास दिलाती हूँ कि वहां के अध्यापकों की समस्या का समाधान शीघ्र ही मैं व्यक्तिगत रूप से करने का प्रयास करूँगी।

रोजगार पूरक शिक्षा के बारे में कहा गया। आप जानते होंगे कि माध्यमिक शिक्षा में हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्टेनोग्राफी, टाइपिंग, बही खाता आदि। इंटर में कृषि, की मान्यता है, कामर्स की मान्यता है। इन सब्जेक्ट्स को विद्यार्थी लोग ले सकते हैं, अपने भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मान्यवर, हमारी शिक्षा का यह मकसद है कि हम चरित्र का निर्माण करें, लड़के में विवेक और बुद्धि का निर्माण करें, उनका ज्ञानवर्धन करें। मान्यवर, आज जिसमें ज्ञान की उपलब्धि है, वह स्वयं उस रास्ते पर प्रशस्त हो जाता है, उसका रास्ता स्वयं प्रशस्त हो जाता है, बल्कि वे दूसरों का भी मार्गदर्शन कर देता है।

जहाँ तक परीक्षाओं का सवाल है। शायद मैं अपनी बात समझा नहीं सकी कि नकल बिल्कुल नहीं होती है गत वर्षों में बहुत से परीक्षा केन्द्रों पर सामूहिक रूप से नकल होती थी, उनके बारे में हम विचार कर रहे हैं और कई परीक्षा केन्द्रों को तो हमने बदल भी दिया जहाँ पर सामूहिक नकल की सूचनायें थीं, इस दिशा में हम लोग गम्भीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं। मान्यवर, इस कुरीत को दूर कराने में आप सभी लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। जहाँ तक धानपुर का सवाल है, उसकी इन्क्वायरी चल रही है, इन्क्वायरी करने वालों को आदेश दे दिया गया है, वे अपनी इन्क्वायरी कर रहे हैं।

जहाँ तक व्याप्त भ्रष्टाचार का सवाल है, उसके संबंध में मुझे कहना है कि हमने काफी मामलों में एक्शन लिए हैं। बांसी के बारे में माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, उसका हम परीक्षण करा लेंगे। वाराणसी में हमने 10 आफिसर्स को निलम्बित किया। और मान्यवर, आन द होल हमने डी०आई०एस०, एस०डी०आई० आदि को निलम्बित किया है। जहां तक साधिकार नियंत्रक का प्रश्न है, 1982-83 में 120 इन्टरमीडिएट कालेजों में तथा 8 डिग्री कालेजों में हमसे साधिकार नियंत्रकों को एप्वाइन्ट किया है। जहां तक एरैबिक और फ्रांसीसी का प्रश्न है ऐसे परीक्षार्थियों की संख्या 3570 थी और 1982-83 में इनकी संख्या 6279 हो गई है। मान्यवर, कुछ समय दे दीजिये। इतने प्रश्न पूछे गये हैं। उनका उत्तर न दें तो आप कहेंगे कि मैं तथ्यों को छिपा रही हूँ। मान्यवर, आप कुछ समय बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप कितना समय चाहती हैं? पाँच मिनट में आप समाप्त करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, 1981-82 में 5 मदरसों को अनुदान की सूची में लिया गया और इस प्रकार 1981-82 में 28 संस्कृति पाठशालाओं को अनुदान सूची में लिया गया है।

मान्यवर, अन्त में मैं आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त अध्यापकों, सभी प्रधानाचार्यों एवं समस्त छात्रों को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पिछले 3 वर्षों में शिक्षा की जो हमारी व्यवस्था रही..... (व्यवधान)

श्री हर देव—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से आरक्षण के बारे में जानना चाहता हूँ ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी

मान्यवर, इस विभाग के जो हमारे सचिव महोदय हैं, हमारे जो निदेशक महोदय हैं और हमारे जो समस्त अधिकारी हैं जो इस शिक्षा के विकास और प्रसार में कार्यरत हैं मैं उनको भी हार्दिक बधाई देती हूँ ।

मान्यवर, अन्त में मैं एक बात और कहना चाहती हूं । कल 15 तारीख है और आज आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी विशेष रूप से आभारी हूँ । कल 15 तारीख होने की वजह से मुझे भगवान रामचन्द्र जी और केवट की कहानी याद आ रही है । इसी दिन केवट ने भगवान रामचन्द्र जी की नैया को पार किया था । वह रामचन्द्र जी जो भवसागर को पार करने वाले हैं मैं आप लोगों की आभारी हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे 14 लाख बच्चों को आर्शीवाद दे क्योंकि कल से उनकी परीक्षा होने वाली है । उनकी नैया को पार करने में आप सहयोग दें । मैं तो अकिंचन हूँ । मैं 2 करोड़ बच्चों की माँ है । इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने की कृपा करेंगे ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, में माननीय श्री लोकपति त्रिपाठी से कहना चाहती हूँ कि परिवार नियोजन का क्या होगा ? यहाँ तो 2 करोड़ बच्चे हो गये हैं ।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में जो जाली सर्टीफिकेट बेचने का मुकदमा अम्बाला में चल रहा है जिसमें शिक्षा विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा परिषद के बड़े-बड़े अधिकारी और हमारे प्रदेश के मुद्रणालय के अधिकारी जो इसमें सम्मिलित थे उनके बारे में आपने क्या किया है ? भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात तो आपने कही ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मन्त्री जी के भाषणों को सुनकर माननीय श्री गुप्त जी चलते बने और उन्होंने अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56– के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56– शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,04,60,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68–सांस्कृतिक कार्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 71,84,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80 के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 80–स्पोर्ट्स विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,24,27,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । मैंने इनको देखा है । इसमें माननीय सदस्यों की बहुत सी सूचनाए पुरानी हैं और कोई इस प्रकार की नहीं है कि स्वीकार कर सकूं । इसलिए सबको अस्वीकार करता हूँ ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मैंने नियम 51 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, वह पुरानी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

यह अस्वीकार हो चुकी है, अगर आप कोई नये तथ्य देंगे तो विचार कर लेंगे ।

[5 बज कर 20 मिनट]

उत्तर प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के छात्रों द्वारा अपनी मांगों के लिए हड़ताल किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

इस समय प्रदेश में 10 राजकीय आयुर्वेदिक तथा 2 यूनानी कालेज हैं। पहले केवल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ राजकीय नियंत्रण में था। बाद में 1974 में तीन, 1978 में चार तथा वर्ष 1982 में चार कालेजों और उनसे सम्बद्ध अस्पतालों का शासन द्वारा अधिगृहण किया गया। अधिगृहण से पूर्व निजी संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले सभी कालेजों की स्थिति प्राय: असन्तोषजनक थी और उनमें सुधार की आवश्यकता थी। शासन द्वारा इन कालेजों का अधिग्रहण उनके बहुमुखी विकास के लिए तथा आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा शिक्षा को प्रदेश में समुचित स्तर पर लाने के उद्देश्य से किया गया। इस प्रकार अब ये सभी कालेज शासकीय नियंत्रण में चल रहे हैं और इनमें लगभग 1600 (सोलह सौ) छात्रायें एवं छात्र शिक्षा पा रहे हैं।

इन सभी कालेजों में (सी०पी०एम०टी०) के आधार पर वर्ष 1981 से छात्रों का प्रवेश हो रहा है। आयुर्वेद महाविद्यालय वाराणसी और राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ को छोड़कर, जो क्रमश: सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी और लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध है। शेष सभी कालेज कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। इन कालेजों का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों के नियमों से अनुशासित हैं और मूलत: केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम के अनुरूप है।

शासन द्वारा विभिन्न कालेजों के अधिग्रहण के बाद उनकी स्थिति में यथासम्भव सुधार लाने का प्रयास किया गया है, और उनका स्तर ऊँचा हुआ है, परन्तु उसी के साथ इन संस्थाओं के अधिग्रहण से छात्रों की प्रत्याशायें जिस अनुपात से बढ़ी हैं, और वे जिस शीघ्रता से उन प्रत्याशाओं का प्रतिफलन देखना चाहते हैं, उसके अनुरूप हमारे संसाधन विभिन्न कार्य-क्रमों के सुदृढ़ीकरण की अनुमति नहीं देते। स्पष्ट है कि इन संस्थाओं का सर्वांगीण विकास योजनाबद्ध रूप में और प्राथमिकताओं का निर्धारण करके ही किया जा सकता है। शासन छठी पंचवर्षीय योजना तथा आगामी पंचवर्षीय योजनाओं में इसी आधार पर इन संस्थाओं के विकास के लिए प्रयत्नशील है।

आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों के छात्रों के वर्तमान आन्दोलन के विषय में विचार करने के लिए इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना आवश्यक है। गत 14 फरवरी, 1983 को छात्रों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने स्वास्थ्य मंत्री से मिलकर अपनी माँगों के बारे में एक ज्ञापन दिया था। अपने ज्ञापन में छात्रों ने यह भी इंगित किया था कि यदि दिनाँक 28.2.1983 तक उनकी समस्याओं का निराकरण न किया गया तो वे अगला संघर्षशील कदम उठाने के लिए बाध्य होंगे।

छात्रों के इस ज्ञापन को पाने के बाद शासन द्वारा उन सभी माँगों पर तत्परता से विचार किया गया है जो उनकी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा सम्बन्धी माँगों में से अधिकांश ऐसी हैं, जिनको पूरा करने में अनिवार्यत: कुछ समय लग सकता है। फिर भी इस स्वत: स्पष्ट स्थिति पर विचार किये बिना छात्रों ने दिनांक 16 फरवरी 1983 को जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया तथा जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया। दिनाँक 21 फरवरी, 1983 से उन्होंने कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए क्रमिक अनशन प्रारम्भ कर दिया, दिनांक 1 मार्च, 1983 को उन्होंने लखनऊ में एक मौन जुलूस निकाला, एक सार्वजनिक सभा की और यहाँ भी उन्होंने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया। दिनाँक 2 एवं 3 मार्च,

1983 को भी उन्होंने नगर में प्रदर्शन किया तथा 5 मार्च 1983 को उन्होंने मुख्य मंत्री जी के निवास-स्थान पर नारेबाजी की तथा शान्ति भंग करने का प्रयास किया। इस दौरान 80 छात्र धारा 151/107/116 सी०आर०पी०सी० के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये। छात्रों का क्रमिक अनशन अब भी चल रहा है।

छात्रों को आन्दोलन समाप्त करने के लिए कई बार उन्हें समझाया बुझाया गया है और उनके प्रतिनिधियों से कई बार बात करके उन्हें स्पष्ट किया जा चुका है कि उनकी वास्तविक समस्याओं का निराकरण किस प्रकार किया जा रहा है। छात्रों के प्रतिनिधियों की उनकी मांगों के बारे में, जिसकी सूची सलंग्न है, स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक लम्बी वार्ता 7 मार्च, 1983 को हुई। यह वार्ता सांय 7 बजे से रात्रि 11-00 बजे तक···

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य के पढ़ने के मध्य पृष्ठ दो की तीसरी पंक्ति में शब्द "प्रतिफलन" के स्थान पर शब्द "प्रतिपालन पढ़ा और पृष्ठ 3 के दूसरी पंक्ति में "शब्द" छात्रों के स्थान पर "छात्राओं" पढ़ा। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने जो पढ़ा है, वही सही है या वक्तव्य में जो दिया गया है, वह सही है ?

(शोर)

अनेक सदस्य—

आपके सुनने में फर्क पड़ा है, मंत्री जी ने तो सही पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, जो माननीय मंत्री जी ने पढ़ा है, उसका वह स्वयं स्पष्टीकरण अभी दे देंगे।

श्री मोहन सिंह—

यह पढ़ा हुआ मान लिया जाय। (किसी के विरोध न करने पर।)

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, वक्तव्य का शेष भाग पढ़ा हुआ माना गया।

चलती रही है। इसमें विस्तृत विचार विमर्श के बाद छात्रों ने यह इंगित किया था कि वे अगले दिन से अपना आन्दोलन वापस ले लेंगे। उनकी भावनाओं तथा इच्छा का सम्मान करते हुए तदनुसार अगले दिन सभी गिरफ्तार छात्रों की रिहाई के आदेश दे दिये गये थे और वे सभी छात्र रिहा भी हो गये हैं। इसके बावजूद आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी के अधिकांश छात्रों को छोड़कर अन्य कालेजों के छात्रों ने अभी आन्दोलन वापस नहीं लिया है। आन्दोलन के दौरान छात्रों ने 10 फरवरी, 1983 के ज्ञापन में तथा बाद में जो 12 सूत्री मांगें प्रस्तुत की हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ····पर।)

नोटः—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री अध्यक्ष —]

छात्रों की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए शासन द्वारा सक्रिय कदम उठाये जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों एवं प्रधानाचार्यों की एक बैठक 24 फरवरी, 1983 को बुलाई थी, जिसमें छात्रों की माँगों पर विस्तृत विचार विमर्श करके आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे। इसका व्यापक प्रचार रेडियो व दूरदर्शन आदि के माध्यम से भी हुआ है। इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही की गई अथवा की जा रही हैं, वह इस प्रकार हैं :—

(1) इन कालेजों के सर्वांगींण विकास की दिशा में हमारा प्राथमिक प्रयास यह है कि अन्य अर्ध विकसित संस्थाओं को पहले राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ के स्तर पर ले आया जाय और इस सीमा तक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण हो जाने के उपरान्त कालान्तर में योजनाबद्ध रूप से उनका आगे विकास किया जाय।

(2) जिला स्तर पर वित्तीय वर्ष 1983-84 में 10 आयुर्वेदिक चिकित्सालय यूनानी कक्ष सहित खोले जायेंगे। 23 जिला अस्पताल पहले ही खोले जा चुके हैं। वर्ष 1983-84 में इन 23 अस्पतालों में भी यूनानी कक्ष स्थापित किये जायेंगे।

(3) हमारे वर्तमान संसाधान इस समय प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति नहीं देते। सभी कालेजों को क्षेत्रीय कालेजों से सम्बद्ध करने के उद्देश्य से सम्बन्धित कुलपतियों के साथ विचार विमर्श के लिए उनकी एक बैठक 15 मार्च, 1983 को आयोजित की जा रही है।

(4) प्रत्येक कालेज में जहां छात्रावास नहीं है, छात्रावास के निमित्त किराये की इमारत प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

(5) पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् से जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके अनुसार डिग्री के लिए सम्पूर्ण पाठ्यक्रम साढ़े पाँच वर्ष का निहित है। जिसमें पाँच वर्ष का मुख्य पाठ्यक्रम तथा छः माह इन्टर्नशिप के लिए है। छात्रों की यह मांग कि मुख्य पाठ्यक्रम केवल साढ़े चार वर्ष किया जाय तथा इन्टर्नशिप की अवधि एक वर्ष कर दी जाये। केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् के निर्देशों के प्रतिकूल है और स्वीकार नहीं की जा सकती। पर यहाँ तक उनके पाठ्यक्रम में कुछ नये विषयों के समावेश का प्रश्न है, भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद् में इस प्रश्न पर यथाशीघ्र विचार विमर्श करके आवश्यक सुझाव सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को भेज दिये जायेंगे। यह स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में शासन कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। अब अन्तिम निर्णय उक्त परिषद् के सुझाव पर सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा लिया जाना है।

(6) विभिन्न कालेजों में जिस संस्था में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा कोर्स स्थापित करने की मांग की गयी है उस संस्था में उनकी स्थापना, प्रत्येक कालेज की स्थिति को देखते हुये, सम्भव नहीं है। फिर भी प्रत्येक कालेज में एक स्नातकोत्तर विभाग स्थापित करने का प्रयास किया जायेगा।

(7) आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों के लिये यथाशीघ्र चुनाव किये जा रहे हैं। पदों के अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं। पदों के लिये जिनका सम्बन्ध पर्वतीय उप संवर्ग से हैं, तदर्थ नियुक्ति हेतु चयन आगामी मास तक हो जाने की आशा है।

(8) आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिये विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है और रिक्त पदों पर शीघ्रतिशीघ्र तदर्थ नियुक्ति कर दी जायेगी ।

(9) यह निर्णय भी लिया जा चुका है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तृतीय चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्नातकों से की जायेगी ।

छात्रों की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के लिये जो कार्यवाही सम्भव हो सकती है वह की जा रही है । जहां तक कालेजों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रश्न है यह स्पष्ट है कि जिस रूप में इन कालेजों का अधिग्रहण हुआ था उसको एक अच्छे स्तर पर लाने के लिये संसाधनों के साथ ही साथ समय की भी आवश्यकता होगी। कोई भी संस्था एक महान और सम्मानित संस्था के रूप में आन्दोलन के दबाव से इन गिने सप्ताहों में विकसित नहीं हो सकती है । इसके लिये संसाधनों के साथ एक ऐसे अनुशासन के वातावरण की भी आवश्यकता होती है जिसमें शिक्षा और शोध की स्वस्थ्य परम्परायें पनप सकें । अत: एक ओर जहां हमारी ओर से पूरी चेष्टा हो सकी है, कि इन संस्थाओं का विकास हो, वहीं दूसरी ओर हमारी छात्रों से अपील है कि वे अपने आन्दोलन का परित्याग करके कालेजों में ऐसे वातावरण की सृष्टि करें जिसमें राज्य के सीमित संसाधनों का लाभ इन संस्थाओं को अधिकतम रूप से उपलब्ध हो सके । माननीय विधायकों से मेरा विशेष अनुरोध है कि वे छात्रों को आन्दोलन के पथ से विरत करने में अपने नेतृत्व का लाभ इस प्रदेश को दें तथा उनमें कृपया इस भावना का विकास करें कि उनका मुख्य कार्य शिक्षा ग्रहण करना है, न कि अनेक असम्बद्ध विषयों पर माँगें प्रस्तुत करके प्रदेश की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक परिवर्तन करना । जहाँ तक उनकी शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का प्रश्न है उनके समाधान के लिये सक्रिय कदम उठाये जा चुके हैं ।]

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इस वक्तव्य के पृष्ठ 5 पर जो 7, 8 तथा 9 बिन्दु दिये हैं, उनके संबंध में पूछना चाहता हूँ । जिसमें 7वें बिन्दु में यह कहा गया है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों के लिये यथाशीघ्र चुनाव किये जा रहे हैं । पदों के अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं तथा 111 पदों के लिये जिनका सम्बन्ध पर्वतीय उपसंवर्ग से है, तदर्थ नियुक्ति हेतु चयन आगामी मास में हो जाने की आशा है इस संबंध में माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण चाहता हूँ कि यह कार्य कब तक हो जायगा ? 8वें बिन्दु में कहा गया है—आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है और रिक्त पदों पर शीघ्रतिशीघ्र तदर्थ नियुक्ति कर दी जायेगी, तो इसमें कितने पद रिक्त हैं और नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? तथा 9वें बिन्दु में दिया गया है—"यह निर्णय भी लिया जा चुका है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर तृतीय चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्नातकों से की जायेगी, तो उन केन्द्रों पर इन आयुर्वेदिक और यूनानी स्नातकों में से नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी, इन तीन बिन्दुओं पर कृपया माननीय मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण दे दें ।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)—

श्रीमन्, आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के जो पद मैदानी क्षेत्र में रिक्त हैं उनके लिये अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजे जा चुके हैं । यह पर्वतीय क्षेत्र के लिये नहीं है । दोनों संवर्गों के लिये पर्वतीय और मैदानी दोनों के लिये लगभग 580 पद हैं जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने हैं । पर्वतीय क्षेत्र में चूँकि कमी है तो इसके लिये

[श्री लोकपति त्रिपाठी—]

तदर्थ नियुक्ति के लिये भी शासन ने विज्ञापन कर रखा है उसका चयन इसी महीने के प्रारंभ में हो जायेगा।

जहाँ तक अध्यापकों का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने जानकारी चाही है कि कितने अध्यापकों की नियुक्ति हो गयी है तो इसमें अधिकाँश विद्यालय तो ऐसे हैं जहाँ एक या दो अध्यापक रहे हैं। जहां तक प्रयास का प्रश्न है तो हर विषय को पढ़ाने के लिये एक-एक अध्यापक दे दिये जाँय ऐसा शासन का विचार है तो इसके लिये हम तदर्थ नियुक्ति कर रहे हैं। इस तरह से लगभग 100 या 125 अध्यापकों की आवश्यकता है।

जहाँ तक प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने यह बात उठा दी है तो प्रथम किश्त में 300 डाक्टरों की आवश्यकता होगी जिसका अभियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा जा रहा है। दो सौ या तीन सौ इस वर्ष के होंगे बाकी के 1983-84 के होंगे।

श्री खैरूल बशर—

मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इलाहाबाद और लखनऊ मेडिकल कालेज में जो दाखिले की प्रक्रिया है उसके अन्दर आपने केवल वर्तमान सत्र में चार-चार लड़के चयन किये हैं। तो क्या यह इनडाइरेक्ट तरीके से कालेज को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं है ? जब कि उर्दू को अनिवार्य किया गया है और दूसरे एग्जामिनेशनों में अंग्रेजी को अनिवार्य नहीं किया गया है तो क्या आप इसके बारे में स्पष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, यूनानी बिना उर्दू के यूनानी नहीं रहेगी और आयुर्वेदिक बिना संस्कृत के आयुर्वेदिक नहीं रहेगी। जैसा कि माननीय सदस्य ने इशारा किया है कि इलाहाबाद में 4 लड़के और लखनऊ में 4 लड़के आये हैं। तो श्रीमन्, इसके लिये सी० पी० एम० टी० की परीक्षा होती है, जो चयन के जरिये से आये हैं इन्हीं को लिया गया है। इस वर्ष से हम ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं यानी कि 1983-84 से कि जो सी० पी० एम० टी० के जरिये से चयनित होकर आयेंगे उस कालेज में उनको संस्कृत और यूनानी कालेज में उर्दू इसका एक स्पेशल कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

दूसरे श्रीमन्, 1983-84 में यह भी प्रयास करेंगे कि सी०पी०एम०टी० में अगले वर्ष से आयुर्वेदिक और यूनानी में मानक स्थापित किया जाय। एक स्टैण्डर्ड निर्धारित किया जाय। अभी तक तो इण्टरमीडिएट तक की क्वालीफिकेशन है विज्ञान के साथ लेकिन संस्कृत और उर्दू में अलग से चयन करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं क्योंकि उर्दू और संस्कृत दोनों का स्टैण्डर्ड इण्टरमीडिएट से नीचे का है। इस स्तर पर यदि आपकी आज्ञा हो तो इन शब्दों को समाचार-पत्र वाले इसको न छापें।

(समय 5 बजकर 25 मिनट से)

कुछ दिन के लिए उर्दू और संस्कृत के स्टैन्डर्ड को कम करने जा रहे हैं जिससे उनका स्टैन्डर्ड उस लेविल तक आ जाय। इस समय आप जानते हैं कि छात्रों के प्रवेश की कमी है। जो प्रश्न पैदा हुआ है वह इसी लिए हुआ है। जो स्टैन्डर्ड है, मानक है उससे यह नीचे है। इस प्रश्न पत्र को कुछ ढीला कर दिया जायेगा। तो यह समस्या मेरे विचार से ठीक हो जायेगी। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको आप निर्देशित कर दें कि प्रेस में न छापा जाय। आप जरूर निर्देशित कर दें।

श्री अध्यक्ष —

उनको निर्देशित किया जाता है ।

श्री पंचानन राय—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो जिला पर मुख्यालय चिकित्सालय हैं, वहां पर इन्टर्नशिप (हाउस जाब) की व्यवस्था करेंगे जिससे उन लोगों को सुविधा हो सके ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं । आयुर्वेद और यूनानी के लिए दो स्थितियां हैं । 6ठी योजना में इसके लिए कोई प्राविधान नहीं है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह अपनी बचत से कर रहे हैं । इसके लिए हमको अलग से धन नहीं मिला है । 8 वें फाईनैंस कमीशन के सामने यह बात है । 250 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है । 7वीं योजना में यह प्लान आइटम में आ जायेगा । हमारे पास 8 आयुर्वेदिक और 2 यूनानी विद्यालय हैं जहाँ पर एक स्पेसिलिटी अगले वर्ष से प्रारम्भ करेंगे । 2 यूनानी और 8 आयुर्वेदिक कालेज हैं । जहाँ तक इन्टर्नशिप का प्रश्न है, हमारे जो राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय हैं, उनको है । इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर 23 राजकीय अस्पताल हैं, जिनको खोला जा चुका है और 10 हम और कर रहे हैं, जिसमें यूनानी और आयुर्वेदिक दोनों होंगे । अगर इनमें हम नहीं कर पाये तो फिर उनको देहात में जाना पड़ेगा ।

श्री कुंवर सिंह नेगी —

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आपने उप संवर्ग का उल्लेख अपने वक्तव्य के पृष्ठ 5 पर किया है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों की स्थिति को देखते हुए वहीं के लोगों की नियुक्ति देंगे । 111 नियुक्तियाँ हो रही हैं । 8 पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों की हैं तो क्या उनको वरीयता देंगे जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं । आप एम०बी०-बी०एस० और बी०एम०एस० के विद्यार्थियों को सहायता देते हैं, या स्कालरशिप देते हैं तो आप उनसे अनुबन्ध करा लेते हैं कहीं दूसरी जगह पर सर्विस नहीं कर सकते हैं । तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो नियुक्तियाँ आप करने जा रहे हैं उनमें पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सी० पी० एम० टी० में इस क्षेत्र के विद्यार्थियों का आरक्षण है । जो गरीब होते है उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, उनसे अनुबन्ध कराते हैं । इसका यह मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति को नौकरी देंगे ही । अगर उसको कहीं नौकरी मिल रही है और अगर वह एप्लाई करेगा तो उसे हम उस अनुबन्ध से छूट दे देंगे । यह अनुबन्ध तो उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुये कि वह आगे पढ़ सके उसके लिये किया गया है और स्कालरशिप की व्यवस्था की गई है । जहाँ तक उनके दूसरे प्रश्न की बात है, तो पर्वतीय क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनको प्राथमिकता दी ही जाती है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय जन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान उन्हीं के द्वारा दिये गये वक्तव्य के पृष्ठ 3 पर आकर्षित करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूं कि उनकी 7 मार्च को वार्ता उन छात्रों के साथ हुई थी जो आन्दोलन कर रहे

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

थे। उन्होंने सद्भावना दिखाते हुये गिरफ्तार छात्रों को भी छोड़ दिया था। तो अब कहाँ से यह बात आ गई कि वह व्यवधान बना रह गया है ? दूसरी बात यह है कि अभी जो वक्तव्य आया है उससे लगता है कि मंत्री जी जो प्रयास कर रहे हैं वह एक उचित दिशा में है और विद्यार्थी जो मांग कर रहे हैं वे हमारे संसाधनों को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी उस आन्दोलन को समाप्त करने के लिये पुनः उनसे कोई अपील करेंगे और कोई ऐसी व्यवस्था निकालेंगे जिससे वे अपना आन्दोलन समाप्त कर सकें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, हम इस प्रयास में हैं। वे लड़के मुझसे मिले थे और रात 11 बजे तक मेरे पास थे। मैं नहीं समझ पाया कि हड़ताल का कारण क्या है। हम आयुर्वेदिक शिक्षा प्रणाली को ऐलोपैथिक शिक्षा पद्धति के समकक्ष 8 महीने में कर दें यह हमारे साधनों के बाहर की बात है। आर्थिक साधनों के भी बाहर है और बौद्धिक साधनों के भी बाहर है। मान्यवर, हर जिले में 250 बैड के आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले जांय यह उनका कहना है। 1857 से और देश के आजाद होने के बाद बहुत से जिलों में 250 बेड के ऐलोपैथिक चिकित्सालय नहीं हैं। यह हमारे संसाधनों को देखते हुए कैसे सम्भव है। उनकी मांग थी कि हमारे विद्यार्थियों को छोड़ दें, हमने छोड़ दिया। लेकिन जैसा कि माननीय खैरुल बशर ने कहा, हमने कहा कि यह नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि हमारा साढ़े चार वर्ष का कोर्स कर दिया जाय और एक साल हमारी इन्टर्नशिप कर दी जाय।

मैं कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय चिकित्सा परिषद् है वह रजिष्ट्रेशन करती है और उत्तर प्रदेश शासन इन कालेजों की मैनेजर है। इन कालेजों की शिक्षा पद्धति में किसी तरह का अन्तर करने का अधिकार हमें नहीं है। इसके बारे में छात्रों ने कहा कि यह कर दिया जाय। भारतीय चिकित्सा परिषद् जो है वह उसी को मान्यता देती है जिसका साढ़े चार साल का कोर्स हो और एक साल की इन्टर्नशिप हो। हमने इसके बारे में वहां अपने आदमी भेजे और लिखकर भी दिया। वहां से लिखित आया कि नहीं। पाँच वर्षों का कोर्स और 6 महीने का इन्टर्नशिप ही चला सकते हैं। यदि हम इस तरह से करते हैं तो भारतीय चिकित्सा परिषद् उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी और तब उनकी मान्यता नहीं रह पायेगी। ऐसा करके हम अपने बच्चों की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते। विद्यार्थियों ने मुझसे कहा था कि आप 12 बजे गाँधी चबूतरे में आ जांय। मैं वहाँ गया, दूसरे दिन भी गया लेकिन कोई बालक मुझे नहीं मिला। कोई नहीं आया। मैं सीधे हाउस से उठकर वहां गया था। मैं तो माननीय सदस्यों से अपील करता हूँ और आपके माध्यम से अगर वहां का कोई बच्चा यहां गैलेरी में बैठा हो उनसे भी अपील करता हूं कि वह जाकर पढ़ें और अपनी जिन्दगी न खराब करें। वे डाइरेक्शन देते हैं कि गवर्नमेंट कैसे चले। वे कहते हैं कि आयुर्वेदिक का मंत्रालय अलग हो। डाइरेक्टोरेट अलग है ही, सचिवालय भी अलग है। मैं मंत्री हूँ, वह कहते हैं कि मंत्री भी अलग हो तो ठीक है, कोई बात नहीं मिनिस्टर औफ आयुर्वेदिक चिकित्सा बन जाय, मुझे कोई ऐतराज नहीं है लेकिन मुझे लगता है बच्चे कुछ फ्रस्ट्रेटेड हैं। उसका कारण यह है कि जिन विद्यालयों में यह पढ़ रहे थे उनमें व्यवस्था ठीक नहीं थी, अध्यापकों की व्यवस्था नहीं थी, डिसैक्सन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जांच की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब सरकार ने उनको ले लिया तो उनको यह भ्रम हो गया है कि यह सब काम जो हैं इनको सरकार एक वर्ष में पूरा कर दे। मैं उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। मैंने आज ही स्टेट लौटरी फण्ड से आयुर्वेदिक शिक्षा के लिए 15 लाख रु० एक्सरे, पैथोलौजी और डिसैक्सन आदि के लिये इन आयुर्वेदिक और यूनानी स्कूलों के लिये लिया है। यह सदन जानता है कि सुई से ज्यादा दवाओं की आवश्य-

कता होती है। जड़ी बूटियों की कमी हो रही है, यह बात सदन में भी कही गयी कि शासन हर जनपद में सामूहिक बानकी प्रोग्राम में आयुर्वेदिक और यूनानी पौधों का बानकीकरण करेंगे। हमारे मित्र ने पहाड़ों के लिये कहा कि वहाँ कैसे होगा। तो वहां पर भी जो पंचायत की जमीन है उसमें यह करेंगे। यह भी तय किया गया है कि 1983-84 और 84-85 में हर आयुर्वेदिक महाविद्यालय में हम फार्माकोलोजी की शिक्षा प्रारंभ कर देंगे। लेकिन एक निवेदन जरूर करूँगा यह संभव नहीं है एक ही बार सब काम हो जाय। मैं अपने माननीय सदस्यों से भी और श्रीमन्, आपसे भी तथा गैलरी में बैठे हुए लड़कों से भी अपील करूँगा कि वह जाकर पढ़ाई करें और आयुर्वेद की इज्जत बढ़ायें घटायें नहीं।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं दो बातें जानने के लिए उत्सुक हूँ। माननीय मंत्री जी ने कभी आंकलन किया कि इन छात्रों की 50 प्रतिशत मांगों को पूरा करने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी इसका सर्वेक्षण कराया है यदि हां, तो बता दें? और दूसरा यह कि इस सदन की भावना को देखते हुए क्या केन्द्र सरकार से कोई अपील धन पाने के लिए करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन्, भारतीय चिकित्सा परिषद् के अनुरूप इन 10 विद्यालयों को बनाने के लिये तथा सुविधा देने के लिये 250 करोड़ रुपया चाहिये। जोकि हमने आठवें वित्त आयोग के सामने आंकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं। हम कहते हैं कि 10 परसेंट भी हम को मिल जाय तो हम कुछ प्रगति कर लेंगे। जो मानक हमने निर्धारित किया था छात्रों को मैंने बता दिया कि लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज लखनऊ का जो स्टेंडर्ड है, प्रथम चरण में छठी योजना समाप्त होने से पूर्व हमारे जो राजकीय आयुर्वेदिक कालेज हैं उनको लखनऊ के समकक्ष कर देंगे 2 यूनानी और 6 आयुर्वेदिक कालेकज को। इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं अपने साधनों से। जहाँ तक भारत सरकार का प्रश्न है हमारा प्रयास है छठी योजना में कुछ धन मिलेगा वित्त आयोग को आंकलन भेज रहे हैं। अपने आंकलन बना लिये हैं। इसमें भी 10 करोड़ की आवश्यकता लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज के समकक्ष लाने में पड़ेगी।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय मंत्री जी ने जितना काम किया देश और प्रदेश के इतिहास में वह स्वर्णाक्षरों में लिखा जायेगा जो कुछ 1980-81 और 81-82 में उन्होंने किया वह बहुत सराहनीय है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि उन लड़कों के प्रति दिल में हमदर्दी है आप उनसे बुला कर इतना कहने का कष्ट करेंगे कि हम सहानुभूतिपूर्वक आपकी मांगों पर विचार करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

श्रीमन् आपके माध्यम से यह बात तो मैं सदन में कह चुका हूँ, अभी अभी इसके पहले।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जैसे कि आपने सूचना दिया है कि जहाँ अध्यापकों की कमी है उसको पूरा करने जा रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिन विद्यालयों में प्रयोगशाला में उपकरणों की कमी है, उनको भी अध्यापकों की तदर्थ नियुक्ति के साथ साथ, पूरा किया जायेगा।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—]

दूसरी बात 24 फरवरी को जो आपने प्रधानाचार्यों की बैठक आहूत किया था, तो उसमें शिक्षा पद्धति में जो सुझाव दिये गये थे, तो उन सुझावों के आधार पर भारतीय चिकित्सा परिषद जो है उसके नियमों में संशोधन करने के लिये क्या आप पहल करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, जहाँ तक प्रथम प्रश्न का सवाल है तो झांसी आयुर्वेदिक कालेज में डिसेक्शन हाल के लिये पैसा दिया है, बाँदा-अतर्रा में पैथालोजी के लिये पैसा दिया है, इसलिये एक साथ नहीं कर पा रहे हैं लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं।

मान्यवर, जहाँ तक शिक्षाविदों का सवाल है तो 10 कालेजों को शासन ने अधिकृत कर दिया है कि शिक्षा पद्धति में आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव सीधे भारतीय चिकित्सा परिषद को दें। यदि वह मान लेता है तो शासन उसको स्वीकार कर लेगा।

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, क्या मन्त्री जी बतायेंगे, प्रश्न से थोड़ा हटकर सहानुभूति के लिये पूँछना चाहता हूँ, कि जिन पर्वतीय अंचल के कंपाउण्डरों ने पिछले दिनों हड़ताल किया था, चमोली में, उनका भी यही मसला था नियुक्ति का, तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी आयु बढ़ती चली गयी है तो उनके बारे में भी नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या आपने कोई निर्णय लिया है, यदि निर्णय लिया है तो कब तक उनका चयन हो जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी

मान्यवर, एक वेटिंग लिस्ट खारिज कर दिया है और कह दिया है कि इंटरविऊ फिर से करायें इसी महीने में, पर्वतीय क्षेत्रों का भी इंटिरविऊ होगा उसमें वह बुलायेंगे। मान्यवर, माननीय सदस्य शिक्षा मन्त्री रह चुके हैं, कंपाउण्डर कोर्स पढ़ने का तात्पर्य उनको रखा जाय तो आयुर्वेदिक कालेज, यूनानी कालेज में जितने लोगों को पढ़ायेंगे उन सबको नौकरी देंगे तो यह मंशा पढ़ने की नहीं है। सहानुभूतिपूर्वक हम विचार कर रहे हैं लेकिन उनको आप समझायें कि जो आयुर्वेदिक पास हों, आपके जनता पार्टी में शासन ने निर्णय लिया कि किसी व्यक्ति को दुकान खोलने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ट्रेण्ड फार्मेसिस्ट नहीं होंगे, कंपाउण्डर ट्रेन्ड फार्मेसिस्ट हैं, वह दुकानों से संपर्क स्थापित करें या स्वयं दुकान खोलना चाहते हैं तो बैंक 4 प्रतिशत ब्याज पर पैसा दे रही है, 10 हजार रुपये तक। लेकिन इस समय प्रदेश में 4 कंपाउन्डर्स कालेज हैं उसमें 120-125 व्यक्ति हर साल निकलते हैं तो इस साल 100 डिस्पेंसरीज आयुर्वेदिक की खुल रही हैं उसमें 100 व्यक्ति नियुक्त हो जायेंगे, पिछले वर्ष 25 डिस्पेंसरीज खुलीं तो 100 कहाँ नियुक्त हो जायेंगे, इसलिये सभी को नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिये, यही मान्यवर मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष—

अब मोहन सिंह जी का आखिरी सवाल, उसके बाद किसी को आज्ञा नहीं होगी।

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी की फीलिंग को शेयर करता हूँ कि पहले हमारे आयुर्वेदिक कालेजों के छात्र अपना आन्दोलन वापस लें, लेकिन मैं उनसे एक बात का स्पष्टीकरण

चाहता हूँ, कल ही कुलपतियों का सम्मेलन आप कर रहे हैं, तो सरकार इस बात की घोषणा कर दे कि वह इस बात से सिद्धान्ततः सहमत हैं कि जो कालेज हैं उनको उसके क्षेत्र के, नजदीक के विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा और कल की कुलपतियों की बैठक में उनको इस बात के लिए राजी करने का प्रयास किया जाएगा कि वह नजदीक के आयुर्वेदिक कालेजों को अपने विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध कर लें ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मैं इसका प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन यह कुलपति हमारे अधिकार में नहीं हैं। यह जो क्षेत्र में विद्यालय हैं, वह उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो जाएं, तो उनकी समस्या आदि का हल हो जाएगा, में इससे सहमत हूँ।

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य 5 निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी हेतु तिथि में परिवर्तन की सूचना †

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूँ। गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य 5 निकायों के निर्वाचन के सम्बन्ध में नामों की वापसी हेतु नियत तिथि दिनांक 14 मार्च, 1983 के स्थान पर आगे की तिथि निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचेतक कांग्रेस दल (आई) तथा माननीय नेता विरोधी दल के अनुरोध पर अब नामों की वापसी हेतु दिनांक 19 मार्च, 1983 की तिथि तथा निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान हेतु दिनाँक 25 मार्च, 1983 की तिथि निर्धारित की जाती है। निर्वाचन 25 मार्च, 1983 को पूर्वाह्न 10·30 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक विधान मंडल पुस्तकालय विधान भवन, लखनऊ में अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाएगा।

प्रदेश में अपराधी व्यक्तियों द्वारा पटाखों के लिए आतिशबाजों को दी जाने वाली बारूद का प्रयोग हथगोले बनाने में किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

यह सही है कि यदा-कदा अपराधियों द्वारा हथगोलों का प्रयोग आतंक फैलाने के लिए पटाखों के रूप में किया जाता है। किन्तु यह कहना कठिन है कि ऐसे हथगोलों को बनाने वाले विभिन्न प्रकार के विस्फोटक पदार्थ आतिशबाजी बनाने वाले अनुज्ञायियों से ही प्राप्त किए जाते हों। एक्सप्लोसिव ऐक्ट के अन्तर्गत बारूद रखने वालों और आतिशबाजी बनाने वालों के लिए अनुज्ञापन की व्यवस्था है और बिना अनुज्ञापन के इस प्रकार का व्यवसाय करना दण्डनीय अपराध है। अनुज्ञापन में व्यवसाय चलाने के लिए और बारूद की प्राप्ति और उसकी बिक्री के हिसाब रखने के बारे में शर्तें होती हैं। आवश्यकता इस बात की रहती है कि इन शर्तों का सही-सही अनुपालन कठोरता से सुनिश्चित कराया जाय। इसके लिये शासन द्वारा जिला मजिस्ट्रेटों को समय समय पर पहले भी निर्देश दिये गये हैं तथा वर्तमान परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में इन निर्देशों को दोहरा दिया गया है।

2 उत्तर प्रदेश का आकार विस्तृत है और आतिशबाजी बनाने वाले केवल सरकारी दूकानों से ही बारूद तथा आतिशबाजी की अन्य सामग्री प्राप्त कर सकें ऐसी

---

†दिनांक 14 मार्च, 1983 की कार्यवाही से।

[श्री वासुदेव सिंह—]

व्यवस्था करना व्यवहारिक नहीं प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त एक्सप्लोसिव ऐक्ट केन्द्रीय अधिनियम हैं और उक्त अधिनियम में कोई संशोधन केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, इस सूचना देने का मेरा एक तात्पर्य था, मान्यवर, कि सरकार का ध्यान और माननीय सदन का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करूँ कि उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण जीवन है, उसमें मान्यवर, पटाखों से भी गयी-गुजरी स्थितियों से ऊपर जो हथगोलों का प्रयोग हो रहा है, इस समय यह विनाशकारी, आतिशबाजी, और आतिशबाजी की दूकानों मे बारूद और थोड़े से कांच के टुकड़े इकट्ठा किये और बजड़ी या कंकड़ी लेकर बांधा और धाँय से दगाया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी अपने वक्तव्य में कहा है कि यदा-कदा उसका प्रयोग होता है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण जीवन में इसका प्रयोग यदा-कदा नहीं, बल्कि सामान्य रूप से किया जाता है नम्बर (1)। नम्बर (2) मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह एक्सप्लोसिब ऐक्ट जो है, यह केन्द्रीय अधिनियम है, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। मान्यवर, ठीक है कि नियंत्रण नहीं है, लेकिन प्रदेश जल रहा है, आपने कहा कि वहाँ से नियंत्रण होता है। अगर वहाँ से नियंत्रण होता है, आतिशबाजी बिकती है आपके यहाँ से, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूँ कि जो कभी-कभी यहाँ पर जो आतिशबाजी की दूकान से बारूद बिकती है, इस पर क्या प्रभावी नियंत्रण लगाने की घोषणा करेंगे ? नं० (3) यदि वह इनके बस में नहीं है, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार, केन्द्रीय सरकार को लिखेगी कि हथगोलो से भयावह स्थिति पैदा हो रही है, इसको रोका जाय ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मैंने वक्तव्य में कह दिया है कि हम कैसे उसको रोक सकते हैं। जो माननीय बाजपेयी जी का आशय है, उसकी पूर्ति के लिये नियम में परिवर्तन करने से नहीं, किसी कानून को लागू करने से होती है, कठोरता से उसको लागू करने से होता है और जिलाधिकारी को शासन ने 17-10-80, 24-10-80, 29-10-80 को लिखा है और 11-3-83 को दोहरा दिया है कि इसके बारे में उनकी नजर होनी चाहिए और दूसरी चीज यह है कि यह केन्द्रीय सरकार का अधिनियम है और यह सरकार के समक्ष है। यह ऐसी बड़ी समस्या नहीं है कि इसके बारे में हम विचार करें और केन्द्रीय सरकार को लिखें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, मेरा मतलब यह कतई नहीं है कि उसको रोकें या चलने दें, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या हथगोलों से उत्पन्न भयावह स्थिति से वह अवगत हैं, या नहीं, कि गांव-गांव में हथगोले पटाखों की तरह से प्रयोग होते हैं, कि नहीं ? यदि हां, तो उसको रोक-थाम के लिए क्या यही तरीका है कि आपने जिलाधिकारी को निर्देश दे दिये कि उसकी रोक-थाम करें। लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। तो कौन सा तरीका निकालेंगे कि जिससे ग्रामीण लोगों को उससे राहत मिल सके ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटक होता है। जो माननीय सदस्य ने इतना व्यापक बताया यह सत्य से मेल नहीं खाता। लेकिन शासन, यह समझता है। इसके

जो आदेश हैं, जो अधिनियम हैं, वह केन्द्रीय अधिनियम हैं, वह भी पर्याप्त हैं, उसके अधीन हम सजा दे सकते हैं कि वह व्यक्ति किसी ऐसे विस्फोटक पदार्थ की बिक्री, आयात नहीं करेगा, जो अधिकृत नहीं होगा और अगर वह ऐसा करता है, इस्तेमाल करे या बेचे या उसका संचालन करे, तो उसको दो साल की सजा और तीन हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है। तो शासन यह समझता है कि जो दंड का प्राविधान है, वह पर्याप्त है। उसके सहारे हम इस चीज को खत्म कर सकते हैं। इसीलिये जिलाधिकारी को लिखा गया है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मकान उड़ गये हैं विस्फोट से। मेरे यहाँ तीन आदमी मरे हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, यह सही है कि जब विस्फोट होगा तो मकान उड़ेगा लेकिन जैसे मान लीजिए जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा, हम यह कर दें कि आतिशबाज के पास विस्फोटक समाप्त न हो तो क्या वह चीजें दूसरी जगह से उनको उपलब्ध न हो सकेंगी, क्या सिर्फ आतिशबाज के यहाँ से ही हथगोले का सामान प्राप्त हो सकता है ? विस्फोटक सामान आतिशबाज के यहाँ से ही लिया गया हैं, यह बात बिल्कुल सही नहीं हो सकती। जो साइंटीफिक तरीका है उससे भी बारूद बना सकते हैं। तो प्रश्न यह है कि अमृत और विष को शमनित करने के लिए, समाप्त करने के लिए, जो दण्ड का प्राविधान है हम समझते हैं कि अगर उसी को लागू किया जाय तो बाजपेयी जी सहमत होंगे कि यह चीजें रुक सकती हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यदि प्रयास किया जाय तो यह चीजें रुक सकती हैं। मैं जिस जिले से आता हूँ वहां तो यह दैनिक जीवन की प्रणाली हो गयी है। रोजाना ऐसे विस्फोट होते हैं। बभनान बाजार में 2 अज्ञात लोगों के शव मिले जो हथ-गोलों से मरे हैं। तो जो उसकी बिक्री है उसके हिसाब किताब के लिए शर्तें होंगी। वह शर्तें क्या हैं ? जिन क्षेत्रों में इनका ज्यादा प्रयोग होता है वहाँ यह हिसाब-किताब निकटवर्ती थाने में रखकर वहाँ से बेचा जाय और ले जाने वाले का नाम अंकित किया जाय क्या ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री वासुदेव सिंह—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा अगर कहीं ऐसी चीज है किसी जिले में है और शासन को यह बतायेंगे और बता रहे हैं तो वह हम देखेंगे, वह अलग चीज है। मान्यवर, आतिशबाजी निर्माता/विक्रेता को व्यवसाय हेतु प्रपत्र– "आई" अथवा "के" पर लाइसेन्स के लिए आवेदन पत्र देने की आवश्यकता होती है तथा ऐसे लाइसेन्सियों को लाइसेन्स में निर्धारित शर्तों के अनुसार गोला बारूद की प्राप्ति एवं बिक्री का लेखा जोखा एक्सप्लोसिव रुल्स के अपेंडिक्स– (1) (4) के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रखना आवश्यक है। तो यह सब शर्तें हैं। लेकिन सारी चीजें होते हुए कानून की शिकनी हो जाती है तो देखने की बात है कि जहां पर शिकनी होती है उसको कठोरता से देखा जाय और इधर शासन दत्त चित्त है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने जैसा सरकारी लोगों ने लिखकर दिया उसको अच्छे ढंग से समझाया । मुझे उस पर तर्क करना नहीं है । लेकिन मैं मान्यवर, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जिस गांव का रहने वाला हूँ उसके करीब कई जवान मौतें हुई हैं और जो हथगोलों से जो जीवित भी हैं उनके चेहरे नहीं देखे जाते हैं । न तो जिला मजिस्ट्रेट ने कुछ किया और न पुलिस अधीक्षक कुछ कर पाये । इस वक्त आप भूल जांय कि मन्त्री हैं । मानवीय आधार पर बतायें । लेखा जोखा रखते हैं, यह करते हैं वह करते हैं यह तो औपचारिक बातें हैं औपचारिकता के दायरे में वह पकड़ नहीं पायेंगे । अगर यही है तो मन्त्री जी बतायें कि इतने दिनों में कितनों को दण्डित किया है, गलत बारूद बेचने वालों को आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि मानवीय आधार पर वह बतायें कि इस भयावह स्थिति से इस प्रदेश को कैसे छुटकारा दिलायेंगे जिससे अधिनियम का भी सम्मान रह जाय और आपके प्रशासन का भी सम्मान रह जाय ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, वाजपेयी जी की भावना से, उनके विचार से सहमत हूँ कि अगर केन्द्रीय अधिनियम का पालन हो गया होता तो हमें चार मर्तबा टेलेक्स क्यों करने पड़ते । लेकिन अब कलेक्टरों को सख्ती से लिखकर भेज दिया है कि इनमें सख्ती से कदम उटायें । मान्यवर, जो केन्द्रीय अधिनियम है, उसको माननीय सदस्य भी मानते हैं, उसके बारे में हमारी और उनकी राय अलग नहीं है, वह एक है । जो केन्द्रीय अधिनियम है, उस अधिनियम को हम पर्याप्त समझते हैं । हमारे विचार के अनुसार यह जो अधिनियम है, इसका अगर हम पालन करा सकेंगे, तो जो माननीय सदस्य की शिकायत है वह काफी हद तक दूर हो सकेगी । जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, कानून का कड़ाई के साथ परिपालन किया जाय, इस तरफ शासन का ध्यान रहेगा ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजे अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
14 मार्च, 1983

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी "क"

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1031 पर)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद में आयोजित वर्कशाप दिनांक 6 व 7 जनवरी, 1983 की संस्तुतियां तथा उन पर अनुपालन आख्या।

संस्तुतियां	अनुपालन
1—सामान्य रूप से ऐसा लगता है कि आई. आर. डी. कार्यक्रम पूर्णतया शासन का कार्यक्रम बन गया है। क्षेत्र विशेष के पंचायतों के सदस्य, विधायक और सांसद उस क्षेत्र की समस्याओं आदि से एक निश्चित समय तक उस क्षेत्र में रहने वाले अधिकारियों की अपेक्षा अच्छी तरह से परिचित होते हैं। अतः यह आवश्यक है कि आर० आई० डी० के कार्यान्वयन के लिए गठित जिला ग्राम्य विकास अभिकरण और ट्राइसेम की सलाहकार समितियों से जनप्रतिनिधियों को सक्रिय रूप से सम्बद्ध किया जाय। योजनाओं के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिये इन समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जानी चाहिए।	वर्ष 1983-84 से एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को चयन में ग्राम प्रधानों को भी सम्मिलित करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं। यह सूची सरकारी तथा गैर सरकारी सभी के अवलोकनार्थ प्रमुख स्थानों पर चस्पा की जायेगी। इसके अतिरिक्त योजना के कार्यान्वयन में जन प्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
2—कुछ प्रदेशों में स्थित कुछ विकास खण्डों का क्षेत्रफल और जनसंख्या बहुत अधिक है। आवश्यकतानुसार इन बड़े विकास खण्डों के विभाजन के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है।	वृहत क्षेत्र के विकास खण्डों के विभाजन पर शासन द्वारा यथासम्भव विचार किया जाता है।
3—विभिन्न प्रदेशों के पंचायती राज के ढ़ांचे में एकरूपता लाने के प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता है।	यह संस्तुति पंचायती राज विभाग को विचारार्थ प्रेषित की जा रही है।
4—पंचायती राज संस्थाओं के जिला और विकास खण्ड स्तर के प्रतिनिधियों के निर्वाचन अवधि की अनिश्चितता पर विचार किया जाना अपेक्षित है। कुछ प्रदेशों में निर्वाचन अवधि की समाप्ति पर भी चुनाव नहीं हो पा रहे हैं।	—तदैव—
5—आई. आर. डी. का कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कराये जाने पर बल दिया गया। आई.	संस्तुति संख्या—1 की अनुपालन आख्या में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

आर. डी. लाभार्थियों के चयन और उसके कार्यान्वियन के विभिन्न पहलुओं से ग्राम सभाओं को संबद्ध करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस प्रकार से जनप्रतिनिधियों को विश्वास दियाया जा सकता है कि सही व्यक्यिों को योजना का लाम मिल रहा है।

6— लाभार्थियों की सूची इच्छा के अनुसार उन्हें विभिन्न कार्यों से सम्बद्ध करने पर विचार किया जाय।

लाभार्थियों की इच्छानुसार कार्यक्रम उपलब्ध कराने के निर्देश भेजे जा चुके हैं।

7— विकास खण्ड से सम्बन्धित योजना पर विकास खण्ड स्तर की समितियों की बैठक में विचार कर अनुमोदित करना चाहिए। जनप्रतिनिधि क्षेत्र की समस्याओं से अच्छी तरह परिचित होते हैं अत: वे योजनाओं के कार्यान्वियन की व्यवहारिकता और आवश्यकता को अच्छी तरह से बता सकते हैं। योजना की प्रगति समीक्षा से भी जनप्रतिनिधियों को सम्बद्ध किया जाना चाहिए। ताकि वे योजना की कमियों तथा उनके कारणों आदि के छानबीन में सहायता कर सकें।

एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना के अन्तर्गत विकास खण्डों में उपलब्ध संसाधनों एवं अवस्थापना क्षमता को आधार मानकर ही विभिन्न कार्यक्रम लिए जाते हैं। जिनकी समीक्षा विकास खण्डों में टास्क फोर्स द्वारा की जाती है।

8— विकास खण्ड में प्राप्त प्रस्तावों का खण्ड विकास अधिकारी प्रभावी ढंग से छानबीन नहीं करते हैं जिसकी वजह से बिना छानबीन के ये प्रस्ताव जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को भेज दिये जाते हैं।

खण्ड विकास अधिकारियों को इस योजना के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाया जा रहा है।

9— आई. आर. डी. से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्राम्य सेवकों और विकास खण्ड एवं गांवों के गैर सहकारी सदस्यों को सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

आई. आर. डी. के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में प्रशिक्षण आयोजित करने की व्यवस्था की गई है और इस हेतु अलग से भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

10— जिले की ऋण योजना बनाते समय ब्लाक स्तर के पंचायती राज संस्थाओं/ सलाहकार समितियों से विचार विमर्श करना चाहिए।

यह संस्तुति संस्थागत वित्त निदेशालय को अग्रसारित की जा रही है।

11 कमजोर (गरीब) लोगों के प्रति बैंकों की धारणा बदलनी चाहिए। आई.

—तदैव—

आर. डी. कार्यक्रम में ऋण स्वीकृत करते समय वस्तुओं के रूप में जमानत पर जोर नहीं देना चाहिए ।

12—आई. आर. डी. के अन्तर्गत पर्याप्त धन उपलब्ध कराने और उदारतापूर्वक ऋण स्वीकृत करने के लिए नियमों का सरलीकरण हेतु भारतीय रिजर्व बैंक और नेबार्ड को बैंकों के लिये स्पष्ट निर्देश देना चाहिए ।

रिजर्व बैंक ने अपने परिपत्र दिनांक 10-11-81 द्वारा ऐसे निर्देश सभी व्यवसायिक बैंकों को जारी किए हैं ।

13— यह आवश्यक है कि सभी बैंक ऋण प्रार्थना पत्रों को जमा करने, जांच करने और ऋण स्वीकृत करने के लिए समान विधि अपनायें । कुछ बैंक ऋण प्रार्थना पत्रों की जांच स्वीकृत करने में उदारता बरत कर लाभार्थियों की मदद करते हैं परन्तु कुछ बैंकें अनावश्यक रूप से कठिन कार्य प्रणाली अपनाते हैं ।

यह संस्तुति संस्थागत वित्त निदेशालय को अग्रसारित की जा रही है ।

14—लाभार्थी को ऋण एवं अनुदान की सम्पूर्ण धनराशि सामान्यतया नहीं प्राप्त होती, क्योंकि इस हेतु उनक विभिन्न स्तरों पर अवांछनीय मदों के लिए भुगतान करना पड़ता है ।

इस योजना में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दण्डात्मक कार्यवाही करने हेतु सभी मण्डलायुक्तों को निर्देश भेज दिए गए हैं ।

15—ग्रामीण जनता को योजना का अधिकतम लाभ पहुँचाने के लिए जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि वे अपने पद के प्रभाव का उपयोग कर सरकारी अधिकारियों और बैंकर्स की मनोवृत्ति को बदलें ।

जन प्रतिनिधियों के लिए यह एक सामान्य बिन्दु है जिस पर शासन स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

16—विभिन्न बैंकों द्वारा चार्ज की जा रही ब्याज में समानता होनी चाहिए आई० आर० डी० अन्तर्गत लाभार्थियों को भिन्नात्मक ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

इस संस्तुति को संस्थागत वित्त निदेशालय के पास विचारार्थ भेजा जा रहा है ।

17—जन प्रतिनिधियों को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वे यह देखें कि आई० आर० डी० के अन्तर्गत बैंक पर्याप्त और सुसंगत ढंग से वित्तीय कार्य कर रहे हैं या नहीं ।

—तदैव—

18—योजना के लाभ को जनता तक पहुँचाने के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं की मदद

सभी जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं कि जनपद की स्वेच्छिक

ली जानी चाहिए ।	संगठनों से विचार विमर्श करके आई० आर० डी० लाभार्थियों को लाभान्वित करने हेतु कार्यक्रम तैयार करेंगे ।
19—आई० आर० डी० लाभार्थियों के चयन में भी बैंकों को सम्बद्ध करने के बिहार सरकार की प्रणाली योजना में काफी सहायक सिद्ध हुई है ।	प्रदेश में भी लाभार्थियों के चयन में बैंकों को यथासम्भव सम्मिलित किया जाता है ।
20—बैंकों के फील्ड स्टाफ को बढ़ाना और बैंकों की और शाखाओं को खोलना आवश्यक है ।	संस्थागत वित्त निदेशालय को सुझाव भेजा जा रहा है ।
21—हमारा प्रयास होना चाहिए कि जनपद के केन्द्रीय सहकारी बैंक के जमा धन का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके ।	आई०आर०डी० में ऋण वितरण के लिए सहकारी बैंकों का भी सक्रिय योगदान प्राप्त किया जाता है ।
22—गांवों के संसाधनों में वृद्धि करने तथा योजना के गति को तेज करने में पंचायतें प्रभावी ढंग से योगदान कर सकती हैं ।	वर्ष 1983-84 से ग्राम पंचायत के माध्यम से लाभार्थियों के चयन तथा कार्यक्रम निर्धारण की कार्यवाही हेतु निर्देश भेजे गये हैं ।
23—सहकारी बैंक को अपनी निधि और ओवर ड्यूस का विचार किये बिना रिजर्व बैंक और नेबार्ड से पुनर्वित्त की सुविधा दिलाने में मदद करनी चाहिए ।	सहकारिता विभाग को संस्तुति भेजी जा रही है ।
24—ग्रामीण गरीबों को ऋण प्रदान करने में सहकारी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा अच्छा योगदान दे सकते हैं । निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सहकारी संस्थाओं का अनुश्रवण उनके वित्तीय कार्यों को अधिक प्रभावशाली बनायेगा ।	—तदैव—
25—भूमि अभिलेखों का अच्छी तरह से नवीनीकरण और अनुरक्षण जो कि विकास पत्रिका के अनुरक्षण को सुनिश्चित करेगा की आवश्यकता पर बल दिया गया ।	राजस्व विभाग को संस्तुति भेजी जा रही है ।
26—जहाँ तक सम्भव हो आई० आर० डी० के धन को बैंकों में जमा कर ब्याज अर्जित किया जा सकता है ।	भारत सरकार के निर्देश के अनुसार आई० आर० डी० के धन को बैंकों में जमा किया जाता है ।
27—विकास की गति को तेज करने के लिए प्रतिनिधियों ने इस बात पर बल दिया	विभिन्न विभागों के कार्यक्रमों को आई० आर० डी० कार्यक्रमों के साथ

कि अवस्थापना, सड़क, बाजार, ऋण एवं अन्य कार्यों के लिए आई० आर० डी० के अलावा राज्य सरकार के अन्य मदों के धन का भी उपयोग किया जाय।

सम्बद्ध करने के लिए भी विभागों को गाइड लाइन्स भेज दी गई है।

28—जनप्रतिनिधियों को देखना चाहिए कि आई० आर० डी० की विभिन्न योजनाओं में दिया जाने वाला ऋण और अनुदान पर्याप्त है या नहीं। उनकी दृष्टि में यदि उपलब्ध कराया धन अपर्याप्त हो तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार से सम्पर्क करना चाहिए।

इस संस्तुति पर राज्य सरकार में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

29—गरीब ग्रामीण जनता के लाभ के लिए आई० आर० डी० के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीणों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व पंचायत और सहकारी संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को स्वयं लेना चाहिए और ग्रामीणों से ऋण की धनराशि वापस कराने में सहायता देनी चाहिए।

—तदैव—

30—अभी तक ग्रामीण की मनोवृत्ति विकास कार्यों में सहायक नहीं है। ग्राम पंचायत, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, विधायकों आदि जनप्रतिनिधि ग्रामीणों के इस मनोवृत्ति को बदलने में योगदान दे सकते हैं।

—तदैव—

31—उत्कृष्ट कार्यों के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों और खण्ड विकास अधिकारियों को उचित प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिए।

उत्कृष्ट कार्यकलापों को पुरस्कृत किया जाता है।

32—योजना के सफल कार्यान्वयन से सम्बन्धित कहानियों आदि का आकाशवाणी/दूरदर्शन से प्रचार प्रसार होना चाहिए।

योजना का प्रचार/प्रसार तदनुसार किया जाता है।

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1042 पर)

संलग्नक—I

वर्ष 1981-82 में ब्लाक छजलेट जनपद मुरादाबाद में आवासीय भवन एवं पीने के पानी की व्यवस्था सम्बन्धी सूचना

ब्लाक छजलेट

	गाँव का नाम	निर्मित कार्य आवासीय भवन	व्यय की गई धनराशि रुपये
1	अन्यारी	4	8000-00
2	मल्हपुर रवैया	9	18000-00
3	विलायत नगर	4	8000-00
		कूप	
4	राना नगला	1	5693-00
5	अन्यारी	1	6370-00
6	नदावली	1	8050-00

संलग्नक—II

ब्लाक छजलेट जनपद मुरादाबाद में आई०आर०डी० में वर्ष 1981-82 में दिये गये अनुदान और व्यक्तियों की सूची

सूची काफी विस्तृत होने के कारण उसकी एक प्रति माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी के कार्यालय में रख दी गई है। माननीय सदस्य महोदय कृपया उसका अवलोकन कर सकते हैं।

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 80 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1062 पर।)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बरहज बाजार (देवरिया) उप मण्डी स्थल-भाटपार रानी के व्यापारियों के सम्बन्ध में

मण्डी स्थल-शुल्क का विवरण

1-1-82 से 15-12-82 तक

क्रम सं०	फर्म व्यापारी का नाम	आंकलित मंडी शुल्क	वसूल की गई धनराशि	उक्त अवधि का बकाया	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	मैसर्स भगवान प्रसाद अशोक कुमार	6459-50	...	6459-50	
2	,, कन्हैया लाल जायसवाल	25187-50	...	25187-50	
3	,, पृथ्वीचन्द कन्हैयालाल	....	....	....	
4	,, हरिहर प्रसाद गनेश प्रसाद	10060-85	....	10060-85	
5	,, प्रभू शंकर गुप्ता	6932-00	....	6932-00	
6	,, श्री विभूति प्रसाद जायसवाल	8905-55	....	8905-55	
7	,, जायसवाल ग्रेन एजेंसी	15925-10	....	15925-10	
8	,, लल्लन प्रसाद गुप्ता	23969-35	....	23969-35	
9	,, अशोक कुमार संजय कुमार	20038-75	...	20038-75	
10	,, गुलाब चन्द राजेश कुमार	4373-00	....	4373-00	
11	,, जंगी लाल गुप्ता	3387-50	...	3387-50	
12	,, वीरेन्द्र कुमार अशोक कुमार	1966-25	...	1966-25	
13	,, गोपीनाथ माड़वारी	5441-77	4141-77	1300-00	
14	,, रामनाथ प्रसाद जायसवाल	495-86	495-86	...	
15	,, विजय कुमार राम कुमार	....	...	....	
16	,, शारदा प्रसाद बच्चा प्रसाद	4410-00	...	4410-00	
17	,, शब्बूलाल विश्वनाथ प्रसाद	3176-57	2476-57	1000-00	
18	,, इन्द्र कुमार केडिया	...	...	999-90	
19	,, आसुतोश कुमार अखिलेश कुमार	3632-28	2632-38	999-90	

1	2	3	4	5	6
20	मैसर्स विजय कुमार जगदीश प्रसाद	6864-53	864-53	6000-00	
21	,, भारत ट्रेडिंग कम्पनी	1151-92	551-52	6000-40	
22	,, जगदम्बा भण्डार	3151-15	....	3151-15	
23	,, गोरखनाथ कृपा शंकर	2955-24	2255-24	700-00	
24	,, ज्वाला प्रसाद राजकुमार	...	...	....	
25	,, कान्ता प्रसाद घनश्याम दास	1158-00	...	1158-00	
26	,, दीनदयाल बाल कृष्ण	1000-00	....	1000-00	
27	,, दुर्गा ग्रेन स्टोर	211-00	....	211-00	
28	,, सरस्वती ट्रेडर्स	3000-00	...	3000-00	

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 88 का उत्तर पीछे 1065 पृष्ठ पर।)

खाद्यान्न योजना के अन्तंगत

क्र०सं०	विभाग का नाम	प्राप्त खाद्यान्न	धनराशि (रु० में)
1	पंचायत (विकास खण्डों को)	3222.8	—
2	पंचायत से जिला परिषद् को	1261.9	—
3	पंचायत से ग्रा०अभि० सेवा को	75.0	—
4	पंचायत से विकास निगम को	55.0	—
	योग	4614.7	—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तंगत

1	सार्वजनिक निर्माण विभाग	64.3	30,19,500
2	वन विभाग	—	7,23,250
3	गन्ना विभाग	—	10,26,900
4	जिला परिषद	—	19,23,650
5	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	47.0	7,99,000
6	पंचायत	—	17,10,625
	योग	1113	92,02,925
	कुल योग	4,726.0	92,02,925

खाद्यान्न योजना के अन्तंगत कराये गए कार्यों की प्रगति (1.1.80 से 30.11.80 तक)

क्र०सं०	विभाग का नाम	किये गये कार्यों की प्रगति		
		सम्पर्क मार्ग (कि०मी०)	तालाब खुदाई पूर्ण संख्या	अधूरी संख्या
1	पंचायत (विकास खण्ड) द्वारा	172.420	39	35
2	जिला परिषद्	85.140	2	—
3	ग्रा०अभि० सेवा	5.900	1	—
4	विकास निगम	—	2	3
	योग	263.460	44	38

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये कार्यों की विभागवार प्रगति:

क्र०सं०	विभाग/किये गये कार्य का नाम	इकाई	प्रगति
1	सार्वजनिक निर्माण विभाग		
	मार्ग निर्माण—		
	अ अर्ध वर्क	कि०मी०	21-250
	ब सोलिंग	,,	14-250
	स टापकोट	,,	17-000
	द फर्स्ट कोट	,,	6-000
	य सेकेण्ड कोट	,,	6-000
	र अन्य कार्य	,,	9-000
2	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा		
	मार्ग निर्माण—		
	अ सोलिंग	कि०मी०	20-8
	ब पुलिया निर्माण	संख्या	45
3	गन्ना विभाग		
	सम्पर्क मार्ग—		
	अ कच्ची सड़क	कि०मी०	17-680
	ब पक्की सड़क	,,	5-500
4	जिला परिषद्		
	अ कच्ची सड़क	कि०मी०	4-000
	ब पक्की सड़क (कंकड़)	,,	69-900
	स नाली खुदाई	,,	18-000
	द पाठशाला भवन	संख्या	7 पूर्ण
5	वन विभाग		
	नर्सरी	संख्या	30 लाख
6	पंचायत		
	अ सम्पर्क मार्ग (कच्ची)	कि०मी०	4-100
	ब नाला खुदाई	,,	2-500
	स खड़ण्जा निर्माण	वर्ग मीटर	5961
	द पुलिया निर्माण	संख्या	15
	य पंचायत भवन	,,	1

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1067 पर ।)

दिनांक 5 जुलाई, 1970 से नगरमहापालिका इण्टर कालेज, ताजगंज, आगरा में प्रधानाचार्य के पद पर जिन व्यक्तियों ने जितनी अवधि के लिये जिस आधार पर कार्य किया, उसका विवरण ।

क्रम सं०	नाम	अवधि	आधार एवं परिस्थितियाँ
1—	श्री शंकर लाल पाराशर	5-7-70 के पूर्व से 31-8-71	स्थाई प्रधानाचार्य श्री हरिशचन्द्र शर्मा शिक्षा अधीक्षक के पद पर अस्थाई रूप से कार्यरत होने के कारण एवम् श्री शंकर लाल पाराशर के रुग्णावकाश एवं निलम्बन कार्य की अवधि में श्री डी०एन० शर्मा ने दिनांक 16-11-70 से 31-8-71 तक स्थानापन्न रूप से कार्य किया ।
2—	श्री वी०एल० सिंघल	1-9-71 से 30-62	चयन समिति द्वारा अस्थाई रूप से नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप
3 –	श्री हरिशचन्द्र शर्मा	1-7-72 से 30-6-82	स्थाई प्रधानाचार्य के शिक्षा अधीक्षक के पद से प्रत्यावर्तित होने के कारण ।
4—	श्री बाबूराम द्विवेदी	1-7-82 से 31-10-82	स्थायी प्रधानाचार्य के सेवा निवृत्त होने पर वरिष्ठतम प्रवक्ता के रुग्णावकाश पर होने के फलस्वरूप अस्थाई वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ।
5—	श्री डा० श्रीराम शर्मा	1-11-82 से अध्यावधि	वरिष्ठतम प्रवक्ता होने के कारण तथा उनके रुग्णावकाश से वापिस आने पर अस्थाई एवम् नियमानुसार व्यवस्था के अन्तर्गत ।

नत्थी "ब"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या, 111 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1071 पर ।)

जनपद बाँदा में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 में निर्मित सम्पर्क मार्गों का विकास खण्डवार निम्न प्रकार है:—

विकास खण्ड	वर्ष 1978-79 संख्या निर्मित सम्पर्क मार्ग	वर्ष 1979-80 संख्या निर्मित सम्पर्क मार्ग
1	2	3
1—बड़ोखर खुर्द	3	45
2—तिन्दवारी	1	4
3—जसपुरा	2	8
4—महुआ	2	24
5—नरैनी	2	38
6—कर्वी	1	22
7—पहाड़ी	1	8
8—मानिकपुर	2	1
9—बबेरू	1	17
10—बिसण्डा	—	37
11—कमासिन	—	18
12—मऊ	2	5
13—राम नगर	—	10
14—जिला परिषद	—	7
योग	17	244

नत्थी "ठ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या, 114 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1072 पर।)

क्रम संख्या	विकास खण्ड	सम्पर्क मार्ग जिनपर पुलिया निर्माण होना है। 1979-80
1	2	3
1	बड़ोखार खुर्द	45
2	तिन्दवारी	4
3	जसपुरा	8
4	महुआ	24
5	नरैनी	38
6	कर्वी	22
7	पहाड़ी	8
8	मानिकपुर	1
9	बबेरू	17
10	विसण्डा	37
11	कमासिन	18
12	मऊ	5
13	रामनगर	10
14	जिला परिषद	7
	योग	244

नत्थी "ज"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 135 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1080 पर।)

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड, खैराबाद, ऐलिया तथा परसेडी में स्थित जूनियर हाई स्कूलों की छात्र संख्या व अध्यापक संख्या का विवरण।

क्रम संख्या	नाम जू०हा० स्कूल	वर्तमान अध्यापकों की संख्या	वर्तमान में छात्रों की संख्या	अध्यापकों की कमी की संख्या
1	2	3	4	5
विकास खण्ड खैराबाद				
1	खैराबाद	9	245	—
2	तरानपुर	6	128	—
3	चिलवारा	4	98	—
4	नैरपुर	3	119	1
5	खरैयाखानी	3	28	1
6	सरकापुर (कन्या)	2	4	—
7	रामकाटैं (क्रमोत्तर)	2	52	—
8	इस्माइलपुर ,,	2	20	—
9	नेवादा मेझरपुर (क्रमोत्तर)	2	19	—
10	हुसेनगंज ,,	2	10	—
विकास खण्ड एलिया				
1	तिहार	2	84	1
2	केशवपुर	3	55	—
3	सादतनगर	3	102	—
4	इमलिया सुल्तानपुर	6	179	—
5	कचनार	4	123	—
6	खगैसियामउ	4	103	—
7	मोहिउददीनपुर	3	41	—
8	कुसुमा	3	50	—
9	इमलिया (कन्या क्रमोत्तर)	2	15	—
10	नौटवा ,,	2	7	—
11	मिर्जापुर	1	2	—
विकास खण्ड परसेंडी				
1	चमैधी	6	346	1
2	तालगाँव	6	172	1
3	टप्पप खुजरिया	5	108	—
4	वदारपुर	3	150	—
5	छरिहरपुर	3	38	—
6	रिखाना	3	154	—
7	बड़ा गाँव	4	186	—
8	अगरासी	3	16	—
9	मोहिउद्दीनपुर (कन्या)	3	12	—
10	परसैडी (कन्या क्रमोत्तर)	1	17	1

नत्थी (झ)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–164 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1091 पर)

मिर्जापुर जनपद में वर्ष 1981-82 एवं 1982-83 में संस्थावार एवं तिथिवार की गई नियुक्तियों का विवरण :—

क्र०सं०	संस्था का नाम	संस्था द्वारा की गई नियुक्ति का विवरण			तिथि जब नियुक्ति का अनुमोदन किया गया	जि०वि०नि० मिर्जापुर द्वारा पद स्थापना हेतु दिये गये आदेश का दिनांक			
		प्रव०	स्ना०	सी०टी०		प्रव०	स्ना०	सी०टी०	दि०
1	सर्वोदय इंटर कालेज अघवार	—	—	2	19-10-82	—	—	2	25-3-82
2	उ०मा०वि०, मधुपुर	—	—	—	—	—	—	1	6-1-82
3	रेल कर्मचारी उ.मा. वि., चौपन	—	—	—	—	—	—	1	15-10-82
4	जनता उ. मा. वि., परासी पाण्डेय	—	—	—	19-6-82	—	—	2	5-2-82
5	जयहिन्द वि. म. इं. का., अहरौरा	—	1	—	15-9-82	—	—	—	—
6	अन्नदा बनर्जी उ.मा. वि., चंदईपुर	—	—	1	28-10-82	—	—	—	—
7	पी. डी. एन. डी. ई. का., चुनार	—	—	3	19-6-82 13-10-82	—	—	—	—
8	ए. एस. जे. इ. का. मिर्जापुर	1	—	1	6-1-82 7-9-82	—	—	—	—
9	उ. मा. वि., जफरपुरा	—	—	1	13-10-82	—	—	—	—
10	राजस्थान इंटर कालेज, मिर्जापुर	—	—	2	10-3-82	—	—	—	—
11	श्री माता प्रसाद माताभीरा इ. का. मिर्जापुर	—	—	1	25-8-82 14-4-82	—	—	—	—
12	श्रीमती रमवंती देवी उ. मा. वि., नौगांव	—	—	1	19-4-82	—	—	—	—
13	किसान इं. का., राजगढ़	—	1	—	20-4-82	—	—	—	—
14	उ. मा. वि., धनउर	—	—	2	28-7-82	—	—	1	23-2-82
15	श्री शिवाजी ने. इ. का. हासीपुर	—	—	1	12-1-83	—	—	—	—

16—स्वामी मा. इं. का., चौखड़पुर	—	—	—	—	—	—	1	28-7-82
17 श्री बृजराज आदर्श इं. का. चौखडा	—	—	—	—	—	—	1	18-2-82
18—रेणुसागर उ. मा. वि., रेणुसागर	—	—	—	—	—	—	1	23-2-82
19—जनता इं. का., बेरखा	—	—	—	—	—	—	1	23-2-82
20—श्री मौनी स्वामी इं. का., श्री निवासधाम	—	—	—	—	—	—	1	3-3-82
21—श्री शशि प्रताप सिंह इं. का. पवारीकलां	—	—	1	14-9-82	—	—	—	—
22—जनता जनार्दन इं. का. भुड़कुडा	—	—	1	10-9-82	—	—	—	—
23—बापू उपरोध इं. का., लालगंज	—	—	2	7-9-82	—	—	—	—
24—श्री गंगा बहादुर सिंह उ. मा. वि., शाहगंज	—	—	2	29-9-82	—	—	2	23-2-82
25—वी. एल. जे. इं. का., मिर्जापुर	—	—	2	19-9-82	—	—	—	—
26—छत्रपति शिवाजी इं. का., खुजराल	—	—	2	1-7-82	—	—	—	—
योग—	1	2	25		—	—	14	

बालिकाओं के विद्यालय

वर्ष 81-82

पद	विद्यालय का नाम	तिथि
एक प्रवक्ता (संगीत वादन)	आर्य कन्या इण्टर कालेज, मिर्जापुर	18-1-82
एक (एल०टी० सामान्य)	—तदैव—	19-1-82
एक (एल०टी० विज्ञान, गणित)	—तदैव—	3-3-82
एक (एल०टी० विज्ञान, गणित)	रामप्रसाद सिंह बा०उ०मा०वि० शेरपुर–मिर्जापुर	3-3-82
दो सी०टी० (एक ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया)	आर्य कन्या इण्टर कालेज, मिर्जापुर	13-1-82

वर्ष 1982-83

एक एल०टी० (विज्ञान गणित)	राम प्रसाद सिंह बा०उ०मा०वि० शेरपुर नारायनपुर (मिर्जापुर)	12-4-82
एक सी०टी०	आर्य कन्या इण्टर कालेज, मिर्जापुर	22-4-82

योग—प्रवक्ता 1, एल०टी० 4 एवं सी०टी० 3

नत्थी 'अ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1157 पर)

आयुर्वेदिक एवं यूनानी छात्रों की मांग

(1) भारतीय चिकित्सा पद्धति विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय ।

(2) केन्द्रीय एवं प्रान्तीय स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाले बजट का 50 प्रतिशत बजट आयुर्वेद एवं यूनानी को दिया जाय ।

(3) जिला स्तर पर 250 शैय्याओं से युक्त आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सालय एलोपैथ के समानान्तर बजट के साथ खोले जाय । ऐसी व्यवस्था प्रत्येक जिला मुख्यालयों में न होने तक प्रत्येक ऐलोपैथिक जिला चिकित्सालयों में 50 प्रतिशत स्थान आयुर्वेद एवं यूनानी के लिए आरक्षित किया जाय ।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकों की नियुक्तियाँ की जांय।

(5) प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालयों में समस्त छात्रछात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जाय ।

(6) केन्द्रीय सेवाओं में आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकों की नियुक्तियाँ की जायें ।

(7) केन्द्रीय पाठ्यक्रम में डा० सम्पूर्णानन्द कमेटी के अनुसार आधुनिक ज्ञान को सम्मिलित किया जाये ।

(8) प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालयों में सी०सी०आई०एम० की रिपोर्ट के अनुसार 12 विभागों की स्थापना, पूर्ण सुविधाओं के साथ की जाय, तथा इसी रिपोर्ट के अनुसार शिक्षकों की नियुक्तियाँ, रिक्त स्थानों पर शीघ्र की जायें । सी०सी०आई०एम० की रिपोर्ट के अनुसार ही महाविद्यालयों से सम्बन्धित चिकित्सालयों में छात्रों की प्रवेश-क्षमता का 5 गुना (1 : 5) शैय्याओं की बृद्धि, उनकी सुविधाओं के साथ की जायें ।

(9) प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों में सी०सी०आई०एम० की रिपोर्ट के अनुसार 13 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं 15 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की सुविधा, उचित सीटों के साथ उपलब्ध कराई जाय ।

(10) प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालयों में परीक्षा के लिए सैमेस्टर–सिस्टम लागू किया जाय । तथा इन्टर्नशिप की अवधि छः माह के स्थान पर 1 वर्ष की जाय एवं इसके बाद हाउस जाब की व्यवस्था की जाये । तथा प्रथन वर्ष के अध्ययन काल को छः महीने का करके, पूरे पाठ्यक्रम के अवधि 5 वर्ष के बजाय साढ़े चार वर्ष की जाये ।

(11) आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकों की नियुक्तियाँ जो सन् 1978 के बाद नहीं हुई हैं शीघ्र की जाय ।

(12) आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के प्रशासन को मुख्यालय स्तर, मंडल स्तर एवं जिला स्तर पर विकेन्द्रीयकरण की नीति के अनुसार पुर्नगठन शीघ्र किया जाय । आयुर्वेद चिकित्सा-शिक्षा, आयुर्वेद चिकित्सा-उपचार, स्वास्थ्य एवं प्रशासन हेतु 4 अतिरिक्त निदेशक नियुक्त कर, आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग को विकसित किया जाय ।

अखिल उत्तर प्रदेशीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी छात्र महासंघ द्वारा निर्धारित

माननीय स्वास्थ्य मंत्री
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्राँक

विषय : प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के छात्र समस्याओं के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि हम आपका ध्यान प्रदेश की समस्त राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज की छात्र समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं । सन् 1977 से भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद का पाठयक्रम कालेजों में अवश्य लागू किया गया है लेकिन आज तक कालेजों में व्यवस्था न हो सकने के कारण छात्रों का भविष्य अधंकारमय हो गया है जिससे छात्रों में अत्यन्त असंतोष व्याप्त है ।

अत: श्रीमान जी से प्रार्थना है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक एवं यूनानी के समुचित विकास एवं छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित समस्याओं का निराकरण शीघ्र किया जाये ।

छात्रों की माँगें निम्न हैं—

1–प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (सी० सी०आई०एम०) के पाठयक्रम को संशोधित कर आधुनिक ज्ञान जैसे फार्माकालाजी आदि को सम्मिलित कर पूर्ण रूप से लागू किया जाये ।

2–प्रदेश में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्नातक की तत्काल नियुक्तियाँ की जायें तथा जिला स्तर पर पृथक आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय की व्यवस्था न होने तक जिला चिकित्सालय में ही 50 स्थान एवं शैय्यायें आरक्षित की जाये ।

3–प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में वर्ष 1977 से लागू सी०सी०आई०एम० के पाठयक्रम के अनुसार एक वर्ष के अनिवार्य इन्टर्नशिप की तत्काल व्यवस्था की जाये ।

4–सी०पी०एम०टी० में संस्कृत विषय की परीक्षा की अनिवार्यता हो हटाया जाये । परीक्षा में प्रवेश हेतु पी०ए०यू०टी० (प्री आयुर्वेदिक एवं यूनानी टेस्ट) की शीघ्र व्यवस्था की जाये ।

5–प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में स्नातकोत्तर शिक्षा एवं डिप्लोमा की व्यवस्था की जाये ।

6–प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा अधिकारियों को स्नातकोत्तर भत्ता, ग्रामीण भत्ता एव आवासीय भत्ते आदि की व्यवस्था शीघ्र की जाये ।

7–सहायक संक्रामक रोग अधिकारी के पदों का नामकरण चिकित्सा अधिकारी संक्रामक रोग किया जाये तथा नये वेतनमान को पुर्नरीक्षित कर 850-1720 के वेतनक्रम में किया जाये तथा उनके संचालन आदि की व्यवस्था आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय के अर्न्तगत की जाये ।

8–प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों के सिख शिक्षकों का वेतनमान एक समान कर मेडिकल कालेजों के शिक्षकों के समान किया जाये ।

9—केन्द्र एवं प्रान्तीय स्तर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाले बजट का 50 प्रतिशत आयुर्वेदिक एवं यूनानी के लिये आरक्षित किया जाये तथा सी०सी० आई०एम० के अनुसार प्रथम चरण के विकास हेतु प्रत्येक आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों को एक करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल की जाये ।

10—प्रदेश के समस्त राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों को क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित किया जाये ।

11—आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय स्तर के अधिकारियों का वेतनमान एलौपैथिक निदेशालय के समकक्ष किया जाये तथा निदेशालय का विस्तार एवं विकेन्द्रीयकरण किया जाये ।

12—आयुर्वेदिक एवं यूनानी स्नातकों को केन्द्रीय सेवाओं जैसे सेना रेलवे आदि में नियुक्त किया जाये ।

शासन द्वारा छात्र समस्याओं का निराकरण न किया गया तो समस्त छात्र अगला संघर्षशील कदम उठाने के लिये बाध्य होंगे । जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व शासन पर होगा ।

भवदीय,

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1 महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार
2 माननीया प्रधान मन्त्री जी, भारत सरकार
3 माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री, भारत सरकार
4 माननीय राज्य स्वास्थ्य मन्त्री, भारत सरकार
5 माननीय केन्द्रीय वित्त मन्त्री, भारत सरकार
6 माननीय कुलपति महोदय कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर
7 माननीय कुलपति महोदय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
8 माननीय कुलपति महोदय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
9 माननीया स्वास्थ्य सचिव, महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
10 श्रीमान उपसचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
11 श्रीमान निदेशक महोदय आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा सेवायें उ०प्र०
12 श्रीमान उप निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उ०प्र०
13 श्रीमान अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद उ०प्र०
14 समस्त विधायकगण लखनऊ विधान सभा, लखनऊ
15 समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेज, उ०प्र०
16 प्रमुख दैनिक पत्र, उत्तर प्रदेश ।

पी०एस०यू०पी० —वि० सभा—27-1-84—835—256